पवन हंस लिमिटेड
PAWAN HANS LIMITED

(A Mini Ratna CPSE under Ministry of Civil Aviation)
(नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न सीपीएसई)

We fly for you

राष्ट्र के लिए उड़ान
नए व्यावसायिक आयामों के साथ

Flying For Nation
Adding New Business Verticals

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2018 - 19

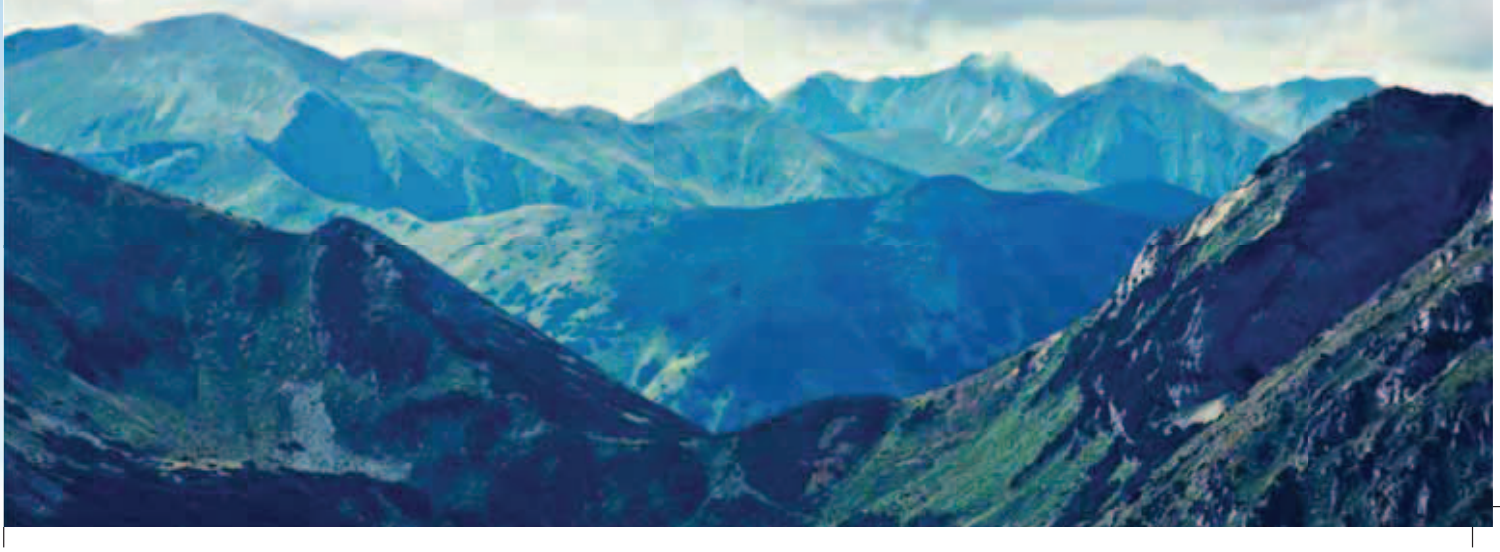

वार्षिक रिपोर्ट 2018—2019
Annual Report 2018-2019

वार्षिक रिपोर्ट

2018–19

पवन हंस लिमिटेड

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

हमारा लक्ष्य

हेलीकॉप्टर और सी–प्लेन सेवाओं में मार्केट लीडर बनना, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट परिचालनों द्वारा क्षेत्रीय संपर्कता उपलब्ध कराना तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हेलीकॉप्टर की मरम्मत/ओवरहॉल संबंधी सुविधाएं प्रदान करना।

तालिका

- निदेशक मंडल 4
- प्रबंध समूह 5
- सूचना 6
- सदस्यों को अध्यक्ष का संदेश 9
- निदेशकों की रिपोर्ट 13
- निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध 29
- कंपनी के मुख्य कार्यपालक व मुख्य वित्तीय अधिकारी / विभागाध्यक्ष (वित्त एवं लेखा) द्वारा वित्तीय विवरणियों का सत्यापन / घोषणा 70
- आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा 71
- वित्तीय अंश 72
- संक्षिप्त लेखे 74
- लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 75
- वित्तीय विवरणी 93
- भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 172

निदेशक मंडल

श्रीमती उषा पाढ़ी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एवीएम संजीव कपूर
एवीएसएम वीएम
एसीएएस ऑप्स (टी एवं एच)
वायु सेना मुख्यालय

श्री प्रवीण गर्ग
अपर सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता
नागर विमानन मंत्रालय

श्री अशोक नायक
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. हरीश चौधरी
स्वतंत्र निदेशक

श्री राजेश कक्कड़
निदेशक (अपतट)
तेल एवं प्राकृतिक गैस
निगम लि.

प्रबंध समूह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्रीमती उषा पाढ़ी
मुख्य सतर्कता अधिकारी	श्री राकेश कुमार, भा.दू.से. (दिनांक 09.09.2019 तक)
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी एवं व्यवसाय संवर्धन व विपणन)	एयर कमोडोर (सेवानिवृत) टी. ए. दयासागर
कंपनी सचिव एवं संयुक्त महाप्रबंधक (विधि)	श्री रंजीत सिंह चौहान
विभागाध्यक्ष (विवले) एवं उमप्र (आंतरिक लेखा परीक्षा)	श्री आशीष कुमार यादव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य अधिकारी एवं महाप्रबंधक (संरक्षा)	श्री एम. एस. बूरा
महाप्रबंधक (व्यवसाय संवर्धन एवं विपणन)	श्री वनराजसिंह डोडिया
स्थानापन्न महाप्रबंधक (परिचालन)	कैप्टन बी. वी. बदूनी
स्थानापन्न महाप्रबंधक (एएमई)	श्री एम. पी. सिंह
संयुक्त महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नैगमिक आयोजना)	श्री राम कृष्ण
विभागाध्यक्ष (मानव संसाधन)	श्री ए. सी. परिछा
विभागाध्यक्ष (प्रशासन)	श्री एच. एस. कश्यप
विभागाध्यक्ष (सामग्री)	श्री विजय एम. पथियन
महाप्रबंधक (पश्चिमी क्षेत्र)	श्री संजीव राजदान
महाप्रबंधक (उत्तरी क्षेत्र)	श्री संजय कुमार
स्थानापन्न महाप्रबंधक (पूर्वी क्षेत्र)	श्री सरबजीत सिंह

पंजीकृत कार्यालय :
रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36
रोहिणी, नई दिल्ली–110 085

प्रधान कार्यालय :
सी–14, सेक्टर–1
नोएडा, उत्तर प्रदेश–201 301

क्षेत्रीय कार्यालय :

पश्चिमी क्षेत्र
जूहू ऐरोड्रोम
एस. वी. रोड
विले पार्ले (पश्चिम)
मुम्बई–400 056

उत्तरी क्षेत्र
रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36
रोहिणी, नई दिल्ली–110 085

पूर्वी क्षेत्र
ग्राउण्ड फ्लोर, मनोरमालय
वीआईपी, एलजीबीआई एयरपोर्ट रोड
गुवाहाटी–781015

लेखापरीक्षक
मैसर्स जे.पी., कपूर एवं उबेराय
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली–110016

शाखा लेखापरीक्षक
मैसर्स कैलाश चंद जैन एवं कंपनी
(पंजीकृत)
सनदी लेखाकार
मुम्बई–400020

बैंकर्स
विजया बैंक
पंजाब नैशनल बैंक

पवन हंस लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय : रोहिणी हेलीपोर्ट, सैक्टर–36, रोहिणी, नई दिल्ली–110085

सीआईएन : यू62200डीएल 1985जीओआई022233

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन बृहस्पतिवार, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 को दोपहर 12.30 बजे अशोक होटल, डिप्लोमेटिक एन्कलेव, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021 में किया जाएगा :–

सामान्य व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण से युक्त लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा उनके संबंध में की गई टिप्पणियां, साचिविक लेखा परीक्षित रिपोर्ट तथा निदेशक रिपोर्ट की प्राप्ति करना, उसके संबंध में विचार तथा अंगीकार किया जाना।

2. निदेशक मंडल को वित्तीय वर्षों 2018–19 तथा 2019–20 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा शाखा लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने का प्राधिकार देना।

कम्पनी के निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह./–
(आर. एस. चौहान)
कम्पनी सचिव
एफ.सी.एस. संख्या 8785

नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2019

सेवा में,

1. कम्पनी के सभी सदस्य
2. सांविधिक लेखा परीक्षक
3. साचिविक लेखा परीक्षक

नोटः

1) बैठक में भाग लेने के पात्र तथा बैठक में मतदान के पात्र सदस्य अपनी ओर से बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने के पात्र होंगे जिसका कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

2) बैठक के स्थल का मार्ग चित्र संलग्न है।

पवन हंस लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
परोक्षी फार्म

मैं, ————————————————————————पवन हंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 के सदस्य के रूप में एतद्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2019 को अथवा स्थगन के पश्चात किसी अन्य दिन आयोजित की जा रही कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम सभा में मेरी ओर से भाग लेने के लिए ————————————————————के श्री ———————————————— को प्राधिकृत करता हूं।

यह मेरे हस्ताक्षर से दिनांक ——————————सितम्बर, 2019 को जारी किया गया है।

(सदस्य के हस्ताक्षर)

वार्षिक आम सभा स्थल का पथ प्रदर्शक मानचित्र

अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन के अवसर पर आपकी उपस्थिति अत्यंत हर्ष का विषय है। वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट का वितरण कर दिया गया है तथा अब आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ रही हूं।

आपके निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षित रिपोर्ट एवं टिप्पणियों तथा उनके संबंध में प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर के साथ अपनी 34वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 चुनौतियों से भरा वर्ष रहा है तथा कम्पनी द्वारा अपने नेतृत्व की स्थिति एवं अपने दीर्घकालिक ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने के प्रयास किए गए हैं। हेलीकॉप्टर उद्योग में अनुभवी हेलीकॉप्टर पायलटों की अत्यधिक कमी है तथा आपकी कम्पनी को भी पिछले तीन वर्षों से अपने व्यवसाय में पायलटों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। विचाराधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी द्वारा भारतीय वायु सेना के साथ समझौता ज्ञापन करके पायलटों को प्रतिनियुक्ति/स्थाई/त्वरित समावेश के आधार पर प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है तथा 14 पॉयलटों की सेवाएं प्राप्त कर ली गई हैं एवं और अधिक पॉयलटों की सेवाएं प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से दिनांक 11.3.2019 को अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालक (एससीओ) का परमिट प्राप्त हुआ है। इस परमिट के साथ आपकी कम्पनी क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस) के अंतर्गत वाणिज्यिक उड़ानों का प्रचालन कर सकेगी। आपकी कम्पनी का गैर अनुसूचित प्रचालक परमिट (एनएसओपी) का नवीकरण भी सीएपी 3400 के अंतर्गत 14.3.2024 तक के लिए किया गया है।

निगमित शासन के संदर्भ में कम्पनी के तत्व विचार में कम्पनी का व्यवसाय व्यवहार प्रदर्शित होने के साथ साथ अपने प्रचालनों में नीतिपरक व्यावसायिक सिद्धांतों के प्रति अनवरत प्रतिबद्धता की प्रस्तुति होती है। आज के प्रगतिशील व्यावसायिक वातावरण में उच्च निष्पादन के प्रति अनुकूलन के साथ सत्यनिष्ठा की संस्कृति को साथ लेकर चलना सुदृढ़ शासन संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपकी कम्पनी में विधिवत परिभाषित ऐसी निगमित संरचना स्थापित है, जो जांच एवं संतुलन स्थापित करती है तथा निदेशक मंडल के माध्यम से संगठन में उचित स्तर निर्धारण करके कम्पनी के क्रियाकलापों का प्रभावी नियंत्रण करती है। आपकी कम्पनी की अवधारणा के अनुसार उत्तम निगमित शासन व्यवहार दीर्घकालिक मूल्यों की उत्पति करने तथा संवहनीय व्यवसाय मॉडल का निर्माण करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

आपकी कम्पनी में कम्पनी के निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए विधिवत परिभाषित आचार संहिता निर्धारित की गई है जो कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की गई है।

वर्ष 2016–17 के लिए आपकी कम्पनी का समझौता ज्ञापन मूल्यांकन ''बहुत अच्छा'', वर्ष 2017–18 के लिए 'अच्छा' आंका गया था तथा वर्ष 2018–19 के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के प्रति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से छूट मांगी गई है।

वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी द्वारा प्रचालनों से पिछले वर्ष में 39540.74 लाख रुपए की तुलना में 37997.08 रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में विचाराधीन वर्ष के दौरान प्रचालनों से राजस्व में आई यह कमी (3.9%) काफी कम है परन्तु इसके परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित 1929.49 रुपए के मुनाफे की तुलना में 5676.20 लाख रुपए का घाटा हुआ है। इस हानि का प्रमुख कारण कर्मचारियों का वेतन संशोधित होना, बीमा प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी होना, निर्णित हर्जानों का प्रत्यारोपण, भा.वि.प्रा. द्वारा पट्टा किराए में बढ़ोतरी करना इत्यादि हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान हुई हानियों के कारण आपके निदेशकों द्वारा विचाराधीन वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की अनुशंसा किए जाने के प्रति अपनी असमर्थता व्यक्त

की गई है। इससे पूर्व आपकी कम्पनी द्वारा पिछले छः वर्षों से लाभ अर्जित करके अपने शेयरधारकों को लाभांश चुकता किए गए हैं। वर्ष 2017–18 के लिए 616.42 लाख रुपए के लाभांश पर कर पश्च लाभ पर 30/ जमा 126. 71 लाख रुपए के लाभांश पर कारपोरेट कर चुकता किया गया था।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 42 हेलीकॉप्टरों के कुल बेड़ा आकार में से हेलीकॉप्टरों का मासिक नियोजन 29 हेलीकॉप्टर रहा है। वर्ष 2018–19 में पिछले वर्ष के 23,329 उड़ान घंटों की तुलना में उड़ान घंटों की संख्या कम होकर 20,052 घंटे हो गई है, जो कि पायलटों की कमी होने, हेलीकॉप्टरों की ग्राउंडिंग होने इत्यादि जैसे कारणों से है।

सम्पूर्ण भारत में पवन हंस द्वारा अपने पूर्णतः संतुलित 42 हेलीकॉप्टरों के प्रचालन बेड़े के साथ एशिया के विशालतम हेलीकॉप्टर प्रचालक की स्थिति को बरकरार रखा गया है। कम्पनी ने अपनी स्थापना के पश्चात से अब तक अपने बेड़े से 10.00 लाख से अधिक घंटों की उड़ान तथा 25 लाख से अधिक लैंडिंग की है। एरियल 2सी इंजन पर 1 मिलियन घंटे के विश्व के सर्वश्रेष्ठ उड़ान कीर्तिमान स्थापित करने के लिए मैसर्स टर्बोमेका द्वारा पवन हंस को पुरस्कृत किया गया है।

भारत सरकार द्वारा पवन हंस लिमिटेड में प्रबंधन नियंत्रण के अंतरण के साथ भारत सरकार की समग्र 51% शेयरधारिता का विनिवेश किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ साथ, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड (''ओएनजीसी'') द्वारा भी अपने दिनांक 2 अगस्त, 2018 के अपने निदेशक मंडल के संकल्प के माध्यम से पवन हंस लिमिटेड में अपनी सम्पूर्ण 49% की शेयरधारिता समाप्त करने की मंशा व्यक्त की गई है। इसे दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 15.8.2018 को सभी संभावित एवं विद्यमान बोलीदाताओं को विनिवेश की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए पीआईएम का एक अनुशेष जारी किया गया था। तदनुसार, इच्छुक बोलीदाताओं के लिए रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत किए जाने की तिथि को आगे बढ़ाकर 19 सितम्बर, 2018 कर दिया गया था।

उपर्युक्त की प्रतिक्रिया में देय तिथि अर्थात 12.3.2019 तक केवल एक बोली प्राप्त हुई थी। इस बोली की संवीक्षा के दौरान संव्यवहार परामर्शदाता द्वारा इसके सशर्त होने तथा इसके घटक अपूर्ण होने तथा इसके खंड 8: आरएफपी की अयोग्यता के दायरे में आने की सूचना दी गई थी। तदनुसार, यह बोली रद्द कर दी गई थी तथा यह मामला आगे कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए निवेश एवं लोक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात वैकल्पिक तंत्र व्यवस्था (एएम) द्वारा दिनांक 3.5.2019 को बोलीदाताओं की प्रतिभागिता में संवर्धन के लिए एक नई रूचि अभिव्यक्ति/ पीआईएम जारी किए जाने का निर्णय सम्प्रेषित किया गया था। दिनांक 11.7.2019 को नई रूचि अभिव्यक्ति जारी कर दी गई थी, जिसकी प्रस्तुति की अंतिम तिथि 22.8.2019 थी तथा इसे बढ़ाकर अब 26.9.2019 कर दिया गया है।

निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाएं/विकास घटित हुए हैं:–

i) आपकी कम्पनी के गैर अनुसूचित प्रचालक परमिट (एनएसओपी) का नवीकरण 14.3.2024 तक के लिए हो गया है।

ii) एनटीपीसी द्वारा करार/समझौता ज्ञापन समाप्त कर दिया है तथा कम्पनी को ऋण की शेष बकाया राशि 18.6.2019 तक लागू ब्याज दर के साथ चुकता करने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार, शेष पूर्ण बकाया राशि अर्थात 1928.19 लाख रुपए की राशि देय हो गई है। तथापि, इस करार को पुनः प्रभावी किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

iii) आपकी कम्पनी द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2019 को हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक सिविल एएलएच हेलीकॉप्टर की ड्राई लीज के लिए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका आयोजन एयरो इंडिया, 2019 के अवसर पर सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार तथा दोनों कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया था। पवन हंस लिमिटेड द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (उड़े देश का आम नागरिक–उड़ान) में की गई संकल्पना के अनुसार भारत के आम नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना चाहती है।

iv) आपकी कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा मंडी जिले के पटेल ग्राउंड में दिनांक 5.3.2019 को आयोजित महाशिवरात्रि के विशाल समारोह में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर को एक मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) की प्रस्तुति की गई थी। यह मोबाइल मेडिकल यूनिट बीएस IV के अनुरूप है तथा इसमें बुनियादी चिकित्सा उपकरण संस्थापित किए गए हैं।

v) आपकी कम्पनी तथा एयरबस हेलीकॉप्टर्स के मध्य दो नए वर्ग के रोटोरक्राफ्ट के लिए सहभाजन करने तथा भविष्य में इन्हें अपने बेड़े में शामिल किए जाने और साथ ही विद्यमान एएस365एन डॉफिन हेलीकॉप्टरों की मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल किए जाने के संबंध में फ्रांस में आयोजित पेरिस एयरशो के दौरान जून, 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें पवन हंस लिमिटेड के पॉयलटों के लिए विशेष रूप से निर्मित प्रशिक्षण तथा आनसाइट संरक्षा प्रबंधन व्यवस्था (एसएमएस) को भी शामिल किया गया है।

इस अवसर पर प्रबंधन के प्रति अपना विश्वास कायम रखने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूं। मैं कम्पनी के कार्यकुशल प्रबंधन में सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय तथा अन्य विभिन्न एजेंसियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं। मैं कम्पनी के प्रति अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जीएसपीसी, गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, मेघालय, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह की राज्य सरकारों तथा इनके कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के विकास के लिए प्रदान की गई सेवाओं के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

ह./–
(उषा पाढ़ी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 26 सितम्बर, 2019

निदेशक रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशकों को पवन हंस लिमिटेड की चौंतीसवी वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों के संबंध भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 चुनौतियों से भरा वर्ष रहा है तथा कम्पनी द्वारा हेलीकॉप्टर उद्योग में अपनी नेतृत्व की स्थिति एवं अपने दीर्घकालिक ग्राहकों को अपनेसाथ बनाए रखने के प्रयास किए गए हैं। हेलीकॉप्टर उद्योग अनुभवी हेलीकॉप्टर पायलटों की गम्भीर कमी से जूझ रहा है और पवन हंस का व्यवसाय भी पिछले तीन वर्षों में काफी बड़ी संख्या में पायलटों के कम्पनी छोड़ कर जाने के कारण प्रभावित हुआ है। विचाराधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी द्वारा भारतीय वायु सेना के साथ समझौता ज्ञापन करके प्रतिनियुक्ति/स्थायी/तत्काल समावेशन के आधार पर पायलटों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं जिसके अंतर्गत 14 पायलटों का तत्काल समावेशन किया जा चुका है तथा अन्य समावेशन किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से दिनांक 11.3.2019 को अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालक (एससीओ) का परमिट प्राप्त हुआ है। इस परमिट के साथ आपकी कम्पनी क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस) के अंतर्गत वाणिज्यिक उड़ानों का प्रचालन कर सकेगी। आपकी कम्पनी का गैर अनुसूचित प्रचालक परमिट (एनएसओपी) का नवीकरण भी सीएपी 3400 के अंतर्गत 14.3.2024 तक के लिए किया गया है।

I. प्रचालन

क) प्रचालन परिणाम

आपकी कम्पनी द्वारा पिछले वर्ष प्रचालनों से अर्जित 39540.74 लाख रुपए के राजस्व की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान 37997.08 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 42 हेलीकॉप्टरों के कुल बेड़ा आकार में से हेलीकॉप्टरों का मासिक नियोजन 29 हेलीकॉप्टर रहा है। वर्ष 2018–19 में पिछले वर्ष के 23,329 उड़ान घंटों की तुलना में उड़ान घंटों की संख्या कम होकर 20,052 घंटे हो गई है, जो कि पायलटों की कमी होने, हेलीकॉप्टरों की ग्राउंडिंग होने इत्यादि जैसे कारणों से है।

ख) बेड़ा प्रोफाइल

सम्पूर्ण भारत में पवन हंस द्वारा अपने पूर्णतः संतुलित 42 हेलीकाप्टरों के प्रचालन बेड़े के साथ एशिया के विशालतम हेलीकॉप्टर प्रचालक की स्थिति को बरकरार रखा गया है। कम्पनी ने अपनी स्थापना के पश्चात से अब तक अपने बेड़े से 10.00 लाख से अधिक घंटों की उड़ान तथा 25 लाख से अधिक लैंडिंग की है। एरियल 2सी इंजन पर 1 मिलियन घंटे के विश्व के सर्वश्रेष्ठ उड़ान कीर्तिमान स्थापित करने के लिए मैसर्स टर्बोमेका द्वारा पवन हंस को पुरस्कृत किया गया है।

वर्तमान में कम्पनी के प्रचालनात्मक बेड़े का स्वरूप निम्नानुसार है:–

हेलीकॉप्टर प्रकार	हेलीकॉप्टरों की संख्या	औसत आयु (वर्ष)
डॉफिन एसए365एन	17	32
डॉफिन एएस365 एन3	14	9
बेल–407	3	14
बेल 206एल4	3	22
एएस 350 बी3	2	7
एमआई–172	3	10
योग	**42**	

ग) बेड़ा परिनियोजन

बम्बई अपतटीय प्लेटफार्म पर स्थित ड्रिलिंग रिग्स तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड के अपतटीय प्रचालनों हेतु दिन रात अनवरत उनके व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण आपूर्तियों के वहन के लिए पवन हंस द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पवन हंस द्वारा मुम्बई के भू–भाग से 130 नॉटिक्ल मील के दायरे में स्थित तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड की रिग्स (मदर प्लेटफार्म एवं ड्रिलिंग रिग्स) तथा उत्पादन प्लेटफार्म (कुओं) के लिए प्रचालन किए जाते हैं। मार्च, 2015 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बिडिंग में 7 वर्ष की विशिष्टता (विंटेज) के साथ निम्नतम बोली (एल 1) होने से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड को 3 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों की सेवाएं उपलब्ध करवाने की क्रू चेंज टास्क संविदा भी पवन हंस द्वारा प्राप्त की गई है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कम्पनी द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड को संविदा के अंतर्गत तेल

हेलीकॉप्टरों द्वारा संपर्कता बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर समिट 2019, सुश्री उषा पाढ़ी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड ने सहस्रधारा हेलीपैड, देहरादून में सचिव, नागर विमानन मंत्रालय श्री पी. एस. खरोला की उपस्थित में रोटरी विंग के शेयधारकों के मुद्दों व शंकाओं की विवेचना की।

एवं प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड के अपतटीय कार्यों के लिए 7 डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों से सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिनमें से आपात निकासी के लिए रात्रि एम्बूलेंस के लिए नियत 1 हेलीकॉटर के अलावा मुख्य प्लेटफार्म पर 2 डॉफिन हेलीकॉप्टर रात भर परिनियोजित रहते हैं । आपकी कम्पनी द्वारा जीएसपीसी को भी 15.6.2019 तक 1 डॉफिन एन3 हेलीकॉटर से सेवाएं प्रदान की जाती रही हैं।

वर्तमान में कम्पनी द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य सरकारों यथा मिजोरम, असम, त्रिपुरा, सिक्किम प्रत्येक को 1 डॉफिन हेलीकॉप्टर तथा मेघालय राज्य सरकार 1 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सिक्किम को कम्पनी द्वारा 1 बेल 407 से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

कम्पनी द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन को 5 डॉफिन एन/एन3 हेलीकॉप्टर तथा लक्षद्वीप प्रशासन को 03 डॉफिन एन/एन3 हेलीकॉप्टर से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

कम्पनी द्वारा जम्मू एवं कश्मीर सरकार को 2 बेल 206 एल4 तथा 1 बेल 407 हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को कम्पनी 1 एएस–350 बी3 हेलीकॉप्टर से सेवाएं दे रही है। कम्पनी द्वारा महाराष्ट्र सरकार को हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स से पट्टे पर प्राप्त हेलीकॉप्टर ध्रुव उपलब्ध करवाया गया है। संघ शासित क्षेत्र दमन एवं दीव को कम्पनी 1 डॉफिन एन/एन3 हेलीकॉप्टर से सेवाएं दे रही है। कम्पनी द्वारा चार्टर व्यवसाय के लिए 1 डॉफिन एन हेलीकॉप्टर गुवाहाटी में तैनात किया गया है।

पवन हंस द्वारा फाटा से पवित्र श्राइन केदारनाथ के लिए प्रत्येक वर्ष यात्रा सीजन अर्थात मई–जून एवं सितम्बर–अक्तूबर के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

हेलीकॉप्टरों का औसत मासिक परिनियोजन निम्नानुसार रहा :–

औसत मासिक बेड़ा उपयोग

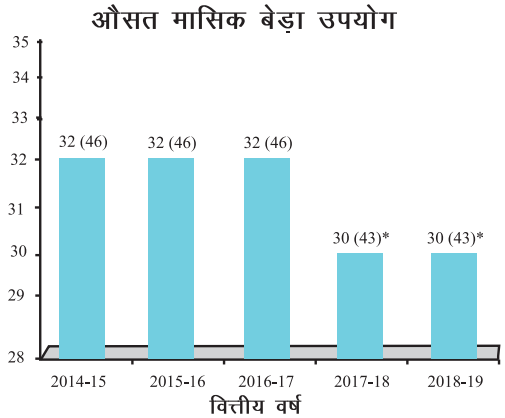

* हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से पट्टे पर प्राप्त ध्रुव हेलीकॉप्टर सहित

घ) बेड़ा विस्तार

अविरत रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के विचार से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण आंतरिक स्रोतों से 20% निधियन तथा बैंकों से 80% आवधिक ऋण के माध्यम से आपकी कम्पनी द्वारा अपने बेड़े के विस्तार के लिए 4 लाइट तथा 2 हैवी ड्यूटी के हेलीकॉप्टरों की खरीद किए जाने के प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। इसके पश्चात बेड़े का विस्तार पट्टा विधि से करने के प्रयास भी किए गए थे, परन्तु ये नागर विमानन मंत्रालय तथा निवेश एवं लोक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त न होने के कारण सफल नहीं हो पाए हैं।

ङ) पवन हंस लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश

भारत सरकार द्वारा पवन हंस लिमिटेड में प्रबंधन नियंत्रण के अंतरण के साथ भारत सरकार की समग्र 51% शेयरधारिता का विनिवेश किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस रणनीतिक विनिवेश के लिए निवेश एवं लोक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संव्यवहार परामर्शदाता एवं विधि सलाहकार के रूप में क्रमशः मैसर्स एसबीआई कैप्टिल मार्केट्स लिमिटेड एवं मैसर्स क्राफर्ड बेयले एंड कम्पनी को नियुक्त किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा पवन हंस लिमिटेड की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन के लिए मेसर्स आरबीएसए को सलाहकार नियुक्त किया गया है। परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित कार्य मैसर्स आरबीएसए द्वारा पूरा कर लिया गया है। बोलीदाताओं से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण विनिवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है।

इसी के साथ साथ, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड (''ओएनजीसी'') द्वारा भी अपने दिनांक 2 अगस्त, 2018 के अपने निदेशक मंडल के संकल्प के माध्यम से पवन हंस लिमिटेड में अपनी सम्पूर्ण 49% की शेयरधारिता समाप्त करने की मंशा व्यक्त की गई है। इसे दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 15.8.2018 को सभी संभावित एवं विद्यमान बोलीदाताओं को विनिवेश की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए पीआईएम का एक अनुशेष जारी किया गया था। तदनुसार, इच्छुक बोलीदाताओं के लिए रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत किए जाने की तिथि 12 सितम्बर, 2018 को आगे बढ़ाकर 19 सितम्बर, 2018 कर दिया गया था।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड ने पवन हंस हेलीकॉप्टरों की सेवाओं का उपयोग करते हुए ओएनजीसी के अपतटीय परिचालनों का दौरा किया। पवन हंस अपनी स्थापना के बाद से ही ओएनजीसी को तेल उत्खनन एवं उत्पादन के लिए उत्कृष्ट हेलीकॉप्टर सहायता सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है

उपर्युक्त की प्रतिक्रिया में देय तिथि अर्थात 12.3.2019 तक केवल एक बोली प्राप्त हुई थी। इस बोली की संवीक्षा के दौरान संव्यवहार परामर्शदाता द्वारा इसके सशर्त होने तथा इसके घटक अपूर्ण होने तथा इसके खंड 8 : आरएफपी की अयोग्यता के दायरे में आने की सूचना दी गई थी। तदनुसार, यह बोली रद्द कर दी गई थी तथा यह मामला आगे कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए निवेश एवं लोक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात वैकल्पिक तंत्र व्यवस्था (एएम) द्वारा दिनांक 3.5.2019 को बोलीदाताओं की प्रतिभागिता में संवर्धन के लिए एक नई रूचि अभिव्यक्ति/पीआईएम जारी किए जाने का निर्णय सम्प्रेषित किया गया था। दिनांक 11.7.2019 को नई रूचि अभिव्यक्ति जारी कर दी गई थी, जिसकी प्रस्तुति की अंतिम तिथि 22.8.2019 थी तथा इसे बढ़ाकर अब 26.9.2019 कर दिया गया है।

च) पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण

कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा दिनांक 16.2.2018 को आयोजित 32वीं वार्षिक आम सभी में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से स्थानांतरित करके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किए जाने का संकल्प पारित किया गया था। इस आशय से संबंधित आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास विचाराधीन है तथा इसका अनुमोदन शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है।

छ) रोहिणी हेलीपोर्ट, दिल्ली

रोहिणी हेलीपोर्ट के लिए 150 यात्रियों की क्षमता (किसी भी समय बिंदु पर) से युक्त एक टर्मिनल भवन, 16 हेलीकॉप्टरों की पार्किंग क्षमता वाले 4 हेंगर तथा 9 पार्किंग बे हैं। इसका निर्माण हेलीकॉप्टर प्रचालनों, अन्य प्रचालकों को लैंडिंग एवं पार्किंग सुविधा, मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल सेवाएं (एमआरओ) तथा प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ हेलीकॉप्टर व्यवसाय को एकल समाधान उपलब्ध करवाने के लिए किया गया है।

रोहिणी हेलीपोर्ट के लिए भूमि का आबंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के नाम से दीर्घकालिक पट्टे पर किए जाने के तथ्य को विचार में रखते हुए रोहिणी हेलीपोर्ट रणनीतिक बिक्री/विनिवेश के संव्यवहार के अंतर्गत नहीं आएगा। तदनुसार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा रोहिणी हेलीपोर्ट की परिसम्पत्तियों को पवन हंस लिमिटेड की बहियों में शामिल किए जाने के स्थान पर रणनीतिक प्रक्रिया से पूर्व से इसे विशेष उद्देश्य वाहक (एसआईपी) को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य से अलग से नागर विमानन मंत्रालय तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की एक प्रतिरूप कम्पनी रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड के नाम से निगमित की गई है तथा विलय समाप्त किए जाने की योजना की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

II. द्वग्विषय एवं ध्येय

द्वग्विषय :

यात्रियों को विश्व श्रेणी की संरक्षित, सुरक्षित, संधारणीय, वहनीय विमान सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।

ध्येय:

छोटे फिक्स्ड विंग वाले विमानों के प्रचालनों के माध्यम से क्षेत्रीय विमान सम्पर्कता प्रदान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मरम्मत एवं ओवरहॉल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टरों एवं सी प्लेन सेवाओं के क्षेत्र में बाजार का नेतृत्व करना।

III. वित्त एवं लेखा

आपकी कम्पनी द्वारा 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र से युक्त वित्तीय विवरण, 31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के संक्षेप सहित वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए इंड एएस के अनुरूप अन्य व्याख्यात्मक सूचना तैयार की गई है।

क) वित्तीय परिणाम

वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान आपकी कम्पनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:–

(रुपए लाख में)

विवरण		2017–18 राशि	2018–19 राशि
क)	प्रचालनों से राजस्व	39540.74	37997.08
ख)	अन्य आय	6260.80	3238.35
ग)	अन्य आय सहित कुल राजस्व	45801.54	41235.43
घ)	व्यय		
	i) पूर्वावधि समायोजनों सहित प्रचालनात्मक एवं गैर–प्रचालनात्मक व्यय	361.24	413.95
	ii) मूल्यह्रास	8479.05	84.33
	योग	**44628.48**	**49828.20**
ङ)	अपरिहार्य मदों से पूर्व लाभ / (हानि)	1173.06	(8592.77)
च)	असाधारण मदें / अपरिहार्य मदें	-	-
छ)	समायोजनों के पश्चात लाभ / (हानि)	1173.06	(8592.77)
ज)	आयकर / आस्थगित कर देयता के प्रावधान	(756.43)	(2916.57)
झ)	कर पश्च निवल लाभ / (हानि)	1929.49	(5676.20)
ण)	कारपोरेट लाभांश कर सहित लाभांश	743.13	-

यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान राजस्व में थोड़ी कमी (3.9%) आई है परन्तु इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष में 1929.49 लाख रुपए के निवल लाभ की तुलना में 5676.20 लाख रुपए की हानि हुई है। इस हानि का प्रमुख कारण कर्मचारियों का वेतन संशोधित होना, बीमा प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी होना, परिनिर्धारित नुकसानी का प्रत्यारोपण, भा.वि.प्रा. द्वारा पट्टा किराए में बढ़ोतरी करना इत्यादि हैं।

कम्पनी के रिजर्व तथा अतिरेक 49127.18 लाख रुपए (पिछले वर्ष 56237.02 लाख रुपए) आंके गए हैं।

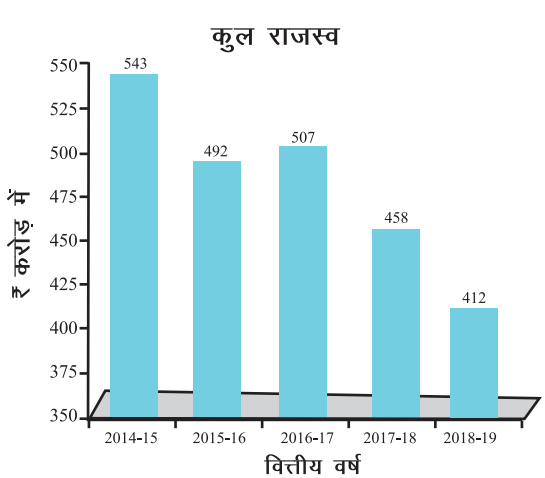

ख) लाभांश

वर्ष 2018–19 के दौरान हुई हानियों के कारण आपके निदेशकों द्वारा विचाराधीन वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की अनुशंसा किए जाने के प्रति अपनी असमर्थता व्यक्त की गई है। वर्ष 2017–18 के लिए 616.42 लाख रुपए के लाभांश पर कर पश्च लाभ पर 30% जमा 126.71 लाख रुपए के लाभांश पर कारपोरेट कर चुकता किया गया था। यह निवेश एवं लोक सम्पत्ति प्रबंधन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किए जाने की शर्त पर था तथा इसके लिए निवेश एवं लोक सम्पत्ति प्रबंधन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त न होने की स्थिति में 5607.73 लाख रुपए (नि. एवं लो.सं.प्र. मंत्रालय के दिशानिदेशों के अनुसार निवल सम्पत्ति के 5% अथवा लाभ एवं हानि के 30% से अधिक होने के कारण) का लाभांश चुकता किया जाना था। तथापि, नि.एवं लो.सं.प्र. मंत्रालय ने न्यून लाभांश अर्थात 616.42 लाख रुपए के भुगतान के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया था।

ग) नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

लोक उद्यम विभाग की परक्रामण बैठक के पश्चात आपकी कम्पनी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के साथ प्रत्येक वर्ष एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

किए जाते हैं। वर्ष 2015–16 के लिए आपकी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट 'अच्छी' तथा वर्ष 2016–17 की रिपोर्ट 'बहुत अच्छी' आंकी गई थी तथा वर्ष वर्ष 2017–18 के लिए यह रिपोर्ट 'अच्छी' आंकी गई है।

घ) इक्विटी पूंजी

कम्पनी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी 557,48,20,000/– रुपए है जिसमें 10,000/– रुपए मूल्य प्रत्येक के 5,57,482 इक्विटी शेयर हैं।

ङ) वित्तीय वर्ष 2018–19 की समाप्ति के पश्चात घटित महत्वपूर्ण घटनाएं/विकास

i) आपकी कम्पनी के गैर अनुसूचित प्रचालक परमिट (एनएसओपी) का नवीकरण 14.3.2024 तक के लिए हो गया है।

ii) एनटीपीसी द्वारा करार/समझौता ज्ञापन समाप्त कर दिया है तथा कम्पनी को ऋण की शेष बकाया राशि 18.6.2019 तक लागू ब्याज दर के साथ चुकता करने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार, शेष पूर्ण बकाया राशि अर्थात 1928.19 लाख रुपए की राशि देय हो गई है।

IV. इंजीनियरिंग / अनुरक्षण क्रियाकलाप

1. अपने हेलीकॉप्टरों के बेड़े के अनुरक्षण के लिए कम्पनी द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदन प्राप्त कर मुम्बई, नई दिल्ली, गुवाहाटी (असम) तथा पोर्टब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह) में उत्कृष्ट अनुरक्षण सुविधाओं की स्थापना की गई है। यहां हेलीकॉप्टरों की अनुरक्षण जांच की जाती है तथा इसके बैक अप में आंतरिक सुविधाओं से युक्त कार्यशालाएं स्थापित हैं। आपकी कम्पनी की अनुरक्षण क्षमता बिना किसी विदेशी सहायता के पूर्ण रूप से आंतरिक तौर डॉफिन हेलीकॉप्टरों की 'जी' जांच (5400 घंटे/10 वर्ष जांच) कर सकने की है तथा इसके परिणामस्वरूप मरम्मत/परीक्षण पर होने वाली कम लागत से विदेशी मुद्रा की बचत संभव हो पाई है।

2. कम्पनी के गुवाहाटी (असम) बेस के लिए निम्नलिखित अनुरक्षण क्रियाकलापों के लिए अनुमोदित किया गया है:–

– 3000 घंटों/6 वर्ष जांच तक डॉफिन एसए 365एन हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण

– 3000 घंटों/6 वर्ष जांच तक डॉफिन एएस 365एन3 हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण

– 1200 घंटों/48 माह जांच तक एक्युरियल एएस 350 बी3 हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण

3. पवन हंस लिमिटेड के पोर्टब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहद्व बेस के लिए निम्नलिखित अनुरक्षण क्रियाकलापों के लिए अनुमोदित किया गया है:–

– 3000 घंटों/6 वर्ष जांच तक डॉफिन एसए 365एन हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण

– 1200 घंटों/48 माह जांच तक डॉफिन एएस 365एन3 हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अपने संसाधनों से हेलीकॉप्टरों के डॉफिन विमान बेड़े की जांच के लिए टी/2टी/5टी/जी (600 घंटे/1200 घंटे/3000 घंटे/5400 घंटे) के कुल 18 जांच कार्य किए गए थे।

इसके अलावा, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा रोहिणी हेलीपोर्ट (दिल्ली) के संबंध में निम्नलिखित के लिए अनुमोदन दिए गए हैं:–

– 1500 घंटों की जांच तक बेल 206 एल4 का अनुरक्षण

– 1200 घंटों/24 माह की जांच तक बेल 407 एल4 का अनुरक्षण

– 1200 घंटों/48 माह की जांच, प्रमुख बदलाव/मरम्मत के अलावा, तक एक्युरियल एएस350 बी 3 हेलीकॉप्टर का अनुरक्षण

– 100 घंटों/6 माह की जांच तक डॉफिन एसए 365एन हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण

– 1200 घंटों/4 वर्ष जांच तक डॉफिन एसए 365एन3 हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण

– 500 घंटों तथा 1000 घंटों की जांच एमआई–172 हेलीकॉप्टर का अनुरक्षण

कम्पनी की अनुरक्षण व्यवस्था में संवर्धन करने तथा बाह्य व्यवसाय प्राप्त करने के उद्देश्य से आपके निदेशकों द्वारा अलग अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (एमआरओ) इकाईयों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

V. सामग्री प्रबंधन

अचल माल सूची के बेहतर नियंत्रण के संबंध में सामग्री प्रबंधन के लिए प्रक्रियाबद्ध सुधार किए गए हैं। इसके अलावा, सभी प्राप्तियों के लिए माल सूचियों के स्तर के निर्धारण इंजीनियरिंग तथा सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा की गई संयुक्त समीक्षा के आधार पर किए गए हैं तथा पूर्जों के लिए आदेश पूर्वानुमानों के उपायों का प्रयोग करते हुए जारी किए जाते हैं। सामग्री प्रबंधन क्रियाकलाप एकीकृत कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से ऑनलाईन किए जाते हैं। मांग के संसाधन एवं आपूर्ति की प्रक्रिया कार्यकुशल हो गई है। आंकड़ों में पारदर्शिता आई है तथा सभी क्षेत्रों तथा बेस पर ये अब प्रयोक्ताओं को नेटवर्क पर उपलब्ध हैं । सामयिक चेतावनियों के माध्यम से माल सूचियों का प्रबंधन किए जाने से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की प्रभावोत्पादकता बढ़ी है। ई–प्राप्ति प्रक्रिया का प्रयोग प्रभावोत्पादक रूप से किया जा रहा है।

VI. सूचना व्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी प्रयास

संचार के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी समाधानों का समावेश किए बिना उत्तम संचलन संभव नहीं है। आपकी कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी को व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप अंगीकार किया गया है।

आपकी कम्पनी द्वारा अपनी व्यावसायिक उपयोज्यता के लिए उत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का निर्माण किया गया है तथा विभिन्न व्यावसायिक उपयोज्यताओं जैसे आईआईएसपी (एकीकृत सूचना व्यवस्था), ई–निविदा, ई–आरटीआई, ई–जीईएम, ई–फेस60+, ई–टिकटिंग, आनलाइन बिल ट्रेकिंग सिस्टम, आनलाइन घटना रिपोर्टिंग व्यवस्था, वीडियो कांफ्रेंसिंग, वीओआईपी (वॉयस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी) मुम्बई, नोएडा, गुवाहाटी, रोहिणी हेलीपोर्ट की सम्पर्कता कारपोरेट कार्यालय से करने एवं अन्य अनेक व्यावसायिक उपयोज्यताओं का कार्यान्वयन किया गया है।

पवन हंस लिमिटेड में उपयोग में लाई जारी रही उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी से कर्मचारियों को अपने मिशन के कुशल एवं निर्बाध निर्वाह के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है तथा यह प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने के आशय से भी स्थापित की गई है। आईसीटी परिवेश में उपलब्ध सुविधाओं से सेवाओं, संसाधनों के आकलन, आनलाइन अध्ययन सामग्री/प्रशिक्षण मैनुअल तथा केन्द्रीकृत उपयोज्यताएं प्राप्त होती हैं। स्थापित की गई प्रौद्योगिकी व्यवस्था से कर्मचारी भी अपने कौशल में संवर्धन कर पाते हैं और अपने कार्य परिवेश में विविधता स्थापित करते हैं।

आपकी कम्पनी द्वारा लागतों को संतुलित करने, सेवाओं की बेहतर एवं अर्थपूर्ण आपूर्ति के लिए नियंत्रण एवं ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाकर 'ईज आफ डूइंग आपरेशंस' के अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय प्रक्रियाओं को मानक बनाने के लिए उत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी व्यवहारों को अंगीकार किया गया है।

VII. मानव संसाधन प्रबंधन

क) जनशक्ति

31 मार्च, 2018 में 738 की कुल जनशक्ति की तुलना में 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल कम्पनी की कुल जनशक्ति 722 (जिनमें 414 स्थाई कर्मचारी तथा 308 संविदारत कर्मचारी है) है जिसमें से 117 पॉयलट, 101 विमान अनुरक्षण इंजीनियर, 52 अधिशासी, 157 तकनीशियन तथा 295 अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारी हैं। वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी में पायलटों की अत्यधिक कमी रही है तथा इसके साक्षात्कार/चयन किए जाने के बावजूद भी कमी है।

ख) औद्योगिक संबंध

विचाराधीन अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित हुई । कर्मचारियों से संबंधित मामलों का निपटान बातचीत के माध्यम से कर लिया गया। सभी अधिशासियों, पॉयलटों तथा इंजीनियरों (नियमित एवं संविदारत दोनों) के संबंध में आईडीए वेतनमान एवं भत्तों का कार्यान्वयन किया गया है। तथापि, गैर यूनियन वर्ग के कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्तों में संशोधन की प्रक्रिया की जा रही है तथा इसका कार्यान्वयन अंतिम चरण में है।

ग) कर्मचारी कल्याण

कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को वृहद चिकित्सा सुविधा, आवास ऋण, सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा सुविधा एवं सामाजिक

सुरक्षा के माध्यम से कल्याण लाभ प्रदान किए जाते हैं। कम्पनी द्वारा अपनी नीतियों का संरेखण अर्थव्यवस्था एवं व्यावसायिक पर्यावरण के बदलते परिवेश के अनुरूप किया जाता है। कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए तीन ट्रस्ट यथा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट तथा कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन ट्रस्ट स्थापित किए गए हैं।

घ) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेद्ध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण।

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेद्ध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्यधीन बने नियमों के अंतर्गत प्रकटीकरण कर दिया गया है। कम्पनी में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेद्ध एवं प्रतितोष के लिए एक समिति स्थापित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लैंगिक उत्पीड़न का कोई मामला प्रस्तुत नहीं हुआ है।

ङ) दिव्यांग जनों के लिए रोजगार एवं प्राथमिकता प्राप्त वर्ग के लिए सरकारी निदेशों का कार्यान्वयन

कम्पनी द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के संबंध में सभी विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

च) प्रशिक्षण

सभी कर्मचारियों यथा अधिशासियों, पॉयलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा सहायक कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रबंधन दक्षता से संबंधित विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से व्याख्यान दिए जाते हैं। कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा आंतरिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने के लिए भी नामांकित किया जाता है। पॉयलटों, इंजीनियरों तकनीशियनों को नियमित रूप से पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए एविएशन ट्रेनिंग स्कूल के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है।

पवन हंस ने अपने प्रधान कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में पांचवे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। पवन हंस के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदया ने भी प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों के साथ योग सत्रों में भागीदारी की और ई–गृह पत्रिका हंसध्वनि का अनावरण भी किया।

कम्पनी द्वारा सितम्बर, 2009 में मुम्बई में जिसमें एएमई लाइसेंस की प्राप्ति के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित बुनियादी विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग लाइसेंस प्रारंभिक पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।

पॉयलटों को आपात्त स्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए पवन हंस लिमिटेड विमान कर्मियों के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण पद्धति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उड़ान के दौरान जोखिमकारी परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए सभी कर्मियों के लिए सिम्यूलेटर प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने का भी सुनिश्चय किया जाता है। पिछले एक वर्ष में कम्पनी द्वारा 107 पॉयलटों को मैसर्स हैट्सऑफ, बंगलौर में तथा विदेश में 20 पॉयलटों को सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

VIII. संरक्षा प्रबंधन व्यवस्था तथा एफओक्यूए व्यवस्था

संरक्षा का महत्व सर्वोपरि है तथा आपकी कम्पनी अपने प्रचालनों एवं अनुरक्षण क्रियाकलापों के लिए अनवरत आधार पर संरक्षा को पर्याप्त महत्व प्रदान कर रही है। वैश्विक डोमेन विशेषज्ञों के माध्यम से आवधिक आधार तृतीय पक्ष संरक्षा (एसएमएस) ऑडिट करवाए जाते हैं। विचाराधीन वर्ष के दौरान मैसर्स ब्यूरो वेरिटास एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस डिवीजन–फ्रांस द्वारा आपकी कम्पनी के मुम्बई, दिल्ली, गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर, राजामुन्दरी, गंगटोक तथा दमन स्थित प्रचालन बेस में 21 अगस्त, 2018 से 3 सितम्बर, 2018 के संरक्षा ऑडिट किए गए हैं। मैसर्स ब्यूरो वेरिटास द्वारा ऑडिट के पश्चात पवन हंस लिमिटेड का मूल्यांकन ऐसे पूर्ण सरंचित संगठन के रूप में किया है, जिसमें सक्षम कार्मिक की पूर्ण प्रतिभागिता एवं विधिवत प्रलेखित संरक्षा व्यवस्था के सहयोग प्राप्त हैं। रिपोर्ट में संगठन की शक्तियों एवं कमियों को हाइलाइट किया गया है।

तृतीय पक्षकार ऑडिट की अनुशंसाओं को विचार में लेकर कार्रवाई की जाती है। पवन हंस लिमिटेड का संरक्षा निदेशालय राजामुन्दरी, पोर्टब्लेयर, कावारती इत्यादि जैसे प्रमुख बेसों के लिए संरक्षा कर्मियों की नियुक्ति किए जाने के माध्यम से संरक्षा को सुदृढ़ बनाने के कार्य कर रहा है।

मुम्बई के अलावा, एफओक्यूए सिस्टम अब दिल्ली में भी दैनिक उड़ान डाटा विश्लेषण भी क्षेत्र से जुड़ी कमजोरियों को दूर करने के लिए स्थापित किया गया है। हेलीकॉप्टर ट्रेकिंग व्यवस्था पांच हेलीकॉप्टरों में स्थापित कर दी गई है तथा पांच अन्य हेलीकाप्टरों में स्थापित करने की प्रक्रिया की जा रही है।

आपकी कम्पनी में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन/नागर विमानन महानिदेशालय के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचालनों तथा अनुरक्षण क्रियाकलापों के लिए संरक्षा प्रबंध व्यवस्था (एसएमएस) स्थापित की गई है। कम्पनी की संरक्षा नीति में भी संशोधन करके इसमें संरक्षा को कम्पनी का प्रमुख क्रियाकलाप के रूप में शामिल किया गया है। दिल्ली में स्थित कम्पनी का राष्ट्रीय विमानन संरक्षा एवं सेवाएं संस्थान भी विमानन संरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है।

IX. निदेशक मंडल

वित्तीय वर्ष 2018–19 में निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित की गई हैं। निदेशक मंडल में विद्यमान तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित सदस्य थे :–

विद्यमान

श्रीमती उषा पाढ़ी	सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री प्रवीण गर्ग	सरकार द्वारा नामित निदेशक
एवीएम संजीव कपूर	सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय वायु सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
श्री राजेश कक्कड़	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का नेतृत्व कर रहे नामित निदेशक
श्री अशोक नायक	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. हरीश चौधरी	स्वतंत्र निदेशक

वर्ष 2018–19 के दौरान तथा उसके पश्चात निदेशक नहीं

डॉ. बी. पी. शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.1.2019 से)
श्रीमती गार्गी कौल	21.12.2018 से
श्री बी. एस. भुल्लर	25.1.2019 से
श्री अरुण कुमार	(28.12.2018 से 10.7.2019)

यह निदेशक मंडल डॉ. बी. पी. शर्मा, श्रीमती गार्गी कौल, श्री बी. एस. भुल्लर, तथा श्री अरुण कुमार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्रदत्त मूल्यवान सेवाओं के लिए अपना आभार रिकार्डबद्ध करता है।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों से संबंधित विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 203(1) तथा कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 8(5)(iii) के अनुसरण में कम्पनी के पास निम्नलिखित पूर्ण कालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं:–

i) श्रीमती उषा पाढ़ी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (03.04.2019 के प्रभाव से)
ii) डॉ. बी. पी. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.01.2019 तक)
iii) श्री धीरेन्द्र सहाय, मुख्य वित्तीय अधिकारी 30.11.2018 तक
iv) श्री संजीव अग्रवाल, कम्पनी सचिव 31.8.2018 तक
v) श्री रंजीत सिंह चौहान, कम्पनी सचिव

उत्तरदायी प्रबंधक

i) एयर कमोडोर टी. ए. दयासागर, कार्यपालक निदेशक नागर विमानन महानिदेशालय की नियमावली के अंतर्गत अपेक्षाओं के उद्देश्य से उत्तरदायी हैं।
ii) श्री एम. एस. बूरा, महाप्रबंधक (संरक्षा)

X. निदेशकों का उत्तरदेयता विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के संबंध में निदेशक द्वारा:–

(क) वार्षिक लेखा की तैयारी के लिए लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, का समावेश किया गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के क्रियाकलापों की सत्य एवं स्पष्ट रूपरेखा तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी की लाभदेयता को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है तथा उनका सुसंगत प्रयोग किया गया है जो निर्धारण एवं अनुमानों के लिए औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत हैं।

(ग) कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण तथा धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं उनकी खोज के लिए कम्पनी अधिनियम, 1913 के प्रावधानों के अंतर्गत लेखांकन के उपयुक्त रिकार्ड का अनुरक्षण उचित एवं पर्याप्त सावधानी के साथ किया है।

(घ) वार्षिक लेखों का निर्माण संबद्ध प्रयोजन आधार पर किया है; तथा

(ङ) सभी लागू विधानों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिस उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है जो प्रक्रिया यथोचित एवं कार्यकुशल स्वरूप में कार्य कर रही थी।

XI. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 149(7) के अंतर्गत यह घोषणा की गई है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 149(6) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के मापदंडों को पूरा करते हैं।

XII. निगमित सुशासन

निगमित सुशासन की रिपोर्ट सहित प्रेक्टिसिंग

कम्पनी सचिव से निगमित सुशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्राप्त प्रमाण पत्र **अनुलग्नक–क** में दिया गया है। प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक–ख** में प्रस्तुत की गई है।

XIII. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 139 के अंतर्गत मैसर्स जे.पी. कपूर एंड उबराय, सनदी सलाहकारों की नियुक्ति सनदी लेखाकारों के रूप में की गई है। मैसर्स जे.पी. कपूर एंड उबराय, सनदी सलाहकारों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक योग्य, सुरक्षित अथवा प्रतिकूल टिप्पणी के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण दिया गया है जो **अनुलग्नक–ग** के परिशिष्ट में शामिल है।

XIV. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(क) के अनुसरण में **'शून्य'** टिप्पणी दी गई है।

XV. साचिविक ऑडिट रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 204(1) के अनुसरण में कम्पनी द्वारा 31.3.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक अनुपालन ऑडिट किए जाने हेतु मैसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव की सेवाएं साचिविक ऑडिटर के रूप में पूर्णकालिक प्रक्रिया के लिए प्राप्त की गई हैं। साचिविक ऑडिट रिपोर्ट तथा उसमें साचिविक लेखापरीक्षकों द्वारा किए प्रेक्षण के संबंध में निदेशक मंडल के उत्तर **अनुलग्नक–घ** में संलग्न किए गए हैं।

XVI. संबद्ध पार्टी कार्य व्यवहार

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 188 के अंतर्गत वर्ष के दौरान संबद्ध पार्टी कार्य व्यवहार के संबंध में किए गए अनुबंध अथवा व्यवस्था का विवरण **अनुलग्नक–ङ** में दिया गया है।

XVII. कर्मचारियों से संबंधित विवरण

आपकी कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है तथा तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5.6.2015 की राजपत्र अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी अधिनियम के खंड 197(12) के प्रावधान एवं सम्बद्ध नियम पवन हंस के लिए लागू नहीं हैं। पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें एवं निबंधनों का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कम्पनी सचिव के वेतन तथा नियुक्ति की शर्तों एवं निबंधनों का निर्धारण प्रमुख प्रबंधन कार्मिक होने के कारण लोक उपक्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करते हुए किया जाता है।

XVIII. निगमित सामाजिक दायित्व समिति

आपकी कम्पनी की निगमित सामाजिक दायित्व समिति के अध्यक्ष डॉ. हरीश चौधरी हैं तथा इसके सदस्य श्री अशोक नायक एवं एवीएम संजीव कपूर हैं। निगमित सामाजिक दायित्व की वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक–च** में प्रस्तुत की गई है।

XIX. चौकसी तंत्र व्यवस्था

चौकसी तंत्र व्यवस्था के एकीकृत भाग के रूप में सरकारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए कम्पनी द्वारा कर्मचारियों एवं जनता को उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिए सरल यंत्र व्यवस्था स्थापित की गई है। सरकारी लोक शिकायत पोर्टल पर लोक शिकायतों की नियमित मॉनीटरिंग एक समर्पित अधिकारी द्वारा की जाती है।

XX. सूचना अधिकार अधिनियम

कम्पनी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्यधीन निगमित कार्यालय में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा पश्चिमी क्षेत्र में सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर कार्रवाई के लिए अपने समग्र संगठन में व्यवस्था स्थापित की गई है। निगमित कार्यालय में प्रथम अपीलिय अधिकारी भी नामित किया गया है। कम्पनी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों पर त्वरित कार्रवाई की गई है तथा केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

XXI. नागरिक चार्टर

आपकी कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुरूप नागरिक चार्टर प्रदर्शित किया गया है।

XXII. सत्यनिष्ठा संधि

कम्पनी द्वारा अपने विक्रताओं के साथ निविदा पूर्व स्तर पर सत्यनिष्ठा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। सत्यनिष्ठा अनुबंध के अंतर्गत विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली एक करोड़ से अधिक मूल्य की प्रमुख निविदाएं आती हैं।

XXIII. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति से सम्बद्ध अनुपालन

पवन हंस लिमिटेड के कारपोरेट एवं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एमएसएमई आदेश, 2012 के अनुसरण में एमएसएमई से क्रय किए गए माल एवं सेवाओं से संबंधित विवरणः–

शीर्ष	वित्तीय वर्ष (रुपए लाख में)	
	2018-19	**2017-18**
कुल वार्षिक अधिप्राप्ति मूल्य	16508.73	12058.56
एमएसई से अधिप्राप्त माल एवं सेवाओं का कुल मूल्य (अ.जा./अ.जजा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	620.00	578.00
एमएसई से अधिप्राप्त माल एवं सेवाओं का कुल मूल्य (महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) दिनांक 9.11.2018 से प्रभावी	47.00	शून्य
एमएसई से अधिप्राप्त माल एवं सेवाओं का कुल मूल्य (अ.जा./अ.जजा. उद्यमियों, महिला उद्यमियों तथा अन्य एमएसई के स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	667.00	578.00

आपकी कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं की 90% अधिप्राप्ति हेलीकॉप्टरों से सम्बद्ध मदों के लिए की जाती है तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई मदों की सूची गैर–वैमानिक मानकों के अनुसार है जबकि ऐसी अधिप्राप्तियां आयात के माध्यम से की जाती हैं। शेष अधिप्राप्तियों के संबंध में एमएसएमई आदेश, 2012 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

XXIV. ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी प्रयोग

कम्पनी के क्रियाकलापों को दृष्टिगत रखते हुए ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी प्रयोग के प्रभाव अत्यंत सीमित हैं। जहां कहीं आवश्यकता होती है कम्पनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण, प्रतिस्थापन आयात, आंतरिक अनुरक्षण, उत्पाद सुधार, लागत कटौती तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में प्रयास किए जाते हैं।

XXV. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कम्पनी को वर्ष 2018–19 के दौरान रुपए 7049.96 लाख रुपए (पिछले वर्ष रुपए 8,976 लाख रुपए) की विदेशी मुद्रा आय प्राप्त हुई। वर्ष 2018–19 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय की राशि 12,658.06 लाख रुपए (पिछले वर्ष 8091 लाख रुपए) है।

XXVI.वार्षिक विवरण का संक्षेप सार

कम्पनी अधिनियम के खंड 134(3) के साथ पठनीय खंड 92(3) की अपेक्षाओं के अनुसार फार्म एमजीटी–9

सिविल एएलएच की ड्राई लिजिंग के लिए पवन हंस ने एचएएल के साथ लेटर ऑफ अवार्ड पर हस्ताक्षर किया।

में वार्षिक विवरण का संक्षेप सार **अनुबंध–छ** में प्रस्तुत किया गया है तथा इसे कम्पनी की वेबसाइट पर जारी किया गया है जो https://www-pawanhans-co-in/english/inner.aspx?status=2&menu_id=83 पर देखा जा सकता है।

XXVII. निदेशक की नियुक्ति इत्यादि हेतु नीति

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की गजट अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी अधिनियम के खंड 134(3)(ङ) के प्रावधान पवन हंस के लिए लागू नहीं हैं।

XXVIII. निष्पादन मूल्यांकन

निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की गजट अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी अधिनियम के खंड 134(3)(पी) के प्रावधान पवन हंस के लिए लागू नहीं हैं।

XXIX. सांविधिक प्रकटीकरण

क) वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।

ख) वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमाराशियां नहीं ली गई हैं।

ग) विनियमाकों अथवा न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों द्वारा कम्पनी की प्रतिष्ठा तथा प्रचालनों पर भविष्य में किसी प्रकार के प्रभाव डालने से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अथवा तात्विक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

घ) कम्पनी द्वारा उचित मॉनीटरिंग प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा विभिन्न व्यवसाय व्यवहारों, प्रचालनों के कार्यकौशल तथा सांविधिक विधानों, विनियमों एवं कम्पनी नीतियों के अनुसरण का सुनिश्चय किया जाता है।

ङ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति यथा 31.3.2019 तक तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने से संबंधित किसी प्रकार का तात्विक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता नहीं है।

XXX. राजभाषा नीति

विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की दिशा में हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन, नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाने तथा द्विभाषिक विज्ञापन जारी करने एवं राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन किए जाने जैसे कार्य करते महत्वपूर्ण कार्यान्वयन किए

भारतीय हेलीकॉप्टर उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए नए युग के हेलीकॉप्टरों की शुरुआत और डॉफिन बेड़े के रिपेयर व ओवरहॉल एवं पवन हंस के पाइलटों के एसएमएस प्रशिक्षण के लिए पवन हंस एवं एयर बस ने पेरिस एयर शो में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

गए हैं। कम्पनी द्वारा अपने सभी कार्यालयों के लिए यूनिकोड हिन्दी साफ्टवेयर प्रारम्भ किया गया है तथा हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है।

XXXI. सतर्कता

कम्पनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी की देखरेख में एक सतर्कता विभाग स्थापित किया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए ई–निविदा, ई–टिकटिंग, ई–भुगतान तथा फाईल ट्रैकिंग का कार्यान्वयन किया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों के अनुसार अधिप्राप्तियों, सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम तथा सत्यनिष्ठा संधि को पारदर्शिता के सुनिश्चय के लिए अंगीकार किया गया है। सत्यनिष्ठा संधि के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा संशोधित सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है तथा अब से इसका अनुपालन किया जाएगा। आपको कम्पनी सचेतक नीति अनुमोदित कर दी गई है।

सतर्कता की दृष्टि से आवश्यक समझे गए मामलों के संबंध में सतर्कता मामले प्रारम्भ किए गए हैं तथा कुछ अधिकारियों को लघु या बड़ी शास्ति प्रक्रियाओं के लिए आरोप पत्र जारी किए गए हैं। सतर्कता विभाग की कार्यात्मकता में सचेतना के परिणामस्वरूप संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है और साथ ही उत्तरदेयता के आचरण के प्रति छवि में सुधार हुआ है।

विचाराधीन अवधि के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा मालसूची प्रबंधन में अनिमितताओं की जांच की गई तथा कम्पनी में पारदर्शिता, उत्तरदेयता के संवर्धन तथा हेलीकॉप्टरों के निर्बाध प्रचालनों के उद्देश्य से प्रबंधन कार्यान्वयन के लिए व्यवस्थाबद्ध सुधारों का कार्यान्वयन करने का सुझाव दिया गया है।

सतर्कता विभाग द्वारा संगठन में विद्यमान प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों, विशेषतः ऐसे क्षेत्रों में जहां कलपुर्जो के

लेखांकन की प्रक्रिया का अनुसरण कार्यकुशलता बढ़ाने, व्ययों में कमी लाने तथा पारदर्शिता के संवर्धन के लिए किया जाता है, में सुधार किए जाने तथा उन्हें सरल बनाए जाने के लिए कम्पनी के बेस/क्षेत्रों में विभिन्न निरीक्षण किए गए हैं। ये निरीक्षण देरी के मामलों तथा देरी के कारण तथा देरियों को कम करने के लिए उचित संभव प्रक्रिया अपनाकर देरी के कारणों को कम करने तथा भ्रष्टाचार की गुंजाइश को समाप्त किए जाने के उद्देश्य से किए गए हैं।

सतर्कता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वार्षिक सम्पत्ति विवरणों की समीक्षा तथा की गई है तथा भारोतोलन तकनीक को भी विचार में लिया गया है। सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए प्रभावी निवारक उपाय स्थापित किए जाने और साथ ही संगठन के क्रियाकलापों में पारदर्शिता एवं उत्तरदेयता को बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया गया है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार कम्पनी में 29 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 2018 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया था। इसमें ''भ्रष्टाचार उन्मूलन–नव भारत के निर्माण'' के थीम की ओर विशेष ध्यान दिया गया था।

XXXII. पुरस्कार सराहना व नई पहल

1) आपकी कम्पनी द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2019 को हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक सिविल एएलएच हेलीकॉप्टर की ड्राई लीज के लिए अवार्ड पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका आयोजन एयरो इंडिया, 2019 के अवसर पर सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार तथा दोनों कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया था। पवन हंस लिमिटेड द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (उड़े देश का आम नागरिक–उड़ान) में की गई संकल्पना के अनुसार भारत के आम नागरिकों को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करना चाहती है।

2) आपकी कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा मंडी जिले के पटेल ग्राउंड में दिनांक 5.3.2019 को आयोजित महाशिवरात्रि के विशाल समारोह में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम

पवन हंस ने 29 अक्तूबर – 03 नवंबर, 2018 के दौरान भ्रष्टाचार उल्मूलन और नया भारत निर्मित करने के लिए सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया।

ठाकुर को एक मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) की प्रस्तुति की गई थी। यह मोबाइल मेडिकल यूनिट बीएस IV के अनुरूप है तथा इसमें बुनियादी चिकित्सा उपकरण संस्थापित किए गए हैं।

3) आपकी कम्पनी तथा एयरबस हेलीकॉप्टर्स के मध्य दो नए वर्ग के रोटोरक्राफ्ट के लिए सहभाजन करने तथा भविष्य में इन्हें अपने बेड़े में शामिल किए जाने और साथ ही विद्यमान एएस365एन डॉफिन हेलीकॉप्टरों की मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल किए जाने के संबंध में फ्रांस में आयोजित पेरिस एयरशो के दौरान जून, 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें पवन हंस लिमिटेड के पॉयलटों के लिए विशेष रूप से निर्मित प्रशिक्षण तथा आनसाइट संरक्षा प्रबंधन व्यवस्था (एसएमएस) को भी शामिल किया गया है।

नव व्यवसायः निम्नलिखित नए व्यवसायों के प्रति उद्यम किए गए थे तथा इनका अंतिमकरण हाल ही किया गया हैः–

आपकी कम्पनी द्वारा क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना– उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के अंतर्गत निम्नलिखित मार्गों पर प्रचालन प्रारम्भ किए गए हैंः–

1. चंडीगढ़–शिमला–चंडीगढ़ (सप्ताह में छः दिन) 11.3.2019 से प्रारम्भ
2. शिमला–कुल्लु–शिमला (सप्ताह में तीन दिन) 13.5.2019 से प्रारम्भ
3. शिमला–धर्मशाला–शिमला (सप्ताह में तीन दिन) 14.5.2019 से प्रारम्भ

XXXIII. आभारोक्ति

निदेशक मंडल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनवरत प्रदत्त सहयोग, दिशानिर्देशन एवं सहायता के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड, विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य ग्राहकों एवं अन्य देश में प्रचालन कर रहे अन्य सभी भागीदारों द्वारा प्रदत्त विश्वास के प्रति धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल कम्पनी की प्रगति के लिए कार्यरत सभी वर्ग के अपने कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सत्यनिष्ठ एवं समर्पित सेवाओं के लिए भी आभारी है।

कृते तथा
पवन हंस लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से
ह./–
(उषा पाढ़ी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 25 सितम्बर, 2019
स्थानः नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र सहित निगमित शासन पर रिपोर्ट	अनुलग्नक–क
प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट	अनुलग्नक–ख
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण	अनुलग्नक–ग
साचिविक लेखापरीक्षकों द्वारा किए प्रेक्षणों पर निदेशक मंडल के उत्तर सहित साचिविक लेखा परीक्षक रिपोर्ट	अनुलग्नक–घ
एओजी–2 (संबंधित पार्टी प्रकटीकरण)	अनुलग्नक–ङ
निगमित सामाजिक दायित्वों के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट	अनुलग्नक–च
फॉर्म संख्या एमजीटी–9 वार्षिक विवरणी का सार	अनुलग्नक–छ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड द्वारा नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को चल चिकित्सा इकाई प्रदान की गई।

अनुलग्नक–क

निगमित शासन पर कम्पनी की रिपोर्ट

क. निगमित शासन

निगमित शासन के संदर्भ में कम्पनी के तत्व विचार में कम्पनी का व्यवसाय व्यवहार प्रदर्शित होने के साथ साथ अपने प्रचालनों में नीतिपरक व्यावसायिक सिद्धांतों के प्रति अनवरत प्रतिबद्धता की प्रस्तुति होती है। आज के प्रगतिशील व्यावसायिक वातावरण में उच्च निष्पादन के प्रति अनुकूलन के साथ सत्यनिष्ठा की संस्कृति को साथ लेकर चलना सुदृढ़ शासन संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है।

पवन हंस के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण एवं उनका अनुपालन करना अधिक महत्वपूर्ण है। पवन हंस लिमिटेड में विधिवत परिभाषित ऐसी निगमित संरचना स्थापित है, जो जांच एवं संतुलन स्थापित करती है तथा निदेशक मंडल के माध्यम से संगठन में उचित स्तर निर्धारण करके कम्पनी के क्रियाकलापों का प्रभावी नियंत्रण करती है। पवन हंस की अवधारणा के अनुसार उत्तम निगमित शासन व्यवहार दीर्घकालिक मूल्यों की उत्पति करने तथा संधारणीय व्यवसाय मॉडल का निर्माण करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

कम्पनी की निगमित संरचना बहु–स्तरीय है, जिसमें निदेशक मंडल तथा इसकी विभिन्न समितियां सर्वोच्च स्तर हैं तथा जो सामूहिक रूप से निगमित शासन के उच्चतर मानकों तथा कम्पनी के क्रियाकलापों में पारदर्शिता का सुनिश्चय करते हैं। कम्पनी की कार्यनीतियों के सफल निष्पादन के उद्देश्य से निगमित शासन के लिए सुदृढ़ एवं प्रभावी निगमित शासन व्यवस्था का सुनिश्चय करने के लिए निदेशक मंडल प्रतिबद्ध है। निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधन निष्पादन को संज्ञान में लेकर स्वतंत्र निर्णय लिए जाते हैं तथा इसके द्वारा कम्पनी की देखरेख एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।

पवन हंस लिमिटेड में कम्पनी के निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए विधिवत परिभाषित आचार संहिता निर्धारित की गई है, जो कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की गई है। आचार संहिता का अनुपालन करने के प्रति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से कम्पनी के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के संबंध में की गई एक घोषणा संलग्न है तथा यह इस रिपोर्ट का भाग है।

ख. निदेशक मंडल

वर्ष 2018–19 के दौरान दिनांक 7.5.2018, 11.10.2018, 22.10.2018, 28.12.2018 तथा 7.3.2019 को निदेशक मंडल की पांच बैठकों का आयोजन किया गया है।

निदेशक मंडल की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति तथा दिनांक 28.12.2018 को आयोजित अंतिम वार्षिक महासभा से संबंधित विवरण एवं अन्य निदेशकों तथा समिति सदस्यों, अध्यक्षों का विवरण नीचे प्रस्तुत है:–

निदेशक का नाम	निदेशक	वर्ष 2018–19 के दौरान नि. मं. की कितनी बैठकों में भाग लिया	अंतिम बैठक में उपस्थिति	अन्य कम्पनियों में धारित निदेशक पदों की संख्या	समितियों में सदस्यता की संख्या (प.हं.लि. सहित)	
					सदस्य	अध्यक्ष
डॉ. बी. पी. शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.01.2019 तक)	4	जी, हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्रीमती गार्गी कौल	सरकार द्वारा नामित निदेशक (21.12.2018 तक)	2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

श्रीमती उषा पाढ़ी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	5	जी, हां	2	1	शून्य
श्री अरुण कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक (28.12.2018 से)	1	लागू नहीं	8	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राजेश कक्कड़	ओएनजीसी लि. के प्रतिनिधित्व के लिए नामित निदेशक	2	जी, नहीं	3	4	शून्य
श्री बी. एस. भुल्लर	सरकार द्वारा नामित निदेशक	0	जी, नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
एवीएम संजीव कपूर	सरकार द्वारा नामित निदेशक भारतीय वायु सेना का प्रतिनिधित्व	4	जी, हां	शून्य	1	शून्य
श्री हरीश चौधरी	स्वतंत्र निदेशक	4	जी, हां	शून्य	3	1
श्री अशोक नायक	स्वतंत्र निदेशक	5	जी, हां	शून्य	3	2

ग. लेखा परीक्षा समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 177 तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पवन हंस लिमिटेड लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। लेखा परीक्षा समिति द्वारा अन्य कार्यों के साथ साथ वित्तीय विवरणों, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था, आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों से संबंधित कार्य तथा वित्तीय विवरणों के सही, पर्याप्त एवं स्वीकार्य होने के सुनिश्चय के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण भी किए जाते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षण क्रियाकलापों की पर्याप्तता की समीक्षा भी लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा समिति के कार्य क्रियाकलाप कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 177 के प्रावधानों एवं लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों से संगत हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दिनांक 07.05.2018, 11.10.2018, 22.10.2018 तथा 28.12.2018 को लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गई थी।

31.3.2019 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा की संरचना तथा वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ग	उपस्थिति
1	श्री अशोक नायक	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	4
2	डॉ. हरीश चौधरी	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	3
3	श्री अरुण कुमार (28.12.2018 को नियुक्त)	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य
4	श्रीमती गार्गी कौल (21.12.2018 तक)	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक	2
5	श्री राजेश कक्कड़	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1

घ. पारिश्रमिक समिति

आपकी कम्पनी में कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 178 के उपबंधों तथा लोक उद्यम विभाग के निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत रूप से पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। पारिश्रमिक समिति के क्रियाकलाप सरकारी कम्पनियों के छूट प्राप्त क्रियाकलापों के अलावा ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट किए गए हैं।

31.3.2019 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक समिति में श्री अशोक नायक, अध्यक्ष तथा डॉ. हरीश चौधरी, श्रीमती उषा पाढ़ी एवं श्री राजेश कक्कड़ सदस्य हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पारिश्रमिक समिति की दिनांक 24.4.2018 तथा 11.10.2018 को दो बैठकें आयोजित की गई थी, जिसमें श्री राजेश कक्कड़ के अलावा सभी सदस्यों ने भाग लिया था।

ङ. वार्षिक आम सभा

पिछली तीन (3) वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:–

वार्षिक आम सभा संख्या	वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थल	विशेष संकल्प
31वीं	2015–16	27.12.2016 तथा स्थगित बैठक दिनांक 13.01.2017 को	12.30 बजे दोपहर तथा सायं 5.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003	शून्य
32वीं	2016–17	27.12.2017 तथा स्थगित बैठक दिनांक 16.2.2018 को	12.00 बजे दोपहर तथा सायं 6.00 बजे	रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर 36, रोहिणी, नई दिल्ली स्थित कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय तथा स्थगित बैठक अशोक होटल, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली	पंजीकृत कार्यालय को रा.क्षे. दिल्ली से स्थानांतरित करके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित करने के संबंध में एक संकल्प पारित किया गया।
33वीं	2017–18	28.12.2018	1.00 बजे दोपहर	सम्मेलन कक्ष, स्कोप काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली	शून्य

च. प्रकटीकरण

i) सामग्रीगत रूप से महत्वपूर्ण सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार के संबंध में प्रकटीकरण

भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुसार सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार के विवरण लेखांकन नोट के भाग हैं। इसके अलावा फार्म एओसी–2 में दिए गए सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार निदेशक मंडल की रिपोर्ट के **अनुलग्नक–च** में संलग्न किए गए हैं।

ii) कम्पनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण अन्यथा अनुपालन नहीं किया गया है और न ही किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों से संबंधित मामले के संबंध में किसी प्रकार के दंड प्रत्यारोपित किए गए हैं, आलोचना की गई है।

iii) सचेतक नीति

सचेतक नीति का कार्यान्वयन किया गया है। इस नीति से किसी विशुद्ध सचेतक को शिकायत जांच अधिकारी तथा ऑडिट समिति तक पहुंच उपलब्ध करवाए जाने सहित किसी भी प्रकार के अत्याचार से सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह नीति कम्पनी के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है तथा इसे कम्पनी के इन्टरानेट पर अपलोड किया गया है। यहां यह उललेखनीय है कि किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच के लिए मना नहीं किया गया है।

iv) निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र

निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है तथा इसे निदेशक मंडल की रिपोर्ट के **अनुलग्नक–1** में प्रस्तुत किया गया है।

v) राष्ट्रपति के दिशानिर्देश

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति के दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

छ. आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था/शक्तियों का प्रत्यायोजन

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है। आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रेक्षण पर निदेशक मंडल की आंतरिक लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार आवश्यक निदेश जारी किए जाते हैं। कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था एवं प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं। कम्पनी में अपने विभिन्न कार्यपालकों के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन मैनुअल के माध्यम से वित्तीय शक्तियों के परिभाषित प्रत्यायोजन की व्यवस्था स्थापित है।

ज. निदेशक मंडल के सदस्य का प्रशिक्षण

नए निदेशकों के लिए आचार नीति, वित्तीय मामलों, व्यावसायिक प्रचालनों, जोखिम मामलों के साथ साथ कम्पनी की अभिमुखता, बुनियादी मूल्यों के संबंध में अनुकूलन एवं समावेशन की प्रक्रिया की जाती है। सामान्य व्यवहार के अनुसार पुस्तिकाएं, ब्राउशर, वार्षिक रिपोर्ट, प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन, कम्पनी का संगम अनुच्छेद एवं संगम ज्ञापन, निगमित शासन से संबंधित दिशानिर्देश इत्यादि की प्रतियां दी जाती हैं।

उपर्युक्त के अलावा निदेशकों को निगमित शासन एवं लोक उद्यम विभाग तथा संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य प्रशिक्षणों के लिए भी नामित किया जाता है।

झ. सम्प्रेषण के माध्यम

शेयरधारकों को वार्षिक परिणाम वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भेजे जाते हैं तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www-pawanhans.co.in पर भी प्रस्तुत की जाती है। निविदाएं तथा व्यावसायिक अवसर की प्रस्तुति भी वेबसाइट पर की जाती है।

निगमित शासन के मानदंडों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

(लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, 2010 के लिए जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों के खंड 8.2.1 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण,
पवन हंस लिमिटेड

हमने लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में जारी दिशानिर्देशों में किए गए निर्धारण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में **पवन हंस लिमिटेड** में निगमित शासन से संबंधित सम्बद्ध बहियों, रिकार्ड तथा विवरणों की जांच की है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारे द्वारा की गई जांच दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के लिए कम्पनी द्वारा तदनुसार अंगीकार की गई प्रक्रियायों तथा उनके कार्यान्वयन का सुनिश्चय करने तक ही सीमित है। हमारा प्रमाणन न तो किसी प्रकार की लेखापरीक्षा है तथा न यह कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे किसी मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे मतानुसार तथा हमें प्रदान की सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित के अलावा कम्पनी द्वारा निगमित शासन की शर्तों का लोक उद्यम विभाग द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया गया है:–

1. लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नामित निदेशकों की संख्या अधिक दो तक प्रतिबंधित है, तथापि तीन (3) नामित निदेशक नियुक्त किए गए हैं।
2. निदेशक मंडल की दो बैठकों के मध्य समय का अंतर तीन माह से अधिक नहीं होना चाहिए तथा लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों के मध्य समय का अंतर चार से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, कम्पनी के रिकार्ड का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि निदेशक मंडल की बैठकों तथा लेखापरीक्षा समिति की दिनांक 7.5.2018 तथा 11.10.2018 को आयोजित बैठकों में क्रमशः तीन (3) तथा चार (4) माह का अंतर है।
3. कम्पनी से इस आवधिकता की समीक्षा की जानी तथा जोखिम प्रबंधन योजना को कार्यान्वित करने के लिए उपाचारात्मक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

हम आगे यह उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो भविष्य में कम्पनी की किसी प्रकार की व्यवहार्यता तथा न ही उस प्रभाव्यता के प्रति किसी प्रकार का आश्वासन है, जो प्रबंधन द्वारा कम्पनी कार्यों के लिए किए गए हैं।

स्थल : गाजियाबाद
दिनांक : 29.08.2019

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

ह./–
(पारूल जैन)
स्वत्वधारी
सदस्यता संख्या 8323
सीओपी संख्या 13901

अनुलग्नक–ख

प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

क. औद्योगिक संरचना एवं विकास

भारत में नागर विमानन उद्योग पिछले तीन वर्षों से देश के तीव्रतर विकासशील उद्योग के रूप में उभर कर आया है। भारत द्वारा विश्व के तीसरे विशाल अंतर्देशीय नागर विमानन बाजार के विकास पर विचार किया जा रहा है तथा यह संभावना है कि यह वर्ष 2024 तक यू.के. से आगे बढ़कर विश्व के तीसरे विशाल विमान यात्री (अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय) बाजार का स्वरूप हासिल कर लेगा।

भारत के नागर हेलीकाप्टरों का उपयोग मुख्यतः गैर–अनुसूचित यात्री सेवाओं तक ही मुख्यतः सीमित हैं तथा कुल हेलीकॉप्टर प्रचालनों का काफी कम प्रतिशत हॉटलाइन वाशिंग, आपदा निकासी, इलैक्ट्रानिक समाचार एकत्रण, अंडर स्लंग लोड प्रचालनों, आकाशीय कानून प्रवर्तन जैसे कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है जबकि विकसित देशों में ऐसे प्रमुख कार्यों के लिए हेलीकॉप्टरों का नियोजन काफी अधिक होता है।

भारत में लगभग 245 पंजीकृत नागर हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 92 हेलीकॉप्टरों का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों से किया जा रहा है। विश्व में नागर हेलीकाप्टरों की कुल संख्या की तुलना में यह संख्या अत्यधिक अपर्याप्त है। एचएआई की सांख्यिकी के अनुसार विश्व में कुल 41,000 नागर हेलीकॉप्टरों की संख्या में भारत में 1% से भी कम हेलीकॉप्टर हैं। वस्तुतः भारत में नागर हेलीकॉप्टरों की संख्या स्विटजरलेंड से भी कम है। इस सांख्यिकी के बावजूद भी बाजार एवं उद्योग भारतीय नागर हेलीकॉप्टर उद्योग के प्रति आशावान है।

नीचे प्रस्तुत नीतियों के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय से विनियामक सहायता प्रदान की जा रही है:–

i) क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस):

भारत के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विमान सम्पर्कता का विकास अवसंरचना की कमी एवं उच्चतर विमान किरायों के कारण रेलवे को प्राथमिकता दिए जाने से बाधित रहा है।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए 21 अक्तूबर, 2016 को क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना–उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) प्रारम्भ की गई है तथा दिनांक 24 अगस्त, 2017 को क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना का संशोधित दस्तावेज 2.0 जारी अनुमोदित किया गया है, जिसमें वहनीयता के माध्यम से क्षेत्रीय विमान सम्पर्कता की योजनाओं को वित्तीय सहायता एवं अवसंरचना के विकास के माध्यम से उत्तम तंत्र व्यवस्था का निर्माण करके प्रोत्साहित किया जाना है।

इस योजना में हेलीकॉप्टरों के लिए उड़ान दूरी एवं मुद्रास्फीति के आधार पर अधिकतम विमान किराए की रेंज 2,480/– रुपए से 4,970 रुपए निर्दिष्ट की गई है। अंतर्देशीय प्रस्थान के लिए प्रत्येक प्रस्थान पर करारोपण के माध्यम से एक क्षेत्रीय सम्पर्कता निधि (आरसीएफ) का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए, एयर टर्बाइन फ्यूल को 14% से कम करके 3 वर्ष की अवधि के लिए 2% तथा विमान टर्बाइन फ्यूल पर वीएटी को 10 वर्ष की अवधि के लिए 1% अथवा कम किया जाएगा। इसी के साथ साथ हवाईअड्डा प्रचालकों (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राज्य सरकारें, निजी प्रचालक अथवा रक्षा मंत्रालय) द्वारा दी जाने वाले सहायता के अंतर्गत क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना की उड़ानों इत्यादि पर लैंडिंग एवं पार्किंग के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

इसके अलावा, क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना की जिन सीटों के लिए विमान किराए सीमित किए गए हैं उनकी फिक्स्ड विंग विमान के लिए संख्या 40 है जबकि हेलीकॉप्टरों के लिए यह 13 है तथा तदनुसार छोटे फिक्स्ड विंग विमानों एवं मध्यम हेलीकॉप्टरों के लिए भी क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना की अपेक्षाओं के अनुसार उचित निर्धारण किए जाएंगे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पवन हंस लिमिटेड को क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (चरण –2) के लिए आयोजित बोली में 11 मार्ग आवंटित किए गए हैं तथा तदनुसार चंडीगढ़–शिमला–चंडीगढ़ (सप्ताह में छः उड़ानें), शिमला–कुल्लू–शिमला (सप्ताह में 3 उड़ानें) और शिमला–धर्मशाला–शिमला (सप्ताह में तीन उड़ाने) के मार्गों पर प्रचालन प्रारम्भ कर दिए गए हैं।

ii) हेलीकॉप्टर आपात चिकित्सा सेवाएं (एचईएमएस):

विश्व भर में लगभग 11% नागर हेलीकॉप्टरों का उपयोग आपात चिकित्सा सेवाओं के लिए किया जा रहा है तथा अगले पांच वर्षों में लगभग 13% नए हेलीकॉप्टर प्राप्त किए जाने संभावित हैं, जिनका उपयोग आपात चिकित्सा सेवाओं तथा खोज एवं बचाव प्रचालनों के लिए किया जाएगा। तथापि, भारत में 1.3 बिलियन नागरिकों की जनसंख्या के बावजूद हेलीकॉप्टर आपात्त चिकित्सा सेवाएं लगभग नगण्य हैं। इसकी तुलना में यूएसए में 321 मिलियन लोगों के लिए पहले से ही 1500 आपात चिकित्सा सेवा हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

iii) नागर विमानन नीति (एनसीएपी) नीति, 2016 में भी नगरों के मध्य संचलन, पर्यटन, कानून प्रवर्तन, आपदा सहायता खोज एवं बचाव, आपात्त चिकित्सा बचाव इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण माना गया है और हेलीकॉप्टरों के उपयोग को निम्नलिखित विधि से प्रोत्साहन दिया जाना लक्ष्यबद्ध

किया गया है:–

- सरकार द्वारा हेलीकॉप्टरों के लिए अलग विनियम निर्धारित किए जाएंगे तथा क्षेत्रीय सम्पर्कता के प्रोत्साहन के लिए देश में प्रारम्भ में कम से कम चार हेली–हब स्थापित किए जाएंगे।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उचित वाणिज्यिक शर्तों पर हेलीकॉप्टर प्रचालनों के लिए ऐसे हवाईअड्डों पर भूमि को चिन्हित/पट्टा किया जाएगा जहां से हेलीकॉप्टरों का प्रचालन फिक्स विंग यातायात के प्रति बिना किसी अवरोध के किया जा सकता है। इसके अलावा, हेलीकॉप्टर प्रचालनों के लिए हवाईअड्डा प्रभार उचित रूप से संगत किए जाएंगे।

ख. एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

शक्तियां

पवन हंस लिमिटेड द्वारा स्वयं को एक विख्यात ब्रांड के रूप में स्थापित किया गया है तथा यह भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर प्रचालक है। पवन हंस लिमिटेड की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियां शामिल हैं :–

- उत्तम ब्रांड इक्विटी तथा ट्रैक रिकार्ड
- समर्पित एवं अनुभवी कार्यबल, जो अत्यंत दुर्गम भौगोगिक एवं भू क्षेत्रों में निष्पादन कर सकने में सक्षम है।
- भारत सरकार की संपदा एवं सहयोग।
- संस्थागत ग्राहकों के लिए दीर्घकालिक आधार पर हेलीकॉप्टरों का नियोजन (ओएनजीसी, राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि)।
- सर्वोत्कृष्ट अनुरक्षण सुविधाएं।
- ग्राहकों की भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के बेड़े की उपलब्धि के कारण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ।

दुर्बलताएं

- पुराना हेलीकॉप्टर बेड़ा।
- पॉयलटों की कमी।
- जारी रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया के कारण पूंजी व्यय पर रोक लगाए जाने से नए हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के प्रति असमर्थता।
- कड़ी बाजार प्रतिस्पर्धा, जिसके कारण परियोजनाओं को हासिल करने के लिए लाभ कम रखना पड़ता है।

अवसर

- विकासशील हेली–पर्यटन।
- मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल सुविधाएं।
- विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नए हेलीपोर्टों का विकास किए जाने के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं।
- चिकित्सा बचाव।
- आपदा प्रबंधन।
- सीप्लेन प्रचालन।

आशंकाएं

- बेड़ा पुराना होने के कारण मरम्मत की लागत काफी उच्च होना।
- पॉयलटों की कमी, मरम्मत के लिए अधिक समय लगने के परिणामस्वरूप ग्राहकों द्वारा एलडी प्रत्यारोपित किए जाने के परिणामस्वरूप एओजी (एयरक्राफ्ट आन ग्राउंड) के दिनों में वृद्धि होना।
- कुछ ग्राहकों द्वारा विंटेज की शर्त रखे जाने के कारण कम्पनी कुछ निविदाओं में प्रतिभागिता नहीं कर पा रही है।

ग. घटक–वार निष्पादन

आपकी कम्पनी द्वारा मुख्यतः अंतर्देशीय गैर–अनुसूचित यात्री विमान सेवाओं का संचलन किया जाता है तथा तदनुसार, इसके संबंध में घटक–वार निष्पादन रिपोर्टिंग के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

घ. आउटलुक

पवन हंस द्वारा अपनी नेतृत्व स्थिति को बनाए रखने के लिए पंचवर्षीय व्यवसाय योजना 2019–2024 को तैयार किया गया है, जिसमें अन्य व्यवस्थाओं के साथ साथ अगले 5 वर्षों के किए जाने वाले निम्नलिखित प्रमुख प्रयास शामिल हैं:

- हेलीकॉप्टर प्रचालन :–
  - विद्यमान बाजारों में प्रतिस्पर्धी स्थिति को सुदृढ़ बनाना।
  - नए क्षेत्रों में व्यवसाय का अनुकरण करना।
  - अन्यों के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टर के प्रचालन एवं अनुरक्षण के अनुबंध प्राप्त करना।
- अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल सेवाएं प्रदान करना।
- हेलीपोर्टों तथा हेली हबों की स्थापना करना।
- सीप्लेन प्रचालन।
- फिक्स्ड विंग प्रचालन।
- ग्राहक संतुष्टि में सुधार लाना।

विद्यमान बाजारों में प्रतिस्पर्धी स्थिति को सुदृढ़ करना :–

- बाजार लाभ प्राप्ति के लिए विद्यमान करारों का नवीकरण।
- संरक्षा एवं विश्वसनीयता के उच्चतर मानकों का अनुरक्षण।

- अवसर उत्पन्न होने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के चयन का अनुकरण करना।
- ग्राहक की आवश्यकताओं में सुधार की ओर ध्यान केन्द्रीत करके प्रतिस्पर्धी स्थिति को सुदृढ़ बनाना।
- ग्राहकों तथा अन्य व्यवसाय सहयोगियों के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित करना।

नए क्षेत्रों में व्यवसाय का अनुकरण करना :–

- विभिन्न राज्यों के साथ हेलीपोर्टों के लिए परामर्शी एवं परियोजना प्रबंधन। कम्पनी द्वारा पहले से क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अंतर्गत पांच राज्यों में 31 हेलीपोर्टों के लिए परामर्शी कार्य प्रारम्भ कर दिए हैं। इसके अलावा, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार तथा गोवा सरकार द्वारा अपने राज्यों में अनेक हेलीपोर्टों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है तथा कम्पनी को इसमें व्यवसाय के नए अवसर प्राप्त होने की आशा है।
- चिकित्सा बचाव, कानून प्रवर्तन, समाचार एकत्रण, नगरों के मध्य सम्पर्कता करके प्रमुख नगरों के हवाईअड्डों से नगर केन्द्रों के लिए परिवहन, निगमित यात्रा, पावर इंस्सुलेटरों की हॉटलाइन वाशिंग इत्यादि।
- देश में पर्यटन/तीर्थ यात्रा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं, जिनको लक्ष्यबद्ध करके अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, दक्षिण भारत, गोवा तथा पूर्वोत्तर राज्य ऐसे हैं जहां नए क्षेत्रों में इस उद्देश्य से अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

आपदा प्रबंधन–समर्पित आपात चिकित्सा सेवाएं/एसएआर प्रचालन :–

- देश में सबसे पहले मेडीवैक हेलीकॉप्टर का प्रचालन पवन हंस लिमिटेड द्वारा ओएनजीसी के लिए किया गया था।
- पवन हंस लिमिटेड द्वारा एनडीएमए के सहयोग से मेडीवैक/एसएआर सेक्टर में उद्यम के नए अवसरों का अंवेषण किया जाएगा।

हेलीकॉप्टर अनुरक्षण सेवाएं

पवन हंस मैसर्स यूरोकॉप्टर, फ्रांस की ओर से डॅफिन श्रृंखला के हेलीकॉप्टरों का प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्र है। पवन हंस डॉफिन हेलीकॉप्टरों वाले अन्य प्रचालकों को सेवाएं प्रदान करके अपने मरम्मत तथा ओवरहॉल व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है। इस उद्देश्य से एक नए उत्कृष्ट अनुरक्षण केन्द्र का निर्माण किए जाने की योजना है। पवन हंस द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भी रोहिणी हेलीपोर्ट पर हि.ए.लि. के ध्रुव हेलीकॉप्टरों के अनुरक्षण के लिए मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ग्राहक संतुष्टि में सुधार

पवन हंस द्वारा अपने यात्रियों एवं संगठन ग्राहकों से समय समय पर प्रतिक्रियाएं प्राप्त की गई हैं तथा इसके द्वारा प्रतिक्रिया प्रोफार्मा के निर्माण के लिए बाह्य एजेंसी की सेवाएं प्राप्त करके प्रतिक्रियाएं प्राप्त की गई हैं।

रणनीतिक विनिवेश

भारत सरकार द्वारा पवन हंस लिमिटेड में प्रबंधन नियंत्रण के अंतरण के साथ भारत सरकार की समग्र 51% शेयरधारिता का विनिवेश किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ साथ, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड (''ओएनजीसी'') द्वारा भी अपने दिनांक 2 अगस्त, 2018 के अपने निदेशक मंडल के संकल्प के माध्यम से पवन हंस लिमिटेड में अपनी सम्पूर्ण 49% की शेयरधारिता समाप्त करने की मंशा व्यक्त की गई है। इसे दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 15.8.2018 को सभी संभावित एवं विद्यमान बोलीदाताओं को विनिवेश की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए पीआईएम का एक अनुशेष जारी किया गया था। तदनुसार, इच्छुक बोलीदाताओं के लिए रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत किए जाने की तिथि बढ़ाकर 19 सितम्बर, 2018 कर दिया गया था।

उपर्युक्त की प्रतिक्रिया में देय तिथि अर्थात 12.3.2019 तक केवल एक बोली प्राप्त हुई थी। इस बोली की संवीक्षा के दौरान संव्यवहार परामर्शदाता द्वारा इसके सशर्त होने तथा इसके घटक अपूर्ण होने तथा इसके खंड 8% आरएफपी की अयोग्यता के दायरे में आने की सूचना दी गई थी। तदनुसार, यह बोली रद्द कर दी गई थी तथा यह मामला आगे कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए निवेश एवं लोक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात वैकल्पिक तंत्र व्यवस्था (एएम) द्वारा दिनांक 3.5.2019 को बोलीदाताओं की प्रतिभागिता में संवर्धन के लिए एक नई रूचि अभिव्यक्ति/पीआईएम जारी किए जाने का निर्णय सम्प्रेषित किया गया था। दिनांक 11.7.2019 को नई रूचि अभिव्यक्ति जारी कर दी गई थी, जिसकी प्रस्तुति की अंतिम तिथि 22.8.2019 थी तथा इसे बढ़ाकर अब 26.9.2019 कर दिया गया है।

ङ. जोखिम एवं प्रयोजन

ओएनजीसी तथा जीएसपीसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 7 से 10 वर्ष की विन्टेज स्थिति वाले हेलीकॉप्टरों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अरूणाचल प्रदेश जैसे राज्य द्वारा भी 5 वर्ष की विन्टेज वाले हैवी हेलीकाप्टरों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। इस रूझान का अनुसरण अन्य ग्राहकों द्वारा भी किए जाने की स्थिति में

पुराने हेलीकॉप्टरों के बेड़े के साथ नए व्यवसाय को प्राप्त करने के प्रति तदनुसार जोखिम है। ग्राहकों की देयताओं की वसूली अवधि, विशेषतः राज्य सरकारों, काफी अधिक होती है, जिसके कारण बड़ी संख्या बकाया शेष रहे हैं। इससे कम्पनी का रोकड़ प्रवाह प्रभावित होता है। तथापि, ग्राहकों के साथ किए गए अधिकांश करारों में विदेशी मुद्रा तथा विमानन टर्बाइन ईंधन की दरों के संदर्भ मुद्रास्फीति के प्रति प्रतिरक्षा के अंतर्निहित प्रावधान किए गए हैं तथा ऐसे प्रावधानों से वे करार प्रभावित होते हैं, जिनमें हेलीकॉप्टरों सेवओं के लिए निश्चित एवं फर्म चार्टर दरें होती हैं तथा जिससे इनपुट लागत बढ़ जाती है और मुनाफे का मार्जिन कम हो जाता है। विमानन व्यवसाय का वर्गीकरण आकाश एवं स्थल पर संरक्षा के लिए किया गया है। हेलीकॉप्टरों से होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप ग्राहक विश्वास प्रभावित हो सकता है, जिसका प्रभाव आगे कम्पनी के व्यवसाय पर हो सकता है।

च. आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था एवं उनकी पर्याप्तता

प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों में संस्थागत बेहतर प्रक्रियाओं का प्रयोग किए जाने के लिए मानक प्रक्रियाएं एवं दिशानिर्देशों समय समय पर जारी किए जाते हैं। सभी क्रियाकलापों तथा परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत प्रयोग की मॉनीटरिंग तथा प्रत्येक व्यवहार सही प्रकार से प्राधिकृत, रिकार्डबद्ध एवं सूचनाबद्ध होने का सुनिश्चय किए जाने के लिए पवन हंस में पर्याप्त आंतरिक व्यवस्था की गई है। कम्पनी द्वारा सभी आंतरिक नियंत्रण नीतियों तथा प्रक्रियाओं का उनसे जुड़े विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन किए जाने का सुनिश्चय किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार सुधार कार्रवाई कर ली जाती है। निदेशक मंडल की ऑडिट समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता की देख रेख की जाती है। समय समय पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा प्रचालनात्मक एवं संरक्षा की दृष्टि से ऑडिट किए जाते हैं।

वित्त एवं प्रचालनों का विश्लेषण

भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन को औसत का अनुमान सहित विश्लेषण करके उसका अंतिम स्वरूप निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। कम्पनी की वेबसाईट पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ कार्यालय से संबंधित समाचार नियमित एवं सुलभ स्वरूप में प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी द्वारा प्रचालनों से पिछले वर्ष में 39540.74 लाख रुपए की तुलना में 37997.08 रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में विचाराधीन वर्ष के दौरान प्रचालनों से राजस्व में आई यह कमी (3.9%) काफी कम है परन्तु इसके परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित 1929.49 रुपए के मुनाफे की तुलना में 5676.20 लाख रुपए का घाटा हुआ है। इस हानि का प्रमुख कारण कर्मचारियों का वेतन संशोधित होना, बीमा प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी होना, परिनिर्धारित नुकसानी का प्रत्यारोपण, भा.वि.प्रा. द्वारा पट्टा किराए में बढ़ोतरी करना इत्यादि हैं।

अंशकालिक निदेशकों तथा कम्पनी के मध्य वित्तीय अथवा व्यवहार संबंध

विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी भी अंशकालिक निदेशक के साथ कम्पनी के वित्तीय संबंध नहीं हैं। इसके अलावा, केवल 2 स्वतंत्र निदेशक मंडल की बैठकों तथा निदेशक मंडल की उप समिति की बैठकों में उपस्थिति के लिए सीटिंग फीस का भुगतान किए जाने के अलावा किसी भी अंशकालिक निदेशक को किसी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा उपस्थिति प्रभार का भुगतान नहीं किया गया है।

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध तथा प्रतिभा प्रबंधन मामले

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में कुल कर्मचारियों की संख्या 722 थी जबकि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में यह संख्या 738 थी। वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द रहे। कम्पनी द्वारा अपने पॉयलटों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तथा नियमित आधार पर कर्मचारियों के संबंध में आंतरिक प्रशिक्षण विकास भी किए जाते हैं। कर्मचारियों के साथ औद्योगिक संबंध सामान्यतः सौहार्द रहे हैं।

ऊर्जा संरक्षण, अक्षय ऊर्जा प्रयोग तथा अनुसंधान एवं विकास मामले

कम्पनी का परम लक्ष्य सदैव से ही ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकों का समावेश करना रहा है तथा विचाराधीन वर्ष के दौरान भी इस लक्ष्य को प्राथमिकता प्रदान की गई है। पर्यावरण एवं संरक्षा के घटकों को समाहित किए जाने से ज्ञात एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए कम्पनी को आईएसओ–14001 तथा 18001 प्रमाणन प्राप्त है। इस प्रमाणपत्र के नवीकरण की प्रक्रिया की जा रही है। नवोपाय के तौर कम्पनी कलपुर्जों के स्वदेशीकरण तथा एचएमयू (डॉफिन एन–हेलीकॉप्टर) की विश्वसनीयता में संवर्धन के लिए अध्ययन किए गए हैं।

सचेतक विवरण

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण की रिपोर्ट के विवरण में कम्पनी लक्ष्यों, प्रक्षेपण, अनुमानों, आंकड़ों तथा प्रत्याशाओं में लागू कानूनों तथा विनियमों का अनुसरण करते हुए "आगे बढ़ने की आकांक्षा" की प्रस्तुति की गई है। वास्तविक परिणाम ऐसी व्यक्त संभावनाओं से कुछ भिन्न हो सकते हैं।

कम्पनी इसमें आगे की विवरणों के संबंध में किसी प्रकार के दायित्व को स्वीकार नहीं करती, जिसमें परिवर्ती परिणामों से सूचना या घटनाओं के आधार पर भविष्य में परिवर्तन हो सकता है।

अनुलग्नक–ग

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई प्रत्येक योग्य, सुरक्षित अथवा प्रतिकूल टिप्पणी के संबंध में निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणियां

लेखापरीक्षकों द्वारा की गई योग्य, सुरक्षित अथवा प्रतिकूल टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
योग्य मत	
1. *मरम्मत के लिए कलपूर्जे उपलब्ध न होने के कारण काफी लम्बे समय से ग्राउंड किए गए हेलीकॉप्टरों के संबंध में इंड एएस 36 "परिसम्पत्तियों की क्षति" का अनुपालन नहीं किया गया है। ग्राउंडिग की अवधि के दौरान राजस्व की उत्पति करने में असमर्थ 456.85 लाख रुपए की बही मूल्य के 4 हेलीकॉप्टरों के लिए परिसम्पत्तियों की क्षति के प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप "सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण" के संबंध में 456.85 लाख रुपए की अत्युक्ति तथा वर्ष के दौरान "जारी प्रचालनों से हुई क्षति" के अंतर्गत उक्त राशि की न्यूनोक्ति हुई है।*	मूल उपकरण निर्माताओं के साथ निरंतर अनुसरण किया गया है तथा उनके वचनों के आधार पर हेलीकॉप्टर सही स्थिति में प्रचालन के लिए उपलब्ध होने की संभावना की गई थी। तथापि वैमानिक उपकरणों की कमी/मूल उपकरण निर्माता का आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत न आने के कारण आपूर्ति में समस्याएं हुई हैं। तथापि, पवन हंस लिमिटेड द्वारा अब एयरबस/मूल उपकरण निर्माता/निर्माता के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है जिससे अगस्त, 2019 तक एयरबस के साथ मोलभाव के पश्चात प्रस्ताव स्वीकृत होने की संभावनाएं बनी हैं। इस प्रकार प्रस्तावित क्षति को स्वीकृति नहीं दी गई थी। उपर्युक्त हेलीकॉप्टरों को क्षति के रूप में घोषित करने से पूर्व छः माह तक प्रतीक्षा करने के पश्चात क्षति के प्रावधान किए जाएंगे।
2. *किसी करार की अवधि के दौरान करार के दायित्वों के निर्वाह की अनुमानित लागत प्रत्याशित आर्थिक लाभों से अधिक होने की स्थिति के लिए दुर्भर संविदा के प्रावधान न किए जाने के कारण इंड एएस37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां" के बारे में अनुपालन नहीं किया गया है। प्रबंधन द्वारा अपनी लागत शीटों को संशोधित करने की प्रक्रिया की जा रही है जिससे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव को आंका नहीं जा सकता है।*	किसी भी करार की संरचना उसके लागत घटक को विचार में लेकर की जाती है जिसमें लागत एवं मूल्यवृद्धि तथा 10 प्रतिशत मार्जिन के घटक को भी शामिल किया जाता है। तथापि, इस क्षेत्र में बाजार स्थितियां, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा दबाव, नियोजन संभावना एवं अन्य रणनीतिक दृष्टिकोण जैसे अन्य कारक भी विचार में लिए जाते हैं। तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान 60 प्रतिशत से भी अधिक बेड़ा पुराने स्वरूप का होने और विनिवेश के कारण किसी प्रकार का प्रतिस्थापन न होने से ऐसी स्थितियां भी सम्मुख उपस्थिति हुई हैं जब कम्पनी को लागत संवर्धन घटकों को विचार में लिए बिना अपनी संविदाओं का नवीकरण करना पड़ा है।
3. *व्यवसाय प्राप्यों की क्षति के मापन एवं स्वीकृति के लिए इंड एएस 109 "वित्तीय उपकरण" के अंतर्गत संभावित ऋण हानि (ईसीएल) माडल का अनुसरण नहीं किया गया है। पिछले अनेक वर्षों से संदेहास्पद ऋण के प्रावधानों में बढ़ोतरी के बावजूद भी प्रबंधन द्वारा संभाव्यता के मैट्रिक्स को आंके बिना ग्राहकों*	व्यवसाय प्राप्यों के मामलों के लिए कम्पनी द्वारा व्यवसाय प्राप्यों के वित्तीय उपकरण से संबंधित इंड एएस 109 में निर्धारित सरलीकृत एप्रोच को अपनाया गया है। सरल एप्रोच की उपयोज्यता के अंतर्गत कम्पनी से क्रेडिट जोखिम को ट्रैक करने की अपेक्षा नहीं की गई है अपितु इसके अंतर्गत स्वीकृति के प्रारंभ से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग

से बकाया की प्राप्ति का 100% दावा नहीं किया गया है। प्रबंधन द्वारा चूंकि ऋण की अवधि के आधार पर संभाव्यता मैट्रिक्स नहीं आंके गए हैं अतः इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव की मात्रा का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है।

तिथि को इसकी स्वीकृति उपयोज्यता काल ईसीएल पर क्षति हानि के लिए उपलब्ध करवाई गई है।

कम्पनी के प्रमुख ग्राहकों में केन्द्र/राज्य सरकारें तथा संघ शासित प्रदेश एवं सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम हैं, जिनमें भुगतान के प्रति चूक होने की संभावनाएं काफी गौण होती हैं। प्रबंधन को ऐसी आशा है कि इसे अपने ग्राहकों से सभी देयताओं की प्राप्ति हो जाएगी। तदनुसार, इसके द्वारा अपने ग्राहकों से 100 प्रतिशत वसूली की संभावना को विचार में लिया गया है जो केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों के मामले में 7 वर्ष तथा अन्य ग्राहकों के मामले में कम्पनी की लेखांकन नीति में दिए गए अनुमोदन के अनुसार 3 वर्ष की अधिकतम सीमा के साथ है।

तथापि, वसूली समिति एवं उप–समिति की अनुशंसा के अनुसार ईसीएल मैट्रिक्स निर्मित किए जाते हैं। ईसीएल मैट्रिक्स के आधार पर भविष्य में प्रावधान किए जाते रहेंगे।

4. *विचाराधीन वर्ष के दौरान ऋणदाताओं तथा करार परिसम्पत्तियों एवं करार देयताओं के संचलन के प्रकटीकरण से संबंधित इंड एएस 115 "अनुबंधों तथा ग्राहकों से राजस्व" का अनुपालन नहीं किया गया है। चूंकि यह एक प्रकटीकरण अपेक्षा है अतः इससे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।*

यह इंड–एएस 115 के अंतर्गत मात्र एक प्रकटीकरण अपेक्षा है तथा इससे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं हुआ है। इसका प्रकटीकरण आगामी वित्तीय वर्षों में कर दिया जाएगा।

5. *वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अपने सभी प्रमुख घटकों के संबंध में घटक लेखांकन का अनुसरण किया गया है। कम्पनी द्वारा हेलीकॉप्टर के चार प्रमुख घटकों यथा इंजन, मेन गियर बॉक्स (एमजीबी), अंतःस्थापित अनुरक्षण एवं हल्ल को संज्ञान में लिया गया है। कम्पनी की लेखांकन नीति के अनुसार, इन परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास प्रत्येक घटक के उड़ान घंटों के अनुमानित उपयोज्यता काल के आधार पर किया जाना है। तथापि, वास्तविक उड़ान घंटों के स्थान पर कम्पनी द्वारा अपने विमान बेड़े के औसत उड़ान घंटों को विचार में लिया गया है। इसके वर्ष के दौरान एमजीबी तथा इंजनों के ओवरहॉल की लागत का पूंजीयन लाभ एवं हानि विवरण में संबद्ध घटक के चार्जिंग ऑफ शेष को प्रभारित किए बिना सिंगल लाइन मद के रूप में किया गया है। विपूंजीकृत किए जाने वाले प्रत्येक घटक का संज्ञान चूंकि नहीं*

इंजन तथा माड्यूलर अवधारणा से युक्त मेन गियर बॉक्स (एमजीबी) विविध उप–घटकों (प्रत्येक का अपना अलग उपयोज्यता काल है) को संयोजन होते हैं। उप–घटकों का परस्पर परिवर्तन अत्यधिक परिवर्तनशील होता है तथा हेलीकॉप्टरों में लगे विविध इंजनों के लिए इनका अंतरण एवं संचलन किया जाता है और ऐसा ही मेन गियर बॉक्स के मामले में भी होता है। इसके अलावा, एमजीबी/इंजन एवं हेलीकॉप्टरों के बीच इनकी निरंतर परस्पर परिवर्तनशीलता से माड्यलर अनुरक्षण की धारणा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

किया जा सका है अतः इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव का परिमाण आंका नहीं जा सकता है।

6. *कम्पनी द्वारा घटक लेखांकन के अनुसार मूल्यह्रास का आकलन किए जाने के दौरान संज्ञान में लिए गए सभी घटकों के संबंध में पारगमन की तिथि अर्थात 1 अप्रैल, 2015 के लिए "शून्य' उड़ान घंटे विचार में लिए गए हैं। तथापि, ऐसे घटक पहले से ही पूंजीयन किए जाने की तिथि से उपयोग में लाए जा रहे थे। हमें यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि 1 अप्रैल, 2015 को प्रत्येक घटक के वास्तविक उड़ान घंटों का संज्ञान किया जाना संभव नहीं है तथा इसे ध्यान में रखते हुए इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।*

पवन हंस लिमिटेड द्वारा घटक लेखांकन नीति का कार्यान्वयन वर्ष 2016 से किया गया था तथा नई घटक लेखांकन नीति के अनुसार मूल्यह्रास का आकलन करने के लिए इसके द्वारा इंजन एवं एमजीबी की डिजायन जटिलता एवं इंजनों तथा एमजीबी के निर्माताओं द्वारा परिभाषित प्रक्रियाओं के अनुसार शून्य उड़ान घंटे विचार में लिए गए थे। डॉफिन एन/एन3 श्रृंखला के इंजन/बेल 206/407 तथा एक्यूरियल एएस350बी3 श्रृंखला के हेलीकाप्टर माड्यूलर डिजायन के हैं तथा इनका ओवरहॉल पूरे इंजन के स्थान पर माड्यूल के अनुसार किया जाता है जिससे किसी माड्यूल विशेष के उड़ान घंटों का लेखाजोखा रखना व्यवहार्य नहीं हो पाता है।

इस जटिलता तथा भारत सरकार के दिशानिदेशों के अनुसार नई घटक लेखांकन नीति की आवश्यकता को विचार में लेकर एकरूपता, जटिलता एवं वास्तविकता एवं इन इंजनों के मूल्यह्रास के आकलन के लिए इंजनों तथा एमजीबी के संबंध में शून्य उड़ान घंटें विचार में लिए गए थे।

इसके अलावा, इनमें से अधिकांश इंजन प्रारम्भ से हैं अथवा इंजन का समावेशन इंजन अथवा घटक के ओवरहॉल के पश्चात शून्य घंटों का हो गया है तथा ये पूर्ण उपयोज्यता काल के साथ सेवा में शामिल किए गए हैं। पुरानी प्रौद्योगिकी के एमआई–172 जैसे इंजन जटिल प्रकार के होते हैं तथा इनका उपयोज्यता काल डायानमिक हैं जिससे किसी घटक को बदल कर ओवरहॉल के पश्चात ये पुनः पूर्ण उपयोज्यता काल प्राप्त कर लेते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी में माड्यूलर अवधारणा के अंतर्गत केवल अनुरक्षण सरल हो जाता है परन्तु इनके लेखांकन की जटिलताएं काफी बढ जाती हैं। ऐसे इंजन अनेक बार अपने उपयोज्यता काल में शून्य लाइफ प्राप्त करते हैं जिससे इनके प्रारम्भ से इनका आकलन कर पाना व्यवहार्य नहीं हो पाता है। तदनुसार, एकल उपाय के तौर पर अनिवार्य घटक लेखांकन नीति के कार्यान्वयन के उद्देश्य से शून्य को अपनाया गया है। इसके पश्चात इंजनों/एमएसजी के वास्तविक घंटों/क्रम का लेखांकन घटक मॉनीटरिंग के लिए किया जाता है।

7.	*कम्पनी द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2015 अर्थात पारगमन की तिथि को सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वहन मूल्य को उपयोग में लगाया गया है। कम्पनी ने प्रत्येक डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर के सन्निहित अनुरक्षण के लिए 40 लाख रुपए तथा प्रत्येक डॉफिन एन हेलीकॉप्टर के सन्निहित अनुरक्षण के लिए 60 लाख रुपए विचार में लिए हैं। ऐसे निर्धारण को युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता है तथा तदनुसार इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव की मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।*	एन–3 विमान बेड़े के अंतःस्थापित अनुरक्षण के रूप में 40,00,000/– रुपए तथा एन विमान बेड़े के लिए 60,00,000/– रुपए का निर्धारण एन तथा एन3 विमान की केवल मार्गस्थ अवधि पर जी–अनुरक्षण के लिए किए गए औसत व्यय को विचार में लेकर किया गया है तथा इसके संबंध में वर्ष 2016–17 के लेखों में स्पष्टीकरण दिए गए हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017–18 से आगे के लिए अंतःस्थापित लागत का पूंजीयन वास्तविक आधार पर किया जा रहा है।
8.	*योग्य मत के आधार के पैरा की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके खंड 3 से 7 में इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर या तो कोई प्रभाव न पड़ने अथवा मात्रा निर्धारण न किए जा सकने का उल्लेख किया गया है। खंड 1 के परिणामस्वरूप 'संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण'' में 456.85 लाख रुपए की घटत तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के आस्थगित कर एवं ईपीएस पर परिणामी प्रभाव के साथ ''जारी प्रचालनों से क्षति'' में 456.85 लाख रुपए की बढ़त होगी।*	इसके संबंध में ऊपर पर्याप्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

विषय पर बल

1.	वर्ष के दौरान 6 ग्राहकों को किसी करार/करार के विस्तार के अनुशेष पर हस्ताक्षर के बिना लगभग 6,636.60 लाख रुपए मूल्य की सेवाएं प्रदान की गई हैं। इससे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर होने वाले किसी प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।	सभी मामलों में ग्राहकों से करार में विस्तार किए जाने के पत्र प्राप्त हो गए हैं। तथापि, इन ग्राहकों के साथ अनुशेष पर हस्ताक्षर किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है तथा इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।
2.	हमारे द्वारा की गई परीक्षण जांच के दौरान पूर्वी क्षेत्र के आकस्मिक कर्मचारियों के संबंध में बोनस भुगतान अनियत, 1962 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का अन्यथा अनुपालन, पूर्वी क्षेत्र में सीधे नियुक्त किए गए संविदारत तथा आकस्मिक कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा अगरतला बेस में नियुक्त कुछ कर्मचारियों के संबंध में व्यवसायिक कर की कटौती न किए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं। इससे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।	पूर्वी क्षेत्र में सीधे नियुक्त किए गए (संविदारत/अनियत) कर्मचारियों के संबंध में बोनस भुगतान अधिनियम, 1962 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की अपेक्षाओं का अनुपालन शीघ्र ही कर लिया जाएगा। इसके अलावा, कारपोरेट कार्यालय द्वारा सभी सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन कड़ाई से किए जाने का सुनिश्चय करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में मानव संसाधन ऑडिट करने की नई व्यवस्था की गई है। अगरतला बेस में व्यावसायिक कर से संबंधित अनुपालन शीघ्र ही कर लिया जाएगा।

3. "भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996" के प्रावधानों के अनुसार प्रधान नियोक्ता के रूप में कम्पनी से वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूंजीयन किए गए रोहिणी हेलीपोर्ट, नई दिल्ली की कार्य संविदा के संबंध में ठेकेदार के बिल में से ब्याज एवं दंड के अलावा, यदि कोई हो, 1% श्रम उपकर के रूप में 52.70 लाख रुपए की कटौती किए जाने की अपेक्षा की गई थी। कम्पनी द्वारा न तो कटौती की गई है और न ही दिल्ली संघ राज्य में उपर्युक्त संविदा के लिए श्रम उपकर जमा करवाया गया है। इस राशि की वसूली चूंकि ठेकेदार से प्राप्त करके जमा करवाई जानी है अतः इससे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा परन्तु यह निरंतर जारी चूक है।

रोहिणी हेलीपोर्ट के मामले में श्रम कल्याण उपकर के रूप में 5269.70 लाख रुपए की राशि पर 1% की दर से 5269.70 लाख रुपए का भुगतान देय है जो मैसर्स दिनेश चन्द्र अग्रवाल, इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चुकता किया जाना/देय है तथा हदसप्र पुणे परियोजना के मामले में श्रम कल्याण उपकर के रूप में 1% की दर से 1134.09 लाख रुपए देय हैं, जिसका भुगतान मैसर्स एनबीसीसी द्व ारा कर दिया गया है। तदनुसार, श्रम कल्याण उपकर के रूप में सांविधिक प्राधिकरणों को चुकता की जाने वाली पूर्ण राशि 64.04 लाख रुपए है।

रोहिणी हेलीपोर्ट के मामले में श्रम कल्याण उपकर के तौर पर देय 5270 लाख रुपए की राशि का भुगतान मैसर्स डीआरएआईपीएल द्वारा किया जाना अपेक्षित था। यह डीआरएआईपीएल के साथ हाल ही में समाप्त हुए मुकदमें की प्रक्रिया के अंतर्गत पवन हंस लिमिटेड द्वारा किए गए प्रति दावे में शामिल थी। पवन हंस लिमिटेड को इस मामले पर अनुकूल निर्णय प्राप्त हुआ है तथा मैसर्स डीअरएआईपीएल द्वारा निर्णय को चुनौती न दिए जाने की स्थिति इसका कार्यान्वयन तीन माह की समयावधि में कर लिया जाएगा।

तदनुसार, राज्य सरकार के प्राधिकरणों को श्रम कल्याण उपकर की राशि के भुगतान से संबंधित आवश्यक कार्रवाई पवन हंस लिमिटेड द्वारा निर्णय जारी किए जाने की तिथि अर्थात 3 जुलाई, 2019 से तीन माह की अवधि के भीतर कर ली जाएगी।

4. नोट संख्या 2 बी (vi) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में किए गए उल्लेख के अनुसार हेलीकॉप्टरों के उपयोज्यता काल को 20 वर्ष को आंतरिक तकनीकी समिति के सुझाव से डॉफिन/बेल/एक्यूरियूल विमान बेड़े के लिए बढ़ाकर 35 वर्ष तथा एमआई बेड़े के लिए बढ़ाकर 30 वर्ष किए जाने का उल्लेख किया गया है, जिससे वर्ष के दौरान कम मूल्यह्रास प्रभारित हुआ है और जिसके परिणाम के प्रभाव से इंड एएस वित्तीय विवरण में वर्ष के दौरान घाटा हुआ है। हमने यह देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड (एओजी) दिनों, ग्राहकों द्वारा निर्णित हर्जाने लगाए जाने में बढ़ोतरी होने, राजस्व उड़ान घंटों में कमी आने तथा कालातीत होने के कारण निर्माता/ओईएम से डॉफिन एएस हेलीकॉप्टरों के अनुमानित उपयोज्यता काल का मूल्यांकन आंतरिक तकनीकी समिति द्वारा किया जाता है। बेल तथा एयरबस के हेलीकॉप्टरों का उपयोज्यता काल असीमित है। मैसर्स एयरबस हेलीकॉप्टर्स द्वारा 30 से 35 वर्ष तक की अवधि के लिए उत्पाद सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है तथा इसके आधार पर इन हेलीकॉप्टरों का उपयोज्यता काल 30 से 35 वर्ष विचार में लिया गया है।

एमआई–172 हेलीकॉप्टरों के मामले में मैसर्स एमआईएल द्वारा 30 वर्ष का निश्चित उपयोज्यता काल दिया गया है तथा इसमें किया जाने वाला आगे का संवर्धन उनके उपयोज्यता काल विस्तार कार्यक्रम पर आधारित होगा। विश्व भर में हेलीकॉप्टरों की तैनाती सम्बद्ध देश के विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है।

	365एन कुछ वैमानिक कलपूर्जे प्राप्त न हो पाने के कारण हेलीकॉप्टरों को लम्बे समय तक ग्राउंड किए जाने की घटनाएं बड़ी हैं। यह चूंकि एक तकनीकी मामला है अतः हमने तकनीकी समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन को आधार माना है।	इस प्रकार, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी किया जाने वाला वैध उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र तथा मूल उपकरण निर्माताओं से कलपुर्जों की सहायता प्राप्त होते रहने को ही किसी हेलीकॉप्टर के उपयोज्यता काल के निर्धारण के मापदंड के रूप में अपनाया गया है।
5.	नोट संख्या 32 XVI की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें वर्ष 2016–17 के दौरान अस्थाई आधार पर रोहिणी हेलीपोर्ट का पूंजीयन किए जाने तथा ठेकेदार द्वारा मामला विवाचन के लिए प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है। दिनांक 3 जुलाई, 2019 को विवाचन निर्णय जारी किया जा चुका है जिसके अनुसार दावेदार के दावों तथा पवन हंस लिमिटेड के आंशिक प्रति दावों के संबंध में स्वीकृति दी गई है। प्रबंधन द्वारा इस निर्णय की पुनरीक्षा आगे चुनौती दिए जाने अथवा अन्य उद्देश्यों से की जा रही है अतः इससे अचल परिसम्पत्तियों के पूंजीयन, परिणामी मूल्यह्रास तथा आकस्मिक देयताओं पर होने वाले किसी प्रभाव, यदि कोई हो, की मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।	यह वस्तुपरक तथ्य है। न्याय निर्णय दिनांक 3 जुलाई, 2019 को जारी किया गया है तथा इसके प्रति चुनौती दिए जाने अथवा न दिए जाने के निर्धारण के लिए इसका परीक्षण किया जा रहा है। इस प्रकार, स्थिति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं आया है।
6.	जीएसटी विवरण के संबंध में नोट संख्या 32X की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं प्राप्त/क्रय की गई सेवाओं के आंकड़ों के समाधान की प्रक्रिया करके लेखा बहियों के सम्बद्ध विवरणों में स्वीकृति दी गई है। इंड एएस वित्तीय विवरणों पर बकाया समाधान, परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, की मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सका है।	जीएसटी के समाधान की प्रक्रिया की जा रही है।
7.	व्यवसाय प्राप्य, व्यवसाय देय, दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक दायित्व, अन्य चालू दायित्व, दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम तथा जमा पर शेष की पार्टियों से सीमित पुष्टि प्राप्त हुई है। किसी भी प्रमुख पार्टी द्वारा शेष की पुष्टि नहीं की गई है तथा इससे, अंतर, यदि कोई हुए, का संज्ञान एवं समाधान नहीं किया जा सकेगा। बकाया पुष्टि एवं पुनःसमाधान उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव की प्रमात्रा नहीं आंकी जा सकती है।	वर्ष के अंत में सम्बद्ध पक्षकारों को अपनी प्रतिक्रिया/पुष्टि सीधे ही सांविधिक लेखापरीक्षकों को भेजने के अनुरोध के साथ शेष पुष्टि पत्र प्रेषित किए गए थे।
8.	नोट संख्या 32 XXVIII, जो इंड ए एस वित्तीय	अनुबंध की शर्तों की अनुसूची के अनुसार भुगतान किए

विवरणों का भाग है, में कम्पनी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कोई भी देयताएं बकाया नहीं हैं। तथापि, विचाराधीन वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की उपयोज्यता के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं से पर्याप्त पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है, इस कारण से हम उक्त कम्पनी अधिनियम के अनुपालन पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

जाते हैं। तथापि, शेष की पुष्टि प्राप्त करने के मामले के संबंध में वर्ष के अंत में सीमित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के स्थान पर त्रैमासिक पुष्टि प्राप्त करने की व्यवस्था स्थापित करने का सुनिश्चय किया जाएगा। यहां आगे यह उल्लेखनीय है कि पवन हंस लिमिटेड के स्वामित्व के सभी हेलीकॉप्टर विदेश निर्मित हैं तथा इनके कलपुर्जे स्वामित्व स्वरूप के होने तथा इनके माड्यूल केवल मूल उपकरण निर्माता के पास होने के कारण इनकी कोई भी मद स्थानीय पर उपलब्ध नहीं है और एमएसई की सूचीबद्ध 358 मदें विमानन मानकों एवं विनियामक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं। तथापि, ऐसी माल एवं सेवाओं की प्राप्ति वर्षों से एमएसई से की जा रही है जो हेलीकॉप्टर कलपुर्जो तथा माड्यूल के दायरे से बाहर हैं तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं।

9. पांच ग्राहकों से प्राप्य लगभग 634.61 लाख रुपए की राशि को संदिग्ध ऋण नहीं माना गया है। कम्पनी द्वारा इन पार्टियों को अब सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं तथा इनसे वसूली किए जाने की कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। इसके परिणामस्वरूप ''व्यवसाय प्राप्य'' में 634.61 लाख रुपए की राशि की अत्युक्ति एवं ''जारी प्रचालनों से हानि'' के संबंध में समान राशि की न्यूनोक्ति हुई है।

कम्पनी की लेखांकन नीति के अनुसार यदि कम्पनी को संदेहास्पद ऋणों की प्राप्ति की आशा होती है तो कोई प्रावधान किए जाने अपेक्षित नहीं होते हैं। केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में संदेहास्पद ऋण के प्रावधान तभी किए जाते हैं जब राशि सात वर्ष से अधिक अवधि से बकाया हो तथा अन्यों के संबंध में ऐसे प्रावधान करने की अवधि, यदि विशिष्ट रूप से ज्ञात संदेहास्पद नहीं हैं, तीन वर्ष है। ग्राहकों से वसूली की प्रक्रिया के अनुवर्तन के लिए एक वसूली समिति गठित की गई है।

10. कम्पनी को नागर विमानन महानिदेशालय से डिपोजिटरी आधार पर हदसप्, पुणे में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी के निर्माण का अनुबंध प्राप्त हुआ था। कम्पनी द्वारा इसका उप–ठेका एनबीसीसी को दिया गया था तथा यह परिसम्पत्ति कम्पनी को वर्ष 2016 में सौंप दी गई थी। कम्पनी के पास नागर विमानन महानिदेशालय को इसे सौंपे जाने के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। भवन का न तो कोई बीमा करवाया गया है और न ही वहां कोई सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। भवन में किसी प्रकार की चोरी/क्षति होने का खामियाजा कम्पनी को भुगतना पड़ सकता है।

पवन हंस लिमिटेड तथा नागर विमानन महानिदेशालय के मध्य किसी प्रकार की औपचारिक हैंडिंग ओवर/टेकिंग ओवर की प्रक्रिया नहीं हुई है, तथापि, वास्तविकता यह है कि यह परियोजना काफी वर्ष पूर्व पूर्ण की जा चुकी है तथा पूर्ण परिसम्पत्ति नागर विमानन महानिदेशालय के कब्जे एवं नियंत्रण में है। इस प्रकार, पवन हंस लिमिटेड से इसका बीमा करवाए जाने अथवा सुरक्षा गार्डों की तैनाती किए जाने की अपेक्षा नहीं है।

11. कम्पनी द्वारा एनएफटीआई में निवेश किए गए हैं जो पिछले कुछ वर्षों से घाटे पर है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कम्पनी द्वारा एनएफटीआई में किए गए निवेश के प्रति क्षति के संबंध में 211.68 लाख रुपए के प्रावधान किए गए हैं। प्रबंधन खाते प्राप्त न होने के कारण वर्ष 2018–19 के लिए ऐसे कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। प्रबंधन खाते की लंबित प्राप्ति के कारण इंड एएस वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव के परिमाण का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

एनएफटीआई के लेखों का अंतिमकरण/लेखापरीक्षण अभी नहीं किया गया है।

12. लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान संलग्न वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार हमारे सम्मुख आंतरिक नियंत्रणों से संबंधित अनेक भिन्नताएं प्रस्तुत हुई हैं। इस प्रकार आंतरिक लेखा परीक्षण को ओर अधिक सुदढ़ बनाया जाना तथा सभी विभागों, विशेषतः अचल परिसम्पत्ति प्रबंधन, अधिप्राप्ति प्रक्रिया, बोली प्रक्रिया, राजस्व लेखांकन, सांविधिक अनुपालन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण के क्रियाकलापों का कम्पनी के प्रचालनों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप गहन सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

अतिरिक्त जनशक्ति से आंतरिक लेखापरीक्षण को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। विभाग के लिए अतिरिक्त संविदारत संसाधन निर्धारित किए जा रहे हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में ऊपर प्रस्तुत हमारा मत तथा विधिक एवं विनियमाक अपेक्षाओं के संबंध में नीचे प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट में उपर्युक्त मामले के संबंध में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

2) अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) की अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

(ख) हमारे मतानुसार, 'योग्य मत के आधार' के पैराग्राफ में की गई टिप्पणी की शर्त के साथ, विधि अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है तथा ऐसा अब तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है। तथापि, हमने यह देखा है कि कम्पनी द्वारा पुराने प्रकार के ऐसे लेखांकन पैकेज का उपयोग किया जा रहा है जो कि अब प्रचलन में नहीं है तथा चालू अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए इसका उन्नयन/परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है;

कम्पनी द्वारा लेखांकन पैकेज के उन्नयन की प्रक्रिया की जा रही है।

i) *हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014, यथा संशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में :*

i. ————————

ii. *कम्पनी द्वारा लागू कानून अथवा लेखांकन मानकों के अंतर्गत दीर्घकालिक संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों के संबंध में लागू यथापेक्षित प्रावधान नहीं किए हैं।* कम्पनी में कोई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं। पश्चिम क्षेत्र के लेखापरीक्षकों द्वारा निम्नलिखित सूचना दी गई है:–

> कम्पनी द्वारा डैरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घकालिक संविदाओं के संबंध में सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हों, के लिए विधि अथवा इंड एएस के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किए गए हैं।''

इसके संबंध में योग्य मत के अंतर्गत मद संख्या 2 के उत्तर में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक 'क' में की गई प्रत्येक योग्य, सुरक्षित अथवा प्रतिकूल टिप्पणी के संबंध में निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणियां

लेखापरीक्षकों द्वारा की गई योग्य, सुरक्षित अथवा प्रतिकूल टिप्पणी	निदेशक मंडल द्वारा स्पष्टीकरण
(i) क) पश्चिम क्षेत्र में कम्पनी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक एवं स्थिति के पूर्ण विवरण दर्शाने वाले रिकार्ड का उचित अनुरक्षण किया गया है। उत्तरी क्षेत्र तथा निगमित कार्यालय के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर का रखरखाव किया गया है, *तथापि, कुछ मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं जिनमें अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति का विवरण नहीं दिया गया है।*	अचल परिसम्पत्ति की स्थिति/स्थल का उल्लेख अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर में किया गया है।
ख) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर कम्पनी में अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए नियमित कार्यक्रम स्थापित है जिसके अंतर्गत सभी अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध पद्धति से तीन वर्ष की अवधि में किया जाता है। वर्ष के दौरान उत्तरी क्षेत्र के कुछ विभागों में भौतिक सत्यापन किया गया था तथा कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई थी। वर्ष के दौरान पश्चिम क्षेत्र तथा इसके डिटेचमेंटों में भौतिक सत्यापन किया गया था। *भौतिक सत्यापन के अनुसार बहियों के शेष का समाधान किए जाने का कार्य शेष है। वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्यालय तथा पूर्वी क्षेत्र एवं इसके बेसों में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेट कार्यालय में पिछला भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान किया गया था तथा बही शेष में से संज्ञान में लाई गई भिन्नताओं को भौतिक सत्यापन के अनुसार सम्बद्ध विभागों को समाधान के लिए भेजा गया है, जिसकी कार्रवाई अभी लंबित है। हमारे मतानुसार भौतिक सत्यापन की इस अवधि को प्रबंधन द्वारा सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा कम्पनी के आकार तथा परिसम्पत्तियों की प्रकृति को विचार में लेते हुए विमान एवं अतिरिक्त इंजनों सहित इसके प्रमुख घटकों का सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वर्ष के अंत में 5,373.97 लाख रुपए के सकल मूल्य के रोटेब्ल्स भिजवाए गए*	कम्पनी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन का कार्य चरणबद्ध पद्धति से करके तीन वर्ष की अवधि में सभी मदों को शामिल करके पूरा किया जाता है। अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया गया था तथा अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर के साथ इसका समाधान किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। बही एवं भौतिक शेष के मध्य के अंतर तलाश कर लिए गए हैं तथा समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इन्हें संबंधित विभाग को भिजवाया जा रहा है। 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार विदेशी उपकरण आपूर्तिकर्ता के पास 5373.97 लाख रुपए (31 मार्च, 2018 को 6566.70 लाख रुपए) के रोटेब्ल्स एवं मरम्मतयोग्य तथा 2159.69 लाख रुपए (31 मार्च, 2018 को 2464.63 लाख रुपए) के डब्ल्यूडीवी मरम्मत के लिए रखे गए हैं। इनमें से 350.28 लाख रुपए (31 मार्च, 2018 को 2724.02 लाख रुपए के रोटेब्ल्स तथा 113.30 लाख रुपए (31 मार्च, 2018 को 101.62 लाख रुपए) के डब्ल्यूडीवी 31 मार्च, 2019 के पश्चात वापस प्राप्त हो गए हैं। मैसर्स एवियोटिक्स एबी (सकल मूल्य 57.06 लाख रुपए डब्ल्यूडीवी 31.38 लाख रुपए) के अलावा रोटेब्ल्स अपने पास अभी भी रखे जाने के संबंध में संबंधित पक्षकारों से पुष्टि प्राप्त कर ली गई है। मदों को विधिवत मरम्मत/ओवरहॉल के साथ मूल उपकरण निर्माता से वापस प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

थे जो मूल उपकरण निर्माता के पास रखे हुए हैं। इसके लिए कम्पनी एक मूल उपकरण निर्माता से इन रोटेब्ल्स का धारण कम्पनी के लिए करने के संबंध में पुष्टि नहीं प्राप्त कर पाई है।

ग) *इंड ए एस वित्तीय विवरणों में सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के नोट संख्या 3 में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार अचल परिसम्पत्तियों के हक विलेख कम्पनी के नाम हैं जो रोहिणी हेलीपोर्ट के अलावा, जिसकी भूमि का स्वामित्व नागर विमानन मंत्रालय के पास है एवं पश्चिम क्षेत्र में आवास भवन (जेएचसी) के अलावा जिसका हक विलेख कम्पनी के नाम पर इसलिए नहीं है कि इसकी भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम पर है तथा कम्पनी द्वारा इस भूमि पर फ्लैट निर्मित किए गए हैं जो आंशिक रूप से पट्टे पर 25 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त किए गए हैं।*

यह तथ्यपरक विवरण है।

(ii) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, तृतीय पक्षकारों के पास रखी एवं मार्गस्थ माल की मालसूचियों के अलावा, उत्तरी क्षेत्र में विचाराधीन वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया है तथा किसी प्रकार की कोई वस्तुगत अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। पश्चिम क्षेत्र के मामले में, मार्गस्थ माल के अलावा, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है तथा इस सत्यापन से किसी प्रकार की वस्तुगत अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। डिटेचमेंट के भंडार एवं पुर्जों का मामलों का निवारण क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा वर्ष के अंत में किया जाता है तथा डिटेचमेंट के भंडार एवं पुर्जों के अंत शेष को संबंधित डिटेचमेंट द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर रिकार्ड में लिया जाता है तथा ऐसा होने से इसके लिए सीमित नियंत्रण की व्यवस्था की गई है, *अतः नियंत्रण प्रक्रिया सीमित है क्योंकि स्टॉक रिकार्ड का मैनुअल अनुरक्षण डिटेचमेंट में किया जा रहा है।*

सभी डिटेचमेंटों में मालसूचियों के मैनुअल स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव किया गया है। इसके अलावा बेस प्रबंधकों को अनवरत आधार पर मालसूची रजिस्टर को अद्यतन रखने के निदेश दिए गए हैं।

(vii) (क) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी की लेखा बहियों में राशियों की कटौती/प्राप्ति के रिकार्ड की जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य संवर्धित कर तथा उपकर लागू अन्य सभी अविवादित सांविधिक देयताओं के संबंध में सामान्यतः वर्ष के दौरान संबंधित प्राधिकरणों को नियमित रूप से भुगतान किया गया है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उत्पाद कर के लिए कम्पनी द्वारा भी बकाया देय नहीं है।

हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य संवर्धित कर,माल एवं सेवा कर तथा उपकर लागू अन्य सभी देयताओं के 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार उनकी देयता से छः माह की अवधि से अधिक बकाया नहीं थे जो सिवाय पश्चिम क्षेत्र के लिए 13.81 लाख रुपए की *स्टाम्प ड्यूटी के अलावा हैं जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।*

पश्चिम क्षेत्र के मामले में कम्पनी द्वारा मई 1998 में अपने कर्मचारियों के लिए 6 आवासीय फ्लैट एमएचएडीए, मुम्बई से खरीदे गए थे तथा अस्थाई आधार पर कम्पनी द्वारा इनका कब्जा आबंटन पत्र के आधार पर लिया गया था अतः कम्पनी द्वारा अस्थाई आधार पर स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण करवाया गया है, जिसके लिए अंतिम भुगतान सोसायटी के नाम उचित कन्वेंस डीड तैयार होने पर किया जाएगा। कुछ सोसायटियों द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय में एमएचएडीए के खिलाफ मूल्य में भिन्नता का दावा किया है। अतः ऐसी स्थिति में स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

(vii) ख) हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नानुसार किए गए उल्लेख के अलावा 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कम्पनी द्वारा संबंधित प्राधिकरण में किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आय कर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, तथा उपकर की कोई देयता बकाया नहीं है :–

इन राशियों को लेखा नोट संख्या 32(II) के अंतर्गत आकस्मिक देयता माना गया है।

क्र सं.	विधान विवरण	देयता का स्वरूप	राशि (रुपए लाख में)	राशि से संबद्ध अवधि	मामला विवाद स्तर
1	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	वीएटी, ब्याज एवं जुर्माना	11,168.96	वि.वर्ष 2006–07	अपीलिय प्राधिकरण, मू.सं.क., दिल्ली
2	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	वीएटी, ब्याज एवं जुर्माना	11,367.74	वि.वर्ष 2007–08	अपीलिय प्राधिकरण, मू.सं.क., दिल्ली
3	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	वीएटी, ब्याज एवं जुर्माना	13,536.64	वि.वर्ष 2008–09	अपीलिय प्राधिकरण, मू.सं.क., दिल्ली
4	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	वीएटी, ब्याज एवं जुर्माना	13,406.55	वि.वर्ष 2009–10	अपीलिय प्राधिकरण, मू.सं.क., दिल्ली
5	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	533.31 (71.21)	वि.व. 2009–10	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
6	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	465.64	वि.व. 2010–11	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
7	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	552.01	वि.व. 2011–12	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
8	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	274.11 (50.51)	वि.व. 2012–13	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
9	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.42 (0.08)	वि.व. 2013–14	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
10	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	173.68 (29.19)	वि.व. 2014–15	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
11	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	245.58	वि.व. 2015–16	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
12	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	277.66	वि.व. 2016–17	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
13	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	13.85	वि.व. 2017–18	अधिनिर्णय प्राधिकरण, सीजीआईटी, मुम्बई पश्चिम

14	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948	क.रा.बी. अंशदान तथा ब्याज	23.41	वि.व. 2012–13 से अगस्त 2016	जिला न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली
15	आयकर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज की अस्वीकृति	2,997.00 (1,055.04)	मू.व. 1997–98	आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल, दिल्ली
16	आयकर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज की अस्वीकृति	2,975.00 (3,536.36)	मू.व. 1998–99	आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल, दिल्ली
17	आयकर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज की अस्वीकृति	2,650.00 (3,292.78)	मू.व. 1999–00	आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल, दिल्ली
18	आयकर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज की अस्वीकृति	4,742.00 (5,047.84)	मू.व. 2000–01	आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल, दिल्ली
19	आयकर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज की अस्वीकृति	2,650.00 (3,292.78)	मू.व. 2001–02	आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल, दिल्ली

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े या तो विरोध सहित राशि जमा करवाने अथवा प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी को देय धनवापसी की राशि को रोके जाने से संबंधित हैं।

(x) हमें प्रदान की गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान वर्ष के दौरान कम्पनी अथवा इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरूद्ध अथवा कम्पनी द्वारा की गई किसी प्रकार की धोखेबाजी की सूचना प्रकाश में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है, जो कि पश्चिम क्षेत्र में दमन डिटेचमेंट के तात्कालिक बेस सहायक द्वारा 3.56 लाख रुपए की एक अपाहरित राशि के अलावा, जो दमन एवं दीव प्रशासन की ओर से टिकटें जारी करने के लिए संग्रहित की गई थी, की घटना के अलावा है। इसके बारे में पर्याप्त स्पष्टीकरण नोट संख्या 32(XXII)(सी) में दिया गया है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ख' में की गई प्रत्येक योग्य, सुरक्षित अथवा प्रतिकूल टिप्पणी के संबंध में निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणियां

योग्य मत

लेखापरीक्षक द्वारा सुरक्षित

हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के अनुसार, केवल पश्चिम क्षेत्र के अलावा जिसका लेखापरीक्षण शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है, *कम्पनी में आरसीएम एवं लक्ष्य, प्रक्रिया एवं उनसे संबंधित जोखिम के अंतर की ट्रेकिंग से युक्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण सहित आंतरिक नियंत्रण को सुचारू बनाने के लिए विस्तृत मॉडल का प्रलेखन नहीं किया गया है। मॉडल के परीक्षण एवं स्थापित प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभाव्यता की समीक्षा के दौरान पर्याप्तता के डिजायन एवं अचल परिसम्पत्ति प्रबंधन, अधिप्राप्ति प्रक्रिया, बोली प्रक्रिया, राजस्व लेखांकन, सांविधिक अनुपालन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण की प्रभाव्यता में अंतर पाए गए हैं। इसके अलावा, बेसों पर भी व्ययों के संबंध में समेकित प्रविष्टियां की जाती हैं अर्थात व्ययों की स्वीकृति देर से की जाती है जिसके कारण टीडीएस एवं जीएसटी जैसी सांविधिक देयताएं प्रभावित होती हैं। हमारा ध्यान 10,000 रुपए से अधिक के नकद भुगतान की कुछ घटनाओं की ओर भी आकर्षित हुआ है। रोहिणी हेलीपोर्ट, चंडीगढ़ के हेलीटैक्सी प्रचालनों तथा श्री केदारनाथ यात्रा, 2018 के संबंध में विलम्बित टिकट बिक्री/गैर–समाधान किए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं। आईटी साफ्टवेयर के पुराने वर्जन के कारण इंड एएस तथा जीएसटी के वित्तीय विवरणों की उत्पति नहीं हो सकती है। ऐसे भी कुछ मामले प्रकाश में आएं जिनमें डीओपी उल्लंघन हुए हैं अथवा निविदाओं के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया है। कुछ मामलों में हमने यह देखा है कि अनुमोदन के लिए स्थापित ई–फाइल सिस्टम में गतिरोध उत्पन्न करके ऑफलाइन/मैनुअल नोट शीटों पर अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। कुछ कर्मचारियों से संबंधित गलत इनपुट डाटा बीमांकन मूल्यांकन के लिए भेजा गया है। भर्ती पर रोक होने के बावजूद भी कम्पनी द्वारा काफी लम्बे समय से संविदारत कर्मचारियों तथा परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जा रहा है। विधिक मामलों के आंतरिक नियंत्रण तथा आकस्मिक देयताओं की परिमाण निर्धारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया*

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण

कम्पनी में मैट्रिक्स, सामग्री मैनुअल, मानव संसाधन मैनुअल, लेखा मैनुअल के लिए प्रत्यायोजन स्थापित किए गए हैं। कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षण के अलावा आंतरिक लेखा परीक्षा, सतर्कता निगरानी तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षण के साथ साथ नागर विमानन महानिदेशालय के नियमों का अनुसरण किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके अलावा, संव्यवहारों के प्रलेखन, समीक्षा एवं पर्यवेक्षण के लिए प्रभावी व्यवस्था स्थापित है। संव्यवहार स्तर, मिलान/समूहन स्तर तथा प्रस्तुति/रिपार्टिंग स्तर पर नियंत्रण स्थापित किए गए हैं।

अचल परिसम्पत्ति प्रबंधन, अधिप्राप्ति प्रक्रिया, लेखांकन एवं राजस्व, सांविधिक अनुपालन, कोष प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए नियंत्रण विद्यमान हैं और कार्यशील हैं।

कम्पनी द्वारा टीडीएस, जीएसटी, सेवा कर के प्रति देयताओं को निभाया जाता है तथा देरी चूकवश होती हैं।

साफ्टवेयर में इंड एएस आउटपुट फाइनेंशियल्स निर्मित्त नहीं होते हैं तथा बाजार में उपलब्ध सभी साफ्टवेयर में भी मैनुअल कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है।

प्रत्येक करार के लिए लागत अनुकूलता के अनुसार तैयार की जाती है जिसकी अपने प्रमुख आकर्षण एवं विशिष्टताएं होती हैं।

पीआईएस द्वारा डाटा उत्पति के लिए कुछ समायोजन करने पड़ते हैं तथा इन्हें बीमांकक को मूल्यन के लिए भेजा जाता है तथापि इसमें होने वाली भिन्नताओं को न्यून करने/समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

कुल राजस्व में 50% से अधिक का योगदान तथा 50% से अधिक का व्यय करने वाले पश्चिम क्षेत्र के शाखा लेखापरीक्षकों आईएफसी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि पश्चिम क्षेत्र में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31.3.2019 की स्थिति के

जाना आवश्यक है। इसके अलावा, नोट संख्या XXII सी) में किए गए उल्लेख के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी में हुई जालसाजी का पता चला है, जिसके मूल कारण को ज्ञात करने के लिए विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की आवृत्ति को कमतर किया जा सके। मछेल माता यात्रा, 2018 के दौरान संग्रहित रोकड़ एवं जमा रोकड़ में भिन्नता है, कुछ कर्मचारियों के संबंध में हित विरोध तथा कुछ कर्मचारियों के गैर–रोटेशन के कारण जालसाजियों में बढ़ोतरी हो सकती है। हमारे मतानुसार, नियंत्रण मानदंडों के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में ऊपर उल्लिखित सामग्रीगत कमी/कमियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों के अलावा कम्पनी द्वारा सामग्रीगत स्वरूप में प्रत्येक वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रक्रिया का अनुरक्षण किया गया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण के मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों के अनुरूप कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए की गई स्थापना के आधार पर 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
(उषा पाढ़ी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 25 सितम्बर, 2019

अनुलग्नक–घ

वीएपी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरी

387, प्रथम तल, शक्ति खंड–3
इंदिरापुरम, गाजियाबाद–201010, उ.प्र.
दूरभाष: +91-0120-4272409
मो.:+91-9910091070, 9711670085
ईमेल: vapassociatespcs@gmail.com

साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 204(1) तथा कम्पनी (कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में
सदस्य,
पवन हंस लिमिटेड

हमने संगत सांविधिक प्रावधानों एवं मान्य निगमित व्यवहारों का अनुसरण किए जाने के प्रति पवन हंस लिमिटेड (सीआईएन यू62200डीएल 1985जीओआई22233) (एतद्वारा कम्पनी के नाम से संबोधित) का साचिविक लेखापरीक्षण किया है। साचिविक लेखापरीक्षण की प्रक्रिया का संचलन निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन का औचित्यपरक आधार प्राप्त करने तथा उनके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के विचार से किया गया था।

क. हमारे द्वारा कम्पनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्य विवरण पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड तथा साचिविक लेखापरीक्षण किए जाने के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के संबंध में की गई जांच के आधार पर हम, एतद्वारा, यह सूचित करते हैं कि हमारे विचारानुसार 31 मार्च, 2019 ("लेखापरीक्षण अवधि") को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाहित लेखापरीक्षण अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पूर्णत अनुसरण किया गया है तथा कम्पनी में यहां किए गए उल्लेख के अनुसार बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुसरण की यंत्र–व्यवस्था रिपोर्टिंग की शर्त के साथ यथोचित ढंग से की गई है:

ख. हमने निम्नलिखित प्रावधानों का अनुसरण किए जाने के संदर्भ में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्य विवरण पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड की जांच की है:–

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अध्यधीन निर्मित नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम; **(लेखापरीक्षण अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन निर्धारित किए गए विनियम एवं उप नियम; **(लेखापरीक्षण अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए निर्मित नियम तथा विनियम **(लेखापरीक्षण अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम') के अध्यधीन निर्धारित विनियमों एवं दिशानिर्देशों **(लेखापरीक्षण अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**

(vi) कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई प्रस्तुति एवं रिर्पोटों तथा कम्पनी सचिव विभाग को विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर कम्पनी में व्याप्त अनुपालन व्यवस्था के संबंध में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी द्वारा सामान्यतः उन सभी अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है, जो लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के निगमित शासन दिशानिर्देशों, वायुयान अधिनियम, 1934 तथा वायुयान नियमावली, 1937, इत्यादि, जिनकी प्रासंगिकता कम्पनी के लिए है, सहित कम्पनी के संबंध में लागू हैं। कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कानून जैसे लागू वित्तीय कानूनों के संबंध में किए गए अनुपालन की रिपोर्ट में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि इनकी समीक्षा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षकों तथा अन्य पदनामित व्यावसायिकों द्वारा किए जाने के अध्यधीन है।

ग. हमने नीचे उल्लिखित लागू उपबंधों का अनुसरण किए जाने के संबंध में भी जांच की है : –

i. इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सैक्रेटरिज्स ऑफ इंडिया (एसएस–1) द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों तथा आम सभाओं (एसएस–2) के संबंध में जारी साचिविक मानक ।

ii. शेयर बाजारों के साथ सूचीबद्ध किए जाने के लिए कम्पनी द्वारा किए गए करार **(लेखापरीक्षण अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**

घ. विचाराधीन अवधि के दौरान, नीचे उल्लिखित प्रेक्षणों के साथ, कम्पनी द्वारा अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, इत्यादि के प्रावधानों के संबंध में अनुपालन किया गया है :

(क) कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 175(2) के अंतर्गत सर्कुलेशन के माध्यम से पारित किसी संकल्प को निदेशक मंडल अथवा उसकी किसी समिति की अनुवर्ती बैठक में नोट किया जाना चाहिए तथा उसे ऐसी बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किया जाना चाहिए। तथापि, कुछ मामलों में वर्ष के प्रारम्भ में सर्कुलेशन द्वारा पारित किए गए संकल्प कार्यवृत्त में केवल मामलों की नोटिंग के तौर पर रिकार्ड किए गए हैं।

(ख) खंड 173(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल की दो क्रमगत बैठकों के मध्य एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तथापि, दिनांक 7.5.2018 तथा दिनांक 11.10.2018 को आयोजित बैठकों के मध्य 120 दिन से अधिक का अंतराल है।

(ग) हमें प्रदान की गई सूचना एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कम्पनी में मुख्य वित्त अधिकारी का पद 1 दिसम्बर, 2018 से रिक्त है।

(घ) कम्पनी के पास अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है, तथापि, कम्पनी द्वारा इसके निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है।

(ङ) कम्पनी के रिकार्डों के अनुसार कुछ मामलों में कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अध्यधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत फार्म एवं विवरण अतिरिक्त शुल्क के साथ भरे गए हैं।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि

I. कम्पनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के विधिवत संतुलन के साथ किया गया है। विचाराधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में किए गए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों का अनुसरण करते हुए किए गए हैं।

II. निदेशक मंडल की बैठकों के आयोजन के संबंध में सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची तथा कार्यसूची के विस्तृत नोट अग्रिम तौर से सामान्यतः सात दिन पूर्व भेजे जाते हैं, तथापि, कुछ मामलों में नोटिस एवं कार्यसूची दस्तावेज निदेशक मंडल की सहमति से कम अवधि में भिजवाए गए थे तथा बैठक के आयोजन से पूर्व अतिरिक्त सूचना एवं स्पष्टीकरण ज्ञात करने एवं प्राप्त करने तथा बैठक में अर्थपूर्ण प्रतिभागिता के लिए एक व्यवस्था विद्यमान है।

III. कार्यवृत्तों में किए गए रिकार्ड के अनुसार निदेशक मंडल अथवा मंडल की समितियों की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय, जैसे भी मामलें हों, एकमत रूप से लिए गए हैं ।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त सूचना तथा अनुरक्षित रिकार्डों के अनुसार लागू विधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का संचलन एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा निम्नलिखित कार्य किए हैं जिनसे ऊपर संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों इत्यादि के संदर्भ में प्रभाव हो सकता हैः–

क) कम्पनी द्वारा अपना पंजीकृत कार्यालय ''दिल्ली राज्य'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में स्थानांतरित करने की याचिका प्रस्तुत की गई है।

यह रिपोर्ट "अनुबंध–क" पर संलग्न हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पठनीय है तथा यह इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
एफआरएनः एस2014यूपी280200

ह./–
पारूल जैन
स्वत्वधारी
एम.संख्या एफ8323
सीपी संख्या 13901

स्थान : गाजियाबाद
दिनांकः 29.08.2019

अनुलग्नक 'क'

सेवा में,
सदस्य,
पवन हंस लिमिटेड

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवालय रिकार्ड के अनुरक्षण का दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर ऐसे सचिवालय रिकार्ड के प्रति अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

2. हमारे द्वारा सचिवालय रिकार्डों की सामग्री की परिशुद्धता के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षण व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया है। यह सत्यापन जांच आधार पर सचिवालय रिकार्ड में उल्लिखित तथ्यों की परिशुद्धता का सुनिश्चय करने के लिए किया गया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाएं एवं व्यवहार हमारे मत की अभिव्यक्ति के लिए एक औचित्यपरक आधार हैं।

3. हमारे द्वारा विचाराधीन अवधि से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को मान्य माना गया है; तदनुसार हमने सांविधिक/विधिक अनुपालनों की परिशुद्धता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नमूना आधार पर किया है।

4. हमारे द्वारा विचाराधीन अवधि से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को मान्य माना गया है; तदनुसार हमारे द्वारा कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों तथा लेखा बहियों की परिशुद्धता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया गया है। उनकी रिपोर्ट में उल्लिखित योग्य मत/प्रेक्षण भी हमारी इस रिपोर्ट का भाग हैं।

5. आवश्यकता पड़ने पर हमारे द्वारा कानूनों, नियमों तथा विनियमों एवं स्थितियों के घटित होने इत्यादि के संबंध में प्रबंधन प्रस्तुति प्राप्त की गई है।

6. निगमित एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारे द्वारा की गई जांच प्रक्रियाओं का परीक्षण आधार पर सत्यापन किए जाने तक ही सीमित रही है।

7. हमारे द्वारा कम्पनी की बहियों तथा रिकार्डों की जांच की प्रक्रिया के दौरान भारत में सामान्यतः स्वीकृत व्यवहारों का अनुसरण किया गया है, हमारे समक्ष न तो कम्पनी के प्रति अथवा कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी किए जाने की कोई स्थिति प्रस्तुत हुई है और न ही कम्पनी की जानकारी में वर्ष के दौरान ऐसे किसी मामले की कोई स्थिति रिपोर्ट हुई है तथा तदनुसार कम्पनी द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की कोई जानकारी नहीं दी गई है।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स

कम्पनी सचिव
एफआरएनः एस2014यूपी280200

ह./–
पारूल जैन
स्वत्वधारी
एम.संख्या एफ8323
सीपी संख्या 13901

स्थान : गाजियाबाद
दिनांकः 29.08.2019

सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षणों पर निदेशक मंडल के उत्तर

प्रेक्षण	उत्तर
कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 175(2) के अंतर्गत सर्कुलेशन के माध्यम से पारित किसी संकल्प को निदेशक मंडल अथवा उसकी किसी समिति की अनुवर्ती बैठक में नोट किया जाना चाहिए तथा उसे ऐसी बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किया जाना चाहिए। तथापि, कुछ मामलों में वर्ष के प्रारम्भ में सर्कुलेशन द्वारा पारित किए गए संकल्प कार्यवृत्त में केवल मामलों की नोटिंग के तौर पर रिकार्ड किए गए हैं।	नोट कर लिया गया है।
खंड 173(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल की दो क्रमगत बैठकों के मध्य एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तथापि, दिनांक 7.5.2018 तथा दिनांक 11.10.2018 को आयोजित बैठकों के मध्य 120 दिन से अधिक का अंतराल है।	नोट कर लिया है। किसी प्रकार का व्यवसाय संव्यवहार न होने के कारण निदेशक मंडल की बैठक 120 दिन के भीतर आयोजित नहीं की गई थी। निदेशक मंडल की अन्य बैठकों के संबंध में इसके अनुपालन का सुनिश्चय किया गया है तथा भविष्य में भी इसका अनुपालन किया जाएगा।
हमें प्रदान की गई सूचना एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कम्पनी में मुख्य वित्त अधिकारी का पद 1 दिसम्बर, 2018 से रिक्त है।	मुख्य वित्त अधिकारी के रिक्त पद को भरने की प्रक्रियाएं की जा रही है।
कम्पनी के पास अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है, तथापि कम्पनी द्वारा इसके निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है।	नोट कर लिया है। कम्पनी द्वारा जोखिम प्रबंधन नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।
कम्पनी के रिकार्डों के अनुसार कुछ मामलों में कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अध्यधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत फार्म एवं विवरण अतिरिक्त शुल्क के साथ भरे गए हैं।	नोट कर लिया है। फार्मों को समय पर भरे जाने का सुनिश्चय करने के प्रयास किए जाएंगे।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ङ'
फार्म संख्या एओसी – 2
(कम्पनी (लेखे) नियमावली, 2014 के साथ पठनीय अधिनियम के नियम 8(2) के खंड 134 के उप–खंड (3) के खंड–वाक्य (एच) के अनुसरण में)

तृतीय पक्षकार के परंतुक के अंतर्गत कतिपय आर्म–लैंथ संव्यवहारों सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 188 के उप–खंड (1) में संदर्भित सम्बद्ध पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु फार्म संख्या एओसी – 2

1. संविदाओ अथवा संव्यवहारों का विवरण जो आर्म–लैंथ आधार पर नहीं है।

क.सं.	(क) सम्बद्ध पक्षकारों के नाम तथा संबंध की प्रकृति		(ख)संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	(ग) संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	(ख) प्रमुख विशेषताएं संविदाओं अथवा.....		(ङ) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हों	(च) अग्रिम चुकता राशि, यदि कोई हो	(छ) अग्रिम चुकता राशि, यदि कोई हो	(ज) खंड 188 के प्रथम परंतुक की अपेक्षाओं के अनुसार आम सभा में पारित विशेष संकल्प की तिथि
	नाम	संबंध			प्रमुख शर्तें	संव्यवहार मूल्य (मिलियन रुपए में)				
शून्य										

2. संविदाओ अथवा संव्यवहारों का विवरण जो आर्म–लैंथ आधार पर नहीं है।

क.सं.	(क) सम्बद्ध पक्षकारों के नाम तथा संबंध की प्रकृति		(ख)संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	(ग) संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	(ख) प्रमुख विशेषताएं संविदाओं अथवा		(ङ) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हों	(च) अग्रिम चुकता राशि, यदि कोई हो
	नाम	संबंध			प्रमुख शर्तें	संव्यवहार मूल्य (लाख रुपए में)		
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान किए जाने	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान	आईसीबी के माध्यम से संविदा	9823.55		
2	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	सेवाओं की प्राप्ति पर एफई हानि एवं लाभ	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान	वास्तविक	(–) 32.52		
3	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने में देरी के कारण एलडी की कटौती	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान	वास्तविक	1800.28		
4	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	इक्विटी पर लाभांश भुगतान	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान	वास्तविक	302.05		

अनुलग्नक–च

निगमित सामाजिक दायित्वों के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी द्वारा प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं और कार्यक्रमों और इसके वेब–लिंक के परिदृश्य सहित कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व नीति की संक्षिप्त रुपरेखा

पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 2 मई, 20.17 को आयोजित अपनी 158वीं बैठक में कम्पनी अधिनियम, 2013, कारपोरेट मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा निगमित सामाजिक नीति (सीएसएस) एवं संधारणीयता के संबंध में जारी दिशानिर्देश (लो.उ.वि. दिशानिर्देश) में उल्लिखित निगमित सामाजिक दायित्व नीति की रूपरेखा के अनुरूप पवन हंस लिमिटेड की निगमित सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

इसका प्रवर्तन अधिनियम की अनुसूची–VII में सूचीबद्ध क्रियाकलापों की स्पष्ट व्याख्या के अनुसार पवन हंस लिमिटेड द्वारा भारत के भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं में प्रमुखतः समाज के सुविधाहीन, वंचित, निर्धन वर्ग के हितार्थ एवं पर्यावरण के लिए निर्वाह किए जा रहे सभी निगमित सामाजिक दायित्व परियोजना के कार्यक्रमों के लिए होगा।

नीति के अनुसार परियोजनाओं/कार्यक्रमों का निर्धारण तथा उनके लिए आवंटित किया जाने वाला बजट योग्य कार्यान्वयन एजेंसियों का समावेश करने, आवश्यकता मूल्यांकन एवं अपेक्षित प्रतिफल की स्पष्ट रूपरेखा करके किया जाता है। निगमित सामाजिक दायित्व परियोजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में यथासंभव निम्नलिखित घटकों को विचार में लिया जाता है :

i. आवश्यक/व्यवहार्य समझे जाने पर आवश्यकता आधारित मूल्यांकन/बेसलाइन सर्वेक्षण/अध्ययन;

ii. संज्ञान किए गए क्षेत्रों तथा भौगोलिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट एवं मापनयोग्य प्रयोजक/लक्ष्यों का निर्धारण करना;

iii. परियोजना का निर्माण करना तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना;

iv. समय सीमाओं का निर्धारण करना – उनके संबंध में प्रारम्भ तिथि एवं समापन तिथि का स्पष्ट उल्लेख करना;

v. वार्षिक वित्तीय आवंटन विनिर्दिष्ट करना;

vi. लाभग्राहियों (जहां संभव हो नाम के साथ) की स्पष्ट पहचान का उल्लेख करना;

vii. परियोजना/कार्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण करना;

viii. कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ करार निष्पादित करना;

ix. विस्तृत एवं सहमत दस्तावेज प्रक्रिया तैयार करना तथा उसका कार्यान्वयन करना;

x. सुदृढ़ आवधिक समीक्षा करना तथा अनुवीक्षण करना;

xi. अनिवार्य रिपोर्टिंग।

अलग अलग निगमित सामाजिक दायित्व परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए ध्यानाकर्षण क्षेत्रों एवं बजट का निर्धारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा गैर सरकारी/निजी एजेंसियों सहित विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त प्रस्ताव

के आधार पर प्रारंभ में प्रथम स्तर (कनिष्ठ) पर तथा उसके पश्चात दूसरे स्तर (वरिष्ठ) पर निगमित सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता समिति द्वारा किया जाता है।

पवन हंस लिमिटेड की वेबसाइट www.pawanhans.co.in में निगमित सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता नीति के क्रियाकलापों तथा दिनांक 28.2.2014, 6.8.2014, 24.10.2014 तथा 23.5.2014 की सरकारी राजपत्र अधिसूचनाओं, लोक उद्यम विभाग के दिनांक 21.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 28.6.2014 के सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014, दिनांक 12.1.2016 के 01/2016, दिनांक 16.5.2016 के 05/2016 तथा लोक उद्यम विभाग के दिनांक 10.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या सीएसआर–08/002/2018–डीआर (सीएसआर) जैसे अन्य दस्तावेजों के लिए लिंक उपलब्ध करवाए गए हैं।

2. निगमित सामाजिक समिति की संरचना

पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:–

1. डॉ. हरीश चौधरी, पवन हंस लिमिटेड की निगमित सामाजिक दायित्व समिति के अध्यक्ष
2. डॉ. बी. पी. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (पवन हंस लिमिटेड) तथा सदस्य, निगमित सामाजिक दायित्व समिति (दिनांक 31.1.2019 को सेवानिवृत्त)
3. श्री अशोक नायक, स्वतंत्र निदेशक, निगमित सामाजिक दायित्व समिति के सदस्य
4. एवीएम संजीव कपूर, निदेशक (प्रचालन एवं टीपीटी) भारतीय वायुसेना, निगमित सामाजिक दायित्व समिति के सदस्य

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी का औसत लाभ विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी का औसत लाभ विवरण निम्नानुसार है :–

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18
खंड 198 के अनुसार लाभ	3806.60	(–) 245.00	1208.45
पिछले तीन वर्षों के दौरान खंड 135 के अंतर्गत औसत लाभ	(221.06+3505.93+5639.84=8924.72/3)		

4. निर्धारित निगमित सामाजिक दायित्व व्यय (ऊपर मद 3 की राशि का दो प्रतिशत)

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व व्यय 59.50 लाख रुपए (खंड 135 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के लाभ का औसत 2 प्रतिशत) है।

5. वित्त वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व के लिए किए गए व्यय का विवरण

निगमित सामाजिक दायित्व के 75.00 लाख रुपए के बजट में से पवन हंस लिमिटेड द्वारा 1.60 लाख रुपए का व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 73.40 लाख रुपए की अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए भुगतान का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2019–20 में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संबंधित अवार्ड की परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति किए जाने पर जारी की जाएगी।

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि – 75.00 लाख रुपए

(ख) अव्ययित राशि, यदि कोई हो–प्रतिबद्ध एवं जारी किए जाने के प्रावधान के साथ 73.40 लाख रुपए

(ग) जिस विधि से राशि का व्यय किया गया है उसका विवरण नीचे दिया गया है:

(आंकड़े लाख में)

क्र. सं.	निर्धारित नि.सा.दा परियोजना अथवा क्रियाकलाप	वह सेक्टर जो परियोजना में शामिल किया गया है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम 1.स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2. उस राज्य अथवा जिले का उल्लेख करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किया जा रहा है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम वार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि – उप–शीर्ष : 1. परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ऊपरी व्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक किया गया संचयी व्यय	फ्र
1.	रूद्रप्रयास प्रशासन, उत्तराखंड के निदेशानुसार फाटा हेलीपैड पर अस्थाई आउटलेट का निर्माण तथा फाटा हेलीपैड पर दो कक्षाओं को साउंड प्रूफ करना	शिक्षा क्षेत्र	स्थानीय क्षेत्र, उत्तराखंड राज्य का फाटा जिला	1.60	1.60	1.60	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2.	हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के वंचित नागरिकों को प्राथमिक चिकित्सा सेवा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उपलब्ध करवाई गई मोबाइल चिकित्सा यूनिट में एक वर्ष के लिए डाक्टर, ड्राइवर की वेतन की लागत एवं समान उद्देश्य के लिए अंडमान एवं निकोबार हेतु मोबाइल चिकित्सा यूनिट के संबंध में ड्राईवर और अनुरक्षण लागत में सहभाजन	स्वास्थ्य सेवा	हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला	13.40	13.40*	15.00	प्रत्यक्ष
3.	उत्तराखंड राज्य (आंकाक्षी जिलों सहित) के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा एवं बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता के लिए प्रोत्साहन	शिक्षा क्षेत्र	आकांक्षी जिले (हरिद्वार, तथा उधम सिंह नगर) तथा उत्तराखंड राज्य के अन्य जिले	60.00	60.00**	75.00	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	योग			**75.00**	**75.00**	**75.00**	

(*) संधारणीयता विकास परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार को एमएमयू उपलब्ध करवाने के लिए योगदान के रूप में निर्धारित भुगतान की राशि

(**) उत्तराखंड के आकांक्षा वाले (हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर) एवं अन्य जिलों के सरकारी विद्यालयों में निर्मित की जाने वाली स्मार्ट कक्षाओं, वर्चुअल कक्षाओं तथा बुनियादी सुविधाओं के लिए निर्धारित निधियों की उपयोज्यता के प्रति उत्तराखंड राज्य के शिक्षा विभाग से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

6. यदि किसी स्थिति में कम्पनी द्वारा अपने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ की दो प्रतिशत राशि अथवा उसके किसी भाग का व्यय नहीं किया जा सका है, तो कम्पनी द्वारा अपनी निदेशक मंडल रिपोर्ट में ऐसी राशि का व्यय न किए जा सकने के कारण दिए जाएंगे।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व बजट में से 1.60 लाख रुपए व्यय किए गए हैं तथा शेष 73.40 लाख रुपए की राशि वर्ष 2019–20 में व्यय के लिए अनुसूचित की गई है, जिसका कारण निगमित सामाजिक दायित्व की अधिकांश परियाजनाओं के लक्ष्य वर्ष 2019–20 में भुगतान किए जाने पर आधारित हैं। निगमित सामाजिक दायित्व की शेष 73.40 लाख रुपए की राशि में से 60 लाख रुपए अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा नानुखेड़ा, रायपुर, देहरादून में राज्य (आंकाक्षा जिलों – हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर सहित) के सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं वर्चुअल कक्षाओं का विकास किए जाने के उद्देश्य से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए शिक्षा क्षेत्र के प्रति निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, शेष 13.40 लाख रुपए की राशि का उपयोग हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पवन हंस लिमिटेड के प्रयासों के अंतर्गत हिमाचल

प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री को प्रस्तुत की गई मोबाइल चिकित्सा यूनिट के संबंध में मोबाइल चिकित्सा यूनिट के एक डाक्टर तथा एक ड्राईवर के वेतन तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने हैं। डाक्टर तथा ड्राईवर के वेतन से संबंधित राशि का भुगतान पवन हंस लिमिटेड द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला प्रशासन को अर्ध वार्षिक आधार पर किया जाना है। इस 13.40 लाख रुपए की राशि का कुछ भाग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन को एक वर्ष की अवधि के लिए मोबाइल चिकित्सा यूनिट के संबंध में एक डाक्टर तथा एक ड्राईवर के वेतन तथा अनुरक्षण के लिए चुकता किया जाना है।

7. निगमित सामाजिक दायित्व द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व नीति का कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण निगमित सामाजिक दायित्व के उद्देश्यों तथा कम्पनी की नीति के अनुसरण में किए जाने के प्रति उत्तरदेयता विवरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2018–19 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व प्रयासों के अंतर्गत शामिल की गई सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में निगमित सामाजिक दायित्व का कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण कम्पनी के निगमित सामाजिक दायित्व लक्ष्यों तथा नीति के अनुसार की गई है।

ह./–
उषा पाढ़ी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह./–
डॉ. हरीश चौधरी
अध्यक्ष, निगमित सामाजिक दायित्व समिति

अनुबंध–'छ'

फॉर्म संख्या एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सार

31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

(कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 92(3) तथा
कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार)

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i) सीआईएन : **यू62200 डीएल 1985 जीओआई 022233**

ii) पंजीकरण तिथि : **15.10.1985**

iii) कम्पनी का नाम : **पवन हंस लिमिटेड**

iv) कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी : **यात्रियों के लिए वायु परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाना**

v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण :

रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36, रोहिणी,

नई दिल्ली–110 085

ई–मेल : co.secy@pawanhans.co.in

vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है : **नहीं**

vii) रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता तथा सम्पर्क विवरण यदि कोई हो : **लागू नहीं**

II. कंपनी की प्रधान व्यावसायिक क्रियाकलाप

क्रं. सं.	प्रमुख उत्पाद/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी का कुल टर्नओवर का %
1.	यात्रियों के लिए अंतर्देशीय गैर अनुसूचित वायु सेवाएँ	99462420	100%

III. धारक, सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनियों का विवरण : लागू नहीं

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में एक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार –शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता				वर्ष के अंत में शेयर धारिता				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	योग	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	योग	कुल शेयरों का %	
क. प्रोमोटर									
(1) भारतीय									
क) वैयक्तिक/अ.हि. परिवार									
ख) केन्द्रीय सरकार	-	284316	284316	51%		284316	284316	51%	शून्य
ग) राज्य सरकार/सरकारें	-								
घ) निकास निगम	-	273166	273166	49%		273166	273166	49%	शून्य
ङ) बैंक वित्तीय संस्थान									
च) अन्य									
प्रोमोटरों की कुल शेयर धारिता (क)		557482	557482	100%		557482	557482	100%	
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता			शून्य	शून्य				शून्य	शून्य
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर			शून्य					शून्य	शून्य
सकल योग (क+ख+ग)	**-**	**557482**	**557482**	**100%**	**-**	**557482**	**557482**	**100%**	**-**

ii) प्रोमोटरों द्वारा शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरधारी का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयर की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में से %	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % अंतर
1	भारत के राष्ट्रपति	284316	51%	शून्य	284316	51%	-	-
2	ओएनजीसी लि.	273166	49%		273166	49%	-	-
	योग	**557482**	**100%**	**-**	**557482**	**100%**	**-**	-

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें) **शून्य**

iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर धारकों से इतर) : **शून्य**

v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का शेयरधारण पैटर्न

क्र.सं.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के प्रारम्भ तथा अंत के दौरान संचित शेयर धारिता	
	प्रत्येक निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंध में	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में से %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में से %
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	निदेशक 1. श्रीमती उषा पाढ़ी 2. श्रीमती गार्गी कौल (21.12.2018 से निदेशक नहीं रहे)	1 1	- -	1 1	- -

V. ऋण ग्रस्तता

बकाया/संचित ब्याज सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता जिसके लिए भुगतान देय नहीं है

(₹ करोड़ में)

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देय पर चुकता नहीं iii) ब्याज उपचय किंतु अप्रदत्त	24.98 शून्य शून्य	0 0 शून्य	- - -	24.98 0 -
योग (i+ii+iii)	**24.98**	**0**	**-**	**24.98**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन – बढ़त – कमी	- 5.70	- 0	- -	- **5.70**
शुद्ध परिवर्तन	**5.70**	**0**	**-**	**5.70**
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देय पर चुकता नहीं iii) संचित ब्याज किंतु अप्रदत्त	19.28 - -	- - -	- - -	19.28 - -
योग (i+ii+iii)	**19.28**	**-**	**-**	**19.28**

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/अथवा प्रबंधकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्र.नि./पू.का.नि./प्रबंधक का नाम			कुल राशि
		डॉ. बी. पी. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.01.2019 तक)			
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(3) के अंतर्गत वेतन के अंतर्गत लाभ	49,41,567 3,50,218 -	- -	- -	- - -
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-
3.	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन – लाभ पर % के रूप में – अन्य निर्दिष्ट करें...	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
	योग (क)	52,91,785		-	-
	अधिनियम के अंतर्गत सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिकः 4,05,000/-

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक				
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	श्री संजीव अग्रवाल, कम्पनी सचिव (31.08.2018 तक)	श्री डी. सहाय, मुख्य वित्तीय अधिकारी (30.11.2018 तक)	श्री आर. एस. चौहान, कम्पनी सचिव (31.08.2018 से)	योग
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(3) के अंतर्गत वेतन के अंतर्गत लाभ		41,06,468 1,32,175 -	42,29,528 2,69,770 -	11,30,717 1,00,008 -	94,66,713 5,01,953

2.	स्टॉक ऑप्शन		-	-	-	-
3.	स्वीट इक्विटी		-	-	-	-
4.	कमीशन – लाभ पर % के रूप में – अन्य निर्दिष्ट करें		-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		-	-	-	-
	योग		**42,38,643**	**44,99,298**	**12,30,725**	**99,68,666**

VII. जुर्माने / दंड / अपराधों की आवृत्ति

प्रकृति	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया जुर्माना / दंड / संचयी शुल्क	प्राधिकार (आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय)	अपील, यदि कोई हो, (विवरण दें)
क. कम्पंनी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संचयी	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संचयी	-	-	-	-	-
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संचयी	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों के संबंध में कम्पनी के मुख्य कार्यकारी तथा मुख्य वित अधिकारी/विभाग प्रमुख (वित्त एवं लेखा) द्वारा प्रमाणन/घोषणा।

हम, उषा पाढ़ी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा आशिष कुमार यादव, विभाग प्रमुख (वित्त एवं लेखा), पवन हंस लिमिटेड, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में यह प्रमाणित करते हैं कि :

(1) हमने वित्तीय वर्ष 2018–19 के वित्तीय विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं इस विश्वास के साथ की है कि:–

(क) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक तथ्य को हटाया नहीं गया है अथवा किसी भ्रम उत्पन्न कर सकने वाले विवरण को शामिल नहीं किया गया है; तथा

(ख) इन समग्र विवरणों से कम्पनी के कार्य की वास्तविक एवं सही प्रस्तुति होती है तथा ये विवरण विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमनो के अनुसरण में हैं।

(2) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

(3) हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने के अपने दायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी से संबद्ध वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन तथा प्रचालन की हमारी जानकारी में पाई गई खामियों, यदि कोई हैं, का प्रकटीकरण लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति के सम्मुख किया है तथा उसमें सुधार के लिए उचित उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने प्रस्तावित हैं।

(4) हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को, जहां लागू है, निम्नलिखित के बारे में अवगत करवाया है:–

(क) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो;

(ख) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में किए गए परिवर्तन, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट में किया गया है; तथा

(ग) हमारी जानकारी में कोई उल्लेखनीय धोखाधड़ी का मामला, यदि कोई हो, नहीं आया है जिसमें प्रबंधन अथवा कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका वाले किसी कर्मचारियों की किसी प्रकार की भागीदारी हो।

ह./–
(उषा पाढ़ी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 03348716

ह./–
(आशीष कुमार यादव)
विभाग प्रमुख (वित्त एवं लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 15.07.2019

आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करती हूं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कम्पनी को निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से संबंधित कम्पनी की व्यवसाय एवं आचार संहिता का अनुपालन किए जाने के प्रति पुष्टि प्राप्त हो गई है।

ह./–
(उषा पाढ़ी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 03348716

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.07.2019

वित्तीय अंश
2018–19 के लिए

आय के स्रोत

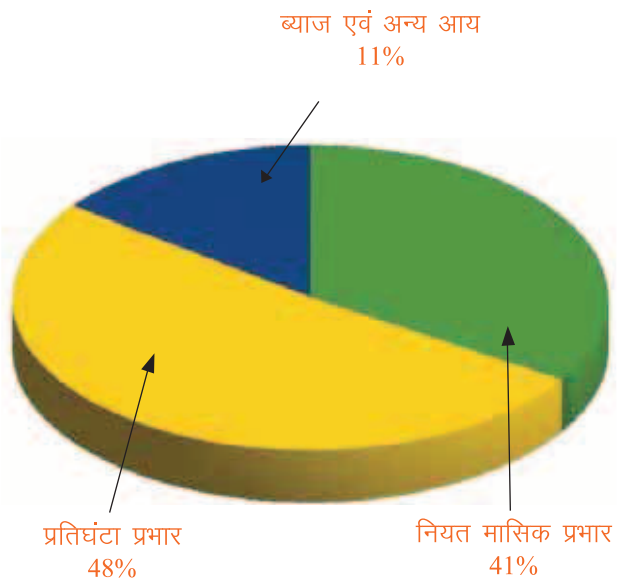

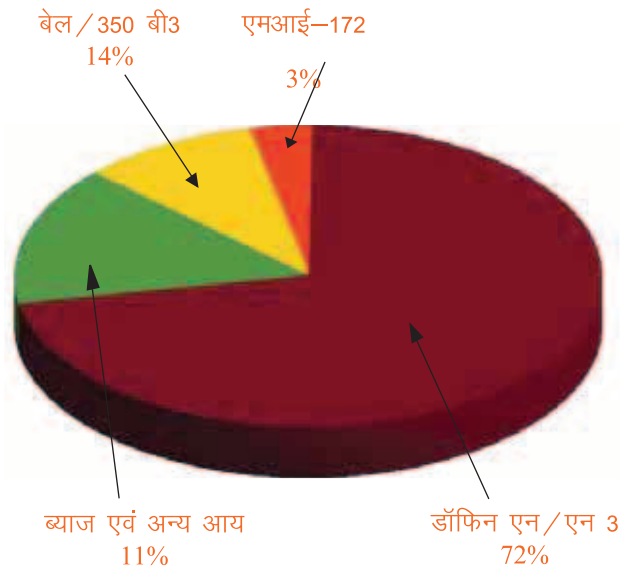

लागत संरचना

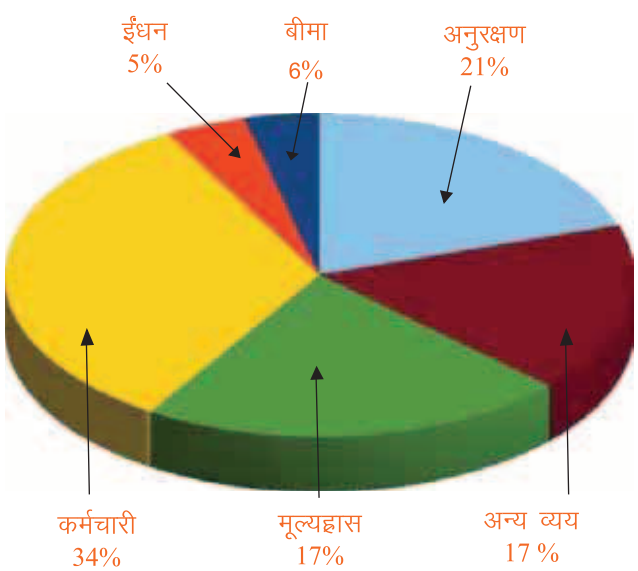

जनशक्ति विवरण

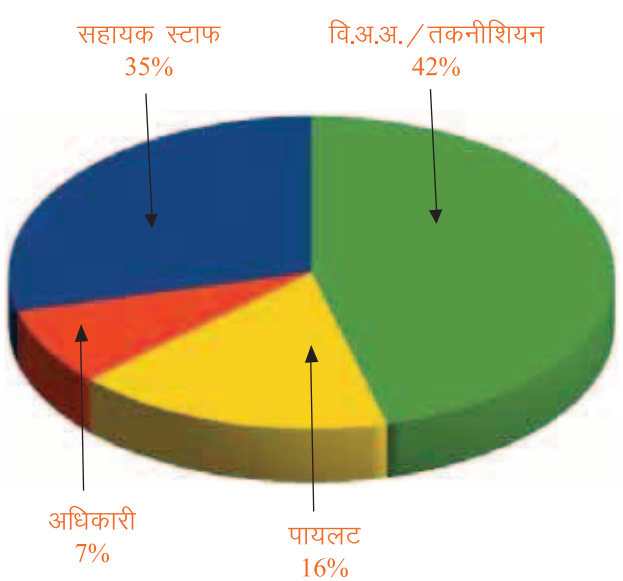

परिचालन से राजस्व, परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ

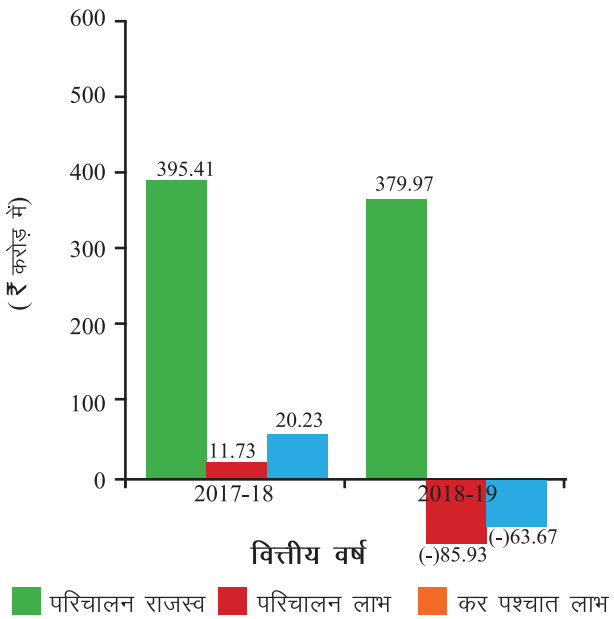

राजस्व उड़ान घंटे

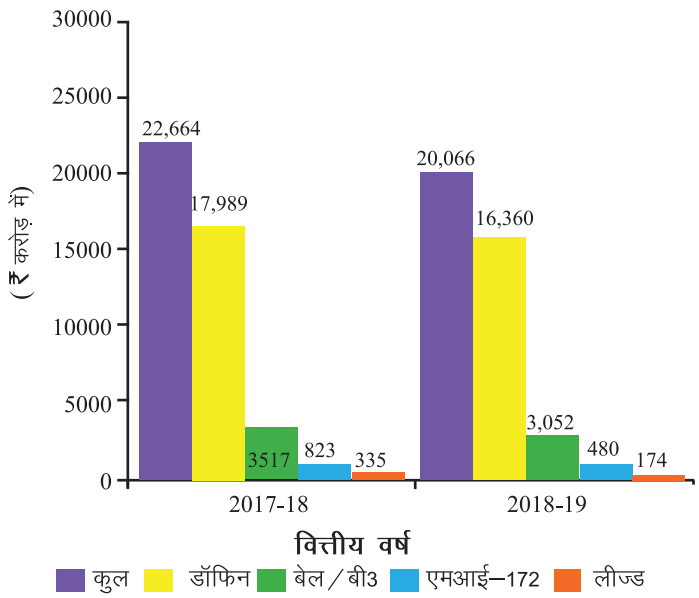

राजस्व

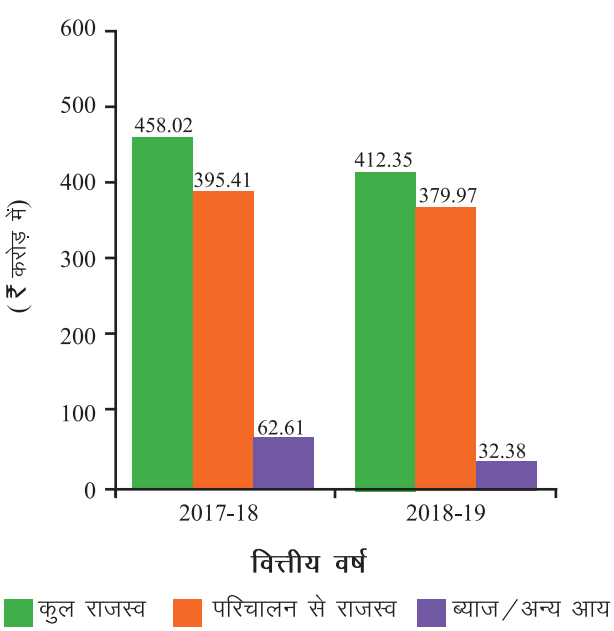

संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर

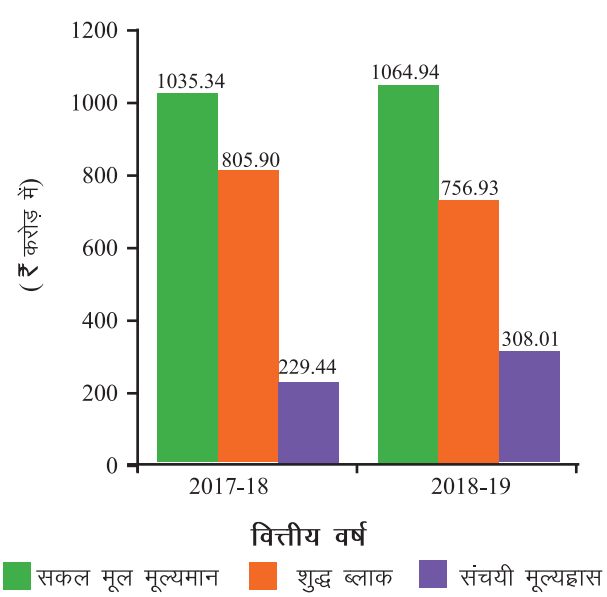

पवन हंस लिमिटेड
2014–15 से 2018–19 के संक्षिप्त लेखे

₹/लाख

विवरण	अनुपात	2018-19 (इंडएएस)	2017-18 (इंडएएस)	2016-17 (इंडएएस)	2015-16 (इंडएएस)	2014-15 (आईजीएएपी)
संसाधन						
निवल मूल्य		104875.38	111985.22	99269.95	59611.46	54112.98
गैर चालू देयताएं						
– ऋण निधियां सुरक्षित ऋण		-	1928.19	2497.72	16125.21	3868.36
– अन्य दीर्घावधिक देयताएं		67.8	108.80	163.41	34072.41	47136.58
– दीर्घाविधि प्रावधान		3470.57	3057.66	2854.91	2983.62	2723.57
– आस्थागित कर देयताएं		17280.8	20245.73	21515.18	18266.28	15769.69
योग		**125694.55**	**137325.60**	**126301.17**	**131058.98**	**123611.18**
संसाधनों का उपयोग						
नियत आस्तियां		106494.51	103533.39	101686.32	88747.63	146433.16
घटा : मूल्यह्रास		30800.86	22943.62	15123.26	7060.03	60157.47
शुद्ध नियत संपत्तियां		**75693.65**	**80589.77**	**86563.06**	**81687.60**	**86275.69**
पूंजीगत कार्य प्रगति पर		688.73	2158.57	677.30	5393.65	1804.33
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		542.35	603.71	601.71	609.42	7839.39
अन्य गैर चालू आस्तियां		7729.22	7124.85	9944.20	6336.58	227.24
अन्य वित्तीय आस्तियां		237.99	255.21	302.61	393.77	144.67
शुद्ध कार्यशील पूंजी		40802.61	46593.49	28212.29	36637.96	27319.86
		125694.55	137325.60	126301.17	131058.98	123611.18
प्रयुक्त पूंजी		**117184.99**	**129341.83**	**115452.65**	**123719.21**	**115399.88**
आय						
परिचालन से राजस्व		37997.08	39540.74	42763.93	45324.55	53814.71
ब्याज/अन्य आय		3238.35	6260.8	8009.12	3842.44	1155.38
योग		**41235.43**	**45801.54**	**50773.05**	**49166.99**	**54970.09**
व्यय						
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय		15910.47	11846.79	13132.58	11708.17	18093.82
कर्मचारी हितलाभ व्यय		17187.09	17375.7	15444.99	15168.50	15416.34
वित्तीय लागत		141.62	201.17	203.51	450.13	1749.35
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय		8432.96	8479.05	8082.5	7214.75	7652.34
अन्य व्यय		8156.06	6725.77	10216.92	5004.70	4740.12
योग		**49828.20**	**44628.48**	**47080.50**	**39546.25**	**47651.97**
असाधारण पूर्व वर्ष के लिए लाभ		(8,592.77)	1173.06	3692.55	9620.74	7318.1
आपवादिक मदें		-	-	33931.19	-	(144.67)
कर पूर्व लाभ		**(8,592.77)**	**1173.06**	**37623.74**	**9620.74**	**7173.4**
कराधान के लिए प्रावधान		-	3350.32	8943.02	1405.00	1720.00
घटाः मैट जमा लाभ		-	(2,784.06)	-	-	-
पूर्व वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान		(10.26)	(3.98)	42.10	-	165.85
आस्थगित कर देयता		(2,906.31)	(1,318.71)	3245.82	2498.53	1406.70
अन्य व्यापक आय		(129.27)	93.52	16.28	93.27	-
Profit/(Loss) from discountinued operation		(561.23)	-	-	-	-
कर पश्चात शुद्ध लाभ		**(6,366.70)**	**2,023.01**	**25409.08**	**5810.48**	**3880.90**
सार्थक अनुपात						
क) शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ /(हानि) / कुल राजस्व	-16.8%	5.1%	59.4%	12.8%	7.2%
ख) निवेश पर प्रतिफल	शुद्ध लाभ /(हानि) / प्रयुक्त पूंजी	-5.4%	1.6%	22.0%	4.7%	3.4%
निवल मूल्य पर प्रतिफल	शुद्ध लाभ /(हानि) / निवल मूल्य	-6.1%	1.8%	25.6%	9.7%	7.2%
ऋण वसूली की अवधि (माह)	निवल मूल्य परिचालनगत ऋण / औ.मा.परि. राजस्व	5.74	5.52	5.39	6.26	6.48
इंवैनट्र टर्नऑवर (माह)	वर्ष एवं इंनवेट्री	1.47	1.41	1.26	1.33	1.26
वर्तमान अनुपात	औ.मा.परि. राजस्व सी.ए. : सी.एल.	3.07	3.07	2.87	3.90	2.80
ऋण इक्विटी	ऋण/इक्विटी	-	0.03	0.10	0.66	0.16
	ऋण/निवल मूल्य	-	0.02	0.03	0.27	0.07

जे.पी. कपूर एंड उबेराय
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

पवन हंस लिमिटेड के सदस्यगण

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट

योग्य मत

1. *मरम्मत के लिए कलपुर्जे उपलब्ध न होने के कारण काफी लम्बे समय से ग्राउंड किए गए हेलीकॉप्टरों के संबंध में इंड एएस 36 ''परिसम्पत्तियों की क्षति'' का अनुपालन नहीं किया गया है। ग्राउंडिग की अवधि के दौरान राजस्व की उत्पति करने में असमर्थ 456.85 लाख रुपए की बही मूल्य के 4 हेलीकॉप्टरों के लिए परिसम्पत्तियों की क्षति के प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप ''सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण'' के संबंध में 456.85 लाख रुपए की अत्युक्ति तथा वर्ष के दौरान ''जारी प्रचालनों से हुई क्षति'' के अंतर्गत उक्त राशि की न्यूनोक्ति हुई है।*

2. *किसी करार की अवधि के दौरान करार के दायित्वों के निर्वाह की अनुमानित लागत प्रत्याशित आर्थिक लाभों से अधिक होने की स्थिति के लिए दुर्भर संविदा के प्रावधान न किए जाने के कारण इंड एएस37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां'' के बारे में अनुपालन नहीं किया गया है। प्रबंधन द्वारा अपनी लागत शीटों को संशोधित करने की प्रक्रिया की जा रही है जिससे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव को आंका नहीं जा सकता है।*

3. *व्यवसाय प्राप्यों की क्षति के मापन एवं स्वीकृति के लिए इंड एएस 109 ''वित्तीय उपकरण'' के अंतर्गत संभावित ऋण हानि (ईसीएल) माडल का अनुसरण नहीं किया गया है। पिछले अनेक वर्षों से संदेहास्पद ऋण के प्रावधानों में बढ़ोतरी के बावजूद भी प्रबंधन द्वारा संभाव्यता के मैट्रिक्स को आंके बिना ग्राहकों से बकाया की प्राप्ति का 100% दावा किया गया है। प्रबंधन द्वारा चूंकि ऋण की अवधि के आधार पर संभाव्यता मैट्रिक्स नहीं आंके गए हैं अतः इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव की मात्रा का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है।*

4. *विचाराधीन वर्ष के दौरान ऋणदाताओं तथा करार परिसम्पत्तियों एवं करार देयताओं के संचलन के प्रकटीकरण से संबंधित इंड एएस 115 ''करारों तथा ग्राहकों से राजस्व'' का अनुपालन नहीं किया गया है। चूंकि यह एक प्रकटीकरण अपेक्षा है अतः इससे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।*

5. *वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अपने सभी प्रमुख घटकों के संबंध में घटक लेखांकन का अनुसरण किया गया है। कम्पनी द्वारा हेलीकॉप्टर के चार प्रमुख घटकों यथा इंजन, मेन गियर बॉक्स (एमजीबी), अंतःस्थापित अनुरक्षण एवं हल्ल को संज्ञान में लिया गया है। कम्पनी की लेखांकन नीति के अनुसार, इन परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास प्रत्येक घटक के उड़ान घंटों के अनुमानित उपयोज्यता काल के आधार पर किया जाना है। तथापि, वास्तविक उड़ान घंटों के स्थान पर कम्पनी द्वारा अपने विमान बेड़े के औसत उड़ान घंटों को विचार में लिया गया है। इसके वर्ष के दौरान एमजीबी तथा इंजनों के ओवरहॉल की लागत का पूंजीयन लाभ एवं हानि विवरण में संबद्ध घटक के चार्जिंग ऑफ शेष को प्रभारित किए बिना सिंगल लाइन मद के रूप में किया गया है। विपूंजीकृत किए जाने वाले प्रत्येक घटक का संज्ञान चूंकि नहीं किया जा सका है अतः इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव का परिमाण आंका नहीं जा सकता है।*

6. *कम्पनी द्वारा घटक लेखांकन के अनुसार मूल्यह्रास का आकलन किए जाने के दौरान संज्ञान में लिए गए सभी घटकों के संबंध में पारगमन की तिथि अर्थात 1 अप्रैल, 2015 के लिए 'शून्य' उड़ान घंटे विचार में लिए गए हैं। तथापि, ऐसे घटक पहले से ही पूंजीयन किए जाने की तिथि से उपयोग में*

लाए जा रहे थे। हमें यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि 1 अप्रैल, 2015 को प्रत्येक घटक के वास्तविक उड़ान घंटों का संज्ञान किया जाना संभव नहीं है तथा इसे ध्यान में रखते हुए इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

7. *कम्पनी द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2015 अर्थात पारगमन की तिथि को सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वहन मूल्य को उपयोग में लगाया गया है। कम्पनी ने प्रत्येक डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर के सन्निहित अनुरक्षण के लिए 40 लाख रुपए तथा प्रत्येक डॉफिन एन हेलीकॉप्टर के सन्निहित अनुरक्षण के लिए 60 लाख रुपए विचार में लिए हैं। ऐसे निर्धारण को युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता है तथा तदनुसार इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव की मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।*

8. *योग्य मत के आधार के पैरा की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके खंड 3 से 7 में इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर या तो कोई प्रभाव न पड़ने अथवा मात्रा निर्धारण न किए जा सकने का उल्लेख किया गया है। खंड 1 के परिणामस्वरूप 'संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण'' में 456.85 लाख रुपए की घटत तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के आस्थगित कर एवं ईपीएस पर परिणामी प्रभाव के साथ ''जारी प्रचालनों से क्षति'' में 456.85 लाख रुपए की बढ़त होगी।*

हमने पवन हंस लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न इंड ए एस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं समाप्त वर्ष के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना (इसका उल्लेख एतद्वारा ''इंड एएस वित्तीय विवरणों'' के रूप में किया जाएगा) के साथ साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा पश्चिम क्षेत्र की लेखा परीक्षित रिपोर्ट शामिल की गई है।

हमारे मत तथा हमारे पास उपलब्ध सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त इंड एएस वित्तीय विवरण में, हमारी रिपोर्ट में 'योग्य मत का आधार' में वर्णित मामलों के प्रभाव के अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013, यथासंशोधित (''अधिनियम'') के अंतर्गत अपेक्षित सूचना की प्रस्तुति इस प्रकार की गई है कि इससे ऐसी सत्य एवं स्पष्ट छवि के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जा सकें जिनसे 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वर्ष में इस तिथि को समाप्त इसकी अन्य व्यापक आय, इसके रोकड़ प्रवाह एवं इक्विटी परिवर्तन एवं हानियों सहित कम्पनी की स्थिति कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली,2015 यथा संशोधित, (''इंड एएस'') के साथ पठनीय अधिनियम के खंड 133 में किए गए निर्धारण एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत हो सकें।

योग्य मत का आधार

हमारे द्वारा किया गया इंड ए एस वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा कार्य अधिनियम के खंड 143(10) में किए गए विनिर्देशन के अंतर्गत सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों का अनुसरण करते हुए किया गया है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का उल्लेख हमारी रिपोर्ट में *इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व खंड* में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम प्रावधानों तथा उसके अध्यधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखा परीक्षण सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ आचार अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया गया है। हमारा यह मानना है कि इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखा परीक्षा मत प्रस्तुत करने के आधार के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त एवं उपर्युक्त हैं।

विषय पर बल

1. वर्ष के दौरान 6 ग्राहकों को किसी करार/करार के विस्तार के अनुशेष पर हस्ताक्षर के बिना लगभग 6,636.60 लाख रुपए मूल्य की सेवाएं प्रदान की गई हैं। इससे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर होने वाले किसी प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

2. हमारे द्वारा की गई परीक्षण जांच के दौरान पूर्वी क्षेत्र के अनियत कर्मचारियों के संबंध में बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का अन्यथा अनुपालन, पूर्वी क्षेत्र में सीधे नियुक्त किए गए संविदारत तथा अनियत कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा अगरतला बेस में नियुक्त कुछ कर्मचारियों के संबंध में व्यवसायिक कर की कटौती न किए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं। इससे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

3. ''भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996'' के प्रावधानों के अनुसार प्रधान नियोक्ता के रूप में कम्पनी से वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूंजीयन किए गए रोहिणी हेलीपोर्ट, नई दिल्ली की कार्य संविदा के संबंध में ठेकेदार के बिल में से ब्याज एवं दंड के अलावा, यदि कोई हो, 1% श्रम उपकर के रूप में 52.70 लाख रुपए की कटौती किए जाने की अपेक्षा की गई थी। कम्पनी द्वारा न तो कटौती की गई है और न ही दिल्ली संघ राज्य में उपर्युक्त संविदा के लिए श्रम उपकर जमा करवाया गया है। इस राशि की वसूली चूंकि ठेकेदार से प्राप्त करके जमा करवाई जानी है अतः इससे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा परन्तु यह निरंतर जारी चूक है।

4. नोट संख्या 2 बी (vi) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में किए गए उल्लेख के अनुसार हेलीकॉप्टरों के उपयोज्यता काल को 20 वर्ष को आंतरिक तकनीकी समिति के सुझाव से डॉफिन/बेल/एक्यूरियल विमान बेड़े के लिए बढ़ाकर 35 वर्ष तथा एमआई बेड़े के लिए बढ़ाकर 30 वर्ष किए जाने का उल्लेख किया गया है जिससे वर्ष के दौरान कम मूल्यह्रास प्रभारित हुआ है और जिसके परिणाम के प्रभाव से इंड एएस वित्तीय विवरण में वर्ष के दौरान घाटा हुआ है। हमने यह देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड (एओजी) दिनों, ग्राहकों द्वारा परिनिर्धारित नुकसानी लगाए जाने में बढ़ोतरी होने, राजस्व उड़ान घंटों में कमी आने तथा कालातीत होने के कारण निर्माता/ओईएम से डॉफिन एएस 365एन कुछ वैमानिक कलपुर्जे प्राप्त न हो पाने के कारण हेलीकॉप्टरों को लम्बे समय तक ग्राउंड किए जाने की घटनाएं बड़ी हैं। यह चूंकि एक तकनीकी मामला है अतः हमने तकनीकी समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन को आधार माना है।

5. नोट संख्या 32 XVI की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें वर्ष 2016–17 के दौरान अस्थाई आधार पर रोहिणी हेलीपोर्ट का पूंजीयन किए जाने तथा ठेकेदार द्वारा मामला विवाचन के लिए प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है। दिनांक 3 जुलाई, 2019 को विवाचन निर्णय जारी किया जा चुका है, जिसके अनुसार दावेदार के दावों तथा पवन हंस लिमिटेड के आंशिक प्रति दावों के संबंध में स्वीकृति दी गई है। प्रबंधन द्वारा इस निर्णय की पुनरीक्षा आगे चुनौती दिए जाने अथवा अन्य उद्देश्यों से की जा रही है अतः इससे अचल परिसम्पत्तियों के पूंजीयन, परिणामी मूल्यह्रास तथा आकस्मिक देयताओं पर होने वाले किसी प्रभाव, यदि कोई हो, की मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

6. जीएसटी विवरण के संबंध में नोट संख्या 32X की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं प्राप्त/क्रय की गई सेवाओं के आंकड़ों के समाधान

की प्रक्रिया करके लेखा बहियों के सम्बद्ध विवरणों में स्वीकृति दी गई है। इंड एएस वित्तीय विवरणों पर बकाया समाधान, परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, की मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सका है।

7. व्यवसाय प्राप्य, व्यवसाय देय, दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक दायित्व, अन्य चालू दायित्व, दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम तथा जमा पर शेष की पार्टियों से सीमित पुष्टि प्राप्त हुई है। किसी भी प्रमुख पार्टी द्वारा शेष की पुष्टि नहीं की गई है तथा इससे, अंतर, यदि कोई हुए, का संज्ञान एवं समाधान नहीं किया जा सकेगा। बकाया पुष्टि एवं पुनःसमाधान उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव की प्रमात्रा नहीं आंकी जा सकती है।

8. नोट संख्या 32 XXVIII, जो इंड ए एस वित्तीय विवरणों का भाग है, में कम्पनी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कोई भी देयताएं बकाया नहीं हैं। तथापि, विचाराधीन वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की उपयोज्यता के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं से पर्याप्त पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है, इस कारण से हम उक्त कम्पनी अधिनियम के अनुपालन पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

9. पांच ग्राहकों से प्राप्य लगभग 634.61 लाख रुपए की राशि को संदिग्ध ऋण नहीं माना गया है। कम्पनी द्वारा इन पार्टियों को अब सेवाएं प्रदान नहीं दी जा रही हैं तथा इनसे वसूली किए जाने की कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। इसके परिणामस्वरूप ''व्यवसाय प्राप्य'' में 634.61 लाख रुपए की राशि की अत्युक्ति एवं ''जारी प्रचालनों से हानि'' के संबंध में समान राशि की न्यूनोक्ति हुई है।

10. कम्पनी को नागर विमानन महानिदेशालय से डिपोजिटरी आधार पर हडप्सर, पुणे में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी के निर्माण का अनुबंध प्राप्त हुआ था। कम्पनी द्वारा इसका उप–ठेका एनबीसीसी को दिया गया था तथा यह परिसम्पत्ति कम्पनी को वर्ष 2016 में सौंप दी गई थी। कम्पनी के पास नागर विमानन महानिदेशालय को इसे सौंपे जाने के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। भवन का न तो कोई बीमा करवाया गया है और न ही वहां कोई सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। भवन में किसी प्रकार की चोरी/क्षति होने का खामियाजा कम्पनी को भुगतना पड़ सकता है।

11. कम्पनी द्वारा एनएफटीआई में निवेश किए गए हैं जो पिछले कुछ वर्षों से घाटे पर है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कम्पनी द्वारा एनएफटीआई में किए गए निवेश के प्रति क्षति के संबंध में 211.68 लाख रुपए के प्रावधान किए गए हैं। प्रबंधन खाते प्राप्त न होने के कारण वर्ष 2018–19 के लिए ऐसे कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। प्रबंधन खाते की लंबित प्राप्ति के कारण इंड एएस वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव के परिमाण का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

12. लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान संलग्न वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार हमारे सम्मुख आंतरिक नियंत्रणों से संबंधित अनेक भिन्नताएं प्रस्तुत हुई हैं। इस प्रकार आंतरिक लेखा परीक्षण को ओर अधिक सुदढ़ बनाया जाना तथा सभी विभागों, विशेषतः अचल परिसम्पत्ति प्रबंधन, अधिप्राप्ति प्रक्रिया, बोली प्रक्रिया, राजस्व लेखांकन, सांविधिक अनुपालन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण के क्रियाकलापों का कम्पनी के प्रचालनों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप गहन सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त इंड एएस विवरणों और निम्नलिखित अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं के संबंध हमारे तम में उपर्युक्त मामले के संबंध में आशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

क्र.सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	निहित महत्वपूर्ण अनुमानों वाले निर्दिष्ट मूल्य के अनुबंधों के संबंध में राजस्व एवं दुर्भर दायित्वों की सटीकता: मूल्यांकित प्रयासों से ही राजस्व तथा दुर्भर दायित्वों के महत्वपूर्ण अनुमान निर्धारित किए जा सकते हैं। ऐसे अनुमान के अंतर्गत अनुबंध की प्रगति पर विचार तथा शेष अनुबंध निष्पादन दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित लागतों की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।	हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में विभिन्न प्रकार के परीक्षण तथा प्रमुख प्रक्रियाओं को उपयोग में लाया गया था जिनमें निम्नलिखित शामिल है:– • प्रयुक्त प्रयासों की रिकार्डिंग से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रणों के अभिकल्प तथा निष्पादन दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित प्रयासों का मूल्यांकन करना। • प्रयुक्त प्रयासों की रिकार्डिंग में अनाधिकृत बदलाव से बचाव के लिए टाइम रिकार्डिंग, विनियोजन एवं बजट व्यवस्थाओं से संबंधित ऐक्सेस एवं उपयोज्यताओं के नियंत्रणों का परीक्षणकरना। • संविदाओं के नमूने चयन किए तथा इन नियंत्रणों के साक्ष्यों की जांच के माध्यम से प्रयुक्त एवं अनुमानों के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का परीक्षण किया। • लागतों के संबंध में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के संज्ञान के लिए संविदाओं के नमूने चयन किए तथा यह सत्यापन किया कि क्या संविदा को पूरा करने के लिए शेष प्रयासों का निर्धारण करते समय ऐसी भिन्नताओं को विचार में लिया गया है अथवा नहीं। • संविदाओं के नमूनों से अलेखित राजस्वों, यदि कोई हो, का संज्ञान होने पर पुनरीक्षा की गई। • विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का निष्पादन किया तथा प्रयुक्त एवं अनुमानित प्रयासों का औचित्य ज्ञात करने के लिए विस्तृत परीक्षण किया गया।
2.	**मुकदमें** कम्पनी ऐसे उद्योग में अपने प्रचालन करती है, जो पूरी तरह से विनयमित है तथा जिससे अंतर्निहित मुकदमों के जोखिम बढ़ते हैं। कम्पनी श्रमिक मामलों तथा यात्रियों द्वारा किए जाने वाले दावों जैसे अनेक कानूनी मामलों से जूझ रही है। इसके लिए कृपया वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32II से संदर्भ प्राप्त करें।	**निष्पादित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं :** • हमारे द्वारा प्रावधानों के निर्धारण के संबंध में प्रभावी प्रचालनात्मकता के सुनिश्चय के लिए कम्पनी के नियंत्रणों के डिजायन तथा प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का मूल्यांकन एवं परीक्षण किया गया है। • प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए मुकदमों के विवरण का अध्ययन किया गया तथा उनके संबंध में विवरण में शामिल मामलों सहित कम्पनी के विधि प्रमुख के साथ चर्चा की गई।

		• हमारे द्वारा मामलों से संबद्ध पत्रव्यवहार का परीक्षण किया गया। कम्पनी द्वारा स्वीकृत प्रावधानों के निरूपण एवं पूर्णता के उद्देश्य से आकलन की जांच की गई। • हमारे द्वारा प्रमाणन योग्य, संभाव्य विधि प्रावधानों के समायोजन तथा कम्पनी द्वारा तैयार किए गए रिमोट विश्लेषण का भी मूल्यांकन किया गया।
3.	**अनिश्चित कर स्थितियां** कम्पनी द्वारा अपने प्रचालन एक जटिल कर परिवेश में किए जाते हैं तथा अपने सामान्य व्यवसाय संव्यवहार के दौरान इसके सम्मुख अनेक प्रकार के कर जोखिम होते हैं। कम्पनी द्वारा किए जाने वाले संव्यवहार जटिल, आलोचनात्मक प्रकार के होते है तथा इनके प्रति कर प्राधिकरणों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ व्ययों के संबंध में प्रदान की गई अनुमति तथा कम्पनी द्वारा अतिरिक्त समर्थित दस्तावेजों के संबंध में की जाने वाली स्वीकृति भी प्राधिकरणों के साथ किसी जारी विवाद का मुद्दा बन सकती हैं। कृपया वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32 II से संदर्भ प्राप्त करें।	**निष्पादित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं :** • हमारे द्वारा अनिश्चित कर स्थितियों के प्रावधानों पर प्रभावी प्रचालनात्मकता के सुनिश्चय के लिए कम्पनी के नियंत्रणों के डिजायन एवं प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का मूल्यांकन एवं परीक्षण किया गया है। • अपने कर विशेषज्ञों के सहयोग से हमने कम्पनी के कर प्रावधानों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए कर जोखिमों तथा आकस्मिकताओं के अनुमानों पर प्रबंधन निर्णयों का मूल्यांकन किया है। • प्रबंधन निर्णयों के प्रति अनुकूलता एवं मूल्यांकन के लिए हमारे द्वारा मामलों से संबंधित पत्रव्यवहार का परीक्षण, वर्तमान एवं चालू कर प्राधिकरण पूछताछ की स्थितियों पर विचार, कर विवरणों से संबंधित विवेकसम्मत निर्णयों तथा चालू वर्ष के अनुमानों एवं कर परिवेश में की जाने वाली प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया गया है।

अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना की प्रस्तुति के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गई सूचना शामिल होती है परन्तु इसमें इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी प्रकार से उसके संबंध में किसी आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व इसमें दी गई सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रूप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं किया गया है। यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आभास होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा हमसे की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल इन इंड एएस वित्तीय विवरणों, जो कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथा संशोधित के साथ पठनीय अधिनियम,

के खंड –133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अन्य विस्तृत आय, रोकड़ प्रवाह तथा इक्विटी परिवर्तन सहित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन के संबंध में वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के खंड 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमतताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालनकर रही थी और जो इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतिकरण के लिए संगत हैं तथा जिनसे वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत होती है और जिसमें किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विववरण,चाहे जालसाजी के कारण हों अथवा त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण किया जाना भी शामिल है।

इन इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने,गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से संबंद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी रखना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों,का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप के अनुसार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों के लिए यह व्यवस्था प्रभावी है अथवा नहीं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन

द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्नके लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसीप्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखा परीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परिक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित इंड एएस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहारएवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरण अलग अलग अथवा सामुच्य की वस्तुपरक जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनसे वित्तीय विवरणों का औचित्य ज्ञात करने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, तथा (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक प्रमात्रा के गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को हमने उन मामलों का विवरण भी दिया है जिनका समेकन हमारे द्वारा स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार अपेक्षाओं के अनुसार किया गया था तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से उन मामलों का निर्धारण भी किया है, जो 31 मार्च, 2019 के इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखा परीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

अन्य मामले

1. हमारे द्वारा कम्पनी के इंड ए एस वित्तीय विवरणों में सम्मिलित पश्चिम क्षेत्र के वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना का लेखा परीक्षण नहीं किया गया है जिसके इंड एएस वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2019 की को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार कुल परिसम्पत्तियां 92,189.83 लाख रुपए तथा कुल राजस्व 22,340.11 लाख रुपए और कुल रोकड़ प्रवाह 1,176.41 लाख रुपए शामिल है। इन इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं का लेखा परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है तथा जिनके वित्तीय विवरण, अन्य वित्तीय सूचना तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है। तदनुसार, इंड ए एस वित्तीय विवरणों में शामिल पश्चिम क्षेत्र से संबंधित राशियों एवं प्रकटीकरणों के लिए हमारा सुझाव तथा अधिनियम के खंड 143 के खंड

(3) के उपबंधों के अनुसार हमारी रिपोर्ट ऐसे अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में ऊपर प्रस्तुत हमारा मत तथा विधिक एवं विनियमाक अपेक्षाओं के संबंध में नीचे प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट में उपर्युक्त मामले के संबंध में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम के खंड 143 के उप खंड (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 तथा 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक हम **अनुलग्नक–क** में प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. अधिनियम के खंड 143(3) की अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने, *'योग्य मत के आधार' के पैराग्राफ में की गई टिप्पणी की शर्त* के साथ, वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं;

ख) हमारे मतानुसार, *'योग्य मत के आधार' के पैराग्राफ में की गई टिप्पणी की शर्त के साथ, विधि अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है तथा ऐसा अब तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है। तथापि, हमने यह देखा है कि कम्पनी द्वारा पुराने प्रकार के ऐसे लेखांकन पैकेज का उपयोग किया जा रहा है जो कि अब प्रचलन में नहीं है तथा चालू अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए इसका उन्नयन/परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है;*

ग) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम के खंड 143(8) के अंतर्गत लेखा परीक्षित कम्पनी के पश्चिम क्षेत्र के लेखों का लेखा परीक्षण करके हमें भेजा गया है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए उसके संबंध में उचित अनुकूलन किया गया है;

घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ–हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

ङ) हमारे मतानुसार, *'योग्य मत के आधार' के पैराग्राफ में की गई टिप्पणी की शर्त के साथ,* उपर्युक्त इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथा संशोधित, के साथ पठनीय अधिनियम के खंड 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक(इंड एएस) से संगत हैं;

च) एक सरकारी कम्पनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की जीएसआर 463(ई) के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं;

छ) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख **'अनुलग्नक 'ख''** में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है;

ज) केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 463(ई) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के कारण अधिनियम के खंड 197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं;

झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

i. कम्पनी ने अपने इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है–इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट संख्या 32(II) का संदर्भ लें;

ii. *कम्पनी द्वारा लागू कानून अथवा लेखांकन मानकों के अंतर्गत दीर्घकालिक संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों के संबंध में लागू यथापेक्षित प्रावधान नहीं किए हैं।* कम्पनी में कोई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं। पश्चिम क्षेत्र के लेखापरीक्षकों द्वारा निम्नलिखित सूचना दी गई है:–

"कम्पनी द्वारा डैरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घकालिक संविदाओं के संबंध में सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हों, के लिए विधि अथवा इंड एएस के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किए गए हैं।"

iii. ऐसी कोई राशियां नहीं थी, जिन्हें कम्पनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने आवश्यकता हुई हो। तदनुसार, ऐसी राशियों के अंतरण में देरी होने का प्रश्न नहीं उठता है।

3. अधिनियम के खंड 143(5) की कम्पनी के संबंध में लागू अपेक्षाओं तथा महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेश के अनुसार प्राप्त निष्कर्ष इस रिपोर्ट के **"अनुलग्नक–ग"** में प्रस्तुत किए गए हैं।

कृते जे.पी. कपूर एंड उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000593एन

विनय जैन
साझीदार
सदस्यता संख्याः 095187

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 15 जुलाई, 2019

31 मार्च,2019 को समाप्त वर्ष के इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर पवन हंस लिमिटेड के सदस्यों को संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'।

(i) क) पश्चिम क्षेत्र में कम्पनी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक एवं स्थिति के पूर्ण विवरण दर्शाने वाले रिकार्ड का उचित अनुरक्षण किया गया है। उत्तरी क्षेत्र तथा निगमित कार्यालय के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर का रखरखाव किया गया है, *तथापि, कुछ मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं जिनमें अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति का विवरण नहीं दिया गया है।*

ख) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर कम्पनी में अचल परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए नियमित कार्यक्रम स्थापित है जिसके अंतर्गत सभी अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध पद्धति से तीन वर्ष की अवधि में किया जाता है। वर्ष के दौरान उत्तरी क्षेत्र के कुछ विभागों में भौतिक सत्यापन किया गया था तथा कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई थी। वर्ष के दौरान पश्चिम क्षेत्र तथा इसके डिटेचमेंटों में भौतिक सत्यापन किया गया था। भौतिक सत्यापन के अनुसार बहियों के शेष का समाधान किए जाने का कार्य शेष है। वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्यालय तथा पूर्वी क्षेत्र एवं इसके बेसों में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेट कार्यालय में पिछला भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान किया गया था तथा बही शेष में से संज्ञान में लाई गई भिन्नताओं को भौतिक सत्यापन के अनुसार सम्बद्ध विभागों को समाधान के लिए भेजा गया है, जिसकी कार्रवाई अभी लंबित है। हमारे मतानुसार *भौतिक सत्यापन की इस अवधि को प्रबंधन द्वारा सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा कम्पनी के आकार तथा परिसम्पत्तियों की प्रकृति को विचार में लेते हुए विमान एवं अतिरिक्त इंजनों सहित इसके प्रमुख घटकों का सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वर्ष के अंत में 5,373.97 लाख रुपए के सकल मूल्य के रोटेब्ल्स मरम्मत के लिए भिजवाए गए थे जो मूल उपकरण निर्माता के पास रखे हुए हैं। इसके लिए कम्पनी एक मूल उपकरण निर्माता से इन रोटेब्ल्स का धारण कम्पनी के लिए करने के संबंध में पुष्टि नहीं प्राप्त कर पाई है।*

ग) *इंड ए एस वित्तीय विवरणों में सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के नोट संख्या 3 में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार अचल परिसम्पत्तियों के हक विलेख कम्पनी के नाम हैं जो रोहिणी हेलीपोर्ट के अलावा, जिसकी भूमि का स्वामित्व नागर विमानन मंत्रालय के पास है एवं पश्चिम क्षेत्र में आवास भवन (जेएचसी) के अलावा जिसका हक विलेख कम्पनी के नाम पर इसलिए नहीं है कि इसकी भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम पर है तथा कम्पनी द्वारा इस भूमि पर फ्लैट निर्मित किए गए हैं जो आंशिक रूप से पट्टे पर 25 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त किए गए हैं।*

(ii) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, तृतीय पक्षकारों के पास रखी एवं मार्गस्थ माल की मालसूचियों के अलावा, उत्तरी क्षेत्र में विचाराधीन वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया है तथा किसी प्रकार की कोई वस्तुगत अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। पश्चिम क्षेत्र के मामले में, मार्गस्थ माल के अलावा, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है तथा इस सत्यापन से किसी प्रकार की वस्तुगत अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। डिटेचमेंट के भंडार एवं पुर्जों का मामलों का निवारण क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा वर्ष के अंत में किया जाता है तथा डिटेचमेंट के भंडार एवं पुर्जों के अंत

शेष को संबंधित डिटेचमेंट द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर रिकार्ड में लिया जाता है तथा ऐसा होने से इसके लिए सीमित नियंत्रण की व्यवस्था की गई है, *अतः नियंत्रण प्रक्रिया सीमित है क्योंकि स्टॉक रिकार्ड का मैनुअल अनुरक्षण डिटेचमेंट में किया जा रहा है।*

(iii) प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा कम्पनियों, फर्मों अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में समाहित अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, रक्षित अथवा अनारक्षित, प्रदान नहीं किया गया है। तदनुसार आदेशों के खंड 3(iii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड की जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 185 तथा 186 किसी प्रकार के ऋण अथवा उनमें कोई निवेश, अथवा उन्हें किसी प्रकार की गारंटी अथवा प्रतिभूति प्रदान नहीं किए गए है। तदनुसार आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कम्पनी के लिए लागू नहीं होते हैं ।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यथाउल्लिखित और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत गठित नियमों के अनुच्छेद 73 से 76 के प्रावधानों या किन्हीं अन्य संगत प्रावधानों के अनुसार कोई जमा स्वीकार नहीं की है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3(v) कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

(vi) प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 148 के उप–खंड (1) के अंतर्गत कम्पनी द्वारा प्रदत्त सेवाओं अथवा बेचे जाने वाले सामान के लिए लागत रिकार्ड का अनुरक्षण किए जाने का निर्धारण नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(vi) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(vii)क) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी की लेखा बहियों में राशियों की कटौती/प्राप्ति के रिकार्ड की जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य संवर्धित कर तथा उपकर लागू अन्य सभी अविवादित सांविधिक देयताओं के संबंध में सामान्यतः वर्ष के दौरान संबंधित प्राधिकरणों को नियमित रूप से भुगतान किया गया है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उत्पाद कर के लिए कम्पनी द्वारा भी बकाया देय नहीं है।

हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य संवर्धित कर,माल एवं सेवा कर तथा उपकर लागू अन्य सभी देयताओं के 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार उनकी देयता से छः माह की अवधि से अधिक बकाया नहीं थे, जो सिवाय पश्चिम क्षेत्र के लिए 13.81 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी के अलावा हैं जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

ख) हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नानुसार किए गए उल्लेख के अलावा 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कम्पनी द्वारा संबंधित प्राधिकरण में किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आय कर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर,

सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, तथा उपकर की कोई देयता बकाया नहीं है :–

क्र. सं.	विधान विवरण	देयता का स्वरूप	राशि (रुपए लाख में)*	राशि से संबद्ध अवधि	विवादित मामला कहां लंबित है
1.	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	वीएटी, ब्याज एवं जुर्माना	11,168.96	वि.व. 2006–07	अपीलिय ट्रिब्यूनल, वीएटी, दिल्ली
2.	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	वीएटी, ब्याज एवं जुर्माना	11,367.74	वि.व. 2007–08	अपीलिय ट्रिब्यूनल, वीएटी, दिल्ली
3.	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	वीएटी, ब्याज एवं जुर्माना	13,536.64	वि.व. 2008–09	अपीलिय ट्रिब्यूनल, वीएटी, दिल्ली
4.	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	वीएटी, ब्याज एवं जुर्माना	13,406.55	वि.व. 2009–10	अपीलिय ट्रिब्यूनल, वीएटी, दिल्ली
5.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	533.31 (71.21)	वि.व. 2009–10	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
6.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	465.64	वि.व. 2010–11	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
7.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	552.01	वि.व. 2011–12	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
8.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	274.11 (50.51)	वि.व. 2012–13	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
9.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.42 (0.08)	वि.व. 2013–14	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
10.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	173.68 (29.19)	वि.व. 2014–15	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
11.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	245.58	व.व. 2015–16	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
12.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	277.66	वि.व. 2016–17	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
13.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	13.85	वि.व. 2017–18	अधिनिर्णय प्राधिकरण, सीजीआईटी, मुम्बई पश्चिम
14.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	क.रा.बी.अंशदान एवं ब्याज	23.41	वि.व. 2012–13 से अगस्त 2016	जिला न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली
15.	आय कर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज के प्रति अस्वीकृति	2,997.00 (1,055.04)	मू.व. 1997–98	आईटीएटी, दिल्ली
16.	आय कर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज के प्रति अस्वीकृति	2,975.00 (3,536.36)	मू.व. 1998–99	आईटीएटी, दिल्ली
17.	आय कर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज के प्रति अस्वीकृति	2,650.00 (3,292.78)	मू.व. 1999–00	आईटीएटी, दिल्ली
18.	आय कर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज के प्रति अस्वीकृति	4,742.00 (5,047.84)	मू.व. 2000–01	आईटीएटी, दिल्ली
19.	आय कर अधिनियम, 1961	व्यय एवं ब्याज के प्रति अस्वीकृति	2,556.00 (3,278.93)	मू.व. 2001–02	आईटीएटी, दिल्ली

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े या तो विरोध सहित राशि जमा करवाने अथवा प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी को देय धनवापसी की राशि को रोके जाने से संबंधित हैं।

हमारे मतानुसार एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के ऋणों के प्रति कोई चूक नहीं की गई है। इसके अलावा, सरकार से कोई ऋण अथवा उधार प्राप्त नहीं किए गए हैं तथा 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कोई डिबेंचर जारी नहीं किए गए थे।

(viii) कम्पनी द्वारा किसी प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा किसी आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) तथा आवधिक ऋणों के माध्यम से धन की उत्पति नहीं की गई है।

(ix) हमें प्रदान की गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान वर्ष के दौरान कम्पनी अथवा इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरूद्ध अथवा कम्पनी द्वारा की गई किसी प्रकार की धोखेबाजी की सूचना प्रकाश में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है, जो कि पश्चिम क्षेत्र में दमन डिटेचमेंट के तात्कालिक बेस सहायक द्वारा 3.56 लाख रुपए की एक अपाहरित राशि के अलावा, जो दमन एवं दीव प्रशासन की ओर से टिकटें जारी करने के लिए संग्रहित की गई थी, की घटना के अलावा है।

(x) एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड संख्या (xi) के अंतर्गत दिनांक 5.6. 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन पारितोषिक से संबंधित मामले कम्पनी के लिए लागू नहीं हैं।

(xi) हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(xii) कम्पनी के मामले में लागू नहीं होता है।

(xii) हमारे मतानुसार एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा संबद्ध पक्षकारों से किया गया लेन देन व्यवहार, जहां लागू हो, कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 177 तथा 188 के अनुसरण में किया गया है तथा इसके संबंध में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार इंड ए एस वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटीकरण किया गया है।

(xiii) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों के राइट इश्यू जारी किए गए हैं। तथापि, इसके द्वारा विचाराधीन वर्ष के दौरान शेयरों तथा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए किसी प्रकार का अधिमान्य आबंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया गया है।

(xiv) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर कम्पनी द्वारा निदेशकों अथवा उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर–नकदी लेन व्यवहार नहीं किया गया है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(xv) कम्पनी के लिए लागू नहीं होता है।

(xv) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–। ए के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी से पंजीकरण करवाना अपेक्षित नहीं किया गया है।

कृते जे.पी. कपूर एंड उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000593एन

विनय जैन
साझीदार
सदस्यता संख्याः 095187

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 15 जुलाई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पवन हंस लिमिटेड के स्टैं इंड ए एस वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समान तिथि का अनुबंध 'ख'

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड वाक्य (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार पवन हंस लिमिटेड ("कम्पनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा किए गए इंड ए एस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबंधन भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (दिशानिर्देश नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखकर कम्पनी द्वारा स्थापित किए गए अनिवार्य घटकों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्वों में कंपनी की नीतियों के साथ साथ इसके व्यवसाय,इसकी परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व चूकों, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता एवं सम्पूर्णता तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टों की सामयिक प्रस्तुति के सुनिश्चय के लिए प्रभावशाली रूप से कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व शामिल है।

लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। हमारे द्वारा किया गया लेखा परीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शी नोट तथा लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(10) में निर्धारित माने गए, आंतरिक लेखा परीक्षण के लिए यथासंभव लागू, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लागू हैं, तथा दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट की अपेक्षाओं के अनुसार हमसे नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करते हुए लेखा परीक्षण की योजना बनाकर एवं निष्पादन करते हुए यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना की गई है अथवा नहीं तथा क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावपूर्ण एवं प्रत्येक वस्तुगत दृष्टि से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं।

हमारे लेखा परीक्षण में प्रक्रियाबद्ध निष्पादन के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के लेखा परीक्षण प्रमाण एकत्र करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में जोखिमों के आकलन, किसी वस्तुगत दोष की उपस्थिति, तथा मूल्यांकित जोखिमों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण पर डिजाइन तथा प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का परीक्षण एवं मूल्यांकन के प्रति अनुकूलता प्राप्ति भी शामिल है। इंड एएस विवरणियों के वस्तुपरक मिथ्याकथन, जालसाजी अथवा चूक के कारण, के जोखिमों के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के विवेकानुसार किया जाता है।

हमारी ऐसा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्यवस्था पर हमारे मान्य सुझावों की प्रस्तुति के आधार के लिए हमें प्राप्त लेखा परीक्षण प्रमाण उचित एवं पर्याप्त हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों से वित्तीय विवरणों के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त होते हों। किसी कम्पनी

की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए नीतियां एवं प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं, जिनके अनुसार (1) रिकार्डों का अनुरक्षण इस प्रकार किया जाना होता है कि उसमें औचित्यपरक विवरण, परिशुद्धता तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संबंध में लेन देन व्यवहार तथा विन्यास की छवि स्पष्ट प्रतीत होती हो; (2) जिससे यह औचित्यपरक आश्वासन की प्राप्ति होती हो कि किए गए लेन देन व्यवहारों को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों के अनुमत्त निर्माण की आवश्यकता के अनुरूप रिकार्डबद्ध किया गया है तथा कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय की प्रविष्टि केवल कम्पनी के प्रबंधन तथा निदेशकों से प्राधिकार प्राप्ति के पश्चात की गई है; तथा (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संबंध में वित्तीय विवरणों पर सामग्रीगत प्रभाव करने वाले कम्पनी की परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के संबंध में रोकथाम अथवा समय पर जानकारी प्राप्त होने का औचित्यपरक आवश्वासन प्राप्त होता हो।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित बाध्यताएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित बाध्यताओं के कारण सांठ गांठ अथवा नियंत्रणों पर लंघन द्वारा अनुचित प्रबंधन, चूक अथवा धोखेबाजी के कारण गलत बयानी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं तथा उनका पता नहीं भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में भावी अवधियों के लिए किए जाने वाले मूल्यांकन के अनुमानों में भी इस जोखिम से परिपूर्ण होते हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के कारण इनके अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

योग्य मत

हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के अनुसार, केवल पश्चिम क्षेत्र के अलावा जिसका लेखापरीक्षण शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है, *कम्पनी में आरसीएम एवं लक्ष्य, प्रक्रिया एवं उनसे संबंधित जोखिम के अंतर की ट्रेकिंग से युक्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण सहित आंतरिक नियंत्रण को सुचारू बनाने के लिए विस्तृत मॉडल का प्रलेखन नहीं किया गया है। मॉडल के परीक्षण एवं स्थापित प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभाव्यता की समीक्षा के दौरान पर्याप्तता के डिजायन एवं अचल परिसम्पत्ति प्रबंधन, अधिप्राप्ति प्रक्रिया, बोली प्रक्रिया, राजस्व लेखांकन, सांविधिक अनुपालन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण की प्रभाव्यता में अंतर पाए गए हैं। इसके अलावा, बेसों पर भी व्ययों के संबंध में समेकित प्रविष्टियां की जाती हैं अर्थात व्ययों की स्वीकृति देर से की जाती है, जिसके कारण टीडीएस एवं जीएसटी जैसी सांविधिक देयताएं प्रभावित होती हैं। हमारा ध्यान 10,000 रुपए से अधिक के नकद भुगतान की कुछ घटनाओं की ओर भी आकर्षित हुआ है। रोहिणी हेलीपोर्ट, चंडीगढ़ के हेलीटैक्सी प्रचालनों तथा श्री केदारनाथ यात्रा, 2018 के संबंध में विलम्बित टिकट बिक्री/गैर–समाधान किए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं। आईटी साफ्टवेयर के पुराने वर्जन के कारण इंड एएस तथा जीएसटी के वित्तीय विवरणों की उत्पति नहीं हो सकती है। ऐसे भी कुछ मामले प्रकाश में आएं जिनमें डीओपी उल्लंघन हुए हैं अथवा निविदाओं के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया है। कुछ मामलों में हमने यह देखा है कि अनुमोदन के लिए स्थापित ई–फाइल सिस्टम में गतिरोध उत्पन्न करके ऑफलाइन/मैनुअल नोट शीटों पर अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। कुछ कर्मचारियों से संबंधित गलत इनपुट डाटा बीमांकन मूल्यांकन के लिए भेजा गया है। भर्ती पर रोक होने के बावजूद भी कम्पनी द्वारा काफी लम्बे समय से संविदारत कर्मचारियों तथा परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जा रहा है। विधिक मामलों के आंतरिक नियंत्रण तथा आकस्मिक देयताओं की परिमाण निर्धारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, नोट संख्या XXII सी) में किए गए उल्लेख के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी में हुई जालसाजी का पता चला है जिसके मूल कारण को ज्ञात करने के लिए विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की आवृत्ति को कमतर किया जा सके। मछेल माता यात्रा, 2018 के दौरान संग्रहित रोकड़ एवं जमा रोकड़ में भिन्नता है, कुछ कर्मचारियों के संबंध में हित विरोध तथा कुछ कर्मचारियों के गैर–रोटेशन के कारण जालसाजियों में बढ़ोतरी हो सकती है।* हमारे

मतानुसार, नियंत्रण मानदंडों के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में ऊपर उल्लिखित सामग्रीगत कमी/कमियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों के अलावा कम्पनी द्वारा सामग्रीगत स्वरूप में प्रत्येक वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रक्रिया का अनुरक्षण किया गया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण के मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों के अनुरूप कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए की गई स्थापना के आधार पर 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमने संज्ञान में लाई गई प्रत्येक सामग्री कमजोरी/कमजोरियों तथा उपर्युक्तानुसार 31 मार्च, 2019 की स्थिति के लिए कम्पनी के इंड ए एस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए उपयोग में लाई लेखा परीक्षण की प्रकृति, समय उपर्युक्ता एवं विस्तार पर विचार किया है तथा हमारे मतानुसार ये सामग्रीगत कमजोरियां कम्पनी के इंड ए एस वित्तीय विवरणों को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते जे.पी. कपूर एंड उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000593एन
विनय जैन
साझीदार
सदस्यता संख्याः 095187

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 15 जुलाई, 2019

31 मार्च, 2013 को समाप्त पवन हंस लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित इंड एएस वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(5) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रभाव
1.	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	जी, हां। कम्पनी में सभी लेखा संव्यवहारों की प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था स्थापित है तथा कोई भी संव्यवहार सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग नहीं किया जाता है।	शून्य
2.	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध मं कम्पनी ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा/किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी में किसी विद्यमान ऋण की पुनर्संरचना करने अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए ऋण की अदायगी करने की असमर्थता के कारण उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में छूट/बट्टा प्रदान करने के कोई मामले नहीं हैं।	शून्य
3.	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखाजोखा रखा गया है/नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी को केन्द्र/राज्य एजेंसियों से कोई निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं।	शून्य

कृते जे.पी. कपूर एंड उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000593एन
विनय जैन
साझीदार
सदस्यता संख्याः 095187

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 15 जुलाई, 2019

लेखे

यथातिथि 31 मार्च, 2019 को
तुलन पत्र

(मूल्य लाख रु. में)

विवरण	नोट संख्या	यथातिथि 31 मार्च, 2019	यथातिथि 31 मार्च, 2018
परिसम्पत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3.1	75,691.05	80,584.10
(ख) पूंजी कार्य प्रगति पर	3.1	688.73	2,158.57
(ग) अमूर्त परिसम्पत्तियां	4	2.60	5.67
(घ) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) निवेश	5	77.66	77.66
(ii) ऋण	6	542.35	603.71
(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	7	160.33	177.55
(ङ) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	8	7,729.22	7,124.85
योग गैर–चालू परिसम्पत्तियां		**84,891.94**	**90,732.11**
(2) चालू परिसम्पत्तियां			
(क) मालसूचियां	9	4,952.24	4,649.23
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) व्यवसाय प्राप्य	10	21,249.28	18,083.12
(ii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	11.1	2,086.23	3,851.21
(iii) अन्य बैंक शेष	11.2	11,500.23	30,185.06
(iv) ऋण	12	710.75	528.06
(v) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	7	1,995.93	1,371.85
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	13	823.49	1,281.00
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	8	11,842.15	7,696.69
(ङ) निपटान/वितरण के लिए वर्गीकृत धारित परिसम्पत्तियां	32(XVI)	5,314.98	-
योग चालू परिसम्पत्तियां		**60,475.28**	**67,646.22**
कुल परिसम्पत्तियां		**145,367.22**	**158,378.33**
इक्विटी एवं देयताएं			
(1) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14.1	55,748.20	55,748.20
(ख) अन्य इक्विटी	14.2	49,127.18	56,237.02
योग इक्विटी		**104,875.38**	**111,985.22**
देयताएं			
(2) गैर–चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	15	-	1,928.19
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	67.80	108.80
(ख) प्रावधान	16	3,470.57	3,057.66
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	17	17,280.80	20,245.73
योग गैर–चालू देयताएं		**20,819.17**	**25,340.38**
(3) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यवसाय प्राप्य	19	5,283.80	11,026.36
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	2,230.94	848.58
(ख) अन्य चालू देयताएं	20	6,026.76	4,998.07
(ग) प्रावधान	21	5,376.12	3,613.46
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	13	-	566.26
योग चालू देयताएं		**18,917.62**	**21,052.73**
(4) देयताओं से सीधे सम्बद्ध परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के धारित के रूप में किया गया है।	32(XVI)	755.05	-
योग इक्विटी एवं देयताएं		**145,367.22**	**158,378.33**

नोट 1 से 32 वित्तीय विवरणियों का एक अभिन्न भाग हैं।
यह तुलन पत्र समान तिथि की हमारी रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते जे.पी., कपूर एंड उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000593एन

(उषा पाढ़ी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 03348716

(अशोक नायक)
निदेशक
डीआईएन सं. 01621890

(विनय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 095187

(रंजीत सिंह चौहान)
कम्पनी सचिव

(आशीष कुमार यादव)
वि.प्र. (वि. एवं ले.)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.07.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की विवरणी

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
I	परिचालनों से राजस्व	22	37,997.08	39,540.74
II	अन्य आय	23	3,238.35	6,260.80
	कुल आय (III)		**41,235.43**	**45,801.54**
IV	व्यय			
	हेलीकॉप्टर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	24	15,910.47	11,846.79
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	25	17,187.09	17,375.70
	वित्तीय लागतें	26	141.62	201.17
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	27	8,432.96	8,479.05
	अन्य व्यय	28	8,156.06	6,725.77
	कुल व्यय (IV)		**49,828.20**	**44,628.48**
V	**असाधारण मदों तथा कर से पूर्व लाभ (III-IV)**		**(8,592.77)**	**1,173.06**
VI	असाधारण मदें	29	-	-
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**(8,592.77)**	**1,173.06**
VIII	कर व्ययः			
	(1) चालू कर		-	3,350.32
	घटाएं: एमएटी क्रेडिट प्रयुक्त		-	(2,784.06)
	(2) पूर्व वर्षों के लिए आयकर प्रावधान		(10.26)	(3.98)
	(3) आस्थगित कर		(2,906.31)	(1,318.71)
			(2,916.57)	**(756.43)**
IX	**अवधि के दौरान जारी प्रचालनों के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(5,676.20)**	**1,929.49**
X	**समाप्त किए गए प्रचालन**			
	(i) समाप्त किए गए प्रचालनो से कर पूर्व लाभ/(हानि)		(561.23)	-
	(ii) समाप्त किए गए प्रचालनो पर कर व्यय		-	-
			(561.23)	**-**
XI	**अन्य व्यापक आय**			
	(क) अन्य व्यापक आय का पुनःवर्गीकरण अनुगामी अवधियों में लाभ अथवा हानि में किया जाना है:			
	(i) उपर्युक्त पर निवल लाभ/(हानि)		-	-
	(ii) उपर्युक्त पर कर प्रभाव		-	-
			-	-
	(ख) अन्य व्यापक आय का पुनःवर्गीकरण अनुगामी अवधियों में लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाना है:			
	(i) उपर्युक्त पर निवल लाभ/(हानि)	30	(187.89)	142.79
	(ii) उपर्युक्त पर कर प्रभाव		58.62	(49.27)
			(129.27)	**93.52**
XII	**अवधि के दौरान कुल व्यापक आय (IX+ X+ XI) (अवधि के दौरान लाभ एवं अन्य व्यापक आय से युक्त)**		**(6,366.70)**	**2,023.01**
XIII	**जारी प्रचालनों के लिए प्रति इक्विटी शेयर**	31		
	(1) मूल		(1,041)	429
	(2) डायलूटिड		(1,041)	429
	समाप्त किए गए प्रचालन			
	(1) मूल		(101)	-
	(2) डायलूटिड		(101)	-

नोट 1 से 32 वित्तीय विवरणियों का एक अभिन्न भाग हैं।
यह लाभ एवं हानि विवरण समान तिथि की हमारी रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते जे.पी., कपूर एंड उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000593एन

(उषा पाढ़ी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 03348716

(अशोक नायक)
निदेशक
डीआईएन सं. 01621890

(विनय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 095187

(रंजीत सिंह चौहान)
कम्पनी सचिव

(आशीष कुमार यादव)
वि.प्र. (वि. एवं ले.)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.07.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों की विवरणी

(₹ लाख में)

विवरण	इक्विटी शेयर पूंजी	आबंटन पूर्व शेयर आवेदन धन	आरक्षिति एवं अधिशेष		अन्य ब्यापक आय की मदें		योग अन्य इक्विटी
			सामान्य आरक्षिति	धारित आय	इक्विटी उपकरण के माध्यम से विस्तृत आय	अन्य विस्तृत आय की विभिन्न मदें	
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति	**24,561.60**	**15,905.00**	**2,050.00**	**56,643.79**	**(26.81)**	**136.35**	**74,708.33**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	-	-	-	-
पूर्वावधि चूकें	-	-	-	(137.68)	-	-	(137.68)
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ पुनः उल्लिखित शेष	24,561.60	15,905.00	2,050.00	56,506.11	(26.81)	136.35	74,570.65
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	-	-	-	1,929.49	(15.41)	108.93	2,023.01
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	**1,929.49**	**(15.41)**	**108.93**	**2,023.01**
लाभांश एवं निगमित लाभांश कर	-	-	-	(3,698.68)	-	-	(3,698.68)
लाभांश वितरण कर का भुगतान	-	-	-	(752.96)	-	-	(752.96)
ओएनजीसी से प्राप्त शेयर आवेदन धन		15,281.60					15,281.60
सरकार तथा ओएनजीसी की इक्विटी शेयरों का आबंटन	31,186.60	(31,186.60)					(31,186.60)
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 की स्थिति	**55,748.20**	-	**2,050.00**	**53,983.96**	**(42.22)**	**245.28**	**56,237.02**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार से प्राप्त राशि	-	-	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः उल्लिखित शेष	**55,748.20**	-	-	-	-	-	-
वर्ष में जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-	-	(5,676.20)	-	(129.27)	(5,805.47)
अन्य व्यापक आय	-	-	-				-
वर्ष के दौरान योग व्यापक आय	**55,748.20**	-	-	**(5,676.20)**	-	**(129.27)**	**(5,805.47)**
लाभांश	-	-	-	(616.42)	-	-	(616.42)
लाभांश वितरण कर का भुगतान	-	-	-	(126.71)	-	-	(126.71)
समाप्त किए गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-	-	(561.23)	-	-	(561.23)
धारित आय में अंतरण	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2018 की स्थिति	**55,748.20**	-	**2,050.00**	**47,003.40**	**(42.22)**	**116.01**	**49,127.18**

नोट 1 से 32 वित्तीय विवरणियों का अभिन्न भाग हैं

यह इक्विटी परिवर्तन विवरण समान तिथि की हमारी रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते जे.पी., कपूर एंड उबेराय	**(उषा पाढ़ी)**	**(अशोक नायक)**	**(विनय जैन)**	**(रंजीत सिंह चौहान)**	**(आशीष कुमार यादव)**
सनदी लेखाकार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक	साझीदार	कम्पनी सचिव	वि.प्र. (वि. एवं ले.)
फर्म पंजीकरण सं. 000593एन	डीआईएन सं. 03348716	डीआईएन सं. 01621890	सदस्यता सं. 095187		

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.07.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की विवरणी

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि			
	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2018	
क प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह				
जारी प्रचालनों से कर पूर्व निवल लाभ		(8,780.66)		1,315.85
समाप्त प्रचालनों से कर पूर्व निवल लाभ		(561.23)		
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय (नवल)	8,870.84		8,479.05	
बैंक जमा से ब्याज आय	(1,179.96)		(1,260.86)	
बीमा दावा – केवल हल्ल	-		(2,955.25)	
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	(10.04)		(0.40)	
ब्याज लागत	141.62		201.17	
बट्टाकृत अचल परिसम्पत्तियां	214.82		503.52	
संदेहास्पद ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	1,423.63		486.78	
अचल मालसूची की कालातीत मदों की मालसूची के लिए प्रावधान	230.05		164.89	
अप्राप्त विनिमय दर उतार चढ़ाव	(232.47)		(366.84)	
अतिरिक्त प्रावधान प्रतिलेखित (अन्य)	(280.03)		(1,141.27)	
परिसम्पत्तियों की क्षति से हानि	57.86		54.43	
डिटेचमेंट पर हानि के लिए प्रावधान	1.16			
निवेश पर मूल्य अवनति के लिए प्रावधान	-		24.65	
		9,237.48		4,189.87
		(104.41)		5,505.72
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ				
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन				
व्यवसाय प्राप्य	(4,556.46)		615.28	
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियां	(4,763.91)		(2,392.17)	
मालसूचियां	(531.13)		(317.43)	
व्यवसाय देयए अन्य देयताएं तथा प्रावधान	(1,521.66)		9,274.60	
प्रचालनों से उत्पन्न रोकड़		**(11,477.58)**		**12,686.00**
चुकता आय कर		(677.83)		(3,723.36)
प्रचालन क्रियाकलापों से उत्पन्न निवल रोकड़		(12,155.40)		8,962.64
ख निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसम्पत्तियों का क्रय	(7,417.82)		(6,193.45)	
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री/बीमा दावे/समायोजन	14.33		6,216.25	
पूंजी कार्य प्रगति पर	(583.06)		(1,634.16)	
3 माह से अधिक परिपक्वता तथा ग्रहणाधिकार युक्त सावधि जमा की उत्पति/निवेश	18,684.83		(19,882.63)	
प्राप्त ब्याज	1,179.96		1,260.86	
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल रोकड़		11,878.24		(20,233.13)
ग वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह				
ब्याज लागत	(141.62)		(201.17)	
लाभांश	(616.42)		(3,698.68)	
लाभांश पर निगमित कर	(126.71)		(752.96)	
शेयर आवेदन प्राप्त एवं आबंटन	-		15,281.60	
दीर्घकालिक ऋणों का पुनर्भुगतान	(569.54)		(536.44)	
वित्तीय क्रियाकलापों से उत्पन्नध; प्रयुक्त; निवल रोकड़		**(1,454.29)**		**10,092.35**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य की उपयोज्यता में निवल वृद्धि		**(1,731.45)**		**(1,178.13)**
अवधि के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य		3,851.21		5,029.34
अवधि के अंत में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य		**2,119.56**		**3,851.21**
नोटः				
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य का ब्यौरा				
जारी प्रचालनों से सम्बद्ध रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य		2,086.23		3,851.21
बैंक में लाभांश खाते में शेष		0.19		0.19
जारी प्रचालनों से सम्बद्ध निवल रोकड़ एवं रोक्ड़ समतुल्य (क)		2,086.04		3,851.02
समाप्त किए गए प्रचालनों से सम्बद्ध निवल रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (ख)		33.52		-
कुल रोकड़ तथा समतुल्य (क + ख)		**2,119.56**		**3,851.02**

नोट 1 से 32 वित्तीय विवरणियों का अभिन्न भाग हैं।

नोटः

1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े रोकड़ बर्हिप्रवाह दर्शाते हैं।
2. उपर्युक्त रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण इंड एएस–7 रोकड़ प्रवाह विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि से किया गया है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

यह रोकड़ प्रवाह विवरण समान तिथि की हमारी रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते जे.पी., कपूर एंड उबेराय	**(उषा पाढ़ी)**	**(अशोक नायक)**
सनदी लेखाकार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक
फर्म पंजीकरण सं. 000593एन	डीआईएन सं. 03348716	डीआईएन सं. 01621890
(विनय जैन)	**(रंजीत सिंह चौहान)**	**(आशीष कुमार यादव)**
साझीदार	कम्पनी सचिव	वि.प्र. (वि. एवं ले.)
सदस्यता सं. 095187		

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.07.2019

29. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. निगमित सूचना

पवन हंस लिमिटेड (''कम्पनी'') (सीआईएन संख्या यू 62200डीएल1985जी 01022233) एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है जिसका निगमन 15 अक्तूबर, 1985 को हुआ था तथा भारत में स्थित इस कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36, नई दिल्ली–110085 में है। यह कम्पनी सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है तथा इसका पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अध्यधीन कम्पनी पंजीयक, दिल्ली में किया गया है।

कम्पनी भारत के विमानन सेक्टर का पथप्रदर्शक के रूप में नेतृत्व कर रही है तथा यह कम्पनी समग्र राष्ट्र को अवसंरचना निर्माण, मानव संसाधन तथा हेलीकॉप्टर प्रचालनों के संरक्षा स्तरों में संवर्धन के साथ साथ विविध श्रेणी की हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रही है। कम्पनी द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों नामतः मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात, गृह मंत्रालय, लक्षद्वीप प्रशासन, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन एमटीडीसी एवं जीटीडीसी तथा केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ ही ओएनजीसी, एनटीपीसी, ओआईएल, जीएसपीसी, गेल, महाराष्ट्र पुलिस, सीमा सुरक्षा बल को भी अपनी सेवाएं दे रही हैं।

2. क. निर्माण का आधार

(i) अनुपालन विवरण

कम्पनी के वित्तीय विवरण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम''), अधिनियम के खंड 133 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन मानकों में किए गए निर्धारण के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) का अनुपालन करते हुए तैयार किए गए हैं। निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी, 2015 की अधिसूचना, जिसके माध्यम से कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 अधिसूचित की गई है, के अनुसरण पारमगन में कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल, 2015 की तिथि के साथ 1 अप्रैल, 2015 से भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) अंगीकार किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों को जारी करने का प्राधिकार निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2019 को प्रदान किया गया है।

(ii) मापन का आधार

ये वित्तीय विवरण उचित मूल्य अथवा परिशोधन लागत पर मापे गए कुछ वित्तीय उपकरणों के अलावा ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं।

(iii) महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान तथा निर्धारण

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन द्वारा लेखांकन नीतियों एवं सूचित परिसम्पत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की राशियों की उपयोज्यता पर प्रभावी होने वाले निर्धारण किए गए हैं, अनुमान लगाए गए हैं तथा पूर्वानुमान लगाए गए हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों तथा पूर्वानुमानों की समीक्षा अविरत आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में किए गए संशोधनों की स्वीकृति भावी प्रभाव के लिए की गई है।

लेखांकन नीतियों के उपयोग से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए लगाए गए जिस अनुमान/अनिश्चितता तथा निर्धारण से वित्तीय विवरणों पर जो महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं उससे संबंधित सूचना नीचे दी गई है:–

नीचे प्रस्तुत नोट 32 (XII) तथा मद संख्या 2 (xi) – परिभाषित लाभ दायित्वों का मापन : प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान

नीचे प्रस्तुत नोट 2 (vi) – सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोज्य जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य का मापन।

नोट 32 (XXI) – ओवरहॉल लागत का अनुमान।

नोट 32 (II (ग,घ, ड. तथा च)– यह ज्ञात करने के लिए निर्धारण किया जाना अपेक्षित है कि क्या संसाधनों के बर्हिगमन से उत्पन्न लाभ कराधान विवादों एवं विधिक दावे के निपटान के लिए संभाव्य होंगे अथवा नहीं।

नोट 32 (XXIX) तथा नीचे प्रस्तुत मद संख्या 2 (iii) – वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य का मापन।

ऐसे कोई पूर्वानुमान तथा अनुमान अनिश्चितताएं नहीं हैं जिनके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष में सामग्रीगत समायोजन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम हो।

ख. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

नीचे प्रस्तुत की गई लेखांकन नीतियों का क्रमिक उपयोग प्रस्तुत वित्तीय विवरणों की सभी अवधियों के संबंध में किया गया है।

(i) चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

सभी परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का वर्गीकरण चालू तथा गैर–चालू के रूप में किया गया है।

परिसम्पत्तियां

किसी परिसम्पत्ति का वर्गीकरण चालू के रूप में तब किया जाता है जब निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक के प्रति संतुष्टि हो :

- वह नकदीकरण अथवा बिक्री के लिए नियत हो अथवा कम्पनी के सामान्य प्रचालन कम में खपत की जाने वाली हो;
- वह प्रारम्भ से ही व्यवसाय के लिए धारित की गई हो;
- वह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बिक्री की जानी हो, अथवा
- वे विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।

चालू परिसम्पत्तियों में गैर–चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों का चालू भाग भी शामिल है। अन्य सभी परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पत्ति के रूप में किया गया है।

देयताएं

किसी देयता का वर्गीकरण चालू देयता के रूप में तब किया जाता है जबः

- कम्पनी के सामान्य प्रचालन क्रम में इसका निपटान संभावित हो; कम्पनी के सामान्य प्रचालन क्रम में इसका निपटान संभावित हो;
- यह मुख्यतः व्यवसाय के उद्देश्य से धारित की गई हो
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर इसका समाधान किया जाना हो, अथवा
- कम्पनी के पास इसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का किसी प्रकार का कोई असंबंध अधिकार न हो। देयताओं के निबंधन दूसरी पार्टी को उपलब्ध विकल्प के अनुसार इक्विटी उपकरण को जारी करने के निपटान के तौर पर परिणत होते हों तथा जिससे यह वर्गीकरण प्रभावित न होता हो।

चालू देयताओं में गैर–चालू वित्तीय दायित्वों का चालू भाग शामिल है। अन्य सभी दायित्वों का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पत्ति तथा देयताओं के रूप में किया गया है।

प्रचालन काल क्रम समय संसाधन के लिए परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा उनकी नकदी अथवा नकदी समतुल्य प्राप्ति के बीच का समय है। प्रचालनों की प्रकृति तथा उनके नकदी अथवा नकदी समतुल्य प्राप्ति के आधार पर कम्पनी द्वारा परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को चालू अथवा गैर–चालू वर्गीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से अपने

प्रचालन काल क्रम की अवधि बारह माह निर्धारित की गई है।

(ii) विदेशी मुद्रा संव्यवहार एवं अंतरण

कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

प्रबंधन द्वारा उस मुद्रा को कार्यात्मक मुद्रा अर्थात भारतीय रुपए (₹) को उपयोग के लिए अपनाया गया है जिसके प्राथमिक आर्थिक परिवेश में कम्पनी द्वारा अपने कार्य किए जाते है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा है। यदि कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है तो सभी राशियों को दो दशमलव स्थल तक निकटतम लाख रुपए में राउंड ऑफ किया गया है।

संव्यवहार एवं शेष

विदेशी मुद्राओं में किए जाने वाले मौद्रिक एवं गैर–मौद्रिक संव्यवहार की प्रारंभिक स्वीकृति कार्यात्मक मुद्रा में संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर के अनुसार रिकार्ड की जाती है।

रिपोर्टिंग तिथि को समाधान न की गई मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का समाधान रिपोर्टिंग तिथि की प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार की स्वीकृति/समाधान से होने वाले लाभ/(हानियों) तथा विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है जिसमें 31 मार्च, 2016 से पूर्व लिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक ऋणों के अंतरण से उत्पन्न ऐसी लाभ/(हानियां) शामिल नहीं होती हैं जो मूल्यह्रास योग्य सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के लिए उपयोग में लाई गई हैं तथा जिनका समायोजन सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की लागत पर किया गया है। उपर्युक्त व्यवस्था विदेशी मुद्रा ऋण का पुनर्भुगतान कर दिए जाने तक जारी रखी जाती है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक ऋणों के अंतरण से उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय दर लाभ/(हानि) को निवल आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है। तथापि, विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न मुद्रा विनिमय अंतर उनकी वित्त लागतों के दायरे में लाभ एवं हानि विवरण में ऋण लागतों को समायोजित करते हुए दर्शाए गए हैं।

(iii) उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य की राशि वह होती है जो मापन की तिथि को बाजार भागियों के मध्य व्यवस्थित संव्यवहार द्वारा किसी परिसम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त हो अथवा जो किसी देयता के अंतरण के लिए चुकता की जा सकती हो। उचित मूल्य के मापन का आधार परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा देयता के अंतरण से संबंधित संव्यवहार पर आधारित है जो निम्नलिखित में से किसी में भी किया जा सकता है:–

– परिसम्पत्ति अथवा देयता के लिए श्रेष्ठ बाजार में, अथवा

– परिसम्पत्ति अथवा देयता के लिए श्रेष्ठ बाजार उपलब्ध न होने की स्थिति में अत्यधिक लाभ: ाकारी बाजार में

श्रेष्ठ अथवा अत्यधिक लाभकारी बाजार कम्पनी के लिए/द्वारा गम्य होने चाहिए।

वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य के साथ मापन अथवा प्रकटीकरण की गई सभी परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का वर्गीकरण उनके उचित मूल्य के क्रम में निम्नानुसार न्यूनतम स्तर इनपुट को पूर्ण रूप में उचित मूल्य मापन के निर्धारण के आधार पर वर्णित किया गया है:–

- स्तर 1 – सक्रिय बाजार में समान परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं का उद्धृत (गैर–समायोजित) मूल्य
- स्तर 2 – न्यूनतम स्तर इनपुट के लिए मूल्यांकन तकनीक जो उचित मूल्य मापन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में विचार योग्य है।
- स्तर 3 – न्यूनतम स्तर इनपुट के लिए मूल्यांकन तकनीक जो उचित मूल्य मापन के लिए विचार योग्य नहीं है।

वित्तीय विवरणों में आवृत्ति आधार पर मान्य

परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के लिए कम्पनी द्वारा यह संज्ञान किया जाता है कि क्या इनके संबंध में स्तरों के मध्य वर्गीकरण के मूल्यांकन करते हुए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में (पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर) अंतरण किए गए हैं अथवा नहीं।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के वर्गों का निर्धारण उनकी प्रकृति, विशिष्टता तथा परिसम्पत्ति अथवा देयता के जोखिम तथा ऊपर स्पष्ट क्रम बद्ध उचित मूल्यों के अनुसार किया गया है।

कम्पनी द्वारा निवेश जैसे (सहायक कम्पनियों में किए गए निवेश के अलावा) वित्तीय उपकरणों का मापन रिपोर्टिंग तिथि को उनके उचित मूल्य के अनुसार किया गया है। इसके अलावा वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों का मापन नोट 32(XI) में प्रकटीकरण की गई परिशोधन लागत पर किया गया है।

(iv) वित्तीय उपकरण

किसी करार के ऐसे वित्तीय उपकरण जिनसे किसी एक इकाई की वित्तीय परिसम्पत्तियां तथा किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयताएं अथवा इक्विटी उपकरण का उत्थान होता हो।

(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां

स्वीकृति तथा प्रारम्भिक मापन

प्रारंभिक स्वीकृति करते हुए वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रारंभिक मापन एवं स्वीकृति केवल उस स्थिति के अलावा उचित मूल्य पर होती है जिस स्थिति में कम्पनी द्वारा पारगमन की तिथि के पश्चात किए गए संव्यवहार के लिए उचित मूल्य का मापन भावी प्रभाव पर करने के लिए इंड ए एस 101 के पैरा डी20 में अंगीकरण किए जाने पर पहली बार दी जाने वाली छूट का प्रयोग किया है। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर रिकार्ड में न ली गई वित्तीय परिसम्पत्ति के मामले में उसकी संव्यवहार लागतें वित्तीय परिसम्पत्ति के अधिग्रहण से संबद्ध की गई हैं।

वर्गीकरण एवं अनुवर्ती मापन

वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा अपनी वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण नीचे उल्लिखित अनुवर्ती मापन वर्गों में किया गया है:–

- परिशोधित मूल्य पर मापन किए गए ऋण उपकरण
- अन्य विस्तृत आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन किए गए ऋण उपकरण
- लाभ एवं हानि के माध्यम से (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन किए गए ऋण उपकरण, डेरिएटिव्स तथा इक्विटी उपकरण,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन किए गए उक्विटी उपकरण

यह वर्गीकरण वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा रोकड़ प्रवाहों के संविदागत उपबंधों के प्रबंधन के लिए कम्पनी के व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करता है। उचित मूल्य, लाभ एवं हानि पर मापन की गई परिसम्पत्तियों को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य विस्तृत आय में रिकार्ड किया जाता है। ऋण उपकरणों में किए गए निवेश की स्थिति में यह उस व्यवसाय मॉडल पर निर्भर है जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी उपकरण में निवेश के लिए इसकी निर्भरता कम्पनी द्वारा अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए इक्विटी निवेश की प्रारंभिक स्वीकृति लेखे में करते समय अप्रतिसंहरणीय का चयन किए जाने अथवा न किए जाने पर निर्भर करती है।

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

अनुवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियों का मापन

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मापन परिशोधन लागत पर तब किया जाता है जब उसका धारण ऐसे व्यावसायिक मॉडल में किया गया हो जिसका

लक्ष्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों के संग्रहण के लिए परिसम्पत्ति का धारण करना है तथा वित्तीय परिसम्पत्ति के संविदागत उपबंधों से विशिष्ट तिथियों को ऐसे रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होते हों जो केवल मूलधन एवं मूलधन के ब्याज की बकाया राशि के भुगतान के लिए हों।

यह श्रेणी कम्पनी के लिए श्रेयस्कर है। प्रारंभिक मापन के पश्चात ऐसी परिसम्पत्तियों का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण की वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। क्षति के कारण उत्पन्न हानियों (यदि कोई हों) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। यह श्रेणी सामान्यतः कर्मचारियों को दिए गए ऋणों, व्यवसाय प्राप्यों, सुरक्षा जमा राशियों तथा अन्य प्राप्यों के लिए लागू होती है।

अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीओ–सीआई)

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मापन एफवीटीओ–सीआई के अनुसार तब किया जाता है जब उसका धारण ऐसे व्यवसाय मॉडल में किया गया हो जिसमें उसके संविदागत रोकड़ प्रवाह तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री के दोनों लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हों तथा उसके संविदागत उपबंधों से विशिष्ट तिथियों को ऐसे रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होते हों जो केवल मूलधन एवं मूलधन के ब्याज की बकाया राशि के भुगतान के लिए हों।

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीपीएल)

उपर्युक्त में से किसी भी वर्ग में शामिल न की गई परिसम्पत्ति का मापन एफवीटीपीएल के अनुसार किया जाता है।

(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति (उचित मूल्य के अलावा)

कम्पनी द्वारा लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्यन न की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल के उपयोग से हानि भत्ते की स्वीकृति की जाती है। किसी गैर महत्वपूर्ण वित्तीय घटक वाले व्यवसाय प्राप्यों के हानि भत्ते का मापन संभावित क्रेडिट हानि के उपयोज्यता काल की समतुल्य राशि पर किया जाता है। अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए संभावित क्रेडिट हानियों का मापन 12 माह के संभावित क्रेडिट हानि की समतुल्य राशि पर किया गया है तथा प्रारंभिक स्वीकृति में से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने की स्थिति के मामलों में वित्तीय परिसम्पत्तियों का मापन उनकी उपयोज्यता काल की संभावित क्रेडिट हानि हानि के लिए होता है। संभावित क्रेडिट हानि मॉडल के उपयोग से हानि भत्ते में किसी प्रकार के बदलाव (वृद्धिशील अथवा विपर्यय) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में क्षति लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

(ग) बट्टा

वित्तीय विवरण में ऐसी सकल वहन राशि को बट्टा (आंशिक अथवा पूर्ण) मान लिया जाता है जिसकी प्राप्ति की कोई उचित संभावना नहीं होती है।

(घ) वित्तीय देयताएं

प्रारम्भिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय देयताओं की प्रारम्भिक स्वीकृति का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है:–

- लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं,
- परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय देयताएं,
- ऋण एवं उधार तथा देय,

सभी वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक स्वीकृति उनके उचित मूल्य पर तथा ऋण एवं उधार तथा देय के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष संबंद्ध मूल्य पर की जाती है।

कम्पनी की सभी वित्तीय देयताओं में सुरक्षा जमा, व्यवसाय एवं अन्य देय शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर मापन (जो कम्पनी की एकमात्र सम्बद्ध श्रेणी है) की गई वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। ब्याज व्यय एवं विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ तथा हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण की जाती है।

(ङ) वित्तीय उपकरणों की स्वीकृति समाप्त करना

कम्पनी द्वारा ऐसी वित्तीय परिसम्पत्ति की स्वीकृति समाप्त की जाती है जिस वित्तीय परिसम्पत्ति के रोकड़ प्रवाह के संविदागत अधिकारों की अवधि समाप्त हो गई होती है अथवा जिन वित्तीय परिसम्पत्तियों का अंतरण किया जाता है तथा ऐसा अंतरण इंड एएस 109 के अंतर्गत स्वीकृति समाप्ति के लिए योग्य होता है।

कम्पनी के तुलन पत्र में से किसी वित्तीय देयता (अथवा किसी वित्तीय देयता का कोई भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उसकी संविदा में निर्धारित दायित्वों का निर्वाह हो जाता है अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं।

(च) वित्तीय उपकरणों की समंजन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का समंजन तथा तुलन पत्र में निवल राशियों की स्वीकृति तब की जाती है जब स्वीकृत राशियों के समंजन के प्रति कोई प्रवर्तन योग्य चालू विधिक अधिकार न हो तथा ऐसा परिसम्पत्तियों से धर्नाजन तथा दायित्वों को चुकाने के लिए सकल आधार पर निपटाए जाने की मंशा से किया गया हो।

(v) रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में बैंकों में जमा एवं उपलब्ध चैक तथा तीन माह अथवा कम अवधि की सामान्य परिपक्वता के साथ अल्प–कालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के अल्प जोखिम की शर्त पर है, शामिल हैं।

(vi) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति एवं मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मापन उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास एवं संचित अपसामान्य क्षतियों को लागत, यदि कोई हों, को घटाकर किया गया है। लागत में वे व्यय शामिल हैं जो प्रबंधन के अभिप्रेत उद्देश्य से प्रचालन योग्य बनाने के लिए सम्पति को स्थल तथा आवश्यक स्थिति में लाए जाने के लिए प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। कम्पनी द्वारा सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोज्य काल के लिए सीधी लाइन विधि के उपयोग से किया जाता है। किसी सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मूल लागत की 5% राशि को अवशिष्ट मूल्य माना जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान कम्पनी की एक तकनीकी समिति द्वारा गहन तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात हेलीकॉप्टर बेड़े के अनुमानित उपयोज्य काल का पुनः मूल्यांकन किया गया था। इस प्रकार इन परिसम्पत्तियों का उपयोज्य काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित उपयोज्य कालों से भिन्न है। भिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर बेड़े लिए निर्धारित किए उपयोज्य काल का विवरण नीचे दिया गया है:–

हेलीकॉप्टर का प्रकार	अनुमानित उपयोज्य काल वर्षों में	अनुमानित उपयोज्य काल उड़ान घंटों में
डॉफिन एसए 365 एन	35 वर्ष	1,00,000 उड़ान घंटे
डॉफिन एसए 365 एन3	35 वर्ष	1,00,000 उड़ान घंटे
इक्यूरेयूइल एएस350 बी3	35 वर्ष	1,00,000 उड़ान घंटे
बेल 206 एल4	35 वर्ष	35,000 उड़ान घंटे
बेल 407	35 वर्ष	35,000 उड़ान घंटे
एमआई–172	30 वर्ष	18,000 उड़ान घंटे

कम्पनी द्वारा सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का घटक लेखांकन इंड एएस–16 के अनुसरण में उनकी स्वीकृति एवं किसी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी महत्वपूर्ण घटक, जिसकी लागत की सम्बद्धता मद की कुल लागत पर विशिष्ट हो तथा जिसका उपयोज्य काल भिन्न हो, का अलग से मूल्यह्रास करते हुए किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे घटक को विचार में लिया गया है जिनकी लागत हेलीकॉप्टर के महत्वपूर्ण घटक की कुल लागत का 8% अथवा अधिक है, तथापि, सन्निहित अनुरक्षण के रूप में प्रस्तुत हेलीकॉप्टर के प्रमुख ओवरहॉल की लागत की स्वीकृति अलग से की गई है तथा अन्य परिसम्पत्तियों के मामले में किसी महत्वपूर्ण घटक की स्वीकार्यता घटक लेखांकन के उद्देश्य से नहीं की गई है।

हेलीकॉप्टर के संदर्भ में भिन्न उपयोज्य काल वाले स्वीकृत महत्वपूर्ण घटकों का विवरण नीचे दिया गया है:–

बेड़ा प्रकार	**पहचाने गए घटक**	**घटक का उपयोज्य काल**
डॉफिन एन	इंजन	3000 घंटे/5 वर्ष**
	एम.जी.बी.	3000 घंटे/5 वर्ष**
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	5400 घंटे/9 वर्ष**
डॉफिन एन3	इंजन	3500 घंटे/6 वर्ष**
	एम.जी.बी.	3000 घंटे/5 वर्ष**
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	5400 घंटे/9 वर्ष**
इक्यूरेयूइल एएस350 बी3	इंजन	3500 घंटे/6 वर्ष**
	एम.जी.बी.	3000 घंटे/5 वर्ष**
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	प्रमुख जांच–12 वर्ष**
बेल 407	इंजन	2000 घंटे/3 वर्ष**
	ट्रांसमिशन एसेंबली	5000 घंटे/8 वर्ष**
	हब एसेंबली	2500 घंट/4 वर्ष**
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	कोई प्रमुख ओवरहॉल नहीं
एमआई–172	इंजन	1500 घंटे/5 वर्ष**
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	4500 घंटे/15 वर्ष**

**एन, एन3, बी3 एवं बेल 407 के संदर्भ में वर्ष का निर्धारण 600 घंटों की उड़ान तथा एमआई–172 के लिए 300 घंटों की उड़ान के आधार पर किया गया है।

किसी परिसम्पत्ति के प्रमुख पूर्जे को बदलने अथवा पुनः निर्मित किए जाने की स्थिति में पुराने पूर्जे की वहन राशि की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है तथा नए पूर्जे को परिसम्पत्ति में जोड़ लिया जाता है। जब किसी स्वीकृति समाप्त किए गए/बदले गए घटक का वहन मूल्य ज्ञात नहीं होता है तो चालू लागत के अनुसार उचित अनुमान निर्धारित किए जाते हैं।

किसी परिसम्पत्ति के प्रमुख पुर्जे को बदलने अथवा पुनः निर्मित किए जाने की स्थिति में पुराने पुर्जे की वहन राशि की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है तथा नए पुर्जे को परिसम्पत्ति में जोड़ लिया जाता है। जब किसी स्वीकृति समाप्त किए गए/बदले गए घटक का वहन मूल्य ज्ञात नहीं होता है तो चालू लागत के अनुसार उचित अनुमान निर्धारित किए जाते हैं।

अनुवर्ती लागतें

अनुवर्ती लागतों का पूंजीयन तभी किया जाता है जब विशिष्ट परिसम्पत्ति से संबद्ध इसके भावी

आर्थिक लाभों में वृद्धि हो। अन्य मूर्त परिसम्पत्तियों की सभी अन्य मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में इनके उत्पन्न होने के समय की जाती है।

मूल्यह्रास

एयरफ्रेम तथा एयरो–इंजन उपकरण–रोटेबल का मूल्यह्रास एवं मध्य उपयोज्यता काल उन्नयन कार्यक्रम (टाइप प्रमाणन लागतों के साथ)/ हेलीकॉप्टरों के प्रमुख पुनःसंयोजन का लागत आकलन सीधी रेखा आधार पर इस स्वरूप में किया गया है कि उनकी प्रमुख परिसम्पत्ति (हेलीकॉप्टरों के प्रकार) का शेष उपयोज्यता काल की 95% राशियों का बट्टा वह हो जिनसे वे सम्बद्ध हैं। इस उद्देश्य से हेलीकॉप्टरों के अंतिम बैच (डाफिन एन के मामले में चूंकि इसका बेड़ा आकार में बड़ा है) अथवा नवीनतम हेलीकॉप्टर (अन्य किसी बेड़े के मामले में) को विचार में लिया गया है।

पट्टे की भूमि की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ संयुक्त विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित आवासीय फ्लैटों की लागत का परिशोधन उनके करार से संबंधित शर्तों के अनुसार सम्पत्ति के धारण अधिकार की अवधि पर किया गया है।

हेलीकॉप्टरों/अतिरिक्त एयरो इंजनों के संवर्धन अथवा विलोपन से संबंधित मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर अधिग्रहण की तिथि/निपटान से/ तक दिनों (हेलीकॉप्टरों के लिए भारत के क्षेत्र में उड़नयोग्यता अधिकारी द्वारा उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि) की संख्या के अनुसार किया जाता है। अन्य प्रत्येक सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण से संबंधित मूल्यह्रास दिनों की संख्या के अनुसार आनुपातिक आधार पर किया जाता है। परिसम्पत्ति का क्रय किए जाने वाले माह के अगले माह के पहले दिन को ऐसी अन्य परिसम्पत्तियों के संवर्धन की प्रभावी तिथि माना जाता है। इसी प्रकार विलोपन के मामले में पूर्व माह के अंतिम दिन को ऐसी परिसम्पत्ति से संबंधित मूल्यह्रास के लिए विचार में लिया जाता है। सक्रिय उपयोग के पश्चात सामग्रीगत मूल्य वाली हटाई गई तथा निपटान के लिए धारित परिसम्पत्तियों की प्रस्तुति उनके न्यूनतम निवल बही मूल्य अथवा निवल प्राप्य मूल्य (जहां भी उपलब्ध हो) के अनुसार की जाती है तथा लेखे में अलग से उनका प्रकटीकरण किया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों (वित्तीय वर्ष 1995–96 से वैस्टलैंड हेलीकॉप्टरों तथा संबंधित मदों सहित) के लिए मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता है। परिसम्पत्तियों को हटाए जाने अथवा निपटान किए जाने से उत्पन्न लाभ अथवा हानियां लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित की जाती हैं।

मोबाइल हैंडसेट का अनुमानित उपयोज्यता काल तीन वर्ष माना गया है। मूल्यह्रास विधियों, उपयोज्यता काल तथा शेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए जाने के साथ साथ आवधिक रूप में भी की जाती है।

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

रिपोर्टिंग तिथि को उस सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का प्रकटीकरण पूंजी कार्य प्रगति पर होने के रूप में किया जाता है जो प्रयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

(vii) अमूर्त परिसम्पत्तियां

स्वीकृति एवं मापन

अलग अलग अधिगृहित अमूर्त परिसम्पत्तियों का मापन उनकी प्रारंभिक स्वीकृत लागत तथा उसकी अनुवर्ती वहन लागत में से संचित परिशोधन एवं संचित क्षति हानि घटाकर, यदि कोई हो, किया जाता है।

किसी अमूर्त परिसम्पत्ति की स्वीकृति की समाप्ति उसके निपटान अथवा उसके उपयोग अथवा निपटान से किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभ संभावित न होने की स्थिति में की जाती है। स्वीकृति समाप्ति से उत्पन्न लाभ अथवा हानियों का निर्धारण उनसे हुए मुनाफे की तुलना वहन राशि से करके उन्हें लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

अनुवर्ती लागतें

विशिष्ट परिसम्पत्ति की सन्निहित लागत में सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ बढ़ने पर अनुवर्ती लागतों का पूंजीयन किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों के अन्य सभी व्ययों की स्वीकृति किए गए व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

परिशोधन

कम्पनी द्वारा अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन अमूर्त परिसम्पत्तियों के उपयोज्य काल पर सीधी रेखा विधि के उपयोग से परिमत उपयोज्य काल के साथ किया जाता है। अमूर्त परिसम्पत्तियों के परिशोधन व्यय की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोज्य जीवन की वार्षिक समीक्षा की जाती है तथा उनका समायोजन पूर्व प्रभाव से किया जाता है।

क्रय किए गए/आंतरिक रूप से विकसित किए गए 5 लाख रुपए प्रत्येक से अधिक मूल्य के साफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर साफ्टवेयर की सफल कमीशनिंग की तिथि से, प्रत्येक वर्ष के अंत में उनकी समीक्षा किए जाने की शर्त के साथ, 60 माह की अवधि में किया जाता है। 5 लाख रुपए प्रत्येक लागत वाले साफ्टवेयर के लिए क्रय के वर्ष में उसे राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पत्तियां

गैर–चालू परिसम्पत्तियों तथा निपटान समूहों का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित मदों के लिए तब किया जाता है जब उनकी वहन राशि की वसूली मूलतः उनके निरंतर उपयोग के स्थान पर बिक्री संव्यवहार से की जानी हो। इस स्थिति को पूर्ण तब माना जाता है जब परिसम्पत्ति (अथवा निपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए केवल व्यावहारिक एवं सामान्य शर्त के साथ उपलब्ध हो तथा ऐसी परिसम्पत्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री की संभावना उच्चतर हो। प्रबंधन ऐसी बिक्री के प्रति प्रतिबद्ध होता है जिसकी पूर्ण बिक्री उसके वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर स्वीकृति के लिए संभावित समझी गई हो।

बिक्री के लिए धारित के तौर पर वर्गीकृत की गई गैर–चालू परिसम्पत्तियों (तथा निपटान समूहों) का मापन उनकी वहन राशि से कम तथा उचित मूल्य में से बिक्री की लागत कम करते हुए किया जाता है।

(viii) पट्टे

जहां कहीं पट्टा अंतरण के अनुबंधों में स्वामित्व के सभी जोखिम एवं लाभ मूलतः पट्टाधारी को प्राप्त हैं वहां पट्टों का वर्गीकरण वित्त के रूप में किया गया है। ऐसे पट्टे का वर्गीकरण प्रचालन पट्टे के रूप में किया जाता है जिनके महत्वपूर्ण भाग में स्वामित्व के जोखिम तथा लाभ पट्टेदाता द्वारा धारित किए जाते हैं।

(क) प्रचालन पट्टा

प्रचालन पट्टा भुगतानों की स्वीकृति, ऐसी स्थिति के अलावा जिसके अतर्गत किसी भाग के संबंध में अन्य प्रक्रिया आधार उस समय पैटर्न के लिए अधिक अनुकूल हो, जिसमें पट्टा परिसम्पत्तियों से आर्थिक लाभों का उपयोग किया गया है, लाभ एवं हानि विवरण में पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है। पट्टेदार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन लाभ के औसत (उन स्फीतीकारी वृद्धियों के अलावा जिनके किरायों की संरचना मात्र पट्टेदार के सफीतीकारी लागत संवर्धन की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से सामान्य स्फीति की संभावना से बढ़ाकर किए जाते हैं, ऐसी वृद्धियों की स्वीकृति उस वर्ष की जाती है जिस वर्ष लाभ उत्पन्न होते हैं) की स्वीकृति सीधी रेखा आधार पर पट्टे की अवधि में से किराया व्यय घटाकर की जाती है।

(ख) वित्तीय पट्टे

वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारण की गई कम्पनी की परिसम्पत्तियों की स्वीकृति पट्टे के प्रारम्भ में उसके उचित मूल्य अथवा, यदि कम है तो न्यून मूल्य, के अनुसार न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर की जाती है। पट्टेदाता के उत्तरदेयी दायित्व तुलन पत्र में वित्तीय पट्टा दायित्व के रूप में शामिल किए जाते हैं।

वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास उनके संभावित उपयोज्यता काल पर स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले आधार के अनुसार अथवा पट्टे की संबंधित अवधि, यदि कम है, के अनुसार किया जाता है। पट्टे के बकाया शेष के संबंध में नियत ब्याज दर की स्थापना के लिए वित्तीय व्ययों एवं

पट्टा दायित्व में की गई कटौती के माध्यम से पट्टा भुगतान विभाजित कर दिए जाते हैं।

वित्तीय व्ययों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में शीघ्रातिशीघ्र कर दी जाती है परन्तु उनके उन योग्य परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध होने की स्थिति में उनका पूंजीयन ऋण लागतों से संबंधित कम्पनी की सामान्य नीति के अनुसरण में किया जाता है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति उन अवधियों के व्यय के रूप में की जाती है जिस अवधि से वे सम्बद्ध होते हैं।

(ix) मालसूचियां

मालसूचियों (नीचे अलग से उल्लिखित मदों के अलावा) का मूल्य निर्धारण, उनके अप्रयोग एवं अन्य हानियों के प्रावधान करते हुए, जहां आवश्यक समझे जाएं, उनकी न्यूनतम लागत (गतिमान भारित औसत आधार पर) तथा निवल प्राप्य मूल्य के अनुसार किया जाता है। लागतों में माल को उसके वर्तमान स्थल तथा स्थिति पर लाने के लिए व्यय किए गए सभी प्रभार शामिल होते हैं। वर्ष के अंत में शॉप फ्लोर में रखे गए कलपूर्जो तथा भंडार की मदों को भी मालसूची के अंतशेष के भाग के रूप में विचार में लिया जाता है।

लूज औजारों/परीक्षण औजारों का परिशोधन समान रूप से 3 वित्तीय वर्षों की अवधि में किया जाता है जिसमें इनके क्रय का वर्ष शामिल होता है तथा इनका उल्लेख उसी के अनुसार किया जाता है। इन शीर्षों के अतंर्गत रद्द की गई मदों का बट्टा एफआईएफओ आधार पर किया जाता है।

भंडार एवं अतिरिक्त पूर्जों की वे मदें, जिनका प्राप्ति मूल्य 1000/– रुपए से कम है, अथवा तेल, ग्रीस एवं स्नेहकों की सभी उपभोज्य मदों के व्यय उनके क्रय वर्ष में दर्शाए जाते हैं।

लेखे में भंडार, अतिरिक्त पूर्जों तथा उपभोज्य मदों (स्थल सहायता एवं परीक्षण उपकरणों तथा अनुरक्षण औजारों के अलावा) की गैर गतिमान मदों, जो पिछले संव्यवहार की तिथि से तीन नि. रंतर वर्षों में वास्तविक उपयोग के लिए जारी नहीं की गई हैं, के संबंध में गतिमान भारित औसत आधार पर प्रावधान किए गए हैं।

(x) क्षति

क) <u>वित्तीय परिसम्पत्तियां</u>

इंड ए एस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा क्षति हानियों के मापन एवं स्वीकृति के उद्देश्य से निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं क्रेडिट जोखिम विवरण के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग किया गया है:–

i. वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, जमा इत्यादि पर किया गया है।

ii. व्यवसाय प्राप्य–कम्पनी द्वारा व्यवसाय प्राप्यों का मापन, यदि संव्यवहार में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है, उनके संव्यवहार मूल्य पर तथा किया जाता है तथा क्षति हानि भत्ते की स्वीकृति के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा व्यवसाय प्राप्य के लिए इंड ए एस–109 वित्तीय उपकरण में दी गई सरलीकृत विधि का उपयोग किया जाता है। सरलीकृत विधि के उपयोग से कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में होने वाले ट्रैक परिवर्तनों का अनुगमन नहीं करना होता है। इसकी अपेक्षा इसमें क्षति हानि भत्ते की स्वीकृति उनके उपयोज्यता काल की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को संभावित क्रेडिट पर की गई प्रारंभिक स्वीकृति पर आधारित है।

कम्पनी द्वारा संभावित क्रेडिट हानियों का मापन केवल उन मामलों में किया गया है जिनके लिए रिपोर्टिंग तिथि के लिए औचित्यपरक एवं समर्थनकारी सूचना किसी अदेय लागत अथवा पूर्व कार्यों, चालू स्थितियों एवं भावी आर्थिक स्थिति के पूर्वानुमान के प्रयासों के बिना उपलब्ध होती है।

किसी औचित्यपरक सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में कम्पनी द्वारा सामान्यतः केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश से सात वर्षों से अधिक अवधि के प्राप्य बकाया को संदेहास्पद मानकर प्रभारित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के अलावा अन्य पार्टियों से तीन वर्ष से अधिक अवधि के प्राप्य बकाया

को संदेहास्पद माना जाता है तथा इस अवधि से पूर्व उनके संदेहास्पद न होने का विशिष्ट संज्ञान होने की स्थिति के अलावा स्थिति में उसे प्रभारित किया जाता है।

iii. व्यवसाय देय – बाह्य पार्टियों के दावा न किए गए क्रेडिट शेष तथा तीन वर्षों से अधिक बकाया को लेखे में लेकर आय मान लिया जाता है।

iv. सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कम्पनियों से कालातीत देयताओं को सामान्यतः ऐसी वित्तीय परिसम्पत्ति के ऋण जोखिम में वृद्धि के रूप में विचार में नहीं लिया जाता है।

v. विधिक प्रक्रिया में विवादित देयताओं के संबंध में कम्पनी के प्रति प्रतिकूल निर्णय होने के विचार से प्रावधान किए जाते हैं भले ही इसके प्रति उच्च प्राधिकरणों/न्यायालयों में अपील की गई हो।

vi. लम्बे समय से बकाया देयताओं की समीक्षा की जाती है तथा मामलावार आधार पर प्रावधान किए जाते हैं।

vii. लाभ एवं हानि विवरण में क्षति हानि भत्ते (अथवा विपयर्य) की स्वीकृति व्यय/आय के रूप में की जाती है।

ख) गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां

सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण एवं नियत उपयोज्य काल वाली अमूर्त परिसम्पत्तियों के संबंध में उनकी वहन राशि की वसूली न हो पाने का कोई लक्षण होने की स्थिति में उनका मूल्य निर्धारण उनकी वसूली योग्यता के अनुसार किया जाता है। लाभ एवं हानि विवरण में उस राशि के लिए क्षति हानि की स्वीकृति की जाती है जिस राशि से परिसम्पत्ति का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होता है। किसी परिसम्पत्ति से यदि ऐसे रोकड़ प्रवाह उत्पन्न नही होते हैं, मुख्यतः जो अन्य परिसम्पत्तियों से अलग हो, तो उसकी वसूली योग्य राशि (उचित मूल्य का उच्चतर घटा बिक्री लागत एवं उपयोग मूल्य) का निर्धारण किसी एकल परिसम्पत्ति के आधार पर किया जाता है। ऐसे मामलों में वसूली योग्य राशि का निर्धारण उसकी उस रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के लिए होता है जिससे ऐसी परिसम्पत्ति सम्बद्ध होती है।

(xi) कर्मचारी हितलाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस बारह माह की अवधि, जिस अवधि में कर्मचारियों द्वारा संबद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, के दौरान देय वेतन, मजदूरी, बोनस इत्यादि के सभी कर्मचारी हितलाभों की देयताओं की स्वीकृति रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक की गई है तथा उनका मापन गैर छूट प्राप्त राशि पर देयताओं के निपटान के भुगतान की संभाव्यता के साथ किया गया है।

ख) सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभ योजनाएं

कर्मचारी हितलाभों में भविष्य निधि अंशदान, पेंशन, सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा हितलाभ, प्रतिपूरक अनुपस्थिति तथा सेवानिवृत्ति के समय दिया जाने वाला सामान भत्ता इत्यादि शामिल है।

परिभाषित अंशदायी योजनाएं

पात्र कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना के भुगतान देय होने पर व्यय में प्रभारित किए जाते हैं। ऐसे हितलाभ परिभाषित अंशदायी योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं क्योंकि अंशदान दिए जाने के अलावा कम्पनी के अन्य कोई दायित्व नहीं होते हैं।

भविष्य निधि

कम्पनी द्वारा भविष्य निधि में अंशदान के तात्पर्य से योग्य कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना के अंतर्गत परिभाषित अंशदान दिया जाता है। योजना के अंतर्गत कम्पनी से हितलाभों में निधियन के लिए मूल वेतन के विशिष्ट प्रतिशत का अंशदान किया जाना अपेक्षित किया गया है। यह अंशदान विधि द्वारा निर्दिष्ट है तथा इसका भुगतान कम्पनी द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट को किया जाता है। मासिक अंशदान दिया जाना कम्पनी का दायित्व है तथा निधि परिसम्पत्ति में किसी प्रकार की न्यूनता भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम दरों पर आधारित

होती है। ऐसे अंशदान एवं न्यूनताओं, यदि कोई हों, को भुगतान के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

पेंशन निधि

कम्पनी की पेंशन योजना परिभाषित अंशदान योजना है, जिसमें कम्पनी की देयताएं प्रत्येक माह में किए गए अंशदान पर उस वेतन के 11% के समतुल्य हैं जिस पर भविष्य निधि अंशदान किया गया है। कम्पनी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय से अनुमोदन के पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ पेंशन योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कम्पनी द्वारा नीचे प्रस्तुत प्रमुख परिभाषित हितलाभ योजनाएं प्रदान की गई हैं:–

उपदान

कम्पनी में परिभाषित हितलाभ उपदान योजना लागू की गई है। पांच वर्ष अथवा अधिक काल की अनवरत सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति, त्याग–पत्र, सेवा मुक्ति, अक्षमता अथवा मृत्यु होने पर 20.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक उपदान का पात्र होता है। उपदान योजना के लिए निधियन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा इसका प्रबंधन अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ योजना (पीआरएमबीएस)

कम्पनी में सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ योजना लागू है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसकी पत्नी/उसके पति को कम्पनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा की शर्त के साथ पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

सेवानिवृत्ति के समय सामान भत्ता

सामान भत्ते के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी ऐसे स्थान के लिए, जहां कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात अपना निवास स्थापित करना चाहता है, कर्मचारी/परिवार के सदस्यों की यात्रा तथा सामान की शिफ्टिंग के लिए पुनर्भुगतान करने की व्यवस्था की गई है।

कम्पनी की परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में देयताओं अथवा परिसम्पत्तियों की स्वीकृति तुलन पत्र में परिभाषित हितलाभ दायित्व के विद्यमान मूल्य पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्तियों में से उचित मूल्य घटाकर की जाती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व का आकलन वार्षिक तौर पर बीमांकन द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से किया जाता है।

उक्त दायित्व के विद्यमान मूल्य का निर्धारण सरकारी बांडों, जो संबद्ध दायित्व के काल की लगभग समान अवधि के अवधि के होते हैं, के बाजार प्रतिफल के उपयोग से अनुमानित भावी रोकड़ बर्हिप्रवाह में न्यूनता करके किया जाता है।

ब्याज आय/(व्यय) का आकलन सकल परिभाषित देयता अथवा परिसम्पत्ति पर छूट दर के उपयोग से किया जाता है। निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व अथवा परिसम्पत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

अनुभव समायोजनों से उत्पन्न पुनःमापन लाभों तथा हानियों एवं बीमांकित अनुमानों की स्वीकृति उनके उत्पन्न होने के वर्ष में सीधे अन्य विस्तृत आय में की जाती है। इन्हें इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं तुलन पत्र में धारित आय में शामिल किया जाता है।

योजना संशोधनों अथवा संक्षेपन से उत्पन्न परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के परिवर्तन पूर्व सेवा लागत पर लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल स्वीकृत किए जाते हैं।

छुट्टी (अर्जित छुट्टी/अर्ध वेतन छुट्टी)

कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी हितलाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित) तथा अर्ध वेतन छुट्टी लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिनकी उत्पति वर्ष में क्रमशः 30 दिन एवं 20 दिन की होती है। सेवा के दौरान 75% अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है। अर्ध–वेतन

छुट्टी का नकदीकरण केवल 50 वर्ष की आयु के पश्चात कम्पनी से कार्यमुक्त होते समय अधिकतम 480 दिनों के लिए किया जा सकता है तथा अर्ध वेतन छुट्टी के विनिमय की अनुमति नहीं है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जित छुट्टी तथा अर्ध–वेतन छुट्टी का एक साथ नकदीकरण अधिकतम 300 दिनों के लिए किया जा सकता है। इसके दायित्व की स्वीकृति बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(xii) प्रावधान

प्रावधानों की स्वीकृति तब की जाती है जब कम्पनी के समक्ष किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप (विधिक अथवा तर्कसाध्य) विद्यमान दायित्व हो तथा जिसमें आर्थिक लाभों के बर्हिप्रवाह की अपेक्षा ऐसे दायित्व के निपटान के लिए किए जाने की संभावना की गई हो तथा जिसकी राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हों। 5000/– रुपए से कम मूल्य के संव्यवहार के संबंध में व्यय/दायित्वों के प्रावधान लेखे में नहीं किए जाते हैं।

तुलन पत्र की तिथि को प्रत्येक ज्ञात दायित्वों के लिए लेखे में प्रावधान किए गए हैं। ऐसे दायित्वों को लेखे में नहीं लिया गया है जिन दायित्वों की जानकारी नहीं है अथवा जिन दायित्वों की राशि का निर्धारण औचित्यपरक सटीकता के साथ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, माल तथा मरम्मत/ओवरहॉल प्रभारों के दायित्व आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक किए गए ऐसे माल के प्रेषण के संबंध में किए गए हैं जिनकी डिलीवरी कम्पनी को वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुई है तथा इन्हें निर्माता से प्राप्त सूचना/इंजीनियरिंग अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रभारित किए गए हैं।

किसी दुर्भर अनुबंध के प्रति प्रावधान की स्वीकृति तब की जाती है जब कम्पनी को किसी अनुबंध से प्राप्त होने वाले लाभ अनुबंध के अंतर्गत निर्वाह किए जाने वाले दायित्वों की अपहिरार्य लागतों से कम हों। प्रावधान का मापन अनुबंध को समाप्त किए जाने की न्यूनतर प्रत्याशित लागत तथा अनुबंध को जारी रखे जाने की प्रत्याशित शुद्ध लागत के अनुसार किया जाता है। किसी प्रावधान को स्थापित करने से पूर्व कम्पनी द्वारा अनुबंध से सम्बद्ध क्षति हानि के प्रति स्वीकृति प्रदान की जाती है।

किसी प्रावधान से संबंधित किसी पुनर्भुगतान के व्यय लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं। धन का समय मूल्य सामग्रीगत होने की स्थिति में दायित्व से संबद्ध जोखिम के समरूप चालू कर पूर्व दर के उपयोग, जहां उचित हो, से प्रावधानों में न्यूनता की जाती है। न्यूनता का उपयोग किए जाने की स्थिति में समय के साथ साथ प्रावधान में होने वाली बढ़त की स्वीकृति वित्त लागतों के रूप में की जाती है।

(xiii) आकस्मिक देयताएं/आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व होते हैं जो पूर्व घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तथा जिनके अस्तित्व की पुष्टि भविष्य में उनके एक अथवा अधिक अवसरों पर घटित होने अथवा न होने से होती है जो कि कम्पनी के नियंत्रण से परे होते है अथवा जिनकी स्वीकृति दायित्वों के निपटान के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित न होने की संभावना से नहीं की गई थी । कम्पनी द्वारा किसी आकस्मिक देयता की स्वीकृति नहीं की गई है परन्तु वित्तीय विवरणों में उनके विद्यमान होने का प्रकटीकरण किया गया है। ऐसे संभावित दायित्व अथवा किसी ऐसे विद्यमान दायित्व, जिससे संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना अत्यधिक कम है, के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

आकस्मिक परिसम्पत्तियां संभावित परिसम्पत्तियां होती हैं जो पूर्व घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं तथा जिनके आस्तित्व की पुष्टि भविष्य में उनके एक अथवा अधिक अवसरों पर घटित होने अथवा न होने से होती है जो कि कम्पनी के नियंत्रण से परे होते है।

(xiv) राजस्व स्वीकृति

ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध से राजस्व

i. राजस्व स्वीकृति (अथवा के रूप में) तब प्रदान की जाती है जब कम्पनी किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल एवं सेवाओं (अर्थात परिसम्पत्ति) के अंतरण के निष्पादन के प्रति संतुष्ट हो।

ii. समय बिंदु पर दायित्वों का संतोषजनक निष्पादन

क. माल अथवा सेवाओं के नियंत्रण के अंतरण के निष्पादित दायित्व की प्रगति के प्रति पूर्ण संतुष्टि होने का मापन करने के समय बिंदु पर निम्नलिखित में से किसी एक मापदंड को पूरा किए जाने की स्थिति में राजस्व मान्यता मान्यता प्रदान की जाती है:–

- जब कम्पनी के निष्पादन से ग्राहक को कम्पनी के निष्पादन के लाभ की प्राप्ति एवं उपयोग के अवसर एक साथ प्राप्त होते हों।
- जब कम्पनी द्वारा किए जाने वाले निष्पादन से उस परिसम्पत्ति की उत्पति अथवा संवर्धन होता हो जिसका परिसम्पत्ति की उत्पति एवं संवर्धन के साथ साथ नियंत्रण ग्राहक द्वारा किया गया हो।
- जब कम्पनी के निष्पादन से कम्पनी द्वारा किए जाने वाले वैकल्पिक उपयोग वाली किसी परिसम्पत्ति की उत्पति न हो तथा अब तक प्रदान किए गए निष्पादन के संबंध में कम्पनी को भुगतान के प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हों।

ख. किसी निष्पादन दायित्व की प्रगति के संतोषजनक निर्वाह का मूल्यांकन अनुबंध को पूरा किए जाने की संभावित अनुमानित लागत की रिपोर्टिंग तिथि तक व्यय की गई वास्तविक लागतों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। यदि किसी निष्पादन दायित्व के प्रतिफल के विश्वसनीय अनुमान लगाए जाने संभव नहीं होते तथा जब लागतों की वसूली संभाव्य हो तो व्यय की गई लागतों के लिए राजस्व स्वीकृति की जाती है।

ग. एएमसी अनुबंधों के ऐसे मामलों में, जिनमें निष्पादन दायित्व के प्रति संतुष्टि के मापदंड समय पर आधारित होते हैं, राजस्व स्वीकृति आउटपुट विधि के उपयोग से की जाती है।

iii. समय बिन्दु पर निष्पादन दायित्व के प्रति संतुष्टि

1. ऐसे मामलों के संबंध में जब नियंत्रण का अंतरण समय बिंदु पर न किया गया हो तो कम्पनी द्वारा राजस्व के प्रति प्रदान की जाने वाली स्वीकृति निष्पादन दायित्वों के प्रति संतुष्टि के समय बिन्दु पर की जाती है।

2. ग्राहक द्वारा परिसम्पत्ति का नियंत्रण प्राप्त किए जाने पर निष्पादन दायित्व पूरा हो जाते हैं। नियंत्रण अंतरण के सूचकों में निम्नलिखित शामिल है:–

- कम्पनी द्वारा परिसम्पत्ति का भौतिक धारण अंतरित किया जाना
- ग्राहक के पास परिसम्पत्ति का विधिक शीर्ष होना
- ग्राहक द्वारा परिसम्पत्ति की स्वीकृति किया जाना
- कम्पनी के पास परिसम्पत्ति के लिए भुगतान करने के अधिकार विद्यमान होना
- परिसम्पत्ति के महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व प्रतिफल ग्राहक का होना। अनुबंध से सम्बद्ध दायित्वों के मूल्यांकन के आधार पर महत्वपूर्ण जोखिमों एवं स्वामित्व प्रतिफल का अंतरण किया जाता है।.

iv. मापन

1. निष्पादन दायित्व के लिए निर्धारित संव्यवहार मूल्य की राशि पर राजस्व स्वीकृति की जाती है।

2. संव्यवहार मूल्य वह राशि है जिसकी प्रत्याशित पात्रता कम्पनी द्वारा किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल एवं सेवाओं के विनिमय, तृतीय पक्षकारों की ओर से संग्रहित राशि के अलावा, के फलस्वरूप की जाती है।

3. मूल्य संवर्धन के मामले में, जिसमें ग्राहक द्वारा अतिरिक्त प्रतिफल का निर्धारण एवं अनुमोदन दिया जाता है, अतिरिक्त राजस्व के प्रति दी जाने वाली स्वीकृति ग्राहक (ग्राहकों) से प्राप्ति की पुष्टि के पश्चात की जाती है।

4. राजस्व का मापन प्राप्त अथवा प्राप्य उचित मूल्य पर होता है। राजस्व स्वीकृति से पूर्व नीचे प्रस्तुत विशिष्ट स्वीकृति मापदंड भी पूरे किए जाने चाहिए:

1) हेलीकॉप्टरों के प्रचालन से राजस्व की स्वीकृति उपचय आधार पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार की जाती है।

2) इंजीनियरिंग तथा अन्य सेवाओं से सम्बद्ध राजस्व की स्वीकृति संव्यवहार की पूर्णता के स्तर के संदर्भ में रिपोर्टिंग तिथि के अंत में तब की जाती है जब सेवाओं की प्रस्तुति के संबंध में प्रतिफल के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हों।

3) अपशिष्ट परिसम्पत्तियों/भंडार की बिक्री से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति वास्तविक प्राप्तियों के अनुसार की जानी है।

4) वित्तीय परिसम्पत्तियों से ब्याज आय की स्वीकृति तब की जानी है जब ऐसी संभावना हो कि इससे कम्पनी के लिए आर्थिक लाभ प्रवाहित होगें तथा आय की राशि का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा। मूल बकाया के संदर्भ में समय आनुपातिक आधार पर लागू ब्याज दर पर उत्पन्न ब्याज की दर वह होती है जो उस परिसम्पत्ति की प्रारंभिक स्वीकृति के समय की निवल वहन राशि के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों के संभावित उपयोज्यता काल के माध्यम से अनुमानित भावी रोकड़ प्राप्तियों में स्टीक न्यूनता करती है।

5. स्टैंड–एलोन क्रय मूल्य उपलब्ध न होने की स्थिति में कम्पनी द्वारा स्टैंड–एलोन क्रय मूल्य के अनुमान लगाए जाते हैं।

6. दंड

किसी अनुबंध में निर्दिष्ट दंड (विलम्बित देरी के निर्णित हर्जानों पर लेवी सहित) संव्यवहार मूल्य का अंतर्निहित भाग नहीं माना जाता है यदि उसकी पुनरीक्षा ग्राहक द्वारा की जानी अपेक्षित है।

(xv) शेयरधारकों को लाभांश

इक्विटी शेयरधारक के लाभांश की स्वीकृति दायित्व के रूप में की जाती है तथा शेयरधारक की इक्विटी में से इसकी कटौती उस अवधि में की जाती है जिस अवधि के दौरान आम बैठक में शेयरधारक द्वारा लाभांश अनुमोदित किया गया है। अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा की गई घोषणा की तिथि के लिए दायित्व के तौर पर रिकार्ड में लिया जाता है।

(xvi) पूर्व चुकता व्यय

5,000/– रुपए की राशि से कम के एकल पूर्व चुकता व्यय का लेखांकन नहीं किया जाता है।

(xvii) ऋण लागतें

किसी ऐसी योग्य परिसम्पति, जिसके आशित उपयोग के लिए निर्माण अथवा अधिग्रहण में काफी समय लगना अपेक्षित हो, से सीधे सम्बद्ध ऋण लागतों का पूंजीयन परिसम्पतियों के भाग के रूप में उस समय तक किया जाता है जब तक ऐसी परिसम्पतियां आशित उद्देश्य के लिए तैयार होती है। अन्य ऋण लागतों की स्वीकृति व्यय के रूप में उनके व्यय के वर्ष में की जाती है। सामान्यतः ऋण लागतों का पूंजीयन ऐसी परिसम्पत्ति के व्यय पर पूंजीयन दर के उपयोग से योग्य परिसम्पत्तियों के रूप में किया जाता है। विशिष्ट ऋणों के अलावा सामान्य ऋण बकायों पर लागू ऋण लागतों का भारित औसत पूंजीयन दर होती है। अन्य सभी ऋण लागतों को व्यय किए जाने की अवधि में प्रभारित किया जाता है। ऋण लागतों में ब्याज तथा वे अन्य लागतें भी शामिल होती हैं जो इकाई द्वारा निधियों के ऋण के लिए व्यय की गई हों। ऋण लागत में ऋण लागतों पर समायोजन के लिए उपयोग में लाया गया ऋण अंतर भी शामिल होता है। अन्य ऋण लागतों की व्यय के रूप में स्वीकृति उनके व्यय किए जाने के वर्ष में की जाती है।

(xviii) कमीशन

बिक्री पर चुकता/देय कमीशन की स्वीकृति टिकटों की बिक्री के लिए तथा एजेंटों (ग्राहकों) के साथ किए गए अनुबंध के उपबंधों के अनुसार की जाती है। कम्पनी इसमें चूंकि प्रधान के कार्य करती है अतः लाभ एवं हानि विवरण में इस व्यय की स्वीकृति कमीशन के रूप में की जाती है।

(xix) व्यय

व्ययों का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक ज्ञात हानियों एवं देयताओं के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

(xx) हेलीकॉप्टर मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत

कम्पनी द्वारा हेलीकॉप्टर मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत (प्रमुख ओवरहॉल लागत के अलावा) को व्यय के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

(xxi) हेलीकॉप्टर ईंधन व्यय

हेलीकॉप्टर ईंधन व्ययों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में किसी प्रकार की छूट काटकर भराई एवं खपत के अनुसार की जाती है।

(xxii) आय कर

आय कर व्यय में चालू एवं आस्थगित आय कर शामिल है। लाभ एवं हानि विवरण में आय कर व्ययों की स्वीकृति इक्विटी से प्रत्यक्ष स्वीकृत मदों, जिन्हें अन्य विस्तृत आय में स्वीकृत किया जाता है, के अलावा की जाती है।

चालू कर

चालू एवं पूर्वावधियों के चालू आय कर की स्वीकृति कर प्राधिकरणों को देय संभावित राशि अथवा वसूल की जाने वाली राशि के अनुसार उन कर दरों एवं कर विधियों के उपयोग से की जाती है जिनका सम्पादन अथवा अनुवर्ती सम्पादन तुलन पत्र तिथि के लिए किया गया है। इक्विटी में प्रत्यक्ष स्वीकृत मदों से सम्बद्ध चालू कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण के स्थान पर अन्य व्यापक आय में की जाती है।

निर्धारण के अनुसार की गई अतिरिक्त आय कर मांग की स्वीकृति अंतिम निर्धारण तय होने के वर्ष में की जाती है। तदनुसार आय कर धनवापसी पर ब्याज का लेखांकन निर्धारण तय होने के वर्ष अथवा वास्तविक प्राप्ति, जो भी बाद में हो, के अनुसार किया जाता है।

कम्पनी द्वारा उन चालू कर परिसम्पत्तियों तथा चालू कर दायित्वों का समंजन किया जाता है जिनके संबंध में स्वीकृत मात्रा के अनुसार समंजन के लिए विधिक प्रवर्तन अधिकार उपलब्ध हैं तथा जो सकल आधार पर इनका निपटान करने अथवा परिसम्पत्ति से धन प्राप्त करने अथवा साथ साथ दायित्व का निपटान करने की मंशा से हो। संबंधित वर्ष के लिए आय कर प्रावधान वित्तीय वर्ष के लिए लागू संभावित वार्षिक कर दर पर किए जाते हैं।

(xxiii) आस्थगित कर

आस्थगित आय कर परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की स्वीकृति परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के कर आधार एवं वित्तीय विवरणों में उनकी वहन राशि के कर आधार के मध्य उत्पन्न सभी अस्थाई अंतरों के अनुसार की जाती है। आस्थगित कर की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में होती है तथा इसे उस सीमा तक न्यून किया जाता है जहां तक उपयोग की जाने वाली आस्थगित कर परिसम्पत्ति के प्रत्येक अथवा किसी भाग पर पर्याप्त कर योग्य लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का मापन तुलन पत्र तिथि के सम्पादन अथवा अनुवर्ती सम्पादन के लिए उपयोग में लाई गई कर दरों तथा कर विधियों के अनुसार किया जाता है तथा जिनके उपयोग की संभावना उन वर्षों की कर योग्य आय के लिए होती है जिन वर्षों में इनके अस्थाई अंतरों की वसूली अथवा निपटान संभावित हैं। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों की कर दरों में परिवर्तन के प्रभाव उनके अधिनियमन अथवा विधिवत प्रस्तावित अधिनियमन की तिथि के साथ वर्ष की आय अथवा व्यय में स्वीकृत किए जाते हैं। आस्थगित कर आय परिसम्पत्ति की स्वीकृति उस सीमा तक की जाती है जिसके प्रति उनसे ऐसे भावी कर योग्य लाभों की प्राप्ति की संभावना हो जिससे कटौती योग्य अस्थाई अंतरों तथा कर हानियों का उपयोग किया जा सकेगा।

स्वीकृत न किए गए आस्थगित कर का पुनःमूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा उनकी स्वीकृति उस सीमा तक की जाती है जिसमें उन कर योग्य लाभों की प्राप्ति की संभावना हो जिन्हें इनके प्रति उपयोग में लाया जा सकेगा।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का संमजन केवल तभी किया जाता है जब कम्पनी के पास चालू कर दायित्वों के प्रति चालू कर

परिसम्पत्तियों के समंजन के लिए प्रवर्तन योग्य विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा आस्थगित कर परिसम्पत्तियां एवं आस्थगित कर दायित्व कर दायित्व उन्हीं कराधान प्राधिकरण द्वारा समान कर योग्य इकाई के लिए अधिरोपित आय कर से संबंधित हों।

लाभ एवं हानि से बाहर की मदों से संबंधित स्वीकृत आस्थगित कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि के बाहर (अन्य विस्तृत आय में अथवा इक्विटी में) की जाती है।

आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। चुकता किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त क्रेडिट की स्वीकृति परिसम्पत्ति के रूप में केवल तभी की जाती है जब ऐसा स्वीकार्य प्रमाण उपलब्ध हो कि कम्पनी द्वारा उस अवधि के लिए सामान्य आय कर चुकता कर दिया जाएगा जिस अवधि के लिए सामान्य कर दायित्वों का समंजन न्यूनतम वैकल्पिक कर को अग्रेषित करके किया जा सकता है। परिसम्पत्ति के तौर पर स्वीकृत न्यूनतम वैकल्पिक कर की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है तथा उपर्युक्तानुसार स्वीकार्य प्रमाण विद्यमान न होने की स्थिति में इन्हें संबंधित सीमा तक प्रभारित कर लिया जाता है।

(xxiv) प्रति इक्विटी शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय का आकलन कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के शुद्ध लाभ अथवा हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है। प्रति शेयर विरल की गई राशि सामान्य इक्विटी शेयरों के लाभ एवं हानि तथा भारित औसत इक्विटी शेयरों से समायोजित करके आकलित करते हुए सम्बद्ध की जाती है, जिससे विरल किए गए शेयरों की संख्या के प्रभाव उत्पन्न हो सकें

(xxv) सेगमेंट रिपोर्टिंग

प्रचालनात्मक सेगमेंट की रिपोर्टिंग आंतरिक रिपोर्टिंग से संगत पद्धति के अनुसार मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को की जाती है। मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक निदेशक मंडल होता है जिसके द्वारा रणनीतिक निर्णय लिए जाते हैं तथा जो प्रचालनात्मक सेगमेंट के संसाधनों एवं निष्पादन मूल्यांकन के निर्धारण के प्रति उत्तरदायी है।

(xxvi) बीमा/बीमा दावे

क) हेलीकॉप्टरों तथा मालसूची से भिन्न बीमा दावों का लेखांकन रोकड़ आधार पर किया जाता है तथा आय के रूप में इनकी स्वीकृति तब की जाती है जब ये किसी तृतीय पक्षकार को देय हों।

ख) पूर्ण हानि के अलावा वसूली योग्य हेलीकॉप्टर एवं मालसूची से संबंधित दावों का लेखांकन अनुमानित/अंतिम मूल्यांकित मूल्य पर बीमा सर्वेक्षक/बीमा कम्पनी द्वारा दावे की स्वीकृति के प्रति यथार्थ निश्चितता स्थापित होने के संबंध में संबंधित वित्तीय वर्ष की लेखा बहियों के समापन से पूर्व जानकारी प्राप्त होने पर अंतिम दावा किए जाने के वर्ष की लेखा बहियों में किया जाता है अथवा इनका लेखांकन दावा स्वीकृति के वर्ष में किया जाता है। मरम्मत के वास्तविक व्यय तथा कुल बीमा दावे की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है तथा परिसम्पत्तियों को उनके बही मूल्य पर अग्रेषित किया जाता है।

ग) हेलीकॉप्टर की पूर्ण क्षति के मामले में घटना घटित होने के वर्ष में सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में से हेलीकॉप्टर के बही मूल्य को घटाकर समायोजन किए जाते हैं तथा "बीमा दावा प्राप्य लेखा" में इसका उल्लेख किया जाता है तथा बीमा कम्पनी द्वारा दावे के मूल्य की स्वीकृति/निपटान किए जाने पर "परिसम्पत्ति के भंजन पर प्राप्त बीमा दावे" के लिए लाभ/हानि के उचित समायोजन किए जाते हैं।

(xxvii) रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं

समायोजन स्थितियां वे स्थितियां हैं जिनमें उन परिस्थितियों के संबंध में प्रमाण प्राप्त होते हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान थे। ऐसी स्थितियों के लिए वित्तीय विवरणों का समायोजन जारी किए जाने के प्राधिकार से पूर्व किया गया है।

गैर–समायोजन स्थितियां वे स्थितियां हैं जो उन परिस्थितियों की सूचक हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात उत्पन्न हुई थी। रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात गैर–समायोजन स्थितियों का लेखांकन नहीं किया गया है, अपितु उनका प्रकटीकरण किया गया है।

हाल ही में की गई लेखांकन घोषणाएं

जारी मानक जो अभी प्रभावी नहीं हुए हैं

(i) इंड एएस 116 'पट्टे'

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2019 को कम्पनी (इंड एएस) प्रथम संशोधन नियमावली, 2019 के एक भाग के अंतर्गत 'इंड एएस 116–पट्टे' को अधिसूचित किया गया है जो 1 अप्रैल, 2019 से लागू है तथा इसे विद्यमान मानक इंड एएस 17, पट्टे तथा इसके परिशिष्टों में की गई इसकी व्याख्या/दिशानिर्देशों के स्थान पर उपयोग में लाया जाना है।

पट्टेदार लेखांकन में किए गए प्रमुख परिवर्तन एक पट्टा लेखांकन मॉडल से सम्बद्ध हैं जो प्रचालनात्मक एवं वित्तीय पट्टों के मध्य वर्गीकरण एवं बिक्री एवं पट्टा वापसी संव्यवहारों के लिए लाभ/हानि की स्वीकृति को समाप्त करके बनाए गए हैं। पट्टेदार के लिए नए पट्टा लेखांकन मॉडल के अंतर्गत प्रमुख पट्टों की स्वीकृति परिसम्पत्ति के अनुवर्ती 'उपयोग अधिकार' के साथ पट्टा देयता के तौर पर तुलन पत्र में की जानी है। इंड एएस 116 से वित्तीय विवरणों के सभी तीन घटकों पर प्रभाव पड़ेगा।

कम्पनी द्वारा संशोधन की अपेक्षाओं तथा वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ii) इंड एएस 12: आय कर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2019 को इंड एएस 12, आय कर में लाभांश वितरण करों के लेखांकन से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन जारी किए गए हैं।

इस संशोधन में किसी इकाई द्वारा लाभ अथवा हानि, अन्य विस्तृत आय अथवा इक्विटी के लाभांश पर आय कर के परिणामों की स्वीकृति उनके संबंध में इकाई द्वारा पूर्व संव्यवहारों एवं घटनाओं के अनुसार किए जाने की अपेक्षा की गई है।

इस संशोधन की उपयोज्यता की अवधि वार्षिक है तथा ये 1 अप्रैल, 2019 को अथवा उसके पश्चात से प्रभावी हैं। इस संशोधन से कम्पनी के लेखों पर कोई प्रभाव नहीं हैं।

(iii) इंड एएस19: कर्मचारी हितलाभ

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2019 को इंड एएस 19, कर्मचारी हितलाभ में योजना संशोधन, संक्षेपण तथा निपटान के लेखांकन के संबंध में संशोधन जारी किए गए हैं।

इन संशोधनों में किसी इकाई से यह अपेक्षा की गई है कि वह:

योजनागत संशोधन, संक्षेपण अथवा समाधान के पश्चात चालू सेवा लागत तथा शेष अवधि पर उसके शुद्ध ब्याज के निर्धारण के लिए अद्यतन अनुमानों का उपयोग करना; तथा

अधिशेष में किसी प्रकार कमी होने, भले ही ऐसे अधिशेष को परिसम्पत्ति की उच्चतम सीमा के प्रभाव के कारण पूर्व में स्वीकृति प्रदान न हो, की स्वीकृति पूर्व सेवा लागत, अथवा समाधान पर लाभ अथवा हानि के भाग के रूप में लाभ एवं हानि में स्वीकृति प्रदान करना।

इस संशोधन की उपयोज्यता की अवधि वार्षिक है तथा ये 1 अप्रैल, 2019 को अथवा उसके पश्चात से प्रभावी हैं। इस संशोधन से कम्पनी के लेखों पर कोई प्रभाव नहीं हैं।

कम्पनी द्वारा संशोधन की अपेक्षाओं तथा वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

नोट 3: संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

3.1 सक्रिय उपयोग में आस्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	पट्टाधृति भूमि	हेलीकॉप्टर/एयरो इंजन एवं अन्य	भवन	संयंत्र एवं उपस्कर	फर्नीचर एवं जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपस्कर	कंप्यूटर एवं अन्य उपस्कर	कुल	पूंजी कार्य प्रगति पर
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार सकल वहन मूल्य	**42.57**	**89,790.60**	**7,613.68**	**3,352.79**	**421.52**	**82.27**	**147.46**	**210.98**	**101,661.86**	**677.30**
परिवर्धन	-	6,060.88	48.15	45.93	6.84	0.38	21.37	9.90	6,193.45	1,634.16
क्षति		(54.43)							(54.43)	-
निपटान/समायोजन	-	(4,424.27)	5.73	(39.64)	(0.75)	(0.24)	(0.28)	(15.34)	(4,474.79)	(152.89)
1 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार सकल वहन मूल्य	**42.57**	**91,372.78**	**7,667.56**	**3,359.08**	**427.61**	**82.41**	**168.55**	**205.53**	**103,326.09**	**2,158.57**
परिवर्धन	-	9,277.05	5.02	129.63	7.31	-	7.98	11.08	9,438.05	583.06
निपटान/समायोजन	-	(312.32)	(0.01)	(0.12)	(1.07)	(0.89)	(3.35)	-	(317.76)	(2,020.23)
क्षति		(25.18)							(25.18)	(32.67)
समाप्त किए गए प्रचालनों मे अंतरित	-	-	(5,191.40)	(810.66)	(111.33)	(0.81)	(19.69)	(0.11)	(6,133.98)	-
1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार सकल वहन मूल्य	**42.57**	**100,312.33**	**2,481.17**	**2,677.94**	**322.52**	**80.71**	**153.49**	**216.50**	**106,287.21**	**688.73**
मूल्यह्रास एवं क्षति										
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार सकल वहन मूल्य ह्रास	**1.31**	**13,965.49**	**265.35**	**532.75**	**109.53**	**40.99**	**56.41**	**136.27**	**15,108.09**	-
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्य ह्रास – जारी प्रचालन	0.66	7,558.65	470.05	317.23	62.34	11.00	24.45	31.01	8,475.38	-
क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
धारित आय में समायोजित राशि	-	(1.62)	7.89	0.02	-	-	-	0.02	6.31	-
निपटान	-	(822.15)	(2.16)	(9.85)	(0.36)	-	(0.14)	(13.14)	(847.79)	-
1 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार सकल वहन मूल्य ह्रास	**1.96**	**20,700.37**	**741.12**	**840.15**	**171.50**	**51.99**	**80.72**	**154.16**	**22,741.99**	-
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्य ह्रास – जारी प्रचालन	0.65	7,980.99	129.98	230.45	50.67	8.81	17.35	11.00	8,429.89	-
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्य ह्रास – समाप्त किए गए प्रचालन	-	-	342.69	79.98	11.14	0.10	3.94	0.04	437.88	
समाप्त किए गए प्रचालनों में अंतरित	-	-	(715.40)	(166.96)	(23.24)	(0.21)	(8.22)	(0.07)	(914.10)	
क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
धारित आय में समायोजित राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान	-	(97.49)	-	-	(0.52)	(0.16)	(1.33)	-	(99.49)	-
1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार सकल वहन मूल्य ह्रास	**2.61**	**28,583.88**	**498.38**	**983.62**	**209.55**	**60.54**	**92.46**	**165.13**	**30,596.16**	-
शुद्ध बही मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	39.96	71,728.45	1,982.79	1,694.32	112.96	20.17	61.03	51.37	75,691.05	688.73
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	40.61	70,672.41	6,926.44	2,518.93	256.10	30.42	87.83	51.37	80,584.10	2,158.57

	31 मार्च 2019 को	**31 मार्च 2018 को**
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	75,691.05	80,584.10
पूंजी कार्य प्रगति पर	688.73	2,158.57

नोट सं. 4
अमूर्त आस्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	कप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार सकल मूल्य	**207.30**	**207.30**
परिवर्धन / (हटाया गया / समायोजन)	-	-
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार सकल मूल्य	**207.30**	**207.30**
परिवर्धन / (हटाया गया / समायोजन)	-	-
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सकल मूल्य	**207.30**	**207.30**
परिशोधन एवं क्षति		
31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास	**197.96**	**197.96**
परिशोधन	3.67	3.67
क्षति	-	-
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास	**201.63**	**201.63**
परिशोधन	3.07	3.07
क्षति	-	-
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास	**204.70**	**204.70**
शुद्ध बही मूल्य		
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	2.60	2.60
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	5.67	5.67

नोट सं. 5
निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
गैर चालू		
गैर–उदृधृत इक्विटी उपकरण		
अन्य व्यापक आय (पूर्ण चुकता) के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रा.लि.	289.34	289.34
28,93,353 (पि.व. 28,93,353) 10 रुपए मूल्य प्रत्येक के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर)		
घटाएं: निवेश के मूल्य पर घटत के प्रावधान	(211.68)	(211.68)
योग	**77.66**	**77.66**
गैर–उद्धृत निवेश का औसत वहन मूल्य	289.34	289.34
गैर–उद्धृत निवेश का औसत बाजार मूल्य	-	-
निवेश के मूल्य की औसत क्षति राशि	211.68	211.68

नोट सं. 6
ऋण*

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
गैर–चालू		
(क) सुरक्षा जमा		
अप्रत्याभूत, अच्छा माना गया	374.06	364.62
अप्रत्याभूत, संदेहास्पद माना गया	1.91	1.91
	375.97	366.53
घटाएं: संदेहास्पद जमा के प्रावधान	(1.91)	(1.91)
	374.06	364.62
(ख) सम्बद्ध पार्टी को ऋण	-	-
(ग) अन्य ऋण		
(i) कर्मचारियों को ऋण		
प्रत्याभूत, अच्छा माना गया	139.70	209.77
अप्रत्याभूत, अच्छा माना गया	25.78	25.78
अप्रत्याभूत, संदेहास्पद माना गया	-	-
	165.48	235.55
घटाएं: संदेहास्पद ऋण के प्रावधान	-	-
	165.48	235.55
(ii) चुकता व्यय – प्रत्याभूत, अच्छा माना गया	2.81	3.54
(iii) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ऋण, संदेहास्पद माना गया	725.00	725.00
घटाएं: संदेहास्पद ऋण के प्रावधान	(725.00)	(725.00)
	-	-
योग	**542.35**	**603.71**

* निदेशक, कम्पनी के अन्य अधिकारियों अथवा फर्मों जिनमें निदेशक साझीदार हैं अथवा ऐसी निजी कम्पनियों जिनमें कोई निदेशक रिपोर्टिंग अवधि के किसी समय के दौरान निदेशक अथवा सदस्य रहा है, से कोई राशि देय नहीं है।

नोट सं. 7

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
(अप्रत्याभूत, यंदि अन्य उल्लेख नहीं है तो अच्छा माना गया)		
गैर–चालू		
उपार्जित ब्याज		
–कर्मचारी ऋण		
प्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	142.39	159.87
अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	-	-
अप्रत्याभूत, संदेहास्पद समझा गया	22.78	22.78
	165.17	182.65
घटाएं: कर्मचारी ऋणों पर संदेहास्पद ब्याज उपार्जन के प्रावधान	(22.78)	(22.78)
	142.39	159.87
संबंधित पार्टी से अर्जित ब्याज	-	-
प्रतिभूति जमा	17.94	17.68
	160.33	**177.55**
चालू		
उपार्जित ब्याज :		
– सावधि जमा	557.49	512.71
– कर्मचारी ऋण		
प्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	30.40	31.98
अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	-	-
	30.40	31.98
सम्बद्ध पार्टी से उपार्जित ब्याज	-	1.01
प्राप्य बीमा दावा	747.57	665.30
घटाएं: संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(52.75)	(5.00)
	694.82	660.30
बैंकों में सावधि जमा खाते/चालू खाते	50.00	47.83
(ना.वि. महानिदेशालय से परियोजना के लिए राशि उपार्जित ब्याज सहित)	453.70	38.24
अन्य	209.52	79.78
	1,995.93	**1,371.85**
योग	**2,156.26**	**1,549.40**

नोट सं. 8
अन्य परिसम्पत्तियां*

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
गैर चालू		
अन्यों को अग्रिम		
प्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	53.63	39.99
अप्रत्याभूत – अच्छा समझा गया	87.71	87.71
	141.34	127.70
घटाएं: संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(87.71)	(87.71)
	53.63	39.99
अग्रिम आयकर प्रावधान (निवल प्रावधान)	7,539.22	6,959.91
घटाएं: संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(67.58)	(34.98)
	7,471.64	6,924.93
पूर्व चुकता व्यय	-	-
अन्य प्राप्य	206.87	162.85
घटाएं: संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(2.92)	(2.92)
	203.95	159.93
योग	**7,729.22**	**7,124.85**
चालू		
अन्यों को अग्रिम		
प्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	5,096.23	4,602.20
अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	66.08	66.08
	5,162.31	4,668.28
घटाएं: संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(66.08)	(66.08)
	5,096.23	4,602.20
अप्रत्याभूत–अच्छा समझा गया		
सांविधिक प्राधिकरणों के पास शेष	5,296.89	2,334.60
घटाएं: संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(32.65)	(32.65)
	5,264.24	2,301.95
एम.ए.टी. क्रेडिट पात्रता		2,784.06
घटाएं: एम.ए.टी. क्रेडिट प्रयुक्त	-	(2,784.06)
	-	-
पूर्व चुकता व्यय	1,480.25	788.67
अन्य	1.43	3.87
योग	**11,842.15**	**7,696.69**

*निदेशक, कम्पनी के अन्य अधिकारियों अथवा फर्मों जिनमें निदेशक साझीदार हैं अथवा ऐसी निजी कम्पनियों जिनमें कोई निदेशक रिपोर्टिंग अवधि के किसी समय के दौरान निदेशक अथवा सदस्य रहा है, से कोई राशि देय नहीं है।

नोट सं. 9
मालसूचियां

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
(प्रमाणित तथा प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित)		
भंडार एवं कलपूर्जे	8,675.48	8,226.45
जांच किया जा रहा माल	49.49	14.96
घटाएः (i) अचल भंडार एवं कलपूर्जों के लिए प्रावधान	(3,333.81)	(3,132.86)
(ii) मालसूची में न्यूनता के लिए प्रावधान	(99.03)	(72.02)
(iii) मूल्य में न्यूनता के लिए प्रावधान	(453.14)	(453.13)
	4,838.99	**4,583.40**
मरम्मत योग्य तथा रोटेबल कलपूर्जे	1,575.57	1,575.57
घटाएः (i) अप्रचलित रिजर्व	(1,436.26)	(1,436.26)
(ii) मूल्य में न्यूनता के लिए प्रावधान	(139.31)	(139.31)
	-	-
	472.04	444.33
टैस्ट टूल उपकरण (लागत पर)	(425.72)	(425.56
घटाएः (i) बट्टा	46.32	18.77
जैम मॉड्यूल	501.37	501.37
घटाएंः (i) अप्रचलित रिजर्व	(447.21)	(447.21)
(ii) मूल्य में न्यूनता के लिए प्रावधान	(54.16)	(54.16)
	-	-
मार्गस्थ माल (लागत पर)	50.57	31.78
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (लागत पर)	16.36	15.28
योग	**4,952.24**	**4,649.23**

नोट सं. 10
व्यवसाय प्राप्य

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	21,249.28	18,083.12
संदेहास्पद	3,341.93	2,007.81
	24,591.21	20,090.93
घटाएं: संदेहास्पद नामे के लिए प्रावधान	(3,341.93)	(2,007.81)
योग	**21,249.28**	**18,083.12**

(i) व्यवसाय प्राप्य सामान्यतः ब्याज मुक्त होते हैं तथा सामान्यतः इनकी अवधि 30 से 90 दिन होती है।

(ii) कम्पनी के किसी भी निदेशक अथवा अन्य अधिकारी से अलग अलग अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय अथवा अन्य प्राप्य बकाया नहीं है। ऐसी किसी फर्म अथवा निजी कम्पनियों से भी क्रमशः कोई व्यवसाय अथवा अन्य प्राप्य बकाया नहीं है, जिसमें कोई निदेशक, निदेशक, साझीदार अथवा सदस्य है।

(iii) किसी नए ग्राहक की स्वीकृति से पूर्व कम्पनी द्वारा संभावित ग्राहक की क्रेडिट गुणवता का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे ग्राहक की क्रेडिट सीमा निर्धारित होती है। ग्राहकों से सम्बद्ध सीमाओं की आवधिक समीक्षा की जाती है।

(iv) 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 16,461.62 लाख रुपए के व्यवसाय प्राप्य दस ग्राहकों से शेष हैं (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार चार ग्राहकों से 11,338.09 लाख रुपए शेष थे)। ऐसे कोई अन्य ग्राहक नहीं हैं, जिनसे कुल शेष का 5% से अधिक व्यवसाय प्राप्य हो।

नोट सं. 11
नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ लाख में)

	विवरण	स्थिति	
		31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
11.1	**बैंकों में शेष :**		
	– चालू खाते में	1,091.50	874.06
	– विदेशी मुद्रा खाते में निर्यात आय	85.68	1,070.20
	– फ्लैक्सी जमा खाते	939.10	2,357.52
	– 3 माह से कम मूल परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते	-	-
	घटाएं: अस्थाई बैंक ओवरड्राफ्ट	(38.74)	(459.70)
	उपलब्ध रोकड़	8.69	9.13
	योग	**2,086.23**	**3,851.21**
11.2	**अन्य बैंक शेष**		
	– सावधि जमा खाते	8,222.25	27,924.06
	(3 माह से अधिक मूल परिपक्वता वाले)		
	– बैंकों में मार्जिन धन	3,277.98	2,261.00
	योग अन्य बैंक शेष	**11,500.23**	**30,185.06**
	योग	**13,586.46**	**34,036.27**

नोट सं. 12

ऋण

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
चालू		
सम्बद्ध पार्टियों को ऋण	-	-
अन्य		
– कर्मचारियों को ऋण तथा अग्रिम		
प्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	143.77	52.98
अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया	566.98	475.08
अप्रत्याभूत, संदेहास्पद समझा गया	62.77	62.77
	773.52	590.83
घटाएं: संदेहास्पद ऋण एवं अग्रिम प्रावधान	(62.77)	(62.77)
	710.75	528.06
योग	**710.75**	**528.06**

*निदेशक, कम्पनी के अन्य अधिकारियों अथवा फर्मों जिनमें निदेशक साझीदार हैं अथवा ऐसी निजी कम्पनियों जिनमें कोई निदेशक रिपोर्टिंग अवधि के किसी समय के दौरान निदेशक अथवा सदस्य रहा है, से कोई राशि देय नहीं है।

नोट सं. 13
चालू कर आस्तियाँ एवं देयताएं

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	823.49	1,281.00
चालू कर देयताएं (निवल)	-	(566.26)
योग	**823.49**	**714.74**

(क) 31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय कर व्यय के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:–

लाभ और हानि खंड

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
चालू आय कर :		
चालू आय कर प्रभार	-	566.26
पूर्व वर्ष के चालू आय कर के संबंध में समायोजन	(10.26)	(3.98)
आस्थगित कर:		
अस्थाई अंतरों की व्युत्पति तथा व्युतक्रमण से सम्बद्ध	(2,906.31)	(1,318.71)
	(2,916.57)	**(756.43)**

अन्य व्यापक आय खंडः **(मूल्य ₹ लाख में)**

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
एफवीटीओसीआई इक्विटी सिक्योरिटिज पर अप्रयुक्त लाभ/(हानि)	-	-
निवेश के मूल्य की अवनति से निवल हानि/(लाभ)	-	(9.24)
परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनःमापन से निवल हानि/(लाभ)	(58.62)	58.51
अन्य व्यापक आय पर प्रभारित आय कर	**(58.62)**	**49.27**

(ख) कर व्ययों का समाधान तथा 31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 की भारतीय घरेलू कर दर से गुणक करके लाभ का लेखांकन

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
कर पूर्व लेखांकन	(8,592.77)	1,173.06
उपर्युक्त पर @19-24% आयकर (31 मार्च, 2018: 21.3416%)	-	250.35
जोड़ें: बही लाभ के निर्धारण के लिए कटौती न किए जाने वाले व्ययों का कर प्रभाव		
कर उद्देश्यों से गैर–कटौती योग्य व्यय :		
– संदेहास्पद ऋण/ऋण एवं अग्रिम के प्रावधान	-	103.89
– स्थिर/न्यून मालसूचियों के लिए प्रावधान	-	35.19
– अन्य व्यापक आय के अनुसार परिभाषित हितलाभ दायित्वों का पुनः मापन	-	30.47
– आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत गैर अनुमत्त व्यय/प्रावधान	-	-
– इंड एएस प्रभाव तथा घटक लेखांकन के कारण वित्तीय वर्ष 2015–16 के कर पूर्व लाभ में परिवर्तन	-	-
– धारित आय में प्रभारित पूर्वावधि मदों का कर प्रभाव	-	146.36
– आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 234(बी) एवं 234(सी) के अंतर्गत आय कर पर ब्याज	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए व्यय पर आय कर	**-**	**566.26**

नोट सं. 14.1
इक्विटी शेयर पूंजी

(यदि अन्यथा उल्लिखित नहीं है तो रुपए लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
शेयर पूंजी		
(क) प्राधिकृत, जारी, अभिदत्त एवं चुकता शेयर पूंजी तथा प्रति शेयर सम मूल्य		
प्राधिकृत पूंजी		
5,60,000 (पि. व. 5,60,000) 10,000/– रुपए मूल्य प्रत्येक के इक्विटी शेयर	56,000.00	56,000.00
जारी पूंजी, अभिदत्त तथा पूर्ण चुकता		
5,57,482 (पि.व. 5,57,482) 10,000/– रुपए मूल्य प्रत्येक के इक्विटी शेयर	55,748.20	55,748.20
पूर्व चुकता पूंजी		
5,57,482 (पि.व. 5,57,482) 10,000/– रुपए मूल्य प्रत्येक के इक्विटी शेयर	55,748.20	55,748.20
	55,748.20	**55,748.20**

(ख) वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का समाधान

(यदि अन्यथा उल्लिखित नहीं है तो रुपए लाख में)

विवरण	यथातिथि 31 मार्च, 2019		यथातिथि 31 मार्च, 2018	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
अवधि के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	557,482	55,748.20	245,616	24,561.60
अवधि के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	557,482	55,748.20	557,482	55,748.20
वर्ष के दौरान परिवर्तन	**-**	**-**	**311,866**	**31,186.60**

(ग) विभिन्न वर्गों के शेयरों से सम्बद्ध राइट, अधिमान तथा प्रतिबंध

शेयरों का वर्ग	इक्विटी शेयरों के साथ सम्बद्ध शर्तें
इक्विटी	कम्पनी के 10,000 रुपए प्रति सम मूल्य शेयर के साथ सम्बद्ध राइट, अधिमान एवं प्रतिबंध तथा शेयरों के वर्ग सहित उनके समरूप वितरण के प्रतिबंधों में वोटिंग अधिकार एवं लाभांश की पात्रता तथा पूंजी का पुनःभुगतान शामिल है।

(घ) 5% से अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति		31 मार्च, 2018 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	% धारण	शेयरों की संख्या	% धारण
भारत के राष्ट्रपति	284,316	51%	284,316	51%
ओएनजीसी लिमिटेड	273,166	49%	273,166	49%

नोट सं. 14.2
अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
सामान्य आरक्षित	2,050.00	2,050.00
धारित आय	47,003.40	53,983.96
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरणों के लिए आरक्षित	(42.22)	(42.22)
अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण उपकरणों के लिए आरक्षित	-	-
आबंटन से पूर्व प्राप्त शेयर आवेदन धन		-
अन्य आरक्षित	116.01	245.28
योग	**49,127.18**	**56,237.02**

नोट सं. 15
ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	परिपक्वता	स्थिति	
		31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
गैर–चालू देयताएं			
प्रत्याभूत आवधिक ऋण			
– एनटीपीसी लिमिटेड	अप्रैल, 2022*	-	1,928.19
योग		**-**	**1,928.19**
ऋण की परिपक्वता का संक्षेप नीचे प्रस्तुत है:			
–एक वर्ष से अधिक नहीं		1,928.19	569.54
		1,928.19	**569.54**
दीर्घकालिक नामे की चालू परिपक्वता			
–एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं		-	1,928.19
–पांच वर्ष से अधिक नहीं		**-**	**1,928.19**

*एनटीपीसी द्वारा अपने दिनांक 18.4.2019 के पत्र संख्या 01/सीपी/एलएच/के माध्यम से अनुबंध/समझौता ज्ञापन को समाप्त कर दिया गया है तथा कम्पनी से ऋण की पूरी बकाया पूंजी लागू ब्याज के साथ 18.6.2019 तक जमा कराने का अनुरोध किया गया है तथा इसके पश्चात 12.20% की प्रचलित वाणिज्यिक ब्याज दर बकाया ऋण राशि के लिए लागू होगी। तदनुसार, ऋण की बकाया राशि का चालू के रूप में उल्लेख नोट संख्या 18 के अंतर्गत किया गया है।

नोट सं. 16
प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
गैर चालू		
कर्मचारी हितलाभ के प्रावधान		
–सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ योजना	1,349.01	1,114.13
– अर्जित आय	1,327.99	1,454.77
– अर्द्ध वेतन अवकाश	775.15	470.58
– अन्य	18.42	18.18
योग	**3,470.57**	**3,057.66**

नोट सं. 17
आस्थगित कर देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	17,280.80	20,245.73
	17,280.80	**20,245.73**

(क) आस्थगित आय कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं से उत्पन्न कर प्रभाव का महत्वपूर्ण अस्थाई अंतर निम्नानुसार है:–

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
आस्थगित कर देयताएं:–		
– कर उद्देश्यों से त्वरित मूल्यह्रास	22,691.29	5,196.31
कुल आस्थगित कर देयताएं	**22,691.29**	**25,196.31**
आस्थगित आय कर परिसम्पत्तियां :		
– कर्मचारी हितलाभ	2,667.80	2,223.02
– स्थिर मालसूची	1,071.05	1,119.91
– निवेश के मूल्य में घटत के लिए प्रावधान	66.04	73.97
– संदेहास्पद नामे/अग्रिम	1,166.59	812.31
– ट्राजिसन वर्ष में संज्ञान में लिए गए पूर्वावधि समायोजन	410.85	690.22
– लक्षद्वीप में क्षति के प्रावधान	28.17	31.14
योग आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	**5,410.49**	**4,950.58**
समंजन के पश्चात आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	**-**	**-**
समंजन के पश्चात आस्थगित कर देयताएं	**17,280.80**	**20,245.73**

(ख) आस्थगित कर देयताओं का समाधान (निवल)

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
1 अप्रैल को अथ शेष		
लाभ एवं हानि में स्वीकृत अवधि के दौरान कर(आय)/व्यय	(2,906.31)	(1,318.71)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत के दौरान कर(आय)/व्यय	(58.62)	49.27
31 मार्च को अंत शेष	**(2,964.93)**	**(1,269.44)**

नोट सं. 18
अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
गैर–चालू		
प्रतिभूति जमा/अर्जित धन जमा	67.80	108.80
	67.80	**108.80**
चालू		
दीर्घकालिक नामे पर चालू परिपक्वता	1,928.19	569.54
अचल परिसम्पत्तियों की खरीद पर देय	86.21	15.51
पूंजी व्यय के लिए देय	19.01	19.02
कर्मचारियों को देय	71.71	80.40
सुरक्षा/अर्जित धन जमा	75.82	116.27
ना.वि.महानिदेशालय से परियोजना के प्रति अग्रिम (ब्याज सहित)	1,210.77	1,208.61
घटाएं : परियोजना पर व्यय की गई राशि	(1,160.77)	(1,160.77)
	50.00	47.84
	2,230.94	**848.58**
योग	**2,298.74**	**957.38**

नोट सं. 19
व्यवसाय देय*

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के बकाया देय	-	-
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्यों को बकाया देय	5,283.80	11,026.36
योग	**5,283.80**	**11,026.36**

*'व्यवसाय प्राप्य ब्याज मुक्त हैं तथा सामान्यतः 120 दिनों में इनका समाधान होता है।

नोट सं. 20
अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
प्रतिभूति/बयाना जमा	83.93	78.39
संविदा देयताएं	1,044.11	383.25
सांविधिक देयताएं	2,305.29	1,986.77
अन्य देय	2,593.43	2,549.66
योग	**6,026.76**	**4,998.07**

नोट सं. 21
प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	स्थिति	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
–सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ योजना	25.27	35.67
–अर्जित छुट्टी	193.56	124.83
–अर्ध वेतन छुट्टी	89.88	53.36
–उपदान	40.74	2.75
–पेंशन	4,730.61	3,087.40
–अन्य	5,080.06	3,304.01
लक्षद्वीप में हानि	89.12	89.12
निगमित सामाजिक दायित्व	205.78	220.33
दमन में हुई हानि के लिए प्रावधान	1.16	-
योग	**5,376.12**	**3,613.46**

नोट सं. 22
प्रचालनों से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
सेवाओं का प्रतिपादन		
हेलीकॉप्टर किराया प्रभार	38,022.73	39,444.27
घटाएं: हेलीकॉप्टर के प्रावधान न होने पर कटौती (ए.ओ.जी)	(1,267.00)	(327.45)
	36,755.73	39,116.82
अन्य प्रचालन राजस्व		
प्रचालन एवं अनुरक्षण अनुबंधों से आय	12.30	134.89
प्रशिक्षण फीस एवं अन्य वसूलियां	134.05	95.59
रोहिणी हेलीपोर्ट से राजस्व	-	193.44
हेलीकॉप्टर विकास परामर्श	1,095.00	-
	1,241.35	423.92
योग	**37,997.08**	**39,540.74**

नोट सं. 23
अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
ब्याज आय:		
– बैंक में जमा	1,179.96	1,260.86
– कर्मचारियों को ऋण	19.67	29.88
– अन्य	405.19	-
	1,604.82	1,290.74
–अनापेक्षित प्रावधान – प्रतिलेखन किए गए	280.03	1,141.27
–बीमा दावों के निपटान से अधिशेष	-	2,955.25
–निर्णित हर्जाना (क्रय)	16.92	43.09
–अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	10.04	0.40
–विनिमय दर उतार चढ़ाव (निवल)	1,021.53	366.84
–विविध आय	305.01	463.21
योग	**3,238.35**	**6,260.80**

नोट सं. 24
हेलीकॉप्टर प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
हेलीकॉप्टर अनुरक्षण व्यय	6,222.30	5,031.23
ईंधन व्यय	2,587.71	2,393.18
बीमा व्यय	2,955.82	1,847.98
लैंडिंग, पार्किंग तथा अन्य व्यय	366.45	186.92
हेलीकॉप्टर पट्टा प्रभार	936.84	656.15
परिनिर्धारित नुकासानी	2,129.98	625.54
श्राईन बोर्ड को रायल्टी/कमीशन	24.81	66.83
अचल मालसूची/कालातीत मदों के लिए प्रावधान	230.05	164.89
अचल परिसम्पत्तियों की क्षति से हानि के प्रावधान	57.86	54.43
बट्टाकृत अचल परिसम्पत्तियां	214.82	503.52
भंडारण, संचलन एवं विलम्बन प्रभार	64.46	145.92
मालभाड़ा, परिवहन एवं ढुलाई	99.97	144.84
अन्य प्रचालन व्यय	19.40	25.36
योग	**15,910.47**	**11,846.79**

नोट सं. 25
कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वेतन, मजदूरी तथा अन्य हितलाभ	15,675.65	15,029.02
भविष्य निधि, पेंशन तथा अनुदान निधि में अंशदान	1,254.30	2,082.10
कर्मचारी कल्याण	52.09	46.41
अन्य कर्मचारी व्यय	205.05	218.17
योग	**17,187.09**	**17,375.70**

नोट सं. 26
वित्त लागत

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
ब्याज	141.62	201.17
योग	**141.62**	**201.17**

नोट सं. 27
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
मूर्त परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास	8,429.89	8,475.38
अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन	3.07	3.67
योग	**8,432.96**	**8,479.05**

नोट सं. 28
अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
मरम्मत तथा अनुरक्षण		
–भवन	53.96	85.13
–उपस्कर	48.67	88.89
–अन्य	149.68	99.47
	252.31	273.49
किराया	1,449.17	2,013.41
यात्रा तथा यात्रा व्यय	1,839.53	1,917.25
कर्मी दल एवं कर्मचारी प्रशिक्षण	518.71	413.42
बैंक प्रभार	47.32	41.93
विद्युत एवं जल प्रभार	207.69	277.28

टेलीफोन, फैक्स तथा पोस्टेज	85.93	107.15
विज्ञापन तथा प्रचार	36.91	47.17
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	62.99	59.52
वाहन उपयोग तथा अनुरक्षण	31.00	32.23
हेलीपोर्ट विकास व्यय (क्षे.सं.यो.)	689.20	-
प्रशिक्षण संस्थान व्यय	50.92	-
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
–सांविधिक लेखा परीक्षण फीस	13.98	12.14
–अन्य मामलों के लिए	1.63	1.75
–व्ययों का पुनर्भुगतान	1.13	0.68
	16.74	14.57
दरें, फीस तथा कर	761.02	342.87
संदेहास्पद नामे तथा अग्रिम के लिए प्रावधान	1,414.47	486.78
डिटेचमेंट में हानि के लिए प्रावधान	1.16	-
निगमित सामाजिक दायित्व	48.31	29.08
बीमा व्यय	41.59	37.30
अन्य व्यय	601.09	632.32
योग	**8,156.06**	**6,725.77**

नोट सं. 29
असाधारण मदें

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
भारत सरकार की देयताओं पर ब्याज की छूट	-	-
योग	-	-

नोट सं. 30
अन्य व्यापक आय

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
कर्मचारी हितलाभ व्यय	(187.89)	167.44
निवेश के मूल्य पर घटत के लिए प्रावधान	-	(24.65)
योग	**(187.89)**	**142.79**

नोट सं. 31
प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस)

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
अनवरत प्रचालनों पर इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ/(हानि)	(5,805.47)	2,023.01
मूल ईपीएस (रुपए)	(1,041)	429
डायलूटिड ईपीएस (रुपए)	(1,041)	429
समाप्त प्रचालनों पर इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ/(हानि)	(561.23)	-
मूल ईपीएस (रुपए)	(101)	-
डायलूटिड ईपीएस (रुपए)	(101)	-

32. वित्तीय विवरणियों से संबंधित अतिरिक्त नोट

(31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखा के साथ पठनीय तथा भाग)

I. पूंजीगत एवं अन्य प्रतिबद्धताएं

पूंजी लेखा/निवेशों (चुकता अग्रिम का निवल) में निष्पादन के लिए शेष तथा प्रावधान न किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशिः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	445.07	445.07

II. आकस्मिक देयताएं

क) दी गई गारंटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
बैंकों को दी गई प्रति गारंटी	3,277.98	2,261.00

ख) साख पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
साख पत्र	711.67	544.22

ग) कर आकस्मिकताएं

राजस्व प्राधिकरण द्वारा कम्पनी पर आय कर के संबंध में विवादाधीन मांग की गई राशियां नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं:–

i. आयकर

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
कम्पनी द्वारा आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल/आय कर आयुक्त (अपील) के सम्मुख आयकर दावों का प्रतिवाद	5,475.61	5,684.60

कम्पनी द्वारा विभिन्न वर्षों में जमा करवाई गई मांग/धनवापसी की राशियों के प्रति आय कर विभाग द्वारा उक्त राशियों को अपने पास रखा गया है। अनेक मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय की गई आय कर मांग अपीलिय ट्रिब्यूनल द्वारा समाप्त कर दी जाती है। अधिकांश कर मांगे भारत सरकार ऋण के प्रति देय ब्याज से संबंधित हैं जो आय कर अपीलिय ट्रिब्यूनल में लम्बित पड़ी हैं। इस संबंध में नोट संख्या III की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ii. मूल्य परिवर्धित कर

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
मूल्य संवर्धित कर के जुर्माने एवं ब्याज के साथ भुगतान के संबंध में वर्ष 2006–07 से 2009–10 की अवधि मांग नोटिस	49,479.89	47,455.68

यह मांग हेलीकॉप्टरों के उपयोग का प्राधिकार ग्राहकों को अंतरित किए जाने के संबंध में दिल्ली बिक्री कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2009–10 की अवधि से संबंधित है।

कम्पनी द्वारा यह उत्तर दिया गया है कि चूंकि कम्पनी द्वारा ऐसे संव्यवहारों के प्रति सेवा कर का भुगतान किया गया है अतः मूल्य संवर्धन कर की मांग उचित नहीं है। पवन हंस लिमिटेड की अपील पर इस मामले पर माननीय मूल्य संवर्धित कर ट्रिब्यूनल में दिनांक 2.5.2019 को तथा अंतिम सुनवाई 15.5.2019 को हुई थी तथा पवन हंस लिमिटेड मूल्य संवर्धन कर विभाग द्वारा फाइल की गई प्रस्तुति के प्रति जवाब दावा फाइल किया गया है। जिसका निर्णय लिया जाना है।

iii. सेवा कर

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
सेवा कर विभाग से अप्रैल, 2009 से जून, 2017 की अवधि के लिए प्राप्त कारण बताओ नोटिस	2,567.35	2,266.63

यह सेवा कर विभाग से अप्रैल, 2009 से जून, 2017 की अवधि के लिए प्राप्त कारण बताओ नोटिस से सम्बद्ध है। कम्पनी द्वारा सेवा कर विभाग में सेवा कर आयुक्त के साथ 6.19 लाख रुपए, ट्रिब्यूनल द्वारा जारी 2229.73 लाख रुपए के मांग पत्र प्रति विवाद किया गया है एवं 300.36 लाख रुपए के मांग नोटिस का न्याय निर्णय प्रतिक्षित है। तथापि, कम्पनी का ऐसा मानना है कि इससे प्रचालन अथवा रोकड़ प्रवाह के परिणामों पर किसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

घ) कानूनी विवाद

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
i)	विवाचनाधीन न्यायिक मामले/मामले	5,972.77	5,081.87
ii)	**अन्य मामले**	399.69	124.32

ङ. पवन हंस को मुम्बई उच्च न्यायालय में पवन हंस के लगभग 139 प्रत्यक्ष संविदारत कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन एविएशन कर्मचारी संगठन द्वारा दायर की एक रिट याचिका प्राप्त हुई है, जिसमें पवन हंस लिमिटेड द्वारा भविष्य निधि के भुगतान को शामिल किए जाने के संबंध में न्यायालय से निदेश मांगे गए हैं। पवन हंस के अनुसार यह सरकार के नियंत्रणाधीन विमान सेवाएं प्रदान करने वाला एक अलग संगठन है तथा यह संविदारत कर्मचारियों को शामिल करने के प्रति उत्तरदायी नहीं है। एविएशन कर्मचारी संगठन बनाम पवन हंस लिमिटेड एवं अन्यों के संबंध में मुम्बई उच्च न्यायालय में दायर की गई 2016 की रिट याचिका में उनकी नियुक्ति की तिथि से पवन हंस लिमिटेड की भविष्य निधि नियमावली के अनुसार राहत दिए जाने की मांग की गई है। मुम्बई उच्च न्यायालय की माननीय न्यायपीठ से पवन हंस लिमिटेड को संविदारत कर्मचारियों की भविष्य निधि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास दिनांक 31.12.2018 तक जमा करवाए जाने के निदेश प्राप्त हुए हैं। पवन हंस लिमिटेड द्वारा इसके प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख दिनांक 14.1.2019 को एसएलपी सं. 381/2019 के माध्यम से चुनौती दी गई है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रचालन पर स्थगन जारी किया गया है तथा पवन हंस लिमिटेड को भी सर्वोच्च नयायालय की रजिस्ट्री में 500.00 लाख रुपए जमा करवाने का निदेश दिया गया है। इन निदेशों का पालन करते हुए पवन हंस लिमिटेड द्वारा दिनांक 10.4.2019 को 500.00 लाख रुपए सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करवा दिए हैं। इस आकस्मिक देयता की अनुमानित राशि को ऊपर (घ) (प) में शामिल किया गया है।

च. कम्पनी के लम्बित कानूनी विवादों में कम्पनी के खिलाफ किए गए दावे तथा कर/सांविधिक/सरकारी प्राधिकरणों में लम्बित कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं। कम्पनी द्वारा अपने सभी कानूनी विवादों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई है तथा अपेक्षित प्रावधान करते हुए आवश्यकतानुसार अपने वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण, यथा लागू, किया गया है। कम्पनी को इन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अपनी वित्तीय स्थिति पर कोई वस्तुगत प्रभाव होता प्रतीत नहीं हो रहा है। उपर्युक्त के संबंध में भावी रोकड़ प्रवाह का निर्धारण न्यायनिर्णय/विभिन्न मंचों/प्राधिकरण के निर्णय की प्राप्ति पर ही किया जा सकेगा।

III. भारत सरकार द्वारा किया गया दावा

वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा अपने अंशदान के रूप में कम्पनी में किए गए इक्विटी निवेश के प्रयोग से कम्पनी द्वारा 25,090.00 लाख रुपए की परियोजना लागत से 21 डॉफिन तथा 21 वेस्टलेंड हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल किया गया था। तथापि, कम्पनी को 11,376.00 लाख रुपए की राशि की इक्विटी ही प्राप्त हुई थी, जिसमें ओएनजीसी द्वारा किए गए इक्विटी अंशदान की 2,450.00 लाख रुपए की राशि भी सम्मिलित है। कम्पनी द्वारा इस पूंजी अंशदान का पूंजीयन आंतरिक स्रोतों से एकत्र की गई 622.97 लाख रुपए की राशि के साथ किया गया था तथा 13,091.03 लाख रुपए की राशि का शेष अलग रखकर प्रायोजित लागत के अंतर्गत पूंजीगत अंशदान का प्रयोग किया गया। शेष 13,091.03 लाख रुपए की राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा हेलीकॉप्टरों के आपूर्तिकर्ताओं को किया गया तथा इसे भारत सरकार को बकाया राशि के तौर पर लिया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा कम्पनी से 31.03.2016 तक बकाया मूल राशि 13,091.03 लाख रुपए तथा ब्याज के रूप में 33,931.19 लाख रुपए अर्थात कुल राशि 47,022.22 लाख रुपए होने की पुष्टि को विचार में लेकर कम्पनी ने 31.03.2001 तक इन बकायों/देयताओं के ब्याज के तौर पर 33,931.19 लाख रुपए का लेखांकन कर लिया गया था तथा 31.3.2001 के पश्चात से ब्याज के प्रावधान नहीं किए गए थे। कम्पनी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से समय समय पर भारत सरकार के सम्मुख इस आधार पर इन देयताओं और इसके ब्याज से छूट प्राप्ति के लिए इस आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं कि यह परियोजना उन 42 हेलीकॉप्टरों के आयात के लिए थी जिसका पूर्ण निधियन भारत सरकार द्वारा इक्विटी अंशदान के माध्यम से किया जाना था। इस संबंध में कम्पनी द्वारा एक बार फिर से जनवरी, 2016 में यह मामला वित्त मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा मामले पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किए जाने के लिए एक मंत्रिमंडलीय नोट प्रस्तुत किया गया था।

अंततः काफी लम्बी प्रतीक्षा के पश्चात वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निर्णय प्राप्त हुआ, जिसकी सूचना नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 1.12.2016 के पत्र के माध्यम से इस उल्लेख के साथ भिजवाई गई कि वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए दावे के निपटान का अनुमोदन मंत्रिमंडल द्वारा पवन हंस लिमिटेड के लिए 13,091.03 लाख रुपए का बजट प्रावधान उपलब्ध के साथ कर दिया गया है जो सरकार को 13,091.03 लाख रुपए के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग में लाए जाने हैं तथा साथ ही ब्याज के स्तर को 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार फ्रिज करके पवन हंस लिमिटेड द्वारा वित्त मंत्रालय को देय 33,931.19 लाख रुपए की मांग समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.1.2017 के स्वीकृति आदेश के माध्यम से पवन हंस लिमिटेड में वर्ष 2016–17 के दौरान 13,091.03 लाख रुपए के इक्विटी निवेश के बजट प्रावधान की स्वीकृति भिजवाई गई थी। पवन हंस लिमिटेड द्वारा इस राशि के उपयोग से 13,091.03 की मूल राशि का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के सीएएए खाते में कर दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उक्त राशि का अंतरण पवन हंस लिमिटेड को दिनांक 20.1.2017 को किया गया था। तदनुसार, वित्त मंत्रालय के निपटान के लिए 13,091.03 लाख रुपए की राशि दिनांक 4.2.2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के सीएएए खाते में जमा करवा दी गई थी।

IV. वैस्टलैंड परिसम्पत्तियों का निपटान

क) वेस्टलैंड बेड़े को ग्रांउड किए जाने के पश्चात भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 जनवरी,1993 को

समग्र वेस्टलैंड बेड़े तथा उससे संबंधित माल सूची को वैश्विक निविदा के माध्यम से बेचे जाने तथा इसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग भारत सरकार तथा ब्रिटेन सरकार के मध्य आपसी परामर्श से गरीबी उन्मूलन के लिए उपलब्ध करवाए जाने के निर्णय से अवगत करवाया गया था। तथापि, इसकी वैश्विक निविदा की प्रतिक्रिया अनुकूल न होने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा दिनांक 12 मई, 1994 को कम्पनी को वेस्टलैंड परिसम्पत्तियों का निपटान इसकी खरीद के प्रति इच्छुक पार्टियों के साथ परक्रामण के माध्यम से किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा वेस्टलैंड परिसम्पत्तियों के निपटान की देख रेख के लिए एक संचलन समिति का गठन भी किया गया था।

ख) वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों (एक क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर सहित) तथा उससे संबद्ध मालसूची के रूप में ये परिसम्पत्तियां निपटान किए जाने तक के लिए 2,239.00 लाख रुपए के औसत बही मूल्य पर दर्शाई गई हैं। कम्पनी द्वारा पिछले वर्षों में पूर्व विचार करते हुए वेस्टलैंड परिसम्पत्तियों से होने वाली संभावित हानियों का बही मूल्य के समरूप 100% प्रावधान किया गया था। वर्ष 1999–2000 में इन परिसम्पत्तियों के निपटान से संबंधित 723.00 लाख रुपए को बही मूल्य में समायोजित करने के पश्चात 1,516.00 लाख रुपए के बकाया प्रावधान को अग्रेनित किया गया है।

ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान सरकार से अनुमोदन प्राप्त करके कम्पनी द्वारा वेस्टलैंड की परिसम्पत्तियों की बिक्री पांउड स्टर्लिंग 9,00,000 की एकमुश्त राशि की एक पैकेज डील के अंतर्गत ब्रिटेन की एक फर्म मैसर्स एईएस एयरोस्पेस लिमिटेड को किए जाने के लिए करार किया गया था। यह सहमति हुई थी समग्र पैकेज अधिकाधिक दो परेषणों में तथा प्रत्येक परेषण के अनुमानित मूल्य का भुगतान करते हुए किया जाएगा। पहला परेषण दिसम्बर, 1999 में भेजा गया था तथा कम्पनी को बिक्री के तौर पर पांउड स्टर्लिंग 4,50,000 (322.00 लाख रुपए) की राशि जनवरी, 2000 में प्राप्त हुई थी जिसे प्रशासनिक मंत्रालय के निदेशानुसार तत्काल भारत सरकार के पास जमा करवा दिया गया था। क्रेता द्वारा विवाद खड़ा किए जाने के कारण दूसरा परेषण नहीं भेजा जा सका। कम्पनी द्वारा करार के अंतर्गत सहमत विभिन्न दायित्वों को पूरा न किए जाने के प्रति क्रेता के विरुद्ध विशिष्ट निष्पादन न किए जाने एवं नुकसानों की भरपाई के लिए दावा किया गया है। तथापि, क्रेता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2012 को इस मामले को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए कहा गया है।

घ) वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान बेची गई वेस्टलैंड परिसम्पत्तियों (लागत 5,146.00 लाख रुपए बट्टा मूल्य 723.00 लाख रुपए) से संबंधित आवश्यक समायोजन पहले परेषण के अंतर्गत किए गए लेन देन को पूर्ण बिक्री मानते हुए उस वर्ष की लेखा पुस्तिकाओं में किया गया है। बेची गई तथा मुम्बई के मालगोदाम से एकत्र की गई मालसूचियों का पूर्ण प्रमात्रा विवरण उपलब्ध न होने के कारण इससे संबंधित आंकड़ों को अस्थाई आधार पर विचार में लिया गया है। वेस्टलैंड परिसम्पत्तियों की बिक्री से संबंधित करार चूंकि एकमुश्त मूल्य पर आधारित था अतः इससे संबंधित मदों के निपटान पर हुई हानि का निर्धारण पहले परेषण के अंतर्गत पांउड स्टर्लिंग 4,50,000 (322.00 लाख रुपए) की राशि से बेचे गए 9 हेलीकॉप्टरों, टेस्ट बैड, माल सूची की मदों से संबंधित उनका मदवार बिक्री मूल्य उपलबध न होने के कारण औसत बही मूल्य से कम करते हुए किया गया है। इनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान कर लिया गया था।

ङ) वैस्टलैंड हेलीकॉप्टर के शेष भाग हेलीकॉप्टर पवन हंस लिमिटेड, पश्चिमी क्षेत्र के परिसर में रखे हुए हैं तथा वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान कम्पनी के दिल्ली कार्यालय से मुम्बई कार्यालय में ले जाई जाने वाली इसकी माल सूची की मदों का मार्ग परिवर्तन खरीददार के नियुक्त परिवाहक द्वारा खरीददार के निदेश पर किया गया था तथा ये मदें मुम्बई के मालगोदाम में रखी हुई हैं। वैस्टलैंड माल सूची तथा पूंजीगत मदों की अनुमानित प्रारंभिक अधिग्रहण लागत 3,250.00 लाख रुपए (बट्टा मूल्य – 450.00 लाख रुपए) है। मालगोदाम कम्पनी तथा मालवाहक द्वारा दायर की गई विशेष रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 में निरस्त कर दी गई थी। तदनुसार, सागर वेयरहाउसिंग कम्पनी के मालगोदाम में से वैस्टलैंड की मालसूची की मदों को कम्पनी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थानांतरित किया

गया था। ये हेलीकॉप्टर तथा उनकी शेष मालसूची मदें कम्पनी के पास रखी हुई हैं (इन्हें बॉक्स में रखा गया है परन्तु वर्ष के दौरान इनका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है) तथा दूसरी शिपमेंट के इस भाग का बही मूल्य 647.00 लाख रुपए है जिसे ऊपर पैरा IV–बी) में दर्शाया गया है। इनके निपटान के लिए नागर विमानन मंत्रालय से संचलन समिति के पुनर्गठन का अनुरोध किया गया था। मंत्रालय द्वारा शेष वैस्टलैंड परिसम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण की रिपोर्ट तैयार करने के निदेश दिए गए थे तथा मूल्य निर्धारणकर्ता ने इसका मूल्य 25.73 लाख रुपए निर्धारित किया था। तथापि मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 7.11.2014 के पत्र के माध्यम से एक बार फिर से किसी अन्य मूल्य निर्धारणकर्ता से इनका पुनः मूल्यांकन करवाए जाने के निदेश दिए गए थे। अन्य मूल्यांकन कर्ता की रिपोर्ट में इसका मूल्यांकन 26.53 लाख रुपए किया गया है तथा इसे नागर विमानन मंत्रालय को इनके निपटान के लिए संचलन समिति का पुनर्गठन करने के लिए भिजवा दिया गया है।

V. आवासीय फ्लैट/क्वार्टर्स

क) कम्पनी द्वारा वर्ष 2002–03 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 25 वर्ष की अवधि के लिए आबंटित की गई भूमि पर 2,270.68 लाख रुपए की लागत से 242 फ्लैटों का निर्माण एवं पूंजीयन किया गया था। कम्पनी द्वारा संयुक्त विकास करार के अंतर्गत उक्त भूमि के पट्टा किराए तथा परियोजना आर्किटैक्ट द्वारा अनुमानित इन फ्लैटों की निर्माण लागत की 595.00 लाख रुपए की राशि के स्थान पर 242 फ्लैटों में से 50 फ्लैट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आबंटित किए गए थे।

ख) कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए वर्ष 1998 में एमएचएडीए, मुम्बई से 6 आवासीय फ्लैट खरीदे गए थे तथा इन फ्लैटों का कब्जा आबंटन पत्र के आधार पर प्राप्त कर लिया गया है तो भी ये स्टाम्प ड्यूटी देकर पंजीकरण करवा लिए जाने एवं अंतिम भुगतान किए जाने पर ये फ्लैट सोसायटी के पक्ष में उचित हस्तांतरण करार तैयार किए जाने की शर्त पर है। कुछ सोसायटियों द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय में एमएचएडीए के खिलाफ मूल्य में भिन्नता का दावा किया गया है। तथापि, इंड एएस 37 की अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा अपनी बहियों में स्टाम्प ड्यूटी का वर्तमान मूल्य नहीं दर्शाया गया है। 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार कम्पनी द्वारा मुख्य संग्राहक, एमएचएडीए के कार्यालय को स्टाम्प ड्यूटी का वर्तमान मूल्य ज्ञात करने के लिए लिखा गया है। मुख्य संग्राहक से अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जब कभी भी उत्तर की प्राप्ति के पश्चात लेखा बहियों में राशि में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसा सम्बद्ध वर्ष के संबंध में शामिल कर लिया जाएगा।

ग) कम्पनी द्वारा वर्ष 1991–92 में कर्मचारियों के लिए लोखंडवाला कन्टस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई से 42 आवासीय फ्लैटों की खरीद की गई थी। कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा ये फ्लैट सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को किराए पर दिए जाने का अनुमोदन दिया गया था तथा तदनुसार 31 मार्च, 2018 तक 29 फ्लैट किराया आधार पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को किराए पर दिए गए थे। इसके पश्चात ये फ्लैट वापस ले लिए गए थे तथा अब इन्हें कर्मचारियों को आबंटित किया जाएगा।

घ) **इंड–एएस 107–वित्तीय उपकरण – प्रकटीकरण** की अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा प्रकटन एवं आकलन के लिए अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है। यह सूचना एकत्र होने के पश्चात इसके प्रकटीकरण की स्थिति प्राप्त करने पर अपेक्षित प्रकटीकरण कर दिया जाएगा।

VI. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

क) 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार 5,373.97 लाख रुपए (31 मार्च, 2018: 6,566.70 लाख रुपए) की शुद्ध लागत तथा 2,159.69 लाख रुपए (31 मार्च, 2018: 2,464.63 लाख रुपए) मूल्य के डब्ल्यू.डी.वी. विदेशी उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के पास मरम्मत के लिए पड़े हुए हैं। इनमें से 350.28 लाख रुपए (31 मार्च, 2018: 2,724.02 लाख रुपए) एवं 113.30 लाख रुपए (31 मार्च, 2018: 101.62 लाख रुपए) मूल्य के डब्ल्यू.डी.वी. 31 मार्च, 2019 के पश्चात प्राप्त हो गए हैं। शेष रोटेबलस संबंधित पार्टी के पास होने के संबंध में पुष्टि प्राप्त की जा रही है। केवल मेसर्स एविनोटिक्स एबी (शुद्ध मूल्य 57.06 लाख

रुपए तथा 31.38 लाख रुपए डब्ल्यू.डी.वी.) के अलावा ये मदें मरम्मत/ओवरहॉल के पश्चात हमें वापस भिजवाने के लिए मूल उपकरण निर्माताओं से सम्पर्क के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं।

ख) कम्पनी द्वारा सभी अचल परिसम्पत्तियों की मदों का भौतिक सत्यापन तीन वर्ष की अवधि में पूरा करने के लिए चरणबद्ध स्वरूप में प्रक्रिया की जा रही है। अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया गया था तथा अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर से इनका समाधान किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। बहियों तथा भौतिक शेष के अंतर ज्ञात किए जा रहे हैं तथा इन्हें संबंधित विभाग को समाधान प्रक्रिया के लिए भेजा जा रहा है।

ग) कम्पनी की यह मत है कि कम्पनी के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टर नागर विमानन महानिदेशालय से आवधिक/वार्षिक आधार पर उड़नयोग्यता के लिए प्रमाणित किए गए हैं तथा इनसे वर्ष के दौरान राजस्व का अर्जन किया गया है अतः हेलीकॉप्टरों के मूल्य के प्रति हानि के संबंध में, केवल एक बेल 206एल4 हेलीकॉप्टर (वीटी–पीएचडी) के लिए 25.18 लाख रुपए, और एक हेलीकॉप्टर एमआई–172 (वीटी–पीएचजी) के लिए (54.43 लाख रुपए 31 मार्च, 2018) के अलावा, किसी प्रकार की अलग से कोई प्रक्रिया किए जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

VII. मालसूचियां

1) वर्ष के दौरान मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किए जाने पर नीचे उल्लिखित कमियां/बढ़ोतियां प्रकाश में आई हैं :

(₹ लाख में)

2018-2019		2017-2018	
कमियां	बढ़ोतियां	कमियां	बढ़ोतियां
34.17	12.67	शून्य	23.84

उक्त राशियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में उचित समायोजन कर लिए गए हैं। तथापि, भौतिक शेष एवं बही रिकार्ड का समाधान किया जा रहा है।

2) अनुमोदित लेखांकन नीति का अनुसरण करते हुए विचाराधीन वर्ष के दौरान स्थिर भंडार, कलपूर्जो एवं उपभोज्य वस्तुओं की समीक्षा करने पर वर्ष के दौरान 200.95 लाख रुपए (31 मार्च, 2018: 164.89 लाख रुपए) के प्रावधान किए गए हैं।

3) विमानन क्षेत्र के मूल्य प्रवाह अन्य उद्योगों के मूल्य प्रवाह से भिन्न होते हैं तथा इसके अलावा पूर्व स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टरों के भंडार, कलपूर्जों, उपयोज्यताओं की बिक्री/खरीद खुले बाजार में नहीं हो पाती है। इसके अलावा, विमानन क्षेत्र का विकास काफी तेजी से हो रहा है जबकि बाजार में इसके विक्रेता काफी कम हैं। इस प्रकार, मालसूचियों का मूल्यांकन उनके प्रचलित भारित औसत मूल्य पर किया गया है।

VIII. प्रतिभूत ऋण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कहां से ऋण	स्वीकृत सीमा/तिथि	31.3.2019 तक निकासी	31.3.2019 तक पुनर्भुगतान	ब्याज दर (मासिक शेष)	भुगतान अनुसूची	प्रत्याभूत माध्यम
1.	एन.टी.पी.सी. लिमिटेड	5,430.00 29/04/2010	5,283.63	3,355.44	18.6.2019 तक 6% प्रतिवर्ष 19.6.2019 के पश्चात से 12.20% प्रतिवर्ष	करार समाप्त होने के कारण वि.व. 2019–20 में देय शेष	डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों के प्रति आडमार

IX. 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार व्यवसाय प्राप्य, व्यवसाय देय एवं ऋण तथा अग्रिम/जमा के शेष की पुष्टि मांगी गई थी परन्तु इसकी सीमित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

X. प्रबंधन द्वारा जी.एस.टी. विवरणों में दी गई सूचना के अनुसार सेवा/बिक्रियों तथा प्राप्त सेवा/क्रय की गई सेवा के आंकड़ों का समाधान लेखा बहियों में दिए गए आंकड़ों से किया जा रहा है।

XI. कम्पनी के प्रमुख ग्राहक केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश तथा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिनके संबंध में भुगतान के प्रति चूक की स्थिति सामान्यतः नहीं आती है। प्रबंधन को अपने ग्राहकों से सभी बकायों की प्राप्ति होने की पूरी आशा है। तदनुसार, ग्राहकों से प्राप्यों की 100% वसूली की संभावना विचार में ली गई है। इसे विचार में लेते हुए कम्पनी द्वारा संभाव्य मैट्रिक्स तैयार नहीं किए गए हैं और इंड एएस 109 के अंतर्गत 'संभावित ऋण हानि प्रावधान' का लेखांकन नहीं किया गया है।

XII. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं अन्य हितलाभ

क) निदेशक मंडल द्वारा अपनी 154वीं बैठक में पॉयलटों तथा विमान अनुरक्षण अभियंताओं के लिए दिनांक 1.4.2016 से लाइसेंस सम्बद्ध भत्ता अनुमोदित कर दिया गया है तथा तदनुसार वित्तीय 2016–17 के लिए 1,147.39 लाख रुपए के प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान पॉयलटों तथा विमान अनुरक्षण अभियंताओं के लिए 1.1.2017 से प्रभावी किए जाने वाले अतिरिक्त लाइसेंस सम्बद्ध भत्ते, लोक उद्यम विभाग के अनुसार वेतन संशोधन में समय फ्रिक्वेंसी के साथ, का एक मंत्रिमंडलीय नोट नागर विमानन मंत्रालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार, 1.1.2017 से 31.3.2017 की अवधि के लिए 221.00 के प्रावधान लेखा बहियों में स्वीकृत किए गए हैं तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान किए गए 1,147.39 लाख रुपए के प्रावधानों में से वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 926.39 लाख रुपए के प्रावधान रिवर्स कर दिए गए तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 883.00 लाख रुपए के प्रावधान किए गए थे। विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा पॉयलटों तथा विमान अनुरक्षण अभियंताओं के लाइसेंस सम्बद्ध अतिरिक्त भत्तों के लिए 883.00 लाख रुपए के प्रावधान किए गए हैं।

ख) सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाएं

1) नीचे दी गई तालिका में वित्तीय विवरणों में स्वीकृत सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं की स्थिति दर्शाई गई है:–

(₹ लाख में)

विवरण	2018–19			2017–18		
	अथ शेष देयताएं	वर्ष के दौरान निर्मित/समायोजित	अंत शेष देयताएं	अथ शेष देयताएं	वर्ष के दौरान निर्मित/समायोजित अंत शेष देयताएं	अंत देयता
अर्जित छुट्टी	1,579.61	(58.06)	1,521.55	1,613.30	(33.69)	1,579.61
अर्ध वेतन छुट्टी	523.94	341.09	865.03	478.62	45.32	523.94
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ योजना	1,149.80	224.48	1,374.28	935.96	213.84	1,149.80
सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	19.39	1.12	20.51	18.59	0.80	19.39
योग	**3,272.74**	**508.63**	**3,781.37**	**3,046.47**	**226.27**	**3,272.74**

2) **उपदान**

i. परिभाषित हितलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं:–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्ष के प्रारम्भ में परिभाषित दायित्व	4,412.42	3,501.63
उपार्जन समायोजन आईएन	-	5.14
चालू सेवा लागत	158.32	176.04
ब्याज लागत	335.34	262.62
बीमांकिक लाभ/(हानि)	113.79	(261.42)
चुकता हितलाभ	(282.10)	(216.96)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व	4,737.77	4,412.42

ii. योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्ष के प्रारम्भ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	3,760.30	3,668.26
योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक लाभ	337.91	309.00
नियोक्ता द्वारा अंशदान	652.12	-
चुकता हितलाभ	(282.10)	(216.96)
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	4,468.23	3,760.30

iii. कुल योजना परिसम्पत्तियों में से प्रमुख वर्गों की योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत निम्नानुसार है:–

विवरण	31 मार्च, 2019 (%)	31 मार्च, 2018 (%)
सरकारी प्रतिभूतियां/भा.रि.बैं. में विशेष जमा	65.05	65.36
उच्च गुणवत्ता वाले निगमित बांड	31.36	31.49
बीमा कम्पनियां	शून्य	शून्य
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, बैंक शेष	1.59	2.15
सावधि जमा	शून्य	शून्य
इक्विटी (म्यूचुअल फंड)	2.00	1.00

iv. परिभाषित हितलाभ दायित्व का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,737.77	4,412.42
योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	4,468.23	3,760.30
हितलाभ देयताएं	(269.54)	(652.12)

v. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
चालू सेवा लागत	158.32	1,121.41
हितलाभ दायित्व की ब्याज लागत	49.56	(12.50)
अवधि के दौरान निवल व्यय	207.88	1,108.91

vi. अन्य व्यापक आय में स्वीकृत व्यय (ओसीआई):

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
अवधि से सम्बद्ध दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(113.79)	261.42
योजना परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	52.12	33.89
निवल संचयी गैर–स्वीकृत बीमांकिक लाभ/(हानि) अथ शेष	-	-
अवधि के दौरान स्वीकृत अन्य व्यापक आय पर बीमांकित लाभ/(हानि)	(61.67)	295.31

vii. कर्मचारी हितलाभ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रमुख अनुमान :–

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर	7.60%	7.60%
भावी लागत वृद्धि/वेतन संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	2.00%	2.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकृत किया गया है।

बीमांकन मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है। किसी योजनागत परिसम्पत्ति पर संभावित कुल लाभ दर का निर्धारण तुलन पत्र तिथि की बाजार मूल्य के दरों, जो दायित्व के समाधान की अवधि के लिए लागू हैं, के अनुसार किया जाता है।

viii. संवेदी विश्लेषण

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित हितलाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(110.71)	(115.74)
डिस्काउंटिंग दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	115.84	121.22
वेतन वृद्धि में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	35.80	48.58
वेतन वृद्धि में – 0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(37.23)	(51.17)

ix. अनुमानित हितलाभ दायित्व का परिपक्वता विश्लेषण :

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
रिपोर्टिंग तिथि में से भावी वर्षों में देय अनुमानित हितलाभ		
पहले अनुगामी वर्ष	591.35	343.03
दूसरे अनुगामी वर्ष	86.26	187.67
तीसरे अनुगामी वर्ष	341.18	207.49
चौथे अनुगामी वर्ष	494.98	251.13
पांचवे अनुगामी वर्ष	466.31	243.47
छठे अनुगामी वर्ष	377.80	242.08
6 वर्षों के पश्चात	2,379.88	2,937.54

x. चालू एवं पूर्व अवधियों की राशियां निम्नानुसार हैं :–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
परिभाषित हितलाभ दायित्व	4,737.77	4,412.42
योजना परिसम्पत्तियां	4,468.23	3,760.30
अधिशेष / (न्यूनता)	(269.54)	(652.12)

3) सेवानिवृति उपरांत हितलाभ योजना

i. हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में हुआ परिवर्तन निम्नानुसार हैः–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,149.80	935.96
चालू सेवा लागत	44.33	30.30
ब्याज लागत	87.39	70.20
बीमांकिक लाभ/(हानि)	127.39	128.83
पूर्व सेवा लागत	-	-
चुकता हितलाभ	(34.63)	(15.49)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,374.28	1,149.80

ii. तुलन पत्र तथा सम्बद्ध विश्लेषण :–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,374.28	1,149.80
योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में गैर–निधियन देयताएं/प्रावधान	(1,374.28)	(1,149.80)
तुलन पत्र में स्वीकृत गैर–निधियन दायित्व	(1,374.28)	(1,149.80)

iii. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
चालू सेवा लागत	44.33	30.30
हितलाभ दायित्व पर ब्याज लागत	87.39	70.20
अवधि के दौरान निवल व्यय	131.72	100.50

iv. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय :–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
अवधि के दौरान दायित्व पर बीमांकिक हानियां	(127.39)	(128.84)
निवल गैर–स्वीकृत बीमांकिक लाभ/(हानि) अथ शेष	-	-
अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत अवधिक में निवल व्यय	(127.39)	(128.84)

v. कर्मचारी हितलाभों के निर्धारण के लिए उपयोग में लाए गए प्रमुख अनुमान निम्नानुसार हैं:–

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर	7.60%	7.60%
भावी लागत वृद्धि/वेतन संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकिक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकृत किया गया है।

बीमांकन मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है।

vi. संवेदी विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
चालू अनुमानों पर संभावित हितलाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(8.47)	(54.23)
डिस्काउंटिंग दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	81.27	58.42

4) अर्जित छुट्टी देयता

i. हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है :–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,579.61	1,613.30
चालू सेवा लागत	112.76	110.05
ब्याज लागत	120.05	121.00
बीमांकिक लाभ/(हानि)	243.51	95.00
चुकता हितलाभ	(534.39)	(359.74)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,521.54	1,579.61

ii. तुलन पत्र तथा सम्बद्ध विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,521.54	1,579.61
योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-
गैर–निधियन देयताएं/तुलन पत्र में प्रावधान	(1,521.54)	(1,579.61)

iii. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
चालू सेवा लागत	112.76	110.05
हितलाभ दायित्व पर ब्याज लागत	120.05	121.00
अवधि के दौरान स्वीकृत निवल बीमांकिक (हानि)/लाभ	243.51	95.00
अवधि के दौरान निवल व्यय	476.32	326.05

iv. कर्मचारी हितलाभ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रमुख अनुमान निम्नानुसार हैं:–

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर	7.60%	7.60%
भावी लागत वृद्धि/वेतन संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकिक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकृत किया गया है। बीमांकन मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है।

v. संवेदी विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित हितलाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(39.20)	(44.46)
डिस्काउंटिंग दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	41.20	46.68
वेतन वृद्धि की दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	41.63	47.18
वेतन वृद्धि की दर में – 0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(39.96)	(45.32)

vi. अनुमानित हितलाभ दायित्व का परिपक्वता विश्लेषण : नियोक्ता की ओर से

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
पहले अनुगामी वर्ष	193.56	124.83
दूसरे अनुगामी वर्ष	22.14	24.68
तीसरे अनुगामी वर्ष	22.41	25.36
चौथे अनुगामी वर्ष	23.97	83.99
पांचवे अनुगामी वर्ष	53.77	112.47
छठे अनुगामी वर्ष	176.46	178.13
6 वर्षों के पश्चात	1,029.24	1,030.14

5) सामान भत्ता

i. हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	19.39	18.59
चालू सेवा लागत	0.83	0.81
ब्याज लागत	1.47	1.39
बीमांकिक लाभ/(हानि)	(1.17)	(0.97)
चुकता हितलाभ	(0.02)	(0.43)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	20.51	19.39

ii. तुलन पत्र तथा सम्बद्ध विश्लेषण :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	20.51	19.39
योजना परिसम्पत्तियों का अंकित मूल्य	-	-
गैर–निधियन देयताएं/तुलन पत्र में प्रावधान	(20.51)	(19.39)
गैर–निधियन देयताएं/तुलन पत्र में स्वीकृत	(20.51)	(19.39)

iii. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
चालू सेवा लागत	0.83	0.81
हितलाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1.47	1.39
अवधि के दौरान निवल व्यय	2.30	2.20

iv. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
अवधि के दौरान दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानिया	1.17	0.97
निवल गैर–स्वीकृत बीमांकित लाभ/(हानि) अथ शेष	-	-
अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि	-	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत अवधि में निवल व्यय	1.17	0.97

v. कर्मचारी हितलाभ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रमुख अनुमान निम्नानुसार हैं :

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर	7.60%	7.60%
भावी लागत वृद्धि/वेतन संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकृत किया गया है।

बीमांकन मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है।

vi. संवेदी विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित हितलाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(0.76)	(0.76)
डिस्काउंटिंग दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	0.78	0.78

6) अर्द्ध–वेतन छुट्टी देयता

i. हितलाभ दायित्व में परिवर्तन का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्ष के प्रारम्भ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	523.94	478.62
चालू सेवा लागत	46.78	26.92
ब्याज लागत	39.30	35.90
बीमांकिक लाभ/(हानि)	307.85	16.74
चुकता हितलाभ	(52.83)	(34.24)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व	865.04	523.94

ii. तुलन पत्र तथा सम्बद्ध विश्लेषण :–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	865.04	523.94
योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-
गैर निधियन देयता/तुलन पत्र में प्रावधान	(865.04)	(523.94)

iii. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
चालू सेवा लागत	46.78	26.92
हितलाभ दायित्व की ब्याज लागत	39.30	35.90
अवधि के दौरान स्वीकृत बीमांकिक लाभ/(हानि)	307.85	16.74
अवधि के दौरान निवल व्यय	393.93	79.56

iv. कर्मचारी हितलाभ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रमुख अनुमान निम्नानुसार हैं:–

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट दर	7.60%	7.50%
भावी लागत वृद्धि/वेतन संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकृत किया गया है।

बीमांकन मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है।

v. संवेदी विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
चालू अनुमानों पर संभावित हितलाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(20.93)	(13.82)
डिस्काउंटिंग दर में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	21.81	14.43
वेतन वृद्धि में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(20.93)	(13.82)
वेतन वृद्धि में –0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	21.81	14.43

vi. अनुमानित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता विश्लेषण : नियोक्ता की ओर से

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
पहले अनुगामी वर्ष	89.89	53.35
दूसरे अनुगामी वर्ष	13.83	7.87
तीसरे अनुगामी वर्ष	86.16	7.97
चौथे अनुगामी वर्ष	89.07	24.78
पांचवे अनुगामी वर्ष	85.94	35.43
छठे अनुगामी वर्ष	58.98	57.18
6 वर्षों के पश्चात	441.16	337.35

XIII. इक्विटी शेयरों (गैर–सूचीबद्ध) में लागत पर निवेश – (स्तर 3 निवेश)

कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, गोंदिया, महाराष्ट्र में 289.34 लाख रुपए का इक्विटी अंशदान (गैर–सूचीबद्ध) किया गया है। निवेशित कम्पनी को 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार 8,368.40 लाख रुपए की चुकता शेयर पूंजी में से 6,122.42 लाख रुपए की हानियां (लेखापरीक्षित लेखा) हुई हैं। कम्पनी द्वारा एनएफटीआई की चुकता पूंजी पर हुई 73.16% की इन संचयी हानियों (31 मार्च, 2018 : 73.16%) को विचार में लेकर 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार हानि के मूल्य के लिए 211.68 लाख रुपए (31 मार्च, 2018: 211.68 लाख रुपए) के प्रावधान किए गए हैं (संदर्भ नोट संख्या XXIII)।

XIV. बीमा दावे

क) दिनांक 28 जून, 2013 को उत्तराखंड में मातेली से हार्शिल के एक बचाव मिशन के दौरान एन3 हेलीकॉप्टर पंजीकरण संख्या वीटी–पीएचजैड दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर की मरम्मत के पश्चात 1,086.76 लाख रुपए की राशि का वित्तीय दावा मैसर्स न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड को मूल्यांकन तथा अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात दिनांक 10 सितम्बर, 2015 को सर्वेयर से प्राप्त ई–मेल के अनुसार दावे का मूल्यांकन 733.45 लाख रुपए के लिए हुआ था, जो कि बीमा कम्पनी द्वारा समाधान किए जाने की शर्त के अध्यधीन था। बीमा कम्पनी द्वारा हमारा दावा नागर विमानन महानिदेशालय की दुर्घटना रिपोर्ट के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। कम्पनी द्वारा अपने दिनांक 13 अगस्त, 2018 के माध्यम से दुर्घटना के कारणों के बारे में विस्तार में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए हैं तथा बीमा कम्पनी को एक बार फिर से इस मामले पर पुनर्विचार करने और दावे का निपटान करने का अनुरोध किया गया है। कम्पनी द्वारा मैसर्स न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

ख) दिनांक 3.10.2018 को बेल 206एल4 हेलीकॉप्टर वीटी–पीएचडी (बीमा मूल्य 875.00 लाख रुपए) द्वारा पदौम से उड़ान भरी गई थी तथा इसने लेह से आगे जांसकर में स्थित कारगियाक में आपात लैंडिंग की थी। इसकी सूचना बीमा कम्पनी को दे दी गई है। कम्पनी द्वारा हेलीकॉप्टर को प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है।

XV. कराधान

क) 31.3.2007 से 31.3.2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्षों के दौरान करयोग्य हानियों को विचार में लेकर कम्पनी द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के अंतर्गत 13,343.44 लाख रुपए (31 मार्च, 2018: 13,343.44 लाख रुपए) का न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) विचाराधीन वर्ष तक के लिए चुकता किया गया था। विचाराधीन वर्ष के दौरान सामान्य प्रावधानों एवं आय कर अधिनियम 1961 के खंड 115जेबी के अंतर्गत करयोग्य हानियां हुई हैं। इस प्रकार कर देयताएं शून्य आंकी गई हैं। वर्तमान में कम्पनी के पास न्यूनतम

वैकल्पिक कर (एमएटी) का 10,559.38 लाख रुपए का क्रेडिट उपलब्ध है, जिसे सामान्य लाभ के प्रति भविष्य में समायोजित किया जाना है। तथापि, इसे विवेक के आधार पर लेखाबद्ध नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन को उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट के समायोजन के लिए भावी करयोग्य लाभ उत्पति के प्रति निश्चितता नहीं है।

ख) अग्रिम कर के 8362.71 : लाख रुपए (पिछले वर्ष 7674.65 लाख रुपए) के निवल कर प्रावधानों का ब्यौरा 7471.64 लाख रुपए (पिछले वर्ष 6924.93 लाख रुपए) के गैर चालू अग्रिम कर के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसमें से 67.58 लाख रुपए (पिछले वर्ष 34.98 लाख रुपए) के अमान्य कर कटौती प्रमाण पत्र शामिल नहीं है जो निम्नानुसार चालू अग्रिम कर के 823.49 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1281.00 लाख रुपए) एवं शून्य लाख रुपए (पिछले वर्ष 566.26 लाख रुपए) की चालू देयताओं के अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 2004–05, 2005–06, 2006–07 तथा 2009–10 से संबंधित हैं:–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम कर	45,106.54	44,428.74
आय कर के लिए प्रावधान	36,743.83	36,754.09
अग्रिम चुकता आय कर की निवल राशि	**8,362.71**	**7,674.65**

ग) अग्रिम कर की राशि में मूल्यांकन वर्ष 2016–17 तक के पूर्ण मूल्यांकनों से संबंधित 7,192.77 लाख रुपए (31 मार्च, 2018: 6,504.53 लाख रुपए) एवं मूल्यांकन वर्ष 2018–19 से संबंधित 346.45 लाख रुपए की वह राशि शामिल है जिसके मूल्यांकन अभी नहीं हुए हैं तथा शेष 823.49 लाख रुपए का अग्रिम कर चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त अग्रिम कर में से 7192.77 लाख रुपए की राशि मूल्यांकन वर्ष 2016–17 (31 मार्च, 2018: 6,504.53 लाख रुपए) तक की वह धनवापसी योग्य राशि है, जो वर्तमान स्तर पर आय कर अपीलिय ट्रिब्यूनल के सम्मुख इनके मामले लम्बित होने के कारण स्वीकृति योग्य नहीं है। इस प्रकार आय कर विभाग से धनवापसी के रूप में प्राप्य/समायोजन योग्य 7,471.64 लाख रुपए (31 मार्च, 2018: 6,924.93 लाख रुपए) की राशि को 'गैर चालू परिसम्पत्तियों' के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा 823.49 लाख रुपए (31 मार्च, 2018: 1,281.00 लाख रुपए) की बकाया राशि को 'चालू कर परिसम्पत्तियों' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

कम्पनी ने मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दी गई अस्वीकृति एवं आय कर आयुक्त (अपील) द्वारा की गई पुष्टि के प्रति आय कर अपीलिय ट्रिब्यूनल के सम्मुख अपीलें दायर की गई है। ये अपीलें मुख्यतः कम्पनी द्वारा केन्द्र सरकार को देय ब्याज के दावों/वित्तीय वर्ष 1996–97 से 2001–02 के कर मुक्त बांडों के ब्याज से संबंधित हैं।

XVI. हेलीपोर्ट परियोजना

सरकार द्वारा कम्पनी के लिए रोहिणी, नई दिल्ली में 6400 लाख रुपए (1,907 लाख रुपए की भूमि लागत सहित, जो नागर विमानन मंत्रालय के नाम है) की अनुमानित लागत से हेलीपोर्ट के निर्माण की परियोजना का अनुमोदन दिया गया था, जिसे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 7.6.2016 को अनिवार्य सुरक्षा, संरक्षा तथा प्रचालनात्मक अवसंरचना लागत के लिए अतिरिक्त मदों एवं आकस्मिकताओं को विचार में लेकर 9,925.00 लाख रुपए कर दिया गया था। इस परियोजना के लिए निधियन निम्नानुसार किया गया है:–

क) अनुमानित मूल्य अवसंरचना विकास की 80% लागत के लिए सरकारी इक्विटी के तौर पर लगभग 6,414.00 लाख रुपए का योगदान

ख) कम्पनी द्वारा परियोजना लागत 20% भाग के तौर पर 1,604 करोड़ रुपए का योगदान

कम्पनी को हेलीपोर्ट परियोजना की लागत के लिए भारत सरकार से 6,414.00 लाख रुपए के इक्विटी अंशदान

जिसमें भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) से मार्च, 2017 में इक्विटी पूंजी के रूप में प्राप्त 2,814.00 लाख रुपए शामिल हैं) मार्च 2017 तक प्राप्त हो गया था।

इस परियोजना पर 31.3.2019 तक किए गए व्यय का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
भूमि की लागत–भारत सरकार द्वारा निधियन नहीं	7.01	7.01
परामर्शदाताओं को डिजायनिंग तथा परियोजना योजना के लिए भुगतान	178.68	178.68
चारदीवारी तथा ठेकेदारों, बिजली लोड स्वीकृति फीस इत्यादि के आर/ए बिलों के भुगतान के लिए।	5,948.26	5,948.26
योग	**6,133.95**	**6,133.95**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 28.2.2017 से रोहिणी स्थित हेलीपोर्ट से प्रचालन प्रारम्भ हो गए थे। तदनुसार, दिनांक 28.2.2017 को घटक एप्रोच का अनुसरण करते हुए विभिन्न स्वीकृत घटकों के अंतर्गत 6,133.95 लाख रुपए का अस्थाई पूंजीयन कर लिया गया था। इसके अलावा, चूंकि रोहिणी हेलीपोर्ट के संबंध में कम्पनी एवं नागर विमानन मंत्रालय के बीच किसी प्रकार का पट्टा करार किए जाने की आवश्यकता थी अतः कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित उपयोज्यता काल को संबंधित स्वीकृत घटकों के लिए विचार में लिया गया है।

मैसर्स दिनेशचन्द्र आर. अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड (डीआरएआईपीएल) द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विवाचन याचिका संख्या 472/2017 दायर करके कम्पनी द्वारा अपने दिनांक 15.3.2017 के 1,886.77 लाख रुपए के दावे के नोटिस के प्रति नामित विवाचक (श्री कृष्ण कांत को नामित विवाचक नियुक्त किए जाने के संबंध में) को रोहिणी हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य के संबंध में विवाचक नियुक्त किए जाने की मांग की गई थी। तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा यह नोटिस वापस ले लिया गया था। दिनांक 23.11.2017 को उच्च न्यायालय द्वारा पवन हंस लिमिटेड को अपना विवाचक नामित करने के आदेश जारी किए किए थे। तदनुसार, पवन हंस लिमिटेड द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश जे.डी.कपूर तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऊषा मेहरा को पीठासीन विवाचक के रूप में नियुक्त करते हुए 2 विवाचक नियुक्त किए गए थे। डीआरएआईपीएल द्वारा 2,085.00 लाख रुपए का दावा किया गया है, जिसकी प्रतिक्रिया में पवन हंस लिमिटेड द्वारा 2,928.00 लाख रुपए का प्रति दावा किया था। न्याय निर्णय दिनांक 3 जुलाई, 2019 को जारी किया गया है, जिसमें दावेदार के प्रमुख दावों तथा पवन हंस लिमिटेड के आंशिक प्रति दावों के लिए अनुमति दी गई है। इस न्यायनिर्णय के प्रति चुनौती दिए जाने अथवा न दिए जाने के निर्धारण के लिए इसका परीक्षण किया जा रहा है। नोट संख्या 32 (II(डी)) में 2,085.00 लाख रुपए की आकस्मिक देयता को शामिल कर लिया गया है।

ग) इसके अलावा, कम्पनी के विनिवेश की प्रक्रिया जारी होने को विचार में लेते हुए पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में रोहिणी हेलीपोर्ट से अलग होने का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है। निरंतर प्रचालनों में के परिणामों में डिस्काउंटिड प्रचालनों को शामिल नहीं किया गया है तथा डिस्काउंटिड प्रचालनों में कर पश्च प्राप्त लाभ एवं हानि को एकल राशि के रूप में दर्शाया गया है।

i) 31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार रोहिणी हेलीपोर्ट की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विवरण नीचे दिया गया है:–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	2018–19
परिसम्पत्तियां	
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	5,657.71
प्राप्य व्यवसाय	16.90
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	169.90
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	14.33
योग	**5,858.84**
देयताएं	
अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं	3.81
व्यवसाय देय	26.44
अन्य चालू देयताएं	620.34
योग	**650.59**

रोहिणी हेलीपोर्ट की आय तथा व्यय निम्नानुसार है :–

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	2018–19
आय	
प्रचालन से राजस्व	200.21
अन्य आय	0.22
योग	**200.43**
व्यय	
हेलीपोर्ट प्रचालन व्यय	73.46
कर्मचारी हितलाभ व्यय	106.99
मुख्यालय/उत्तरी क्षेत्र आबंटन	
मूल्यह्रास तथा परिशोधन	437.86
अन्य व्यय	143.34
योग	**761.65**
निवल लाभ	**(561.23)**

रोहिणी हेलीपोर्ट का रोकड़ प्रवाह विवरण निम्नानुसार है:–

	विवरण	2018–19	2017–18
क	**प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह**		
	कर पूर्व निवल लाभ	(561.23)	(525.90)
	मूल्यह्रास तथा परिशोधन	437.86	437.86
	संदेहास्पद एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	9.16	-
	कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(114.21)**	**(88.05)**
	परिसम्पत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन		
	व्यवसाय देय, अन्य देयताएं एवं प्रावधान	104.47	642.70
	ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियां	(0.26)	(11.46)
	व्यवसाय प्राप्य	(39.27)	(16.90)
	इन्टर यूनिट शेष	(87.11)	(356.39)
	प्रचालन क्रियाकलापों से उत्पन्न रोकड़	**(22.17)**	**257.95**
	प्रचालन क्रियाकलापों से उत्पन्न/(प्रयुक्त) निवल रोकड़	**(136.38)**	**169.90**
ख	**निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह**		
	निवेश क्रियाकलापों से उत्पन्न/प्रयुक्त निवल रोकड़	शून्य	शून्य
	वित्तीय क्रियाकलापों से उत्पन्न/प्रयुक्त निवल रोकड़	शून्य	शून्य
	रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/उपयोज्यता (क+ख+ग)	**(136.38)**	**169.90**
	अवधि के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	**169.90**	**शून्य**
	अवधि के अंत में रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	**33.52**	**169.90**

इसके परिणामी प्रभाव कम्पनी के कर प्रावधानों तथा आस्थगित कर पर भी होंगे।

XVII. हडपसर, पुणे में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी एवं हेलीपोर्ट

कम्पनी को हडप्सर, पुणे में स्थित नागर विमानन महानिदेशालय के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन विद्यमान ग्लाइडिंग सेन्टर में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी एवं हेलीपोर्ट के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदन दे दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इस उद्देश्य से अप्रैल, 2010 में 1000.00 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। उक्त अग्रिम में से 31.3.2019 तक निम्नानुसार व्यय किए गए हैं:–

(मूल्य ₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
क	–नागर विमानन महानिदेशालय से अप्रैल, 2010 में प्राप्त अग्रिम	1,000.00	1,000.00
	–कुल उपार्जित एवं अर्जित ब्याज	210.77	208.61
	कुल निधि	**1,210.77**	**1,208.61**
ख	– एनबीसीसी को दी गई राशि	1,134.09	1,134.09
	– कम्पनी द्वारा परियोजना पर व्यय की गई राशि	26.68	26.68
	योग वितरण/व्यय	**1,160.77**	**1,160.77**
ग	**बैंक में उपलब्ध रोकड़**		
	– चालू खाते में	5.38	5.38
	– सावधि जमा में	44.09	41.76
	– ब्याज उपार्जित एवं अन्य	0.53	0.70
	योग	**50.00**	**47.84**

XVIII. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास निधि

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार 1 अप्रैल, 2014 से कम्पनी से पूर्व तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा उपार्जित शुद्ध लाभ के औसत का प्रत्येक वर्ष कम से कम 2% सीएसआर नीति के अंतर्गत व्यय किया जाना अपेक्षित किया गया है। इसके आधार पर सीएसआर में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 59.50 लाख रुपए (31 मार्च, 2018: 109.76 लाख रुपए) की राशि के व्यय की अपेक्षा की गई है। इसके अलावा, पूर्व वर्षों के लिए 200.92 लाख रुपए (31 मार्च, 2018: 200.92 लाख रुपए) के प्रावधान अग्रेषित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों पर निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत 48.31 लाख रुपए (31 मार्च, 2017: 29.08 लाख रुपए) व्यय किए गए हैं :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
स्वच्छ भारत अभियान	शून्य	28.87
शिक्षा प्रोत्साहन	6.75	0.21
स्वास्थ्य सेवा	30.31	शून्य
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	शून्य	शून्य
प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	11.25	शून्य
योग	**48.31**	**29.08**

**वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान मैसर्स विवो हैल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव के साथ 15 लैब तकनीशियनों को 11.25 लाख रुपए की अनुबंध लागत पर प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था तथा 31.3.2019 तक 7.87 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका है और शेष 3.37 लाख रुपए की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रतिबद्ध देयताओं में की गई है। इसी प्रकार शिक्षा प्रोत्साहन के लिए मैसर्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के साथ 6.75 लाख रुपए के कुल मूल्य का अनुबंध किया गया था जिसमें से 31.3.2019 तक 5.06 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका है तथा शेष 1.69 लाख रुपए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रतिबद्ध देयता के अंतर्गत लेखा बहियों में अग्रेनित किए गए हैं।

*वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत 44.58 लाख रुपए की लागत से विद्यालय की मरम्मत का एक करार किया गया था जिसमें से 31.3.2019 तक 36.90 लाख रुपए का व्यय परियोजना की अंतिम लागत के रूप में किया जा चुका है तथा शेष 7.68 लाख रुपए की राशि को उक्त परियोजना के अंतिमकरण के प्रति प्रतिबद्ध देयता में से घटाकर प्रतिलेखन किया गया है।

लोक उपक्रम विभाग के दिनांक 23.9.2011 के दिशानिर्देशों तथा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 31.3.2014 तक की अवधि के लिए व्यय न की गई 200.92 लाख रुपए की शेष राशि का विधिवत उपयोग किया जाएगा।

XIX. प्रचालन पट्टे के प्रति दायित्व :–

निरस्त किए गए प्रचालन पट्टों के संबंध में 2,386.01 लाख रुपए (31 मार्च, 2018: 2,669.56 लाख रुपए) का किराया व्यय/हेलीकॉप्टर पट्टा प्रभार लाभ एवं हानि विवरणी में प्रभारित किए गए है। कम्पनी द्वारा गैर–निरस्त प्रचालन पट्टे नहीं किए गए हैं

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ प्रचालन पट्टे का प्रकटीकरण*:–

(₹ लाख में)

विवरण	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं	पांच वर्ष से अधिक
हि.ए.लि. से ड्राई लीज पर ध्रुव हेलीकॉप्टर (वीटी–एचएक्यू)*	372.54	-	-

* वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 936.84 लाख रुपए (पिछले वर्ष – 656.15 लाख रुपए) लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए हैं।

इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं कम्पनी के बीच सफदरजंग हवाईअड्डा तथा जुहू एयरड्रोम पर स्थित हैंगरों एवं भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई आधारभूत पट्टा नहीं किया गया है तथा तदनुसार, इस पट्टे को रद्द किए जा सकने अथवा रद्द न किए जा सकने का संज्ञान नहीं किया जा सकता है। इसे विचार में लेते हुए इंड–एएस के प्रावधानों के अनुसार भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान से संबंधित प्रावधानों के अनुसार प्रकटीकरण व्यवहार्य नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पट्टा किराए के संबंध में 1342.12 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1917.41 लाख रुपए) का लेखांकन किया गया है।

इंड एएस 17 के अनुसार कम्पनी के पास नोएडा कार्यालय की भूमि के संबंध में 27.11.1989 से 90 वर्ष का पट्टा करार है, तदनुसार, इंड एएस के अंतर्गत कटौती दर पर किए गए वित्तीय पट्टे से संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैः–

(₹ लाख में)

विवरण	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं	पांच वर्ष से अधिक
कटौती पर नोएडा कार्यालय के भूमि पट्टा का किराया	1.73 (पि.व.1.73)	5.24 (पि.व.5.24)	14.21 (पि.व.14.23)

XX. तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित घटनाएंः

क) एनटीपीसी द्वारा अपने दिनांक 18.4.2019 के पत्र संख्या 01/सीपी/एलएच/ के माध्यम से करार/समझौता ज्ञापन समाप्त कर दिया गया है तथा कम्पनी से अधिकतम 18.6.2019 तक तक लागू ब्याज दर सहित बकाया ऋण की पूरी राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है तथा इसके पश्चात बकाया ऋण राशि पर 12.20% की दर से प्रचलित वाणिज्यिक ब्याज दर लगाई जाएगी। तदनुसार ऋण की पूर्ण बकाया राशि का उल्लेख चालू नोट संख्या 18 में किया गया है।

XXI. घटक लेखांकन

वित्तीय वर्ष 2016–17 से हेलीकॉप्टर के कलपुर्जों के लिए घटक लेखांकन की प्रक्रिया अपनाई गई थी तथा घटक लेखांकन के लिए निम्नलिखित कलपुर्जे विचार में लिए गए थेः–

1 इंजन
2 मुख्य गियर बॉक्स
3 हब एसेम्बली
4 ट्रांसमिशन एसेम्बली
5 सन्निहित लागत
6 हल्ल

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान हेलीकॉप्टरों तथा घटकों के मूल्यह्रास की कुल राशि 7,420.57 लाख रुपए (31 मार्च, 2018ः 6,899.14 लाख रुपए) है। ओवरहॉल प्रभार/जी निरीक्षण व्यय की 8,605.55 लाख रुपए (31 मार्च, 2018ः 4,969.28 लाख रुपए) की राशि का वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पूंजीयन किया गया है।

XXII. क) वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान लक्षद्वीप डिटैचमेंट में एक वित्तीय अनियमितता पाई गई थी। सतर्कता विभाग द्वारा जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रबंधन को प्रस्तुत की गई थी। सतर्कता विभाग द्वारा सूचित 129.21 लाख रुपए की अनुमानित वित्त हानि में से वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 89.12 लाख रुपए के प्रावधान किए गए थे। 89.12 लाख रुपए की इस राशि का निर्धारण 129.21 लाख रुपए की अनुमानित लागत के अनुसार किया गया था जिसमें से कर्मचारियों को सहायक कार्यों/बीजकों इत्यादि के लिए देय 40.09 लाख रुपए का संज्ञान कर लिया गया था। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लक्षद्वीप प्रशासन से अप्रैल, 2008 से मार्च, 2011 के

यात्री बिलों के लिए 59.29 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। मानव संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच कार्रवाई पूरी हो चुकी है तथा दिए गए सुझाव के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

ख) कम्पनी द्वारा मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) ट्रियूम्फ इंजन कंट्रोल सिस्टम, यू.एस.ए. को हाइड्रो मैकेनिकल यूनिट की मरम्मत के लिए $41,184 का अग्रिम चुकता किया गया था। आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त न होने की पुष्टि की गई थी, जो जांच के पश्चात सही पाई गई थी। कम्पनी द्वारा मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम सैल तथा संबंधित पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज करवा दी गई है। इसके लिए वर्ष के दौरान 26.14 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 26.14) के प्रावधान किए गए हैं।

ग) विचाराधीन वर्ष के दौरान दमन डिटेचमेंट के बेस सहायक द्वारा 3.56 लाख रुपए (अनुमानित) का दुरूपयोग किया गया था जो दमन एवं दीव प्रशासन की ओर से टिकटें जारी करने के लिए संग्रहित की गई थी। राशि की वसूली के लिए उचित कार्रवाई की गई है तथा उससे 2.40 लाख रुपए की वसूली कर ली गई है और 1.16 लाख रुपए की शेष राशि की वसूली एवं अन्य उचित कार्रवाई करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इस राशि को वर्ष के लेखों में शामिल किया गया है।

XXIII. प्रावधान

31.3.2019 की स्थिति के अनुसार बहियों में किए गए विभिन्न प्रावधान नीचे दिए गए हैं:–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की स्थिति	ववर्ष के दौरान निर्मित/प्रयुक्त/अन्य समायोजन	31 मार्च, 2018 की स्थिति	वर्ष के दौरान निर्मित/प्रयुक्त/अन्य समायोजन	31 मार्च, 2019 की स्थिति
परिसम्पत्तियों की क्षति	1,634.94	66.93	1701.87	57.36	1,759.23
1.1.2007 से पेंशन एवं अन्यों सहित वेतन एवं भत्तों में संशोधन के प्रावधान	100.20	(30.30)	69.90	41.49	111.39
पॉयलटों तथा इंजीनियरों के लिए लाइसेंस सम्बद्ध भत्ते के प्रावधान	1,147.39	(43.39)	1,104.00	883.00	1,987.00
1.1.2017 से वेतन एवं भत्तों में संशोधन के प्रावधान	515.35	1,385.85	1,901.20	761.21	2,662.41
संदेहास्पद ऋण/अग्रिम	2,532.82	516.79	3,049.61	1,414.48	4,464.09
अचल मालसूचियां/कालातीत मदें इत्यादि	3,057.07	147.81	3,204.88	227.96	3,432.84
लक्षद्वीप डिटैचमेंट में क्षति के लिए प्रावधान	89.12	-	89.12	-	89.12
निवेश के मूल्य के प्रति घटाव के लिए प्रावधान	187.03	24.65	211.68	-	211.68
अन्य प्रावधान – दमन	-	-	-	1.16	1.16

XXIV.

क) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 15.6.2017 के पत्र संख्या एवी.30020/365/2015–जीए के माध्यम से कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 25,000 लाख रुपए से बढ़ाकर 56,000 लाख रुपए अर्थात 31,000 लाख रुपए की वृद्धि के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके पश्चात दिनांक 22.6.2017 को कम्पनी के शेयरधारकों के साथ आयोजित असाधारण आम सभा में शेयरधारकों से 25,000 लाख रुपए की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 56,000 लाख रुपए करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय से 15,905 लाख रुपए (दिनांक 20.1.2017 को 13,091 लाख रुपए प्राप्त तथा दिनांक 31.3.2017 को 2,814 लाख रुपए प्राप्त) एवं ओएनजीसी लिमिटेड से 15,281.60 लाख रुपए (दिनांक 6.7.2017 को प्राप्त) के उपयोग से भारत के राष्ट्रपति के नाम राइट इश्यू जारी किए जाने का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। निदेशक मंडल की दिनांक 10.7.2017 को आयोजित 159वीं बैठक में राइट इश्यू के लिए अनुमोदन दिया गया था तथा भारत के राष्ट्रपति के नाम 10,000 रुपए के अंकित मूल्य प्रत्येक के 1,59,050 इक्विटी शेयर तथा ओएनजीसी लिमिटेड के नाम 1,52,816 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे। तदनुसार कम्पनी की इक्विटी संरचना 10.7.2017 की स्थिति के अनुसार निम्नानुसार है:–

पवन हंस लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारक	10.7.2017 से पूर्व शेयरधारिता	10.7.2017 को आबंटित राइट इश्यू के इक्विटी शेयर	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारिता (प्राधिकृत पूंजी 56,000 लाख रुपए)	% शेयर धारिता
ना.वि.मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	12,526.60	15,905.00	28,431.60	51%
ओएनजीसी लि.	12,035.00	15,281.60	27,316.60	49%
कुल चुकता पूंजी	**24,561.60**	**31,186.60**	**55,748.20**	**100%**

ख) भारत सरकार द्वारा प्रबंधकीय नियंत्रण के अंतरण के साथ साथ पवन हंस लिमिटेड में भारत सरकार की 51% शेयरधारिता में रणनीतिक विनिवेश करने का निर्णय लिया गया है। निवेश एवं लोक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2017 को रणनीतिक विनिवेश के उक्त उद्देश्य से एसबीआई कैप्टिल मार्केट की नियुक्ति संव्यवहार सलाहकार के रूप में की गई है। इसके अंतर्गत की जाने क्रियाकलापों के अंतर्गत प्रारम्भिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) एवं रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) की प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा इनका प्रकाशन दिनांक 14.4.2018 को समाचार पत्रों में कर दिया गया था। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत वैश्विक बोलियां आमंत्रित की गई थीं तथा पवन हंस लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के लिए दिनांक 14 अप्रैल, 2018 को जारी प्रारंभिक सूचना ज्ञापन एवं दिनांक 31 मई, 2018 को जारी प्रारंभिक सूचना ज्ञापन के शुद्धिपत्र की प्रतिक्रिया में रूचि अभिव्यक्ति प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 18 जून, 2018 थी।

उपर्युक्त के अलावा, निवेश एवं लोक सम्पत्ति विभाग द्वारा मैसर्स क्राफर्ड बेयले एंड कम्पनी को उक्त रणनीतिक विनिवेश के लिए विधि सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया था। मैसर्स आर.बी.एस.ए., परामर्शदाता की नियुक्ति नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पवन हंस लिमिटेड की परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए की गई थी। मैसर्स आर.बी.एस.ए. द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित अपना कार्य पूरा कर लिया है।

उपर्युक्त का अनुगमन करते हुए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा भी अपने निदेशक मंडल से दिनांक 2 अगस्त, 2018 को पारित संकल्प के माध्यम से पवन हंस लिमिटेड में 49% की अपनी पूर्ण शेयरधारिता की बिक्री किए जाने की मंशा व्यक्त की गई है। इस स्थिति को विचार में रखकर सभी संभावित एवं विद्यमान बोलीदाताओं को विनिवेश की प्रक्रिया में प्रतिभागिता का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 15.8.2018 को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन से संबंधित एक परिशिष्ट जारी किया गया था। तदनुसार, इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रूचि अभिव्यक्ति की तिथि भी 12 सितम्बर, 2018 तक के लिए बढ़ा दी गई थी,

जिसे बाद में 19 सितम्बर, 2018 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। बोलियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया की गई थी तथा गोपनीय सूचना ज्ञापन (सीआईएम) दस्तावेज जारी किया गया था और चयनित बोलीदाता को दिनांक 9 अक्तूबर, 2018 को वीडीआर के लिए एक्सेस प्रदान कर दिया गया था। इसके पश्चात आरएफपी तथा चयनित बोलीदाताओं की टिप्पणियां/सुझावों से युक्त एसपीए दस्तावेज दिनांक 19 फरवरी, 2019 को वीडीआर पर अपलोड करके 5 मार्च, 2019 तक बोलियां आमंत्रित की गई थी, जिसे शार्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं के अनुसार पर आगे 12 मार्च, 2019 तक एक सप्ताह के लिए विस्तावित कर दिया गया था।

उपर्युक्त के प्रति निविदा की देय तिथि अर्थात 12 मार्च, 2019 तक केवल एक बोली प्राप्त की गई थी। बोली की संवीक्षा के पश्चात संव्यवहार परामर्शदाता (एसबीआई कैपिटल) द्वारा इस बोली के सशर्त होने और इसका सार अपूर्ण होने तथा इसे प्रस्ताव अनुरोध की अयोग्यता से संबंधित खंड के अनुसार अयोग्य ठहराए जा सकने की सूचना दी गई थी। तदनुसार यह बोली रद्द कर दी गई थी तथा यह मामला अग्रेतर निर्णय के लिए निवेश एवं लोक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग को अग्रेषित कर दिया गया था।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात वैकल्पिक तंत्रव्यवस्था द्वारा बोलीदाताओं की प्रतिभागिता के क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए दिनांक 3 मई, 2019 को नए ईओआई/पीआईएम जारी किए जाने का अपना निर्णय सम्प्रेषित किया गया था। तदनुसार एसबीआई कैप द्वारा मसौदा पीआईएम तैयार किया गया था और इसे मूल्यांकन समिति के सदस्यों तथा पवन हंस को अपडेशन के लिए भिजवाया गया था और पवन हंस लिमिटेड से प्राप्त इनपुट के आधार पर एवं मूल्यांकन समिति की दिनांक 13 तथा 17 मई, 2019 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पीआईएम में संशोधन किए गए थे और इन्हें पवन हंस लिमिटेड तथा मूल्यांकन समिति को विविक्षा एवं अनुमोदन के लिए भिजवाया गया था। पवन हंस लिमिटेड द्वारा पीआईएम का अध्ययन एवं विविक्षा की गई थी और इसे अगली कार्रवाई के लिए नागर विमानन मंत्रालय को भिजवा दिया गया था।

XXV. पूर्वावधि चूकें

कम्पनी से वित्तीय विवरणों को तैयार किए जाने के दौरान सुधार की गई निम्नलिखित चूकों के संबंध में प्रकटीकरण किए जाने की अपेक्षा की गई है:–

क) पूर्वावधि चूक का स्वरूप

ख) प्रत्येक प्रस्तुत पूर्वावधि के संबंध में राशि में यथासंभव व्यवहार्य सुधार निम्नानुसार है:–

- प्रत्येक प्रभावित वित्तीय विवरण प्रविष्टि; तथा
- प्रति शेयर मूल एवं आय न्यूनता के संबंध में;

(ग) पूर्वावधियों के प्रारम्भ के संबंध में प्रस्तुत पूर्वावधि की राशि में सुधार;

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित पूर्वावधि समायोजन किए गए हैं:–

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान वित्तीय वर्ष 2016–17 के संबंध में संज्ञान में ली गई पूर्वावधियों के अथ रिजर्व एवं अधिशेष में से किया गया समायोजन	
नामे	
हेलीकॉप्टर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	1.24
कर्मचारी हितलाभ व्यय	
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	
अन्य व्यय	35.03
प्रचालन से राजस्व	
योग	**36.27**

विवरण	राशि
जमा	
प्रचालनों से राजस्व	(2.09)
अन्य आय	(99.32)
कर्मचारी हितलाभ व्यय	
योग	**(101.41)**

विवरण	राशि
वित्तीय वर्ष 2017–18 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2018–19 में संज्ञान में ली गई पूर्वावधियों का वित्तीय वर्ष 2017–18 की संबंधित प्रविष्टि के अंतर्गत किया गया समायोजन	
नामे	
हेलीकॉप्टर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	1.97
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	1.85
अन्य व्यय	10.08
कर्मचारी हितलाभ व्यय	12.20
आस्थगित कर देयता	4.31
योग	**30.41**
जमा	
प्रचालन से राजस्व	3.65
अन्य आय	(3.68)
कर्मचारी हितलाभ व्यय	
अन्य व्यय	
आस्थगित आय देयताएं	
योग	**(0.03)**

XXVI. सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण

भारतीय लेखांकन मानक–24 के अंतर्गत अपेक्षित सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:–

क) नियंत्रण प्रभाव वाले व्यक्ति

भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार – 51% शेयरधारिता

तेल एवं प्राकृतिक गैस कम्पनी लिमिटेड – 49% शेयरधारिता

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i. डॉ. बी. पी. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (28 फरवरी, 2019 तक)

ii- श्रीमती उषा पाढ़ी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (6 अप्रैल, 2019 के पश्चात से)

iii. श्री अशोक नायक, स्वतंत्र निदेशक

iv. डॉ. हरीश चौधरी, स्वतंत्र निदेशक

v. श्री संजीव अग्रवाल, कम्पनी सचिव (31 अगस्त, 2018 तक)

vi. श्री धीरेन्द्र सहाय, मुख्य वित्त अधिकारी (30 नवम्बर, 2018 तक)

vii. श्री रंजीत सिंह चौहान, कम्पनी सचिव (31 अगस्त, 2018 के पश्चात से)

ग) **संव्यवहार का विवरण (प्रमुख प्रबंधन कार्मिक)**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	132.48	109.72
परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ में अंशदान	7.01	6.17
सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभ	9.50	61.78
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	शून्य	शून्य
सेवा समाप्ति हितलाभ	5.00 लाख रुपए का मेडीक्लेम बीमा	5.00 लाख रुपए का मेडीक्लेम बीमा
शेयर आधारित भुगतान	शून्य	शून्य
निदेशकों की सीटिंग फीस	4.05	1.20
प्राप्य राशि	शून्य	1.01
देय राशि	0.96	0.23

घ) **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों को चुकता पारिश्रमिक –**

(₹ लाख में)

विवरण	2018-2019	2017-2018
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	57.94	35.06
परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ में अंशदान	2.86	2.35
सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभ	3.12	12.19
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	शून्य	शून्य
सेवा समाप्ति हितलाभ	5.00 लाख रुपए का मेडीक्लेम बीमा	5.00 लाख रुपए का मेडीक्लेम बीमा
शेयर आधारित भुगतान	शून्य	शून्य

ङ) **महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त उद्यम –**

ओएनजीसी लिमिटेड–इक्विटी शेयरधारिता – 49% जिसकी राशि 27316.60 लाख रुपए है।

(₹ लाख में)

संव्यवहार	2018- 19	2017-18
हेलीकॉप्टर किराया प्रभार (ए.ओ.जी. का निवल)	9,823.55	14,182.85
अन्य सेवाएं	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में व्यवसाय प्राप्य (नामे)	3,262.89	2,509.72
चुकता ऋण (मूलधन राशि)	शून्य	शून्य
चुकता ब्याज	शून्य	शून्य
बकाया ऋण (मूलधन राशि)	शून्य	शून्य

च) ट्रस्ट जिनमें कम्पनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है: –

(₹ लाख में)

ट्रस्ट का नाम	2018- 19			2017-18		
	चुकता	देय	प्राप्य	चुकता	देय	प्राप्य
पवन हंस कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	1,561.99	157.59	-	1,272.86	113.87	-
पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. कर्मचारी उपदान ट्रस्ट	652.58	270.05	-	-	652.58	-
पवन हंस लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति ट्रस्ट	846.00	43.34	-	430.53	380.37	-

XXVII. मूल एवं डायलूटिड शेयरों की संख्या के मध्य समाधान निम्नानुसार है:–

विवरण	शेयरों की संख्या	
	2018- 19	2017-18
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	5,57,482	2,45,616
जोड़ें: ओएनजीसी तथा भारत सरकार को 10.7.2017 को आबंटित शेयरों की संख्या/शेयर आवेदन राशि प्राप्ति के कारण आबंटन के लिए लम्बित डायलूटिड शेयरों की संख्या	शून्य	2,26,423
वर्ष के अंत में डायलूटिड शेयरों की कुल संख्या	5,57,482	4,72,039

XXVIII.

क) तुलन पत्र तिथि को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति कम्पनी द्वारा 45 दिन की अवधि से अधिक कुछ बकाया नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व्यवसाय देयताओं के संबंध में ब्याज एवं मूलधन राशि का विवरण नीचे दिया गया है:–

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति	31 मार्च, 2018 की स्थिति
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय		
– मूलधन	शून्य	शून्य
– ब्याज	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के अंतर्गत क्रेता द्वारा चुकता की गई ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात सूक्ष्म एवं लघु आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशियां	शून्य	शून्य
भुगतान में देरी के कारण चुकता एवं देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना चुकता की गई है)	शून्य	शून्य
उपार्जित ब्याज की राशि जो प्रत्येक लेखांकन वर्ष में चुकता नहीं की गई है।	शून्य	शून्य
आगे देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि, जो नियत तिथि से लघु उद्यमी को किए गए भुगतान पर अगले वर्षों के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, व्यवकलनीय व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से देय है।	शून्य	शून्य

ख) सामान्य प्रचालन क्रम को चूंकि परिभाषित किया जाना संभव नहीं है अतः इस 12 माह की संकल्पित अवधि के अनुसार किया गया है तथा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के उद्देश्य से परिसम्पत्तियों देयताओं का वर्गीकरण दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक आधार पर किया गया है।

ग) सेगमेंट रिपोर्टिंग

कम्पनी द्वारा मुख्यतः भारत में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय किया जा रहा है जो कि "प्रचालन सेगमेंट" के संदर्भ में भारतीय लेखांकन मानक – 108 के अंतर्गत मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक ("सीओडीएम") को आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप रिपोर्ट किए जाने योग्य केवल एक ही व्यवसाय सेगमेंट माना गया है। निदेशक मंडल को मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक माना गया है क्योंकि इसके द्वारा कार्यनीतिक निर्णय लिए जाते हैं तथा यह प्रचालन सेगमेंट के संबंध में संसाधनों के निर्धारण तथा निष्पादन का मूल्यांकन करने के प्रति उत्तरदायी है। कम्पनी अपने प्रचालन भारत में करती है जो कि समान प्रकार के जोखिम होने के कारण एक ही भौगोलिक सेगमेंट माना गया है।

घ) प्रमुख ग्राहक

कम्पनी के प्रमुख ग्राहक निम्नानुसार हैं:–

i. तेल एवं प्राकृतिक गैस कम्पनी लिमिटेड
ii. अंडमान एवं निकोबार प्रशासन
iii. जम्मू एवं कश्मीर सरकार
iv. मेघालय सरकार
v. त्रिपुरा सरकार
vi. मिजोरम सरकार
vii. महाराष्ट्र पुलिस

XXIX. वित्तीय उपकरण

i. मूल्य निर्धारण

सभी वित्तीय उपकरणों की प्रारंभिक स्वीकृति एवं अनुवर्ती पुनःमापन उनके उचित मूल्य पर किया जाता है जो कि ऐसे मामलों में नहीं किया जाता जिनके संबंध में इंड एएस 101 के पैरा डी20 के अंतर्गत इंड एएस में पारगमन के दौरान निम्नानुसार प्राप्त छूट का उपयोग किया गया है:–

क) कर्मचारियों को दिए गए ऋण का उचित मूल्यांकन

पूर्व सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों (जीएएपी) के अंतर्गत कर्मचारियों को रियायती दर जिनकी वसूली ऋण की शर्तों के अनुसार नकद की जाती है) पर दिए जाने वाले ऋण संव्यवहार के मूल्य पर रिकार्ड में लिए जाते थे। इंड एएस के अतर्गत सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों की स्वीकृति उनके उचित मूल्य पर किए जाने की अपेक्षा की गई है। तदनुसार, कम्पनी द्वारा पारगमन की तिथि को विद्यमान ऋणों के अलावा इंड एएस के अंतर्गत ऐसे ऋणों का उचित मूल्य निर्धारण किया गया है ऋणों के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के बीच के अंतर को वर्ष से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ऋण की राशि 4.58 लाख रुपए कम हुई है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान लाभ एवं कुल इक्विटी में 0.79 लाख रुपए की कमी आई है जो कि कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर स्वीकृत संकल्पित ब्याज की 0.80 लाख रुपए की आय के कारण है।

ख) प्रतिभूति जमा

पूर्व सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों (जीएएपी) के अंतर्गत ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा (जो पट्टा काल की समाप्ति के पश्चात नकद धनवापसी योग्य है) को संव्यवहार मूल्य पर रिकार्ड में लिया जाता था। इंड एएस के अंतर्गत सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों की स्वीकृति उनके उचित मूल्य पर किए जाने की अपेक्षा की गई है।

तदनुसार, कम्पनी द्वारा सुरक्षा जमा के संबंध में इंड एएस के अंतर्गत उचित मूल्य आंके गए हैं। सुरक्षा जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के बीच के अंतर को आस्थगित कर के रूप में स्वीकृति दी गई है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूति जमा की राशि में शून्य लाख रुपए की कमी हुई है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर की राशि में शून्य लाख रुपए की बढ़त हुई है। इसके अलावा, प्रबंधन की मंशा के आधार पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को चालू एवं गैर–चालू में विभाजित किया गया है, जिसकी राशि क्रमशः शून्य लाख रुपए तथा शून्य लाख रुपए है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार लाभ तथा कुल इक्विटी में 0.0025 लाख रुपए की बढ़ोतरी आई है जो कि 0.078 लाख रुपए के आस्थगित किराए का परिशोधन किए जाने, जिसका आंशिक संमजन सुरक्षा जमा पर स्वीकृत 0.081 लाख रुपए की संकल्पित ब्याज आय में किया गया है, के कारण है।

ग) जहां कहीं लागू होता है वहां वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य का निर्धारण बट्टाकृत रोकड़ प्रवाह के विश्लेषण से किया जाता है।

वित्तीय उपकरणों का वर्गीकरण **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति	31 मार्च, 2019 की स्थिति
वित्तीय परिसम्पत्तियां		
परिशोधन लागत पर मापन		
गैर – चालू परिसम्पत्तियां		
क) ऋण	542.35	603.71
ख) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	160.33	177.55
चालू परिसम्पत्तियां		
क) व्यवसाय प्राप्य	21,249.28	18,083.12
ख) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	2,086.23	3,851.21
ग) अन्य बैंक शेष	11,500.23	30,185.06
घ) ऋण	710.75	528.06
ङ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	1,995.93	1,371.85
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन		
क) इक्विटी उपकरणों में निवेश	77.66	77.66
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन	-	-
वित्तीय देयताएं		
परिशोधन लागत पर मापन		
गैर चालू देयताएं		
क) ऋण	-	1,928.19
ख) अन्य वित्तीय देयताएं	67.80	108.80
चालू देयताएं		
क) ऋण	-	-
ख) व्यवसाय प्राप्य	5,283.80	11,026.36
ग) अन्य वित्तीय देयताएं	2,230.94	848.58

ii. उचित मूल्य वर्गीकरण व्यवस्था

नीचे दी गई तालिका में कम्पनी की उन वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का ब्यौरा दिया गया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई हैं अथवा जिनका उचित मूल्य प्रकटीकरण 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित किया गया है:

विवरण	योग	निम्नलिखित के उपयोग से किया गया उचित मापन		
		सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण विचारणीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अलक्ष्य इनपुट (स्तर 3)
एफवीटीओसीआई वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्परिशोधन लागत वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नीचे दी गई तालिका में कम्पनी की उन वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का ब्यौरा दिया गया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई हैं अथवा जिनका उचित मूल्य प्रकटीकरण 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित किया गया है:

विवरण	योग	निम्नलिखित के उपयोग से किया गया उचित मापन		
		सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण विचारणीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अलक्ष्य इनपुट (स्तर 3)
एफवीटीओसीआई वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परिशोधन लागत वित्तीय वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii. विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन :–

कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्राओं के मूल्य वर्ग में संव्यवहार किए जाते हैं; जिसके कारण विनिमय दर में उतार चढ़ाव के प्रति जोखिम होता है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की परिसम्पत्तियां तथा देयताओं की वहन राशि का वर्णन निम्नानुसार है :–

(₹ लाख में)

विवरण	अमेरिकी डालर		यूरो		अन्य मुद्राएं	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	0.65	44.84	0.53	40.83	-	-
व्यवसाय प्राप्य	14.74	1,011.37	4.33	331.29	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	56.91	3,902.24	2.09	159.90	0.09	8.19
व्यवसाय देय	1.87	130.47	17.96	1,413.66	-	-
अन्य वित्तीय देयताए	0.74	50.93	-	-	-	-
आकस्मिक देयताएं	4.14	287.54	5.00	396.46	0.33	27.67

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की परिसम्पत्तियां तथा देयताओं की वहन राशि का वर्णन निम्नानुसार है :–

(₹ लाख में)

विवरण	अमेरिकी डालर		यूरो		अन्य मुद्राएं	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	12.97	833.13	2.99	237.06	-	-
व्यवसाय प्राप्य	9.55	613.86	7.04	558.38	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	51.63	3,317.45	2.02	160.22	0.004	0.37
व्यवसाय देय	8.27	540.48	29.96	2,444.95	0.02	2.05
अन्य वित्तीय देयताए	0.20	12.57	-	-	-	-
आकस्मिक देयताएं	1.11	71.24	5.72	472.98	-	-

iv. **विदेशी मुद्रा संवेदी विश्लेषण:**

कम्पनी के सम्मुख मुख्यतः अमेरिकी डालर तथा यूरोपियन यूरो मुद्रा के प्रति जोखिम होता है;

नीचे दी गई तालिका में सम्बद्ध विदेशी मुद्राओं के प्रति रुपए में 5% बढ़त अथवा घटत की संवेदनशीलता दर्शाई गई है। 5% की संवेदनशील दर का उपयोग तब किया जाता है जब प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को विदेशी मुद्रा जोखिम की आंतरिक रिपोर्टिंग की जाती है तथा जिससे प्रबंधन के मूल्यांकन में विदेशी मुद्रा दरों से औचित्यपरक संभावित परिवर्तन होते हैं। मुख्यतः यह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह में प्राप्य अथवा बकाया जोखिम से सम्बद्ध है। संवेदी विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मदें शामिल होती हैं तथा उनके अंतरण का समायोजन अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा पर 5% प्रभारित करके किया जाता है। नीचे प्रस्तुत सकारात्मक संख्या से सम्बद्ध मुद्रा के प्रति 5% मजबूती आने से लाभ अथवा इक्विटी में बढ़त दर्शाई गई है। रुपए की सम्बद्ध मुद्रा के प्रति 5%कमजोरी होने से लाभ अथवा इक्विटी पर तुलनात्मक प्रभाव होता है तथा नीचे प्रस्तुत शेष नकारात्मक होंगे।

(₹ लाख में)

विवरण	अमेरिकी डालर प्रभाव	
	31 मार्च, 2019 की स्थिति	31 मार्च, 2018 की स्थिति
विनिमय दर में 5% की बढ़त	297.51	253.26
विनिमय दर में 5% की घटत	(297.51)	(253.26)

विवरण	यूरो प्रभाव	
	31 मार्च, 2019 की स्थिति	31 मार्च, 2018 की स्थिति
विनिमय दर में 5% की बढ़त	(33.72)	(96.43)
विनिमय दर में 5% की घटत	33.72	96.43

विवरण	अन्य मुद्रा प्रभाव	
	31 मार्च, 2019 की स्थिति	31 मार्च, 2018 की स्थिति
विनिमय दर में 5% की बढ़त	(1.07)	(0.08)
विनिमय दर में 5% की घटत	1.07	0.08

v. बीमा जोखिम

कम्पनी की वित्तीय देयताओं से सम्बद्ध किसी प्रकार का ब्याज जोखिम नहीं है।

vi. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का संदर्भ उस जोखिम से है, जो प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने संविदागत दायित्वों के निर्वाह में की गई चूक के कारण कम्पनी के लिए वित्तीय हानि में परिवर्तित होता है। ऋण जोखिम चलनिधि परिसम्पत्तियों, गैर–चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों, डेरीवेटिव परिसम्पत्तियों, व्यवसाय एवं अन्य प्राप्यों के प्रति उत्पन्न होता है। कम्पनी के पास किसी प्रकार डेरीवेटिव परिसम्पत्तियां हैं तथा रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के संबंध में उक्त राशि अनुसूचित बैंक के चालू खाते में जमा है जहां चूक होने के अवसर न्यूनतम हैं। ऋण जोखिम के प्रति अधिकतम जोखिम वहन की जा रही राशि के प्रति है जो कम्पनी की अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के समान है।

vii. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है, जिसमें कम्पनी के सम्मुख अपनी वित्तीय देयताओं से सम्बद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई होती है तथा जिसका समाधान रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की आपूर्ति से किया जाता है। कम्पनी का ऐसा मानना है कि इसकी कार्यशील पूंजी अपनी वर्तमान अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। तदनुसार, किसी चलनिधि जोखिम की संभावना नहीं है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वता से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–5 वर्ष	5+ वर्ष	योग	वहन राशि
ऋण	1,928.19	-	-	1,928.19	1,928.19
व्यवसाय प्राप्य	5,283.80	-	-	5,283.80	5,283.80
अन्य वित्तीय देयताएं	302.75	67.80	-	370.55	370.55

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वता से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–5 वर्ष	5+ वर्ष	योग	वहन राशि
ऋण	569.54	1,928.19	-	2,497.73	2,497.73
व्यवसाय प्राप्य	11,026.36	-	-	11,026.36	11,026.36
अन्य वित्तीय देयताएं	279.04	108.80	-	387.84	387.84

XXX. पूंजी प्रबंधन

कम्पनी द्वारा अपनी पूंजी का प्रबंधन ऋण एवं इक्विटी शेष के माध्यम से भागीदारों को इष्टतम लाभ प्रदान करने के साथ साथ गोइंग कंसर्न के सुनिश्चय के लिए किया जाता है।

कम्पनी की पूंजी संरचना में निवल ऋण तथा कम्पनी की कुल इक्विटी है।

कम्पनी किन्हीं बाह्य प्रत्यारोपित पूंजी अपेक्षाओं के अध्याधीन नहीं है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति	31 मार्च, 2018 की स्थिति
ऋण	1,928.19	2,497.73
व्यवसाय प्राप्य	5,283.80	11,026.36
अन्य वित्तीय देयताएं	370.55	387.84
निवल ऋण	**7,582.54**	**13,911.93**
इक्विटी शेयर पूंजी	55,748.20	55,748.20
अन्य इक्विटी	49,127.18	56,237.02
कुल पूंजी	**1,04,875.38**	**1,11,985.22**
पूंजी और ऋण	**1,12,457.92**	**1,25,897.15**
गियरिंग अनुपात	0.072	0.124

XXXI. चालू वर्ष के आंकड़ों की अनुरूपता के लिए जहां आवश्यक समझा गया है वहां पूर्व वर्ष के आंकड़ों का पुनःसमूहन किया गया है।

XXXII. पवन हंस लिमिटेड द्वारा बेल हेलीकॉप्टर्स (बेल) से 3 नए हेलीकॉप्टर प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया की गई थी जिसके लिए अगस्त, 2016 में आदेश जारी कर दिया गया था। 3 हेलीकॉप्टरों की प्राप्ति के लिए जारी किए गए आदेश की लागत लगभग 20500.00 लाख रुपए थी।

इन तीन हेलीकॉप्टरों में 2 हेलीकॉप्टर बेल द्वारा भिजवा दिए गए थे तथा इनके मुम्बई पहुंचने पर इनकी तकनीकी स्वीकृति लम्बित थी। तथापि, पवन हंस लिमिटेड की तकनीकी समिति की अनुशंसा पर इन हेलीकॉप्टरों की दोषयुक्त निर्माण तिथि के कारण इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये निविदा दस्तावेज एवं क्रय करार के स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप नहीं थे। पवन हंस लिमिटेड द्वारा विधिक परामर्श भी प्राप्त किया गया तथा उसके अनुसरण में पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा तकनीकी समिति की रिपोर्ट, विधिक परामर्श तथा बेल द्वारा प्रस्तावित हेलीकॉप्टरों को बदले जाने के प्रति की गई मनाही को विचार में लेकर कोई अन्य विकल्प न होने के कारण इन हेलीकॉप्टरों को स्वीकार न करने और करार को रद्द किए जाने का मत प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात निदेशक मंडल द्वारा पवन हंस लिमिटेड के प्रबंधन को बेल द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी रोकने का निदेश दिया गया, जिससे पवन हंस लिमिटेड द्वारा बेल को किए गए अग्रिम भुगतान की वसूली हो सके। इसकी प्रतिक्रिया में बेल द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में अन्य विविध याचिका दायर की गई थी। इसी दौरान, उच्च न्यायालय द्वारा सिटी बैंक को बैंक गारंटी के अध्यधीन राशि का भुगतान पवन हंस लिमिटेड को न किए जाने तथा बैंक गारंटी का विस्तार नवम्बर, 2017 तक किए जाने के निदेश दिए गए। इसके पश्चात, बेल को विवाचन की मध्यस्थता के लिए विवाचक का नामांकन किया गया था तथा पवन हंस लिमिटेड द्वारा भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को अपना विवाचक नामित किया गया तथा इसके पश्चात इन दोनों विवाचकों द्वारा तीसरे विवाचक का नामांकन किया गया।

विवाचक ट्रिब्यूनल की स्थापना चूंकि की जा चुकी थी अतः दिनांक 28.11.2017 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अन्य विविध याचिका (ओएमपी) का निपटान कर दिया गया। न्यायालय द्वारा बेल को विवाचन एवं समाधान अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत विवाचक ट्रिब्यूनल के सम्मुख आवेदन फाइल करने तथा अग्रिम भुगतान की बैंक गारंटी की वैधता (30 नवम्बर, 2017 को कालातीत होने वाली) आगामी छः माह की अवधि के लिए विस्तारित करने का निदेश दिया गया। न्यायालय द्वारा बैंक गारंटी के प्रति स्थगन आदेश भी पारित किया गया जो विवाचन ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक के समय के लिए लागू रहेगा। तदनुसार, बेल द्वारा बैंक गारंटी की अवधि अगले छः माह के लिए विस्तारित कर दी गई थी।

मैसर्स बीएचटीआई द्वारा पवन हंस लिमिटेड से ''समझौता करार'' के माध्यम से स्वीकार्य समाधान करने तथा अग्रिमों का भुगतान ब्याज सहित करने के लिए सम्पर्क किया गया है। पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा बीएचटीआई का समाधान प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मैसर्स बीएचटीआई और पवन हंस लिमिटेड द्वारा 18.1.2019 को समझौता करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मैसर्स जे.पी.मोर्गन चेस बैंक, एन.ए., हांगकांग शाखा में एस्क्रो खाता खोला गया है तथा मैसर्स बीएचटीआई द्वारा अग्रिम जमा के रूप में प्राप्त 50,60,833.36 अमेरिकी डालर तथा उस पर 4% की दर से ब्याज पर 54,93,784 अमेरिकी डालर जमा करवाए गए हैं। मैसर्स बीएचटीआई द्वारा हेलीकॉप्टरों के अपेक्षित निर्यात एवं पवन हंस लिमिटेड द्वारा ड्यूटी ड्रॉबैक प्राप्त किए जाने के मध्य की देरी के मुआवजे के तौर पर 20,000 अमेरिकी डालर का भुगतान भी किया जाना है। मैसर्स बीएचटीआई द्वारा 23,850.00 अमेरिकी डालर का भुगतान चूंगी प्रभार तथा सीमा शुल्क के ब्याज के रूप में 81,864.00 अमेरिकी डालर का भुगतान भी किया जाना है। अंतर की राशि 25,000 अमेरिकी डालर है, जो पवन हंस लिमिटेड द्वारा हेलीकॉप्टर के आयात के समय चुकता की गई थी तथा इन हेलीकाप्टरों के निर्यात के परिणामस्वरूप पवन हंस लिमिटेड पर शुल्क के प्रत्याशित भार का भुगतान भी मैसर्स बीएचटीआई द्वारा ही किया जाएगा। पवन हंस लिमिटेड द्वारा एस्क्रो खाते के लिए एस्को दस्तावेज जमा करवा दिए गए हैं। इसकी राशि पवन हंस लिमिटेड के खाते में ही जमा हो गया है तथा इसका निपटान अब पूरी तरह से कर लिया गया है। विवाचक ट्रिब्यूनल को इसकी सूचना दे दी गई है। आपसी समाधान के परिणामस्वरूप ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 27.4.2019 को विवाचन प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।

नोट 1 से 32 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

यह हमारी समान तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित लेखांकन नोट है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते जे.पी., कपूर एवं उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म निबंधन सं. 000593एन

(उषा पाढ़ी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 03348716

(अशोक नायक)
निदेशक
डीआईएन सं. 01621890

(विनय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 095187

(रंजीत सिंह चौहान)
कम्पनी सचिव

(आशीष कुमार यादव)
विभाग प्रमुख (वित्त एवं लेखा)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.07.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पवन हंस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **पवन हंस लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के खंड 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम के खंड 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार खंड 143 के अंतर्गत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 15 जुलाई, 2019 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा कर लिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के खंड 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **पवन हंस लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है, जो अधिनियम के खंड 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

(प्राची पांडे)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड–I
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 सितम्बर, 2019

पवन हंस लिमिटेड

(नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न सीपीएसई)

PAWAN HANS LIMITED

(A Mini Ratna CPSE under Ministry of Civil Aviation)

Corporate Office
Pawan Hans Limited
C-14, Sector-1, Gautam Budh Nagar
Noida (U.P.) – 201 301
E-mail:- contact@pawanhans.co.in
Phone: - 0120-2476700
Fax: - 0120-2476983

Registered Office
Rohini Heliport
Sector 36
New Delhi, 110085
E-mail:- contact@pawanhans.co.in
Phone: - 011-27822201

Northern Region Office
Rohini Heliport
Sector 36
New Delhi, 110085
E-mail:- contact@pawanhans.co.in
Phone: - 011-27822201

Western Region
General Manager
Pawan Hans Ltd.
Juhu Aerodrome, S. V. Road
Vile Parle (West), Mumbai, 400 056
E-mail:- gm_wr@pawanhans.co.in
Phone: - 022-26142614, 26146211
Fax: - 022-26146926,26261704

Eastern Region
General Manager
Pawan Hans Ltd.
3rd Floor, Hotel Rajashri Inn
VIP Airport Road, near LGBI Airport
Guwahati 781015, Assam-4
E-mail:- gm_er@pawanhans.co.in
Phone: - 0361- 2842175
Fax: - 0361- 2842177

www.pawanhans.co.in

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

Printed by Nutech Print Services - India